खंड 28, अंक 5

FOR REFERENCE ONLY.

सोमवार, 25 नवम्बर, 2002
4 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 54
Date 13/6/2003

(खण्ड 28 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 28, ग्यारहवां सत्र, 2002/1924 (शक)

अंक 5, सोमवार, 25 नवम्बर, 2002/4 अग्रहायण, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 82 और 84	5-30
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 85 से 101	30-63
अतारांकित प्रश्न संख्या 906 से 1110	63-355
सभा पटल पर रखे गए पत्र	355-360
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति	
उनतीसवां, तीसवां, इकतीसवां और बत्तीसवां प्रतिवेदन	361
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति	
तिरपनवां प्रतिवेदन	362
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड और फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कथित रूप से बंद करना	362-389
श्री बसुदेव आचार्य	362, 365-370
श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा	362-365
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	370-371
श्री लक्ष्मण सेठ	371-374
श्री राजो सिंह	374
कुंवर अखिलेश सिंह	374-375
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	376
श्रीमती कान्ति सिंह	376
कुमारी ममता बनर्जी	376-377
श्री राम विलास पासवान	377-379

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम

श्री रघुनाथ झा 380

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 380

सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक 392

(दो) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अन्तरण और निरसन) विधेयक 393

(तीन) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 394

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण 392

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अन्तरण और निरसम) अध्यादेश के बारे में विवरण 394

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण 395

उप-प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

जम्मू में रघुनाथ मंदिर पर हमला 395-456

श्री लाल कृष्ण आडवाणी 395-398, 446-456

श्री एस. जयपाल रेड्डी 398-401

कुंवर अखिलेश सिंह 401-402

श्री बसुदेव आचार्य 402-403

श्री जे. एस. बराड़ 403-404

श्री रूपचन्द पाल 405

कुमारी ममता बनर्जी 405-408

डा. विजय कुमार मल्होत्रा 408-410

श्री मुलायम सिंह यादव 410-414

श्री मोहन रावले 414-415

श्री सोमनाथ चटर्जी 415-417

श्री राशिद अलवी. 417-419

श्री पी. एच. पांडियन 420-423

चौ. तालिब हुसैन 424-430

श्री प्रभुनाथ सिंह 431-432

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी 432-434

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 434-436

श्री के. येरननायडू 436-437

श्री प्रबोध पण्डा 437-438

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल 438-439

कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र सिंह 439-440

श्री श्यामाचरण शुक्ल 440-442

श्री राम नगीना मिश्र 442-444

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम 444-445

श्री शिवराज वि. पाटिल 445

श्री रामदास आठवले 445-446

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर 446

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

जम्मू में रघुनाथ मंदिर और शिव मंदिर पर आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों के मारे जाने पर शोक प्रकट करना और हिंसा के घृणित कृत्यों की निन्दा 456-457

नियम 377 के अधीन मामले 457-463

(एक) झारखंड में बोकारो थर्मल पावर स्टेशन के "ए" संयंत्र को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 457

(दो) मध्य प्रदेश में जबलपुर और बरगी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का समुचित रख–रखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामनरेश त्रिपाठी 457-458

(तीन) मध्य प्रदेश में सागर–खुरई–बीना मार्ग के निर्माण के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार 458-459

(चार) कर्नाटक में गम्भीर सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा 459

(पांच) कर्नाटक के उदुपी जिले में ब्रह्मवाड़ा सहकारी चीनी मिल लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके 459-460

विषय कॉलम

(छह) दिल्ली में अवसंरचनात्मक सुविधाओं पर बढ़ते बोझ को देखते हुए केन्द्र सरकार के कुछ कार्यालयों को नागपुर स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार 460-461

(सात) बिहार के बराह क्षेत्र में बार–बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए कोशी, कमला और बागमती नदियों पर बांध बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सुबोध राय 461

(आठ) उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन लम्बित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन 461-462

(नौ) तमिल को संघ की राज भाषाओं के अन्तर्गत एक राजभाषा घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री के. मलयसामी 462

(दस) पश्चिमी बंगाल में किसानों द्वारा धान की औने–पौने दाम पर बिक्री रोकने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पण्डा 462-463

(ग्यारह) मध्य प्रदेश में मालवांचल में पेयजल समस्या के समाधान के लिए नर्मदा, क्षिप्रा, कालीसिंध और चम्बल नदियों को जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री थावरचन्द गेहलोत 463

दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) विधेयक 464-500

विचार करने के लिए प्रस्ताव 464

श्री बसुदेव आचार्य .. 464-468, 495

श्री अनंत कुमार 468-471, 491-495

श्री शिवराज वि. पाटील 471-478

श्री लाल बिहारी तिवारी 479-485

श्री मोइनुल हसन 485-487

डा. बी. बी. रमैया 487-488

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 488-500

खंड 2 से 105 और 1 501

पारित करने के लिए प्रस्ताव 501-502

लोक सभा

सोमवार, 25 नवम्बर, 2002/4 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभी लोग बैठिए।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में नारायण राणे जी का घर जला दिया गया। ...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे सामने दो–तीन मामले हैं। मैं आपको प्रश्न पूछने की इजाजत दे सकता हूं लेकिन आप पहले बैठिए। आप कोआपरेट करेंगे तभी यह पॉसिबल है वरना यह पॉसिबल नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या बात है, बोलिए? खैरे जी, बोलिए। मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मोहन रावले जी, आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, कनकवली में नारायण राणे जी के घर पर हमला हुआ और उनका घर पुलिस के सामने जला दिया और पुलिस देखती रही। ग्राम पंचायत के इलैक्शन से यह मामला उठा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जीरो आवर में यह मामला उठाइए। नारायण राणे जी का घर फूंका गया है, इस बारे में आपका प्रश्न है। आप कृपया जीरो आवर में प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, कल जम्मू में रघुनाथ मंदिर पर आतंकवादियों का जो हमला हुआ, उससे खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुनाथ मंदिर पर जो अटैक हुआ, आप सभी लोग जानते हैं कि यह एक बहुत गम्भीर विषय है। जयपाल रेड्डी और चतुर्वेदी जी ने इस विषय को उठाया है। इस पर गृह मंत्री स्टेटमैंट देंगे। इसके बाद मैं आपको स्पेशल परमिशन दूंगा। आप उस समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री कब तक वक्तव्य देने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वक्तव्य देने को कहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको जीरो आवर मे कहा है कि आप उस समय इस मामले को उठा सकते हैं। आप चुपचाप बैठिए। ऐसे नहीं चल सकता है। रघुनाथ मंदिर पर जो अटैक हुआ, वह एक गम्भीर बात है। इसके ऊपर चर्चा होगी। मैं आपको बार–बार कह रहा हूं, प्लीज बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खैरे जी, मैंने मंत्री जी को कहा है और वह इसका जवाब देंगे।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, कल जिस तरह से जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर आतंकवादियों ने हमला किया, उसकी हम घोर निन्दा करते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकान्त खैरे : अध्यक्ष महोदय, यह सब पुलिस के सामने कराया गया...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, कल जम्मू में पवित्र रघुनाथ टैम्पल पर आतंकवादियों ने हमला किया और 12 लोग मारे गए...*(व्यवधान)* केन्द्र और राज्य सरकार की जो नीति है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब मेरी बात सुन लीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे आज तीन स्थगन प्रस्ताव मिले हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहला श्री रवि प्रकाश वर्मा का है, जो गन्ना उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याओं से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, यह रोज-रोज हो रहा है। यह एक नहीं, दो नहीं, तीन बार मंदिरों पर हमला किया गया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दूसरा नोटिस रघुनाथ मंदिर, जम्मू में आतंकवादी आक्रमण से संबंधित है। यह गंभीर मुद्दा है। माननीय गृह मंत्री जी ने जल्द से जल्द वक्तव्य देने पर अपनी सहमति दे दी है।

तीसरा नोटिस श्री लक्ष्मण सेठ द्वारा संयुक्त संसदीय समिति द्वारा तहलका कांड की जांच से संबंधित है। नोटिस की एक प्रति सरकार को भेज दी गई है। अब, मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि वह इस मामले में क्या करना चाहती है।

प्रश्न काल को स्थगित करने के संबंध में दो नोटिस प्राप्त हुए हैं। पहला श्री मोहन रावले का है जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण राणे के घर पर हुए हमले से संबंधित है। मैंने मोहन रावले को कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा है। यह प्रश्न 'शून्य काल' के दौरान उठाया जा सकता है।

अंतिम नोटिस श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी का है जो रघुनाथ मंदिर जम्मू में आतंकवादी हमले से संबंधित है। मेरा ऐसा मानना है कि जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर हुआ हमला अत्यंत गम्भीर मुद्दा है। सरकार इस विषय पर वक्तव्य देने को तैयार है। गृह मंत्री सदन आ रहे हैं। वह जल्दी से जल्दी वक्तव्य देंगे।

विशेष मामले के तौर पर मैं मंत्री जी के वक्तव्य देने के बाद सदस्यों को भी प्रश्न पूछने की अनुमति देने जा रहा हूं।

अब, मुझे प्रश्न काल शुरू करना है। मेरे साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकान्त खैरे : अध्यक्ष महोदय, आप महाराष्ट्र के बारे में भी बताइए। महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के घर पर हमला हुआ है...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा भी कार्य स्थगन प्रस्ताव है। यह मामला बहुत गंभीर है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका कार्य स्थगन प्रस्ताव मेरे सामने है। मैं सभी प्रस्ताव एक साथ लूंगा।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। आप मुझे पहले सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यह मामला इतना गम्भीर और संजीदा है...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, जम्मू में हुई घटना बहुत ही गंभीर है।...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंदिरों पर आतंकवादियों के हमले बराबर बढ़ रहे हैं। मैंने भी इस संबंध में नोटिस दिया है। हिंदुओं की हत्याएं कब तक होती रहेंगी?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं गवर्नमेंट से पूछ रहा हूं कि इस पर चर्चा हो सकती है। ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं हो सकती।

[अनुवाद]

अब मैं प्रश्न काल शुरू करता हूं। पहला प्रश्न श्री किरीट सोमैया का है। प्रश्न संख्या 82।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विमानपत्तनों हेतु इष्टतम उपयोग कार्यक्रम

***82. श्री किरीट सोमैया** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के इष्टतम उपयोग कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन विमानपत्तनों को प्राथमिकता दी जाएगी;

(ग) विमानपत्तनों को पट्टे पर देने की शर्तों, परियोजना मूल्यांकन प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है और विमानपत्तनों विशेषकर मुम्बई, विमानपत्तन के इस प्रकार पट्टे पर देने से क्या लाभ होंगे; और

(घ) सरकार की प्रतीक्षा अवधि आदि जैसी स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कार्य योजना है?

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एयरसाइड और टर्मिनल की कैपेसिटी की आवश्यकता को वर्तमान कैपेसिटी की तुलना में आंकने का काम सतत प्रक्रिया आधार पर किया जाता है और जब भी कभी जरूरत होती है अधिकतम उपयोग संबंधी अपेक्षित उपायों के साथ–साथ क्षमता वृद्धि के लिए आवश्यक कार्रवाई भी की जाती है। मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चैन्नई, त्रिवेंन्द्रम, अहमदाबाद, हैदराबाद और कालीकट आदि जैसे प्रमुख हवाई अड्डों को प्राथमिकता दी गई है।

(ग) जनवरी, 2000 में सरकार ने दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता स्थित चारों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की पुनर्संरचना का निर्णय लिया था ताकि निजी क्षेत्र के निवेशकों को आकृष्ट किया जा सके और अद्यतन तकनीक, सुविधाओं और मैनेजरियल कौशल के माध्यम से विश्वस्तरीय मानकों के अनुसार इन हवाई अड्डों के स्तर को और अच्छा किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए कानूनी ढांचा और ट्रांससेक्शन ढांचा को अंतिम रूप देने का कार्य हाथ में है।

(घ) मुंबई और दिल्ली में एयर ट्रैफिक सेवाओं (एटीएस) के आधुनिकीकरण के कार्य को पहले ही पूरा किया जा चुका है जिसके फलस्वरूप प्रति घंटा 30 उड़ानों तथा ट्रैफिक हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि हुई है जिसकी वजह से विमानों की प्रतीक्षा समयावधि में कमी आई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस अध्ययन को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के जरिए दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों की ट्रैफिक हैंडलिंग क्षमता को और अधिक बढ़ाने के संभव हल सुझाने के लिए परामर्शदाता की भी नियुक्ति की गई है। टर्मिनलों में यात्रियों की प्रतीक्षा समयावधि के प्रश्न का जहां तक संबंध है ज्योंहि रिस्ट्रक्चरिंग का काम पूरा हो जाएगा इन चारों मेट्रो हवाई अड्डों की स्थिति में भी सुधार हो जाएगा।

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि जनवरी, 2000 से

प्राइवेटाइजेशन एंड लीजिंग ऑफ एयरपोर्ट्स की सरकार ने घोषणा की है, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को प्राइवेट सैक्टर से कोई रैस्पांस मिला है और क्या सरकार की प्राइवेटाजेशन और लीजिंग के बारे में कोई योजना है? क्या सरकार की कल्पना है कि प्राइवेट पार्टीज इसमें आएंगी, इसके लिए क्या अट्रेक्शन है, क्या उनका कोई प्रत्युत्तर मिला है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब तक प्राइवेटाइजेशन और लीजिंग नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का इम्प्रूवमेंट, करेक्शन और एक्सपैंशन बंद हो चुका है। इस कारण सभी एयरपोर्ट्स पर ट्रैफिक जाम हो जाना गम्भीर समस्या बनी हुई है। क्या सरकार इसके बारे में पूरी जानकारी देगी?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने 2002 के बजट भाषण में यह आश्वासन दिया था और सरकार उस पर कार्यवाही कर रही है। वह प्रोसैस चल रहा है। सरकार दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई और कोलकाता चारों एयरपोर्ट्स को अपग्रेड करने के बारे में पहले ही घोषणा कर चुकी है। इन्हें हम वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, इसके लिए सरकारी प्रक्रिया चल रही है और उसके लिए हमने चारों मेट्रो एयरपोर्ट्स के लिए 12.1.2002 को लांग टर्म लीज के लाभ को ध्यान में रखते हुए एक कारपोरेटाइजेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हवाई अड्डों के लिए बना ली है। वह अभी फाइनल स्टेज में है और जल्दी ही हम उसके बारे में बताने की स्थिति में होंगे।

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले यह कहा था कि इसका करैक्टिव और इम्प्रूवमैंटल एक्सपैंशन का काम बंद हो चुका है, पहले आप उसके बारे में उत्तर दीजिए, बाद में मैं सप्लीमैंट्री पूछूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं पूरक प्रश्न के आपके अधिकार को सुरक्षित रखता हूं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मेजर प्रोजैक्ट्स हमने बंद किए हैं, क्योंकि हम एयरपोर्ट्स को लीज करने जा रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में इसकी घोषणा की है। लेकिन यात्रियों को सुविधा देने के काम को हमने बंद नहीं किया और उसके लिए हमने बहुत सारे काम किए हैं। माननीय सांसद उन कामों के उद्घाटन के अवसर पर कई बार उपस्थित भी रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। मेजर टर्मिनल का काम बंद हुआ है। लेकिन छोटे काम हम कर रहे हैं। चैन्नई में नया टर्मिनल बना रहे हैं और उसमें सरकार 80 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उसी तरह से मुंबई में हम लोगों ने एक नया टर्मिनल बनाया है, जिसका उद्घाटन माननीय सांसद के कर-कमलों से हमने करवाया है और उसके तीन एरो ब्रिज भी थे, माननीय सांसद उसके गवाह भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या अभी भी आप सप्लीमैंट्री पूछना चाहते हैं? आपके कर-कमलों से उद्घाटन हुआ है तो अभी क्या बाकी है?

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा काम करते हैं और वह और अधिक अच्छा काम कर सकते हैं, इसकी मुझे जानकारी है। इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि अभी जो प्रेजेंट मुंबई एयरपोर्ट है, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि अगस्त, 2002 में वहां 1132 फ्लाइट्स डिले हुई हैं। सितम्बर, 2002 में 873 फ्लाइट्स डिले हुई हैं और अक्टूबर, 2002 में 1432 फ्लाइट्स डिले हुई हैं। महोदय, आप भी जानते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर आज फ्लाइट का 15-20 घूमना कॉमन बात हो गई है। वहां ट्रैफिक जाम की समस्या है। साथ में नए ऑल्टरनेटिव एयरपोर्ट के बारे में यह बताया गया है कि उसके लिए 3082 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। मुंबई एयरपोर्ट की रोजाना की रेवेन्यू इनकम एक करोड़ रुपये है। मैं जानना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से ऑल्टरनेटिव एयरपोर्ट बना सकेंगे। उसके लिए कौन सी बी.ओ.टी. और प्राइवेट पार्टीज आ सकेंगी और अभी जो मुंबई का एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, उसमें टैक्सी ट्रैक का काम रुका हुआ है, उसमें वह ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू किस प्रकार से बनाएंगे? मुंबई एयरपोर्ट की खुद की जमीन के ऊपर 35 हजार से ज्यादा इस वक्त स्लम्स हैं। उनका रिहैबिलिटेशन करके उस एयरपोर्ट का विस्तार मंत्री जी कैसे कर सकेंगे? इसके साथ ट्रैफिक जाम की समस्या किस प्रकार से सुलझा सकेंगे? इन सबके बारे में आपका क्या एक्शन प्लान है, कृपया इसकी जानकारी देने की कृपा करें।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन उन्होंने चार–पांच प्रश्न एक साथ पूछ लिए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. सी. जोस : वे एक–दूसरे को बधाई दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : माननीय सांसद ने सही कहा कि वहां फ्लाइट्स डिले होती हैं। मुझे यह जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने पिछले तीन सालों में इसमें काफी सुधार किया है। हमने इसका मॉडर्नाइजेशन किया है। इससे पहले मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर दस उड़ानें ही उतर सकती थीं। लेकिन जब से हमने इस सिस्टम को लगाया है, तब से प्रति घंटा मुंबई में 29 उड़ानें लैंड कर सकती हैं और दिल्ली में 30 उड़ानें प्रति घंटे लैंड कर सकती हैं। चूंकि मुंबई और दिल्ली में दो रनवे नहीं हैं। यदि हम इनकी विदेशों से तुलना करते हैं तो ऐसा लगता है कि इन एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स डिले होती हैं। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि हीथ्रो एयरपोर्ट पर दो रनवे हैं, पेरिस और फ्रैंकफर्ट में तीन रनवे हैं। लेकिन मुंबई और दिल्ली में दो रनवे होने के बावजूद हम एक रनवे का ही उपयोग कर सकते हैं क्योंकि उसकी लांग टर्म प्लानिंग नहीं हुई है।

जहां तक फ्लाइट डिले का सवाल है, उसमें सबसे बड़ी वजह यह बनी है कि वहां पर झोपड़–पट्टियां बहुत बड़ी तादाद में हैं। मुंबई के सांसद इससे पूरी तरह से अवगत हैं कि हमने पिछले एक साल में 1828 झोपड़–पट्टियां हटाई हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : क्या उनको जगह दी है?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : उनका पुनर्वसन किया है, उनको फ्लैट दिया है, उनको मुफ्त घर दिया है, उनको सम्मान दिया है। आज की परिस्थिति में जब थोड़ी सी भी जगह खाली कराने जाया जाता है तो कई तरह के दबाव आते हैं लेकिन मुंबई में हमने पिछले एक साल में 40 एकड़ जमीन खाली करा ली है और उसके अंदर 1828 झोपड़–पट्टियां हटाई गई हैं और हमने इसके लिए 16 करोड़ रुपये महाराष्ट्र सरकार को दे दिए हैं। और भी 9 करोड़ रुपये हम उनको देने वाले हैं। इसी तरह से नए एयरपोर्ट के बारे में सवाल किया है, इन्होंने बड़े गम्भीर सवाल एक साथ कर दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप एक प्रश्न का ही उत्तर दे दीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : नहीं बताएंगे तो कनफ्यूजन होगा। ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि नूरा कुश्ती हो रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 125 एयरपोर्ट हमारे देश में हैं जिसमें 11 प्रॉफिट में चल रहे हैं जिसमें मुंबई सबसे ज्यादा प्रॉफिट में है। वहां पर 246 करोड़ रुपये ईयरली प्रॉफिट हो रहा है और 796 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हमें वहां से प्राप्त होता है। जो इस एयरपोर्ट को लीज करने के लिए हम जा रहे हैं, नए प्रोजैक्ट्स के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, महाराष्ट्र सरकार ने हमारे पास नए प्रोजैक्ट्स के बारे में एक प्रपोजल दिया है जिसका अध्ययन एयरपोर्ट अथॉरिटी कर रही है लेकिन उसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उस एयरपोर्ट में एक रनवे प्रस्तावित किया है। हमने कहा है कि मुंबई में कोई नया एयरपोर्ट बने तो उसमें दो रनवे का प्रावधान हो ताकि लांग टर्म के लिए हम उस पर विचार कर सकें।

श्री प्रकाश परांजपे : नवी मुंबई का मसला पांच साल से पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा है। खाली मीटिंगें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो प्रश्न पूछा गया है, उसी का उत्तर आप दें।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : नवी मुंबई एयरपोर्ट के बारे में जो पूछा गया है, उसमें दो रनवे का प्रस्ताव नहीं है। हमने सुझाव दिया है कि दो रनवे के बारे में विचार करें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रकाश परांजपे जी, आप बैठिए।

श्री शिवराज वि. पाटील : सिविल एवियेशन की जो डिमांड होती हैं, उस पर बहुत चर्चा नहीं होती है और बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो पूछे नहीं जाते। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि थोड़ा बहुत इलैबोरेट करके प्रश्न पूछा जाए तो कोई ऑबजैक्शन नहीं होना चाहिए।

इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी इस सरकार को कितना पैसा देती है अभी मंत्री महोदय ने बताया। बहुत सारे एयरपोर्ट्स होने के बावजूद भी सिर्फ मुंबई का एयरपोर्ट 250 करोड़ रुपये तक प्रॉफिट बनाता है और उसकी वजह से पूरा सिविल एवियेशन प्रॉफिट में आ रहा है। एयरपोर्ट जो हमारे हैं, उसकी वजह से सिविल एवियेशन प्रॉफिट में जा रहा है। उसी एयरपोर्ट को हम यहां पर प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं और उसकी वजह से सिविल एवियेशन नुकसान में भी जा सकता है। इसको ध्यान में रखना जरूरी है। मंत्री महोदय ने यहां पर कह दिया कि हम नए एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। मुंबई में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात बहुत दिनों पहले जे.आर.डी. टाटा साहब ने कही थी और उन्होंने उस समय कहा था कि 20 हजार करोड़ रुपये लगाकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चााहेए। अगर सरकार के पास पैसे नहीं हैं तो वह प्राइवेट आदमी को देकर जरूर बनाए और उसमें से जितना भी पैसा जो वहां लगाना चाहते हैं लगाए और वहां से जो कमाना चाहे वह उसमें से कमाए, मगर सरकार के पास जो सोने जैसी जमीन है, वह जमीन देकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो प्रॉफिट है, वह कम करके, सिविल एवियेशन को पूरी तरह से कमजोर बनाकर सिविल एवियेशन खत्म करने की बात हो गई तो वह ठीक नहीं होगा।

महोदय, हमें देश के लिए 400 एयरपोर्ट्स चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी केवल 125 एयरपोर्ट्स हैं। मेरा निवेदन है कि इन एयरपोर्ट्स को ही सरकार अपनी तरफ से अच्छी तरह से चलाए, इन्हें प्राइवेट लोगों को न दिया जाए। यदि एयरपोर्ट प्राइवेट लोगों को देने हैं, तो उन्हें नए एयरपोर्ट बनाने को कहा जाए। वे नए एयरपोर्ट्स बनाएं और उनसे जितना कमाना चाहें, कमाएं, लेकिन जो वर्तमान एयरपोर्ट हैं उन्हें न दिया जाए। यदि इन एयरपोर्ट्स को प्राइवेट लोगों को दिया जाएगा, तो देश में नए एयरपोर्ट नहीं बनेंगे और सिविल एविएशन, जो फ्यूचर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कमजोर हो जाएगा, वह खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार को बहुत सोच समझ कर, बहुत गहराई में जाकर, दूरगामी दृष्टि रखकर प्राइवेटाजेशन या निजीकरण करना चाहिए या लीज पर देने की नीति बनानी चाहिए। मैं प्राइवेटाइजेशन का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्राइवेट लोगों को नए एयरपोर्ट्स बनाने दिए जाएं और इस प्रकार से कैपेसिटी एड करनी चाहिए। जो वर्तमान एयरपोर्ट्स हैं, उन्हें ही प्राइवेट लोगों को देने से हम सिविल एवियेशन की मदद नहीं कर सकेंगे।

महोदय, चूंकि बार-बार इस प्रकार का प्रश्न यहां नहीं आता है और चूंकि आज यह प्रश्न आ गया है इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे इस सदन को विश्वास में लेकर बताएं कि वे इस बारे में क्या करना चाहते हैं?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : अध्यक्ष जी, आदरणीय शिवराज पाटिल जी चूंकि सिविल एवियेशन के मिनिस्टर रहे हैं उन्होंने इस प्रश्न की गम्भीरता को जाना है और वे इससे भलीभांति अवगत रहे हैं। उनका यह कहना सही है कि इस देश को 400 एयरपोर्ट्स चाहिए और हमारे पास अभी केवल 125 एयरपोर्ट्स हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हम 62 एयरपोर्ट्स पर ही शेड्यूल्ड ट्रैफिक ले जा रहे हैं क्योंकि अभी भी हमें वहां ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने जो डॉमैस्टिक कैरीयर हैं उनसे यह कह दिया कि वे जहां चाहें जा सकते हैं। सरकार की तरफ से पूरी सुविधा रहती है।

महोदय, 125 में से 28 ऐसे हैं जहां हमने सिविल एन्क्लेव बनाए हैं। जो एयरफोर्स के एयरपोर्ट्स हैं और जहां हमने सिविल एन्क्लेव बनाए हैं, उनमें से सिर्फ 11 प्रॉफिट में हैं और उन 11 में सबसे ज्यादा मुंबई प्रॉफिट में है। मुंबई में करीब 246 करोड़ रुपये का प्रॉफिट है। दिल्ली में करीब 171 करोड़ रुपये का प्रॉफिट है। इसी प्रकार से 11 एयरपोर्ट्स प्रॉफिट में हैं, लेकिन जो चिंता पाटिल साहब ने जताई है, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि सरकार इस चिंता से पूरी तरह अवगत है और इसको ध्यान में रखते हुए हम इन चारों एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन करेंगे। इससे जो पैसा आएगा, उसे नए एयरपोर्ट्स के निर्माण में लगाएंगे और जो पाटिल जी ने कहा है, उसे ध्यान में रखेंगे।

यहां, पाटिल साहब ने जो छोटे एयरपोर्ट्स के बारे में प्रश्न किया है, उनके बारे में भी सरकार विचार कर रही है कि ऐसे 10-12 एयरपोर्ट का, जाइंट वैंचर या लीज पर प्राइवेटाइजेशन करने की योजना बनाएं। ऐसा हमारा एक एयरपोर्ट कोच्चीन में प्राइवेट सैक्टर में बन चुका है। बैंगलोर और हैदराबाद में भी प्राइवेट सैक्टर में इनवैस्टमैंट होने जा रहा है। सरकार इस बात का पूरी तरह ध्यान रखेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, हवाई यात्रा लम्बे समय तक सुख-सुविधा की चीज नहीं रह गई है। यह आर्थिक

विकास और विशेषकर पर्यटन के विकास के लिए आवश्यक हो गई है। एक समस्या जिसका यह देश विभिन्न स्तरों पर सामना कर रहा है, वह है देश का असंतुलित विकास इसमें नागर विमानन का क्षेत्र भी शामिल है। देश के कई क्षेत्र और प्रदेश विमान परिवहन की सुविधा से वंचित हैं मैं नहीं जानता कि यह किन कारणों से है। इस संबंध में अभी तक कोई अध्ययन नहीं हुआ है। अभी–अभी मंत्री जी ने कहा है कि कई स्थानों पर यातायात नहीं है। मैं नहीं जानता कि इस तरह के निष्कर्षों का क्या आधार है। परंतु मेरे माननीय मित्र के प्रश्न के जवाब में मंत्री जी यह कहते हैं कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों पर एयरसाइड और टर्मिनल की क्षमताओं की आवश्यकताओं का सतत आकलन किया जाता है तथा वर्तमान क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पर्याप्त उपाय किए हैं। इसके लिए आप निजीकरण का इंतजार नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं कि उसका लगातार आकलन किया जा रहा है और आप इष्टतम उपयोग के लिए कदम उठा रहे हैं। आपने जवाब में जनवरी, 2000 में सरकार ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की पुनर्संरचना के लिए एयरपोर्टों के सुधार और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के निर्णय के बारे में कहा है।

मेरा कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संबंध में विशिष्ट प्रश्न है कि वहां कार्गो टर्मिनल पर अपर्याप्त क्षमताओं के कारण कार्गो डीलर्स गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

मैं आश्वस्त हूं कि माननीय मंत्री जी इस बारे में सबकुछ जानते हैं परंतु इस आधार पर कि इसका निजीकरण किया जाना है कार्गो टर्मिनल का समूचा कार्य रोक दिया गया है। अभी हाल ही में कुछ लोग हमसे मिले और कहा कि स्थान अभाव के कारण उन्हें कार्गो को कोलकाता से अन्य हवाई अड्डे भेजने पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। यहां तक कि सुदूर पूर्व में भेजने के लिए भी माल मुंबई या दिल्ली हवाई अड्डे से भेजना पड़ रहा है, लेकिन टर्मिनल का निर्माण या विस्तार रोक दिया गया है। यह किस तरह का इष्टतम उपयोग है? किस प्रकार आंकलन किया जा रहा है?

मैं जानना चाहूंगा कि कोलकाता हवाई अड्डे के कार्गो टर्मिनल के संबंध में स्थिति क्या है? और क्या विस्तार या नए निर्माण का कार्य रोक दिया गया है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है?

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आप्टिमम यूटीलाइजेशन के संबंध में है। उसकी पूरी डिटेल देने में मैं समर्थ हूं। कोलकाता में जो काम चल रहा है, वह 40 करोड़ रुपये की लागत का है। वह काम रोका नहीं गया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप निश्चित हैं? कृपया बताएं कि कितना कार्य किया जा चुका है?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : यह सही है। अभी सोमनाथ बाबू ने जो सवाल उठाया है कि अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल जो कोलकाता में है, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं बिहार के बार्डर के एरिया का रहने वाला हूं। मेरे लिए कोलकाता शहर बहुत नजदीक है और मैं बराबर वहां जाता रहता हूं। मैंने खुद वहां जाकर विजिट किया है। अभी एयरपोर्ट पर कुछ सवाल उठाए गए कि वहां बहुत भीड़–भाड़ रहती है। यह सही है कि कोलकाता में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने विशेषकर, कार्गो टर्मिनल के बारे में पूछा है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। कोलकाता में 8.20 लाख की क्षमता है जबकि 5.90 लाख पैसेंजर्स वहां पर जाते हैं। माननीय सदस्य को यह मालूम है कि वहां इंटरनेशनल टर्मिनल बनाया गया है। इसके अलावा डोमेस्टिक टर्मिनल भी कोलकाता में ही है वहां अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : वे कार्गो टर्मिनल की बात पूछ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : मैं उसी पर आ रहा हूं। आप कहिए तो मैं उनका जवाब न दूं। उन्होंने इसके

बारे में पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूं। उनको इसमें कोई एतराज नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : उनको एतराज है इसलिए मैं कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : उन्होंने कार्गो के बारे में पूछा है तथा अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल की ज़ो प्रोब्लम है, उसके बारे में भी पूछा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने कहा, यदि वहां पर हवाई अड्डों के इष्टतम उपयोग के हेतु इनके उन्नयन के संबंध में आकलन किया जा रहा है। यह एक उदाहरण दिया गया है जहां कार्गो टर्मिनल कार्य प्रस्तावित निजीकरण के कारण नहीं किया जा रहा है, इसलिए आप उसे कैसे करेंगे?

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य खुश होंगे कि कोलकाता में 40 करोड़ रुपये की लागत से जो टर्मिनल है, उसको स्वीकृति दी जा चुकी है। उसको रोकने का कोई इरादा नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब, वह इस पर आ गए हैं।

[हिन्दी]

आपका "इरादा नहीं है" लेकिन वहां काम नहीं हो रहा है।...*(व्यवधान)*

प्रो. रासासिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि सिविल एवियेशन मिनिस्ट्री भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के द्वारा हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हवाई अड्डे हैं, उन पर उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम उपयोग संबंधी उपाय बरत रहा है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि वर्तमान में अन्य विकसित देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डों पर जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनकी तुलना में हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डों की क्या स्थिति है? इसी संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो हवाई अड्डा है, जब कोहरा पड़ता है तब उसमें सारी हवाई यात्राएं स्थगित हो जाती हैं या लेट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में कोहरे संबंधी समस्या का निराकरण करने के लिए या दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कोहरे के अंदर भी नियमित रूप से चालू रखने के लिए सरकार और विमान पत्तन प्राधिकरण क्या प्रयास कर रहा है?

इसी के साथ-साथ जयपुर का आल्टरनेटिव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की जो योजना है, उसमें क्या प्रगति है?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : दिल्ली में आई.एल.एस. कैट-III लगा दिया गया है। पिछले साल 5 दिसम्बर को माननीय उप प्रधान मंत्री द्वारा उसका उद्घाटन हुआ है। वहां आई. एल.एस. कैट-III लगा हुआ है लेकिन वहां पायलट्स की ट्रेनिंग का सवाल है। जो फॉरेन एयरलाइन के पायलट आते हैं, वे तो उसका उपयोग कर रहे हैं लेकिन अपनी जो एयरलाइन है, उसमें एयरबस के जो पायलट्स हैं, उनमें से कुछ ने ट्रेनिंग ली है। 11 सितम्बर के बाद बोइंग प्लेन के ट्रेनर अमरीका से आने थे और हमारे ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देने वाले थे लेकिन अमरीका ने 11 सितम्बर के बाद अपने ट्रेनर कहीं नहीं भेजे जिसकी वजह से वे ट्रेंड नहीं हो पाए। मगर कैट-III पूरी तरह चल रहा है, उसके बारे में सरकार ने व्यवस्था कर दी है।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, यातायात की सुचारु व्यवस्था की क्षमता से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के समक्ष विभिन्न हवाई अड्डों के स्तर के बारे में सम्मान बढ़ाती है। कोलकाता हवाई अड्डा का अब तक अनुमानित और आशानुरूप स्तर तक उन्नयन नहीं किया जा सकता है। कई विदेशी एयरलाइंसें कोलकाता हवाई अड्डे से अपने एयरक्राफ्ट हटा रही हैं। वहा पर पर्याप्त संभावनाएं हैं क्योंकि देश का पूर्वोत्तर भाग कोलकाता हवाई अड्डे से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से भी कोलकाता हवाई अड्डे में सुधार की अपेक्षा थी वह भी अभी तक पूर्णतया नहीं किया गया है।

महोदय, यहां तक कि माननीय मंत्री जी ने भी अपने जवाब में कहा :

"भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस अध्ययन को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के जरिए दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों की ट्रैफिक हैंडलिंग क्षमता को और अधिक बढ़ाने के संभव हल सुझाने के लिए परामर्शदाता की भी नियुक्ति की गई है।"

इस सूची में कोलकाता हवाई अड्डे को शामिल नहीं किया गया है। दिल्ली और मुंबई में यातायात व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और अन्य एयरक्राफ्ट्स को अनुमति देने के लिए एक सर्वेक्षण कराया गया था। विदेशी एयरक्राफ्ट्स के साथ भी कुछ बातचीत की गई थी। कलकत्ता हवाई अड्डे के महत्व को देखते हुए क्या माननीय मंत्री यह बताएंगे कि कोलकाता हवाई अड्डे को दिल्ली और मुंबई के साथ सर्वेक्षण में शामिल क्यों नहीं किया गया?

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहेंगे, तो इस पर आधे घंटे की चर्चा की मांग कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : अध्यक्ष जी, मैंने कभी दिल्ली और मुंबई से कोलकाता की तुलना इस माध्यम से नहीं की थी। रनवे में एक घंटे में तीस उड़ान दिल्ली में लैंड करती हैं और दिल्ली में झोपड़-पट्टी की वजह से जो डेढ़ मिनट की देरी लगती है, उसके बारे में कहा था। कोलकाता में रनवे पर्याप्त है। किसी भी जहाज को उतरने में कोई देरी नहीं होती। मैंने जो जवाब दिया था, वह इस संदर्भ में था कि रनवे की वजह से ट्रैफिक ज्यादा है। कोलकाता में सवाल यह है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाया जाए।

दूसरा, आपने कहा था कि फारेन एयरलाइन ज्यादा आए। एयरपोर्ट हम बनाएंगे लेकिन उसका यूटीलाइजेशन तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा एयरलाइन कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड करे। अभी कोलकाता एयरपोर्ट पर रनवे में कोई दिक्कत नहीं है, किसी जहाज को ऊपर चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : कोलकाता एयरपोर्ट में जहाज 15-20 मिनट ऊपर चक्कर काटने के बाद ही उतरते हैं, यह उदाहरण है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : नहीं, इतनी दिक्कत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : यह प्रश्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से संबंधित है।

मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से आता हूं। सिल्चर हवाई अड्डे पर एयरबस एयरक्राफ्ट के उतारने हेतु इसके विस्तार की अनुमति एक वर्ष पूर्व दी गई थी फिर भी रक्षा मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय के बीच कुछ कठिनाइयों को लेकर मतभेद बना हुआ है। इसमें कुछ परेशानियां हो सकती हैं, परंतु यह कार्य ज्यादा समय तक स्थगित नहीं रखा जा सकता।

महोदय, पूर्वोत्तर में कार्य के महीने दिसम्बर से मार्च तक होते हैं। अभी, मेरे हवाई अड्डे पर एयरक्राफ्ट की वेटिंग सूची औसतन 40-50 रोजाना होती है। अन्य यात्री गुवाहाटी होते हुए आते हैं। अब, आपने गुवाहाटी की एक उड़ान स्वीकृत की है। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि इस हवाई अड्डे का विस्तार कब तक हो जाएगा जिसके लिए माननीय प्रधान मंत्री ने विशेष राशि स्वीकृत की थी? इसलिए कृपया मुझे इस बारे में बताइए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय संतोष मोहन देव जी ने सिल्चर एयरपोर्ट के बारे में पूछा है। मुझे उनको बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्तमान रनवे जो 6,000 फीट का था, उसे बढ़ा कर हमने 7,500 फीट करने का निर्णय कर लिया है। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान भी कर दिया है। हमें इसके अंदर और भी आई.एल.एस. लगाना है और हम इस बारे में डिफेंस मिनिस्ट्री से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि वह एयरपोर्ट एयरफोर्स का है। एयरफोर्स का एयरपोर्ट होने के बावजूद इसका रनवे बढ़ाने का काम सिविल एवियेशन मिनिस्ट्री कर रही है। डिफेंस मिनिस्ट्री को हमने ड्राफ्ट बनाकर भेज दिया है। उनसे एन.ओ.सी. प्राप्त होने वाला है और जल्दी ही एम.ओ.यू. हम साइन करने वाले हैं और इसी साल आपको इसकी शुभ सूचना देने वाले हैं।

न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि

+

*83. श्री रामशकल :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों और एजेंसियों द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने हाल ही में 1.9.2002 से राष्ट्रीय निम्नतम स्तर की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 50/- रु. प्रतिदिन किया है। पहले, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी जनवरी 2002 (1.10.2001 से प्रभावी) में "खानों" के अनुसूचित नियोजनों में और केंद्रीय क्षेत्र में सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव, भवन निर्माण कार्यों, भूमिगत केबल बिछाने आदि कार्य के लिए वृद्धि की गई थी। खान क्षेत्र में मजदूरी 52/रु. और 111/- रुपये प्रतिदिन के बीच है तथा सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव आदि के लिए 52/- रुपये से 118/- रुपये प्रतिदिन के बीच है।

(ग) से (ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रवर्तन केंद्रीय क्षेत्र में केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य क्षेत्र में इसका क्रियान्वयन राज्य प्रवर्तन तंत्र द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इन तंत्रों के अधिकारी प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करते हैं और शिकायतों की जांच भी करते हैं तथा जब कभी उनकी जानकारी में मजदूरी का भुगतान न किए जाने या कम भुगतान किए जाने का मामला आता है तब वे नियोजकों को उनके भुगतान की गई कम मजदूरी की भरपाई करने की सलाह देते हैं। इसका अनुपालन न किए जाने पर वे दावे का आवेदन दायर करते हैं और चूककर्ता नियोजकों के खिलाफ अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कानूनी कार्रवाई करते हैं। केंद्र सरकार को जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उन्हें संबंधित राज्य सरकार को तत्काल कार्रवाई करने के लिए भेज दिया जाता है।

श्री रामशकल : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि 1.9.2002 से राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। मैं इससे थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूं कि न्यूनतम मजदूरी 58 रुपये है कि 50 रुपये है? दूसरे, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि भारत सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे एस.आर.वाई. हो या जे.आर.वाई. हो, जितने भी काम ग्रामीण क्षेत्रों में कराए जा रहे हैं, तमाम कार्य संस्थाओं के माध्यम से कराए जाते हैं। जब हम लोग क्षेत्रों में जाते हैं, देखते हैं, मजदूरों से पूछते हैं तो मजदूरों को 58 रुपये के बजाय कहीं 40 रुपये और कहीं 45 रुपये दिए जा रहे हैं। जिले में जो कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, चाहे पी.डब्ल्यू.डी. हो, चाहे इर्रीगेशन हो, क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कम से कम जो टेंडर के माध्यम से ठेकेदारों के माध्यम से काम होता है, उसमें मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 56 रुपये या 58 रुपये तय की गई है, वह मजदूरों को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही एन.टी.पी.सी. और एन.सी.एल. में भी जो बड़े-बड़े काम टेंडर के माध्यम से बड़ी-बड़ी कम्पनियों के माध्यम से होते हैं, उनमें वास्तव में मजदूरों को 118 रुपये या 80 रुपये से ज्यादा मिलना चाहिए। जब हम लोग क्षेत्रों में जाते हैं तो शिकायत आती है, हमारे मजदूर, जो बड़े कांट्रैक्टर्स के माध्यम से काम करते हैं, उन्हें मजदूरी पर्याप्त नहीं दी जाती है, कहीं 60 रुपये और कहीं 70 रुपये मजदूरी दी जा रही है। जब मजदूर शिकायत करता है तो दूसरे दिन उसे निकालकर बाहर कर दिया जाता है। क्या यह सरकार सुनिश्चित कराएगी कि चाहे एन.टी.पी.सी. हो, चाहे एन.सी.एल. हो, इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को कम से कम जो मजदूरी तय की गई है, वह दी जाए और जो कम्पनी मजदूरी का भुगतान नहीं करती ऐसी कम्पनी को ब्लैकलिस्ट करके उसका टेंडर कैंसिल किया जाए और उससे काम छीन लिया जाए, क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी?

डा. साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि यह वेतन 50 रुपये है या 58 रुपये है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह 50 रुपये है। अभी सभी राज्य सरकारों से सितम्बर, 2002 से हमने इसे न्यूनतम वेतन तय करते समय ध्यान में रखने के लिए आग्रह किया है। इससे पहले यह 45 रुपये था। दिसम्बर, 1999 में यह 45 रुपये था, जिसे बढ़ाकर हमने पहली सितम्बर से 50 रुपये किया है। दूसरे आपने यह भी कहा कि जहां पर सरकार के माध्यम से, संस्थाओं के द्वारा जो कार्य होते हैं, कई जगह पी.एस.यू. वगैरह भी कार्य करवाते हैं, वहां पर यह लागू नहीं किया जाता है। जहां यह लागू नहीं किया जाता, वहां से शिकायत मिलती हैं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इनका कहना सही है, कोई ठेकेदार अगर उसे लागू नहीं करता है तो उसे ब्लैकलिस्ट होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य सरकार इस सारे काम को देखती है, लेकिन पी.एस.यू. वगैरह को केंद्रीय सरकार देखती है। हमारे यहां प्रत्येक राज्य में रीजनल लेबरी कमिश्नर हैं, वे इस व्यवस्था को देखते हैं, जहां कोई कमी दिखाई देती है, जहां से कोई शिकायत होती है, उसकी जांच करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मिनिमम वेजिज एक्ट, 1948 में यह प्रावधान है कि अगर उसका कोई पालन नहीं करेगा तो छः महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माना उस पर हो सकता है। मैं यह मानता हूं कि अभी भी कहीं-कहीं पर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग कम वेतन देते होंगे और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती होगी। उसका कारण यह भी हो सकता है कि उसकी कोई शिकायत नहीं होती होगी और शिकायत भेजी होती होगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होती होगी।

श्री रामशकल : प्रश्न के भाग 'ग' में हमने माननीय केंद्रीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि क्या केंद्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों और एजेंसियों द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने संबंधी प्रदेश-वार कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं? शिकायतें की गई हैं तो प्रदेशवार कितनी शिकायतें हैं और उनका निस्तारण क्या हुआ?

डा. साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, अभी इस संबंध में बहुत ज्यादा शिकायतें नहीं आई हैं। लेकिन पिछले तीन वर्षों में कुछ मिलाकर 16 शिकायतें आई हैं, जिनमें अधिकतर बिहार, दिल्ली और कुछ मध्य प्रदेश से आई हैं। जहां-जहां भी कांग्रेस पार्टी का राज है, ज्यादातर शिकायतें इन तीन वर्षों में वहीं से आई हैं। बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश इनमें मुख्य रूप से हैं। अब कोई-कोई शिकायत पंजाब से भी आने लगी है...*(व्यवधान)*

श्री रामशेठ ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, असुरक्षित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। यह तभी दी जा सकती है, जब न्यूनतम मजदूरी एवं आय का वितरण एक समान किया जाए। मंत्री महोदय ने बताया कि 1.9.2002 से न्यूनतम मजदूरी 45 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये की गई है। यह बात सही है कि सरकार ने नियम काफी बनाए हैं, लेकिन यह भी सच है कि जो ठेकेदार हैं या बड़ी-बड़ी कम्पनीज हैं, वे अपने मजदूरों को मजदूरी देने में मनमर्जी करती हैं। कई जगह तो 60-70 रुपये ही दिन के मिलते हैं। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि पुरुष और स्त्री के लिए समान कायदा होने के बाद भी पुरुष को 70 रुपये और स्त्री को 50 रुपये दिए जाते हैं। इस तरह से इसमें भेदभाव किया जाता है। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में कार्यवाही करने के तरीके भी अलग-अलग हैं। केन्द्र की कमेटी अलग है और राज्यों की अलग-अलग कमेटीज हैं। इससे कई कम्पनीज अपनी मनमर्जी करती हैं। सरकार ने एक तरफ न्यूनतम मजदूरी 50 रुपये देने का वादा किया है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ही बता रही है कि खानों में, भवन निर्माण में या सड़क निर्माण के क्षेत्र में 52 रुपये से 111 रुपये मजदूरी दी जाती है और 52 रुपये से 118 रुपये भी दिए जाते हैं। किसी को 52 रुपये मिलें और किसी को 111 रुपये मिलें, इसका मतलब क्या है, यह समझाने की जरूरत है? आपने कहा कि कई राज्यों में 52 रुपये और कई में 118 रुपये दिए जाते हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार क्या सुसंगत उपाय करने जा रही है?

डा. साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो कहा वह ठीक है कि कुछ अंतर है। अलग-अलग शिड्यूल इम्प्लायमेंट होते हैं, अलग-अलग तरह के काम होते हैं इसलिए वेतन भी अलग-अलग है। केंद्रीय क्षेत्र में 45 ऐसे अनुसूचित नियोजन हैं और राज्यों में 1232 अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां काम के हिसाब से वेतन है। मैं एक और स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि मैंने जो 50 रुपये मिनीमम वेजेज देने की बात कही है, यह नेशनल फ्लोर लेवल है। मैंने हर राज्य

के मुख्य मंत्री को प्रार्थना की है और पत्र भी लिखा है कि कहीं भी न्यूनतम मजदूरी जो आप तय करें, इससे कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में 50 रुपये से कम यानी नेशनल फ्लोर लेवल से कम मजदूरी दी जा रही है। हमने उनसे प्रार्थना की है कि यह मिनीमम बेसिक नीड के अलावा है। इससे कम राशि में आप जीवन-यापन नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम से कम इतनी राशि आवश्यक है। इससे नीचे आप नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कहीं-कहीं इससे कम भी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसके अतिरिक्त उनके लिए कितनी रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, प्रकाश चाहिए, ईंधन चाहिए, चिकित्सा, शिक्षा, त्यौहारों, मनोरंजन, विवाह और वृद्धावस्था के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। नेशनल फ्लोर लेवल में जो वेतन बढ़ाया गया है, उसमें इन सब बातों को ध्यान में रखा गया है।

[अनुवाद]

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं आपके माध्यम से, एक विशेष प्रश्न पूछना चाहूंगी। मात्र अधिनियम बनाने से कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि इसे दृढ़तापूर्वक लागू नहीं किया जाता है। तो इससे श्रमिकों को कोई लाभ अथवा राहत नहीं मिलेगी। वैश्वीकरण के कारण, चाय और कॉफी बागान गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। केरल जैसे राज्य में, चाय और कॉफी बागानों में काम कर रहे श्रमिक बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। कई महीनों से उन्हें मजदूरी नहीं दी गई है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या केंद्र सरकार को इसकी जानकारी है और यदि हां, तो इन चाय और कॉफी बागानों में न्यूनतम दिहाड़ी अधिनियम कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

[हिन्दी]

डा. साहिब सिंह वर्मा : मैंने जैसा निवेदन किया था कि यह जो कानून है, इसका पालन राज्यों के द्वारा करवाया जाता है और जैसा कि वहां के बारे में चर्चा की गई है, हम राज्य सरकारों को बार-बार लिखते रहते हैं और सब मुख्य मंत्रियों से आग्रह किया जाता है कि वे उस बात को देखें कि जहां-जहां भी इस तरह का शोषण हो रहा है, उसको रोका जाए और शोषण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम यह बार-बार लिखते रहते हैं और मैंने अपनी कांफ्रेंस में भी, इंडियन लेबर कांफ्रेंस जो हर साल होती है, उसमें भी इस बारे में पूरी चर्चा होती है और सबसे आग्रह किया जाता है कि मजदूरों के साथ इस तरह का शोषण न हो और उनको मिनिमम वेजेज मिले।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और मेरा कहना यह है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पूर्णतः आशाहीन है। यह देखा जाए कि गांवों में एक कामगार या मजदूर जो काम कर रहा है, उसको अगर मिनिमम वेजेज नहीं मिलती है और वह मिनिमम वेजेज प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए जो प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, उसमें यह है कि वह लेबर आफिसर के पास जाए, लेबर ऑफिसर उसको एग्जामिन करे, उसके बाद लेबर ऑफिसर शिकायत दायर करे, उसके बाद जांच-पड़ताल हो और उसके बाद पनिशमेंट दिया जाए। मेरा यह कहना है कि क्या यह व्यावहारिक है कि गांव में मजदूर जो खेत में काम कर रहा है, वह इतनी लम्बी प्रक्रिया से गुजर कर जाए और वर्षों बाद जांच-पड़ताल के बाद उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई हो? यह अव्यावहारिक है। मेरा निवेदन है कि क्या इस कानून को व्यावहारिक बनाने की आपकी कोई योजना है जिससे जिस मजदूर के साथ अन्याय हो रहा है, उसको तुरंत सीमित अवधि के अंदर लाभ मिल सके, कुछ कम्पनसेशन मिल सके, उसको कुछ पैसा मिल सके? इसको इफैक्टिव बनाने के लिए क्या कोई नया कानून लाने के बारे में आप विचार कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह सूचना बहुत अच्छी है कि यह काम जल्दी होना चाहिए और इसीलिए मैं भी सोच रहा हूं कि इस विषय में आप क्या करेंगे, यह सदन को बताइए।

डा. साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, हमने तुरंत इसके ऊपर काम करने के लिए हमारे मंत्रालय द्वारा जो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है, उसमें धारा (8) के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी संकल्पना का वर्गीकरण करने और विभिन्न पैरामीटरों और आलोचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर दिशा-निर्देश तैयार करने तथा न्यूनतम मजदूरी के कार्यान्वयन की समस्याओं,

जैसे आपने जो बात कही है, उसकी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक कार्यकारी समूह का गठन किया है। उसमें राज्यों के भी लोग लिए हैं और रोजगार सलाहकार जो इसके संयोजक हैं, मध्य प्रदेश और देश के कई राज्यों के प्रतिनिधि भी इसमें रखे हैं और ये अपनी रिपोर्ट देंगे। ये तो एक बात है। इस वक्त जल्दी से कोई काम हो, उसके लिए कुछ किया जा सके, इसके लिए किया है। दूसरे, नेशनल कमीशन ने भी इसके ऊपर कहा है कि जितने भी कानून हैं, खासकर जो मिनिमम वेजेज का कानून है, उसका रेशनेलाइजेशन होना चाहिए। इसके साथ-साथ हमारे पास चार कानून हैं-इक्वयल रिम्युनरेशन, पेमेंट आफ बोनस, पेमेंट आफ वेजेज और पेमेंट आफ मिनिमम वेजेज-इन चारों को रेशनलाइज करके, अधिक व्यावहारिक और सार्थक करके एक कानून बना रहे हैं, जिसमें सिम्पलिफिकेशन भी होगा। जैसा आपने एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में कहा है कि वह गरीब कहां जाएगा और कहां अपनी पुकार करेगा तथा कैसे न्याय मिलेगा, इन सारी चीजों पर ध्यान करके काम करेंगे।

दूसरी बात, आपने अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर लेबर के बारे में कहा है और इसमें एग्रीकल्चर लेबर भी शामिल है। महोदय, हमने सात-आठ नवम्बर को एक सेमीनार किया था, जिसमें इन सारी बातों पर पूरे तरीके से चर्चा की थी। उसमें कुछ रिकमेंडेशंस भी आई थीं, उन सभी को ध्यान में रखकर कानून बनाएंगे। हमें उम्मीद है कि अगले बजट अधिवेशन में रेशनलाइज करके एक सार्थक और व्यावहारिक कानून लेकर आएंगे।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, देश में ग्रामीण उद्योगों चाहे काफी हो, चाय हो या कुटीर उद्योग हों, उनकी हालत खराब है। इन उद्योगों के मालिकों के पास धन नहीं है। मिनिमम वेजेज भी नहीं दे सकते हैं और इस वजह से मजबूरी में मजदूर 30-40 रुपये पर काम कर रहे हैं और घास की रोटी खाते हैं। एक तरफ सरकार की ग्रामीण उद्योगों को समाप्त करने की नीति है और दूसरी तरफ कानून बनाने का आश्वासन कि उनको और अधिक मजदूरी दी जाएगी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, कब तक सरकार इस विडम्बना को झेलती रहेगी?

डा. साहिब सिंह वर्मा : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कई राष्ट्रीय प्रश्न उठाए हैं।...*(व्यवधान)* इन राष्ट्रीय प्रश्नों में से जो प्रश्न मेरे विभाग से संबंधित हैं, उसके संबंध में वे ठीक कह रहे हैं। हमने 1989 में नेशनल कमीशन आफ रूरल लेबर बनाया, जिसकी अध्यक्षता श्री हनुमन्ता राव ने की, जो इकोनोमिस्ट हैं और प्लानिंग कमीशन के मैम्बर भी रहे हैं। उन्होंने यह तय किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मिनिमम वेजेज के आधार पर पैसा देना चाहिए। यह नियम हमने 1991 में 20 रुपये से शुरू किया और 20 रुपये के बाद 35 रुपये, फिर 45 रुपये और 50 रुपये किया गया। आपने जो बात कही है, उसका सीधा संबंध मेरे विभाग से नहीं है, लेकिन सरकार की नीति है कि गांवों में उद्योग-धंधे चलें, काटेज उद्योग चलें और हाउस होल्ड उद्योग चलें। इस ओर केन्द्रीय सरकार का पूरा ध्यान है। चन्द्रशेखर जी मैं आपको बताना चाहता हूं और आपकी यह बात सही है कि गांवों में बेरोजगार को रोजगार इसी के माध्यम से दे सकते हैं और सरकार का इस दिशा में पूरा ध्यान है और सरकार काम कर रही है।

[अनुवाद]

भंडारण सुविधाएं

*84. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भंडारण सुविधाओं का अभाव, माल की ढुलाई में कठिनाइयां, पुराने खाद्य नियम और अनुपयुक्त कर प्रणाली खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास में गम्भीर रूप से बाधक हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का निर्यात निष्पादन क्या रहा?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

खाद्य कानूनों की विविधता, कराधान प्रणाली में कठिनाइयों और बुनियादी सुविधाओं में रुकावटों की पहचान ऐसे क्षेत्रों के रूप में की गई है जिनकी ओर ध्यान देने की जरूरत है परंतु अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि 9वीं योजना अवधि के दौरान देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की समग्र

वृद्धि दर (5.8 प्रतिशत प्रति वर्ष) सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (5.7 प्रतिशत) से अधिक है।

उद्योगों के समक्ष विविध कानूनों, विनियामक प्राधिकरणों और मानकों के कारण पेश आने वाली कठिनाइयों पर विचार करने के लिए सरकार ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है जो एकीकृत खाद्य कानून, स्वतंत्र विनियामक और वर्तमान कानून में विस्तृत संशोधन की सिफारिश करेगा ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तीव्र गति से विकास कर सके। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सुकर बनाने के लिए बुनियादी सुविधा जिसमें खत्ती-भंडारण, शीतागार, प्रशीतित वाहन, कृषि निर्यात अंचल और खाद्य पार्क शामिल हैं, में हस्तक्षेप किया गया है तथा अनेक विकास स्कीमें बनाई गई हैं। केंद्रीय सरकार ने वर्ष 2001-2002 के बजट में प्रसंस्कृत फल एवं सब्जी पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के निर्यात निष्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपये)

मद	1999-2000	2000-2001	2001-2002
प्रसंस्कृत फल एवं सब्जी	993.64	1345.54	1100.57
मांस एवं मांस उत्पाद	905.08	1637.16	1500.93
समुद्री उत्पाद	5116.60	6443.80	5957.00
अन्य प्रसंस्कृत खाद्य	1494.49	1798.03	1780.07
कुल	8509.81	11224.53	10338.57

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मेरा प्रश्न भंडारण सुविधाओं से संबंधित था। लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया कि कैसे इस समस्या से निपटा जा सकता है। यहां तक कि उत्पादन के मौजूदा स्तर पर भी उचित भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव में अनुमानतः 7000 करोड़ रुपये का कृषि उत्पाद प्रति वर्ष नष्ट हो जाता है।

महोदय, यह सच है कि आस्ट्रेलिया द्वारा उत्पादित अन्न से भी कहीं अधिक अन्न भारत में नष्ट हो जाता है। इसके लिए उचित भंडारण सुविधाओं की आवश्यकता है। शीतागार शृंखला और शीत भांडागार पूंजीगत उद्योग हैं।

सरकार को इस काम के लिए आगे आना चाहिए और पर्याप्त शीत भंडारण सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए ताकि उत्पाद नष्ट न हों।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें ताकि आपको उत्तर मिल सके।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों में ही एक सतत प्रक्रिया वाले उद्योग के रूप में शीतागार शृंखला पर विचार करेगी और इसे वरीयता का दर्जा देगी? क्या सरकार पूंजी आधारित दीर्घावधि में लाभ देने वाले शीतागारों की शृंखला स्थापित करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन देगी?

श्री एन. टी. षणमुगम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की तरह मेरी चिंता भी इसी बात को लेकर है कि भंडारण सुविधाओं के अभाव में खाद्यान्न नष्ट हो रहा है। भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडागार निगम और राज्य भांडागार निगम के भांडागार हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के गोदाम भी हैं। दिनांक 1 अक्तूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार इनकी क्षमता 861 लाख मीट्रिक टन है। भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास खाद्यान्नों के भंडारण के लिए उपलब्ध क्षमता 563.49 मीट्रिक टन है। दिनांक 31 अक्तूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय पुल में खाद्यान्न भंडार 566 मिट्रिक टन था। दिनांक 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार शीत भंडारण की क्षमता 13.62 मीट्रिक टन थी।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा प्रश्न मंत्री जी के उत्तर से बिलकुल भिन्न था।

अध्यक्ष महोदय : वह आपके प्रश्न का जवाब देने वाले हैं।

श्री एन. टी. षणमुगम : मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर देने वाला हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो आंकड़े आप बता रहे हैं वे मेरे पास पहले से ही उपलब्ध हैं।

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : प्रश्न विस्तृत था इसीलिए उत्तर भी विस्तृत है।

श्री एन. टी. षणमुगम : शीत भंडारण की उपलब्ध क्षमता 13.62 मिलियन टन है। अब आकलन किया गया है कि दसवीं योजना के लिए 5 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता होगी। हमारी योजना में, बागवानी बोर्ड शीत भांडागारों की स्थापना करने में गैर–सरकारी क्षेत्र की सहायता कर रहा है। शीत भांडागारों की स्थापना के लिए पच्चीस प्रतिशत राज सहायता प्रदान की गई है। हमारा मंत्रालय भी खाद्य उद्यानों में शीत भांडागारों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। सामान्य बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत बुनियादी सुविधाएं देने के लिए हम चार करोड़ रुपये दे रहे हैं। फूड पार्कों में हम शीत भांडागार और अन्य गोदाम, प्रयोगशालाएं और सामान्य बहिःस्राव शोधक संयंत्र प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हों, गैर–सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हों, सरकारी क्षेत्र हो अथवा अन्य, जो भी फूड पार्कों को स्थापित करने का इच्छुक है उसे हम शीत भांडागारों और भांडागार की स्थापना हेतु 4 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान कर रहे हैं। शीतागार शृंखला सुविधाओं के लिए हम अपने मंत्रालय में फसल कटाई के बाद वाले स्तर से लेकर प्रसंस्करण स्तर तक सहायता प्रदान कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक अन्य अनुपूरक प्रश्न अथवा पुनः वही अनुपूरक प्रश्न? जो भी चाहे, पसंद आपकी।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, जब तक मुझे उचित उत्तर नहीं मिलता है मुझे प्रश्न पूछते ही रहना पड़ेगा, और निःसंदेह हो सकता है हमें वही उत्तर मिलें।

महोदय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निर्यात की असीम संभावनाएं हैं। लेकिन धीरे–धीरे यह घटता जा रहा है। वर्ष 2000–2001 के दौरान यह 11,224.83 करोड़ रुपये था, लेकिन अगले वर्ष अर्थात 2001–2002 के दौरान यह घटकर 10338.57 करोड़ रुपये हो गया।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से निर्यात घट रहा है इसका क्या कारण है जबकि पर्याप्त निर्यात क्षमता हमारे पास उपलब्ध है?

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने सब्जियों विशेषकर आलू के परिरक्षण के लिए गामा किरणों का विकास किया है। यदि गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है तो आलू को कम से कम छः महीने के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन उपकरण लगाने की लागत लगभग 6 से 7 करोड़ रुपये है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है। कृपया बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य : इसीलिए, महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार गामा किरणों के उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य जी, प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग

***85. श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत और अस्वीकृत सिफारिशों का अलग–अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारियों/प्रतिनिधियों और मजदूर संघ नेताओं से भी परामर्श किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इन निकायों द्वारा क्या विचार व्यक्त किए गए थे और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या दिल्ली सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों और विधान प्रारूप की आलोचना की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(छ) क्या सरकार अनेक कानूनों को कठोरता से समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(झ) इन सिफारिशों की कब तक पूर्ण रूप से जांच और कार्यान्वयन किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा) : (क) से (घ) द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर सरकार सक्रियता पूर्वक विचार कर रही है। विभिन्न हितबद्ध समूहों के बीच व्यापक मतैक्य बनाने के लिए श्रमिक संघों, नियोक्ता संगठनों, श्रम कानून व्यवसायियों, प्रबुद्ध व्यक्तियों, शिक्षाविदों आदि के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न मंचों पर कई बैठकें की गई हैं। राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों पर दिनांक 28–29 सितम्बर, 2002 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 38वें सत्र में चर्चा की गई थी। असंगठित क्षेत्र से संबंधित सिफारिशों पर भी 7–8 नवम्बर, 2002 को आयोजित असंगठित क्षेत्र पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में विचार–विमर्श किया गया था। इन बैठकों, सम्मेलन, संगोष्ठी, त्रिपक्षीय परामर्शों आदि में विभिन्न समूहों द्वारा अभिव्यक्त विचारों की और जांच की जा रही है ताकि सरकार के विचारों को निश्चित रूप दिया जा सके।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित कुछ राज्य सरकारों ने भारतीय श्रम सम्मेलन के 38वें सत्र में अपने अलग–अलग विचार प्रकट किए थे और सुझाव दिया था कि इन सिफारिशों को स्वीकार किए जाने से पहले त्रिपक्षीय परामर्श किया जाए।

(छ) से (झ) यह प्रस्ताव है कि श्रम प्रबंधन संबंध, मजदूरी, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, छोटे उपक्रमों, बाल श्रम, असंगठित क्षेत्र, कार्य घंटों, छुट्टी, कार्य दशाओं आदि पर मौजूदा श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बना कर कुछ व्यापक कानून बनाए जाएं। तथापि, इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को देखते हुए कोई समय–सीमा बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

गन्ना उत्पादकों को सहायता

***86. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर बिहार में गन्ना उत्पादक उत्पादन की आदर्श और तकनीकी जानकारी तथा कृषि क्षेत्र की गुणवत्ता के अभाव में अच्छी फसल उगाने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बेहतर किस्म के गन्ने के विकास और गन्ने की खेती के संवर्धन हेतु गन्ना उत्पादकों को प्रदान की जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है और दसवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य–वार योजनाओं के प्रारूप की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गन्ना विकास स्कीम, बिहार सहित मुख्य गन्ना उत्पादक राज्यों में क्रियान्वित की गई। तथापि, अक्तूबर, 2000 से "गन्ना आधारित फसल प्रणाली के सतत विकास" की स्कीम का विलय अन्य 26 स्कीमों के साथ वृहत कृषि प्रबंधन प्रणाली में कर दिया गया है ताकि राज्यों को अधिक लचीलापन दिया जा सके तथा राज्य की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा सके। वृहत कृषि प्रबंधन प्रणाली हेतु राज्यो को निधियों का आवंटन और निर्मुक्ति एकमुश्त रूप से की जाती है, न कि किसी विशेष फसल के आधार पर।

[अनुवाद]

स्काई मार्शल

***87. श्री एन. जनार्दन रेड्डी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का ब्यौरा क्या है जिनमें विमानों में सुरक्षा हेतु स्काई मार्शलों की नियुक्ति की गई है;

(ख) स्काई मार्शलों को दिए गए वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं क्या हैं;

(ग) विमानों पर ड्यूटी के समय उन्हें क्या खानपान और अन्य घरेलू सुविधाएं प्रदान की जाती हैं; और

(घ) उनके द्वारा अब तक सरकारी माध्यम से सामने रखी गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उन पर यदि कोई कार्रवाई की गई हो तो वह क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) स्काई मार्शलों को जिन एयरलाइनों के रूटों पर लगाया जाता है उनके ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा।

(ख) स्काई मार्शल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी.) के कमांडो हैं और उनको प्रतिनियुक्ति पर सेना से लिया जाता है। स्काई मार्शलों को तनख्वाह अधिकारी के रैंक के अनुसार दी जाती है। स्काई मार्शलों को जब वे ड्यूटी पर होते हैं तो, उनको आवास, भोजन तथा परिवहन संबंधी सुविधाएं मुहैया की जाती हैं।

(ग) विमान में यात्रियों को जो कैटरिंग और दूसरी आंतरिक सुविधाएं मुहैया की जाती हैं वही सुविधाएं स्काई मार्शलों को भी मुहैया की जाती हैं।

(घ) जहाज में स्काई मार्शलों की ओर से कोई गंभीर शिकायत नहीं मिली है। तथापि, स्काई मार्शलों की जो कुछेक घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं/शिकायतें प्राप्त हुई हैं वे प्री-इम्बार्केशन सुरक्षा जांच के क्षेत्र, उड़ानों की रिशड्यूलिंग/उड़ानों के रद्द होने के बारे में अग्रिम सूचना की कमी और बैठने की प्रबंध-व्यवस्था के संबंध में हैं। ऐसी कठिनाइयां दुबारा न हों, इसके लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय कर लिए गए हैं।

विमान उड़ानों को युक्तिसंगत बनाना

***88. श्री पी. आर. किन्डिया :**
श्रीमती प्रभा राव :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस सिंगापुर और बैंकाक जैसे उन्हीं स्थानों की उड़ानें भर रहे हैं जिनमें परिहार्य घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें इस प्रकार का परिहार्य घाटा हो रहा है; और

(ग) दोनों एयरलाइनों की विमान उड़ानों को युक्ति-संगत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ग) यद्यपि यह सही है कि एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस दोनों ही की गल्फ में दुबई, मस्कट, कुवैत, दोहा, बहरीन आदि तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में सिंगापुर, बैंकाक तथा कुआलालम्पुर जैसे स्थानों के लिए उड़ानें हैं, यह सही नहीं है कि उनको इन रूटों पर नुकसान हो रहा है। चूंकि ये रूट लाभदायक हैं इसलिए दोनों एयरलाइनों की इन रूटों पर उड़ानें हैं। एयर इंडिया के पास इन रूटों पर मांग को पूरा करने के लिए तथा पर्याप्त सेवाओं के लिए उचित संख्या में विमान नहीं हैं, इसलिए यह मांग पूरा करने के लिए इन रूटों पर इंडियन एअरलाइंस की उड़ानों को स्वीकृति दी गई है। इससे इंडियन एयरलाइंस के विमान जो रात में अंतर्देशीय उड़ानें न होने के कारण अप्रयुक्त रहते हैं, का उपयोग बढ़ जाता है तथा साथ ही इन रूटों पर भारतीय एयरलाइंस की उपस्थिति भी बढ़ जाती है जिसका अन्यथा विदेशी एयरलाइनों को फायदा होता है।

फिर भी, ऐसे रूटों पर दोनों एयरलाइनों के प्रचालन में एक दूसरे से किराया कम करने की प्रवृत्ति इत्यादि कुछ कमियां हैं और इसलिए इन ऑपरेशंस को युक्ति संगत बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है जिससे दोनों एयरलाइन एक दूसरे के बजाय विदेशी एयरलाइनों से अच्छी तरह से प्रतिस्पर्धा कर सकें और साथ ही साथ इन सेक्टरों पर भारतीय एयरलाइनों की उपस्थिति बेहतर सेवाओं के साथ और बढ़ सके। इससे दोनों एयरलाइन इन क्षेत्रों में अपने भावी उड़ानों की बेहतर योजना बना सकेंगी। यह कार्रवाई एक महीने के अंदर पूरी हो जाएगी।

चाय/कॉफी सम्पदा के कामगारों की दुर्दशा

***89. श्री रमेश चेन्नितला :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चाय/कॉफी सम्पदा/बागान कामगारों की दयनीय दशा की जानकारी है जो या तो बंद हो गए हैं अथवा उनके मालिकों द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रभावित कामगारों का पुनर्वास करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा) : (क) और (ख) मालिकों द्वारा बंद या परित्यक्त बागानों के श्रमिकों की समस्याओं के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उपलब्ध सूचनानुसार, ब्यौरा निम्नलिखित है :

केरल : केरल सरकार ने सूचित किया है कि 23 सम्पदाओं (इस्टेट) की बंदी या परित्याग के कारण 23,000 श्रमिक प्रभावित हुए हैं।

केरल सरकार ने राहत कार्य शुरू किए हैं। राहत के अलावा, केरल सरकार ने बागान उद्योग की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु स्थाई निकाय के रूप में एक स्थाई समिति का गठन किया है। बागान सम्पदाओं को फिर से खोलने की संभावनाएं तलाशने के लिए राज्य मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया है जिसके संयोजक राज्य श्रम मंत्री हैं।

पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के 10 चाय बागान बंद या परित्यक्त हैं जिससे लगभग 6,000 श्रमिक प्रभावित हुए हैं। सरकार सुलह बैठकें कर बागानों को फिर से खुलवाने का प्रयास कर रही है। तीन सम्पदाओं के श्रमिकों को, बंद औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों को वित्तीय सहायता योजना के तहत, प्रतिमाह 500/- रुपये की सहायता मिल रही है।

तमिलनाडु : तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि श्रमिकों की दुर्दशा की कोई और सूचना उनकी जानकारी में नहीं है और राज्य में किसी भी मालिक ने अपने बागानों की बंदी या इनका परित्याग नहीं किया है।

चाय बोर्ड से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अन्य राज्यों की स्थिति निम्नवत है;

कर्नाटक : कर्नाटक की चाय सम्पदाओं में कोई गम्भीर संकट नहीं है।

असम : केवल तीन बागानों में तालाबंदी की सूचना है और इससे 2526 श्रमिक प्रभावित हुए हैं।

त्रिपुरा : चार चाय बागानों में तालाबंदी की सूचना है जिससे 560 श्रमिक प्रभावित हुए हैं।

[अनुवाद]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण

***90. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**
श्री वाई. जी. महाजन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं और अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा) : (क) और (ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला अभ्यर्थियों हेतु 25 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। जनवरी, 2003 से आरंभ होने वाले सत्र से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण की सीमा संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासन की सरकारी सेवा में उनके लिए रोजगार हेतु उपलब्ध आरक्षण के बराबर होगी।

[अनुवाद]

आसियान देशों के साथ पर्यटन समझौता

***91. श्री अम्बरीश** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ ने सदस्य देशों के मध्य पर्यटन के संवर्धन हेतु किसी पर्यटन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकर ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस समझौते के परिणामस्वरूप हमारे देश को क्या लाभ होने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। निम्नलिखित देशों यथा, ब्रूनी, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यामांर, फिलीपिंस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, जो आसियान (एएसईएएन) के सदस्य हैं, ने 4 नवम्बर, 2002 को फ्नोम पेन्ह में एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते, क्योंकि भारत आसियान का सदस्य नहीं है और केवल फुल डायलॉग पार्टनर है।

[हिन्दी]

रोजगारोन्मुखी योजनाएं

***92. श्री रामदास आठवले :**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नौवीं योजना अवधि के अंत में और इस समय राज्य–वार शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार युवक कितने हैं;

(ख) क्या सरकार ने 1991 से रोजगार सृजन में कोई कमी पाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार रोजगारोन्मुखी योजनाएं बनाने का है ताकि देश में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित किए जा सकें;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या दसवीं योजनावधि के दौरान सृजन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) बेरोजगारी का वर्तमान स्तर किस सीमा तक कम होने की संभावना है और सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा) : (क) 31.3.2002 (नौवीं योजना के अंत में) तथा 31.8.2002 की स्थिति के अनुसार देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की राज्य–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से यथानुमानित रोजगार जोकि वर्ष 1993–94 में 37.4 करोड़ के लगभग था वह 1999–2000 के दौरान बढ़कर 39.7 करोड़ हो गया।

(घ) और (ङ) 10वीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण में अतिरिक्त श्रम बल को लाभप्रद उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार उपलब्ध करवाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है तथा इसे 10वीं योजना व इससे आगे के लिए प्रबोधनीय (मानिटरेबल) उद्देश्य माना गया है। 10वीं योजना की विकास नीति में उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार अवसरों को सृजित किए जाने तथा रोजगार वृद्धि को हतोत्साहित करने वाले नीतिगत अवरोधों के समाधान की संभावना वाले क्षेत्रों के तीव्र विकास पर बल दिया जाएगा। अत्यधिक रोजगार की संभावना वाली आर्थिक गतिविधियों की वृहद श्रृंखला को प्रभावित करने वाले नीतिगत वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(च) से (ज) दसवीं योजना के दौरान 50 मिलियन रोजगार अवसरों का सृजन प्रस्तावित है। इसमें से लगभग 30 मिलियन रोजगार अवसर सामान्य विकास प्रक्रिया से सृजित होंगे तथा शेष 20 मिलियन रोजगार अवसरों का सृजन कृषि, सिंचाई, कृषि–वानिकी, लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यमों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, पर्यटन एवं अन्य सेवाओं पर विशेष बल देते हुए विशेष रोजगार सृजन योजनाओं के माध्यम से किया जाएगा। इससे देश की बेरोजगारी की समस्या में पर्याप्त गिरावट आने की संभावना है।

विवरण

रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या

(लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार	अगस्त, 2002 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4
(क)	राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	31.0	30.1
2.	अरुणाचल	0.2	0.2
3.	असम	14.9	15.2
4.	बिहार	19.1	18.5
5.	छत्तीसगढ़	7.8	7.8
6.	दिल्ली	10.1	10.4
7.	गोवा	1.0	1.0
8.	गुजरात	10.7	10.8
9.	हरियाणा	6.9	7.7
10.	हिमाचल प्रदेश	8.9	9.0
11.	जम्मू-कश्मीर	1.6	1.5
12.	झारखंड	13.4	13.3
13.	कर्नाटक	20.2	20.0
14.	केरल	42.7	39.5
15.	मध्य प्रदेश	18.1	18.4
16.	महाराष्ट्र	44.2	45.3
17.	मणिपुर	4.1	4.1
18.	मेघालय	0.4	0.4
19.	मिजोरम	8.0	0.4
20.	नागालैंड	0.4	0.4
21.	उड़ीसा	8.5	7.8
22.	पंजाब	5.3	5.2
23.	राजस्थान	7.5	7.4
24.	सिक्किम*	–	0.0
25.	तमिलनाडु	49.1	50.8
26.	त्रिपुरा	3.3	3.4
27.	उत्तरांचल	3.4	3.6
28.	उत्तर प्रदेश	17.9	17.6
29.	प. बंगाल	61.5	63.3
(ख)	संघ राज्य क्षेत्र		
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.4	0.4
31.	चंडीगढ़	0.9	0.8
32.	दादरा और नगर हवेली	0.06	0.1
33.	दमन और दीव	0.07	0.1
34.	लक्षद्वीप	0.1	0.1
35.	पांडिचेरी	1.4	1.5
	योग	416.0	416.2

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षण

***93. श्री सुरेश चन्देल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मुम्बई प्राकृतिक इतिहास सोसायटी (बी.

एन.एच.एस.), नेचुरल हिस्टरी सोसायटी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने चेतावनी दी है कि देश में पक्षियों की अनेक दुर्लभ प्रजातियां तेजी से घट रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी चेतावनी किस तारीख को जारी की गई थी;

(ग) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि पिनहैड बत्तख, जंगली खूसट, जारडोंस क्रूजर, हिमालयन पर्वतीय बटेर, सारस और गिद्ध की दो प्रजातियां भी इस सूची में शामिल हैं और इन प्रजातियों को संरक्षण देने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा पक्षियों की इन दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षण देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) भारत पक्षियों की कई प्रजातियों की संख्या में गिरावट के बारे में मुंबई प्राकृतिक इतिहास सोसायटी (बीएनएचएस), बर्ड लाइफ इंटरनेशनल तथा अन्य कई संगठनों द्वारा चिंता व्यक्त की जाती रही है।

(ख) बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा बीएनएचएस के सहयोग से "थ्रेटेंड बर्ड्स ऑफ एशिया" नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है जिसका विमोचन 5.6.2001 को किया गया। बीएचएनएस द्वारा "थ्रेटेंड बर्ड्स ऑफ इंडिया" पुस्तक का अद्यतन रूपांतर 26.9.2002 को विमोचित किया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) गुलाबी सिर वाली बत्तख और हिमालयी पहाड़ी बटेर को आखिरी बार क्रमशः 1935 और 1876 में देखा गया था और अब इन्हें विलुप्त माना जाता है। जारडोंस क्रूजर जंगली चितकबरा खूसट सारस और गिद्धों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :

(i) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत गिद्ध को उच्चतम सुरक्षा प्रदान करते हुए इनकी सुरक्षा स्थिति का दर्जा बढ़ाकर इसे अनुसूची IV से अनुसूची I में शामिल कर दिया गया है।

(ii) वन्य जीव-जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों के संकटग्रस्त आवासों को राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के रूप में अधिसूचित किया गया है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को रामसर स्थलों और विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थलों के रूप में भी अधिसूचित किया गया है।

(iii) वन्यजीवों के आवासों का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में केवल उन कार्यकलापों के लिए ही अनुमति प्रदान की जाती है जो वन्यजीवों की भलाई के लिए होते हैं।

(iv) विभिन्न प्रजातियों की संख्या स्थिति को मॉनीटर करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्थन प्रदान करना और विभिन्न प्रजातियों के स्वस्थाने और बाह्य स्थाने संरक्षण हेतु नीतियां तैयार करना।

(v) राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, 2002-16 और वन्यजीव संरक्षण नीति, 2002 को तैयार किया गया है और इन्हें जनवरी, 2002 में अंगीकार किया गया।

(vi) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के प्रभावशाली प्रबंधन हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

यांत्रिक मछुवाही

*94. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के समुद्र तटों के आस-पास यांत्रिक मछुवाही को प्रतिबंधित करने के लिए कोई सीमा चिन्हित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान गरीब मछुआरों की सहायता करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार द्वारा परिचालित माडल समुद्री मत्स्यन विनिमयन विधेयक के आधार पर, गुजरात को छोड़कर सभी

तटवर्ती राज्यों ने समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम लागू किए हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के मत्स्यन जलयानों के लिए संचालनात्मक क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान गरीब मछुआरों की सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

समुद्री राज्यों के प्रादेशिक जल में परम्परागत यानों तथा यांत्रिकृत जलयानों के लिए सुरक्षित क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य/अधिनियम	केवल परम्परागत यान के लिए क्षेत्र	यांत्रिकृत जलयानों के लिए क्षेत्र
1.	गुजरात	राज्य का समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम विचाराधीन है।	
2.	महाराष्ट्र एमएफआरए 1981	5–10 फैथम गहराई (9–18 मी. गहराई)	–
3.	गोवा एमएफआरए 1980	5 किमी.	5 किमी. से आगे
4.	कर्नाटक एमएफआरए 1986	6 किमी.	6 किमी. से आगे
5.	केरल एमएफआरए 1980	10 किमी.	10 किमी. से आगे
6.	तमिलनाडु एमएफआरए 1983	3 नौटिकल मील (5.4 किमी.)	3 नौटिकल किमी. से आगे
7.	आंध्र प्रदेश एमएफआरए 1993	8 किमी.	8 किमी. से आगे
8.	उड़ीसा	5 किमी.	(1) 5 किमी. से बाहर 15 मी. ओएएल तक। (2) 10 किमी. से बाहर 15 मी. ओएएल से ऊपर।
9.	पश्चिमी बंगाल	(1) यांत्रिकृत जलयानों के लिए 9 मी. ओएएल तक के लिए 8 किमी. तक। (2) 9 मी. ओएएल से ऊपर जलयानों के लिए 20 किमी. तक परंतु 8 किमी. से नीचे नहीं।	(1) 50 किमी. तक 15 मी. ओएएल परंतु 20 किमी. से नीचे नहीं। (2) 50 किमी. से बाहर 15 मी. ओएएल से ऊपर।

*परम्परागत यान समुद्र में कहीं भी मछली पकड़ सकते हैं। उक्त आरक्षण मात्र इस तथ्य के लिए लागू होता है कि अन्य कोटि के जलयानों से परम्परागत यानों के लिए सुरक्षित क्षेत्र में मछली नहीं पकड़ सकते हैं।

विवरण-II

तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गरीब मछुआरों की सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :

1. 10,000 रुपये प्रति इंजन की दर से आउट बोर्ड मोटर इंजनों (ओबीएम) तथा 12,000 रुपये प्रति इंजन की दर से इन बोर्ड मोटर इंजनों (आईबीएम) की खरीद के लिए राज सहायता।

2. राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजनाओं के 3 घटक हैं :

   (i) समुद्री मछुआरों के लिए बचत सह राहत योजना

   (ii) सक्रिय मछुआरों के लिए दुर्घटना बीमा योजना

   (iii) मछुआरों के लिए गृह निर्माण।

3. एचएसडी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना के तहत, विगत तीन वर्षों के लिए मछुआरों को सहायता करने के उद्देश्य से राज्यों को 2603.22 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।

4. परम्परागत यानों के मोटरीकरण के लिए योजना के तहत, विगत तीन वर्षों के लिए 7215 यानों को मोटरीकृत करने के उद्देश्य से 383.99 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।

5. मछुआरा कल्याण योजना के तहत, विगत तीन वर्षों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता के रूप में 63.71 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के तहत लगभग 12 लाख मछुआरों तथा बचत सह राहत घटक के तहत लगभग 2.5 लाख मछुआरों को शामिल किया गया था।

6. बड़े तथा छोटे पत्तनों पर मत्स्यन बंदरगाह सुविधाओं संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न समुद्री राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा पोर्ट ट्रस्टों को केंद्रीय सहायता के रूप में 3252.67 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। इस योजना के तहत, गत 3 वर्षों के दौरान विशाखापत्तनम स्थित एक बड़े मत्स्यन बंदरगाह, पांच छोटे मत्स्यन बंदरगाहों तथा 14 मछली उतारने वाले केंद्रों संबंधी मौजूदा सुविधाओं के विस्तार के काम को मंजूरी प्रदान की गई है जिससे मछुआरों को उनके नौकाओं/जलयानों की सुरक्षित बर्थिंग तथा लैंडिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा सुझाए गए सूखा राहत उपाय

***95. डा. डी. वी. जी. शंकर राव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने देश में सूखे का सामना करने हेतु राज्यों की सहायता करने के लिए अनेक अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) भारतीय उद्योग परिसंघ ने सूखे से निपटने के लिए अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक उपायों का सुझाव दिया है।

लघुआवधिक उपायों में बीज राजसहायता सहित आवधिक फसलों का सहारा लेना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यबल की स्थापना करना, जल के गम्भीर अभाव वाले प्रखंडों में बिजली पर राजसहायता समाप्त करना, जल आपूर्ति के लिए एक समान बिजली का प्रावधान करना चारे के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर रोक लगाना तथा गौशालाएं खोलना आदि शामिल हैं।

दीर्घावधिक उपायों में अनिवार्य रूप से जल का मितव्ययिता से उपयोग करना तथा जल के उपयोग में प्रौद्योगिकीय नवाचार के लिए कई प्रस्ताव शामिल हैं। अन्य उपायों में चारा फसलें और पैक लगाकर स्थाई भू-उपयोग शामिल हैं।

इनमें से कई उपाय सूखे से निपटने हेतु तथा सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए सुझात रणनीतियों के भाग हैं ये पहले से ही कार्यान्वयन के अधीन हैं। कुछ अन्य सुझाव हैं जिन पर राज्य सरकारों द्वारा विचार किए जाने की

आवश्यकता है, इन सुझावों को स्थानीय स्थितियों को देखते हुए जांच के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा राज्यों को भेज दिया गया है। चारे की अंतःराज्यीय आवाजाही पर रोक लगाने से संबंधित सुझावों से गंभीर रूप से सूखा प्रभावित राज्यों को कोई लाभ नहीं होगा।

जैव सुरक्षा संबंधी कार्टाजेना प्रोटोकोल

***96. श्री महबूब जाहेदी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जैव सुरक्षा संबंधी कार्टाजेना प्रोटोकोल की अभिपुष्टि करने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इससे आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के बारे में सुरक्षित मार्ग मिल सकेगा और राष्ट्रीय कानूनों पर विदेशी आक्षेपों के विरुद्ध सहायता मिलेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस प्रोटोकोल पर अमेरिका को छोड़कर 103 राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5.9.2002 को जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकोल की अभिपुष्टि हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) से (घ) प्रोटोकोल जैव सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई साधन मुहैया कराता है। इसमें एहतियाती सिद्धांत का प्रयोग, पहले से सूचित करार का अनुप्रयोग, सक्रिय संशोधित ऑरगनिज्म (एलएमओ) के आयात की प्रक्रिया जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन ढांचा, क्षमता निर्माण, जन जागरूकता तथा जैव सुरक्षा शोधन गृह तंत्र के जरिए सक्रिय संशोधित आर्गेनिज्म पर वैज्ञानिक और तकनीकी सूचनाओं का आदान–प्रदान शामिल है।

(ङ) जी, हां।

[हिन्दी]

भू-जल स्तर के बारे में सर्वेक्षण

***97. श्री रामदास रूपला गावीत :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लगातार घटते जल स्तर के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) से (ग) केंद्रीय भूमि जल बोर्ड पूरे देश में स्थापित लगभग 15000 राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफ निगरानी केंद्रों के माध्यम से भूजल स्तर की नियमित निगरानी करता है। यह जल स्तर वर्ष में चार बार अर्थात जनवरी, मई, अगस्त और नवम्बर महीनों में दर्ज किया जाता है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि दीर्घ कालीन आधार पर देश के विभिन्न भागों में भूजल स्तर में गिरावट आई है। पिछले 20 वर्षों (1982–2001) के दौरान भूजल स्तर में गिरावट वाले स्थानों वाले राज्यों/जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

जल, राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संवर्धन से संबंधित स्कीमों की योजना, उनका वित्तपोषण एवं कार्यान्वयन करने की प्रारम्भिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस स्थिति से निपटने के वास्ते केन्द्र सरकार ने देश में भू–जल की गिरावट को रोकने तथा उसका उपयोग करने के लिए अनेक उपाय किए हैं :

(i) देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 23.48 करोड़ रुपये की लागत से भू–जल के पुनर्भरण अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का कार्यान्वयन करना।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भू–जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैनुअल परिचालित करना ताकि वे भू–जल स्तर की गिरती प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्षेत्र विशेष की कृत्रिम पुनर्भरण स्कीम तैयार कर सकें।

(iii) वर्ष 1970 में एक मॉडल बिल परिचालित किया गया था जिसे सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1992 एवं वर्ष 1996 में पुनः परिचालित

किया गया ताकि वे भूमि जल उपयोग को विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिए उचित कानून बना सकें।

(iv) वर्षा जल संचयन एवं भू–जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी जन जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(v) भू–जल प्रबंधन और विकास के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन।

विवरण

पिछले 20 वर्षों (1982–2001) में जल स्तर में गिरावट वाले क्षेत्रों वाले राज्यों/जिलों के नाम

(मानसून पूर्व अवधि)

क्र.सं.	राज्य	जल स्तर में गिरावट	
		4-6 मीटर	6 मीटर से अधिक
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तूर, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, वारंगल, विजयानगरम, विशाखापटनम	अदिलाबाद, अनंतपुर, पूर्व गोदावरी, हैदराबाद, करीमनगर, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, प्रकाशम, विजयानगरम, वारंगल, विशाखापटनम, पश्चिम गोदावरी
2.	बिहार	गया, गिरीडीह, लोहारडागा, पलामू	
3.	छत्तीसगढ़	बस्तर, बिलासपुर, जंजगीर, चम्पा, कांकेर	बस्तर, दांतीवाड़ा, दुर्ग, रायगढ़
4.	गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, बड़ौदा, भरूच, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, कच्छ, मेहसाना, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, वलसाड़	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, बड़ौदा, भरूच, भावनगर, डांग्स, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, कच्छ, मेहसाना, पंचमहल, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर
5.	हरियाणा	फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा	भिवानी, फरीदाबाद, फतेहबाद, गुड़गांव, कैथल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, यमुनानगर
6.	दिल्ली	दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम, पश्चिम, मध्य	दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, नई दिल्ली
7.	कर्नाटक	बंगलौर, बेलगाम, बीदर, बीजापुर, धारवाड़, गदग, गुलबर्गा, कोलार, कौपाला, सिमौगा, तुमकुर, उत्तर कन्नड़	बंगलौर, बेलारी, बेलगाम, बीदर, बीजापुर, चमराजनगर, चित्रदुर्ग, देवगिरी, गदग, गुलबर्गा, हासन, हावेरी, मांड्या, मैसूर, रायचूर, सिमौगा, तुमकुर, उत्तर कन्नड़
8.	केरल	अरनाकुलम, इदुकी, कन्नूर, कसरगौड़, कौलम, कोटायम, कोजीकोड	इदुकी, कन्नूर, कौलम, कोटायम, तिरूअनंत–पुरम

1	2	3	4
9.	मध्य प्रदेश	बेतूल, भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दामोह, दतिया, देवास, धार, गुना, जबलपुर, कटनी, खंडवा, खरगांव, मोरेना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिहौर, साजापुर, शिवपुर, शिवपुरी	बरौनी, बेतूल, भिंड, छतपरूप, दतिया, देवास, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, खड़गांव, मंदसौर, मोरेना, नरसिंहपुर, नीमच, रायसेन, राजगढ़, रीवा, साजापुर, विदिशा
10.	महाराष्ट्र	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड़, भंडारा, बुल्दाना, चन्द्रपुर, धुले, गढ़चिरोली, जलगांव, जालना, लातूर, नागपुर, नांदेड, नासिक, परभनी, सांग्ली, सतारा, शोलापुर, थाने, वर्धा, यवतमाल	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड़, भंडारा, चन्द्रपुर, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, नान्देड, पुणे, शोलापुर,
11.	पूर्वोत्तर	जोरहाट, कामरूप, कारबी–अंगलोग, दक्षिण त्रिपुरा, पश्चिम त्रिपुरा	मोरीगांव
12.	उड़ीसा	बालासोर, बोलनगीर, बोध, कटक, देवगढ़, धेनकनाल, गजपति, गंजम, कालाहांडी, क्योंझर, खुरदा, कोरापुट, मयूरभंज, नयागढ़, नोरगंपुर, फुलबनी, सम्बलपुर, सुवर्णपुर	अंगुल, बालासोर, बोलनगीर, धेनकनाल, गजपति, गंजाम, खुरदा, कोरापुट, मल्कान–गिरी, फुलबनी, सुंदरगढ़, सुवर्णपुर
13.	पंजाब	अमृतसर भटिंडा, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मनसा, मोगा, पटियाला, संगरूर	अमृतसर, भटिंडा, फिरोजपुर, जालंधर, लुधियाना, मोगा, पटियाला, रोपड़, संगरूर
14.	राजस्थान	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बरन, बाड़मेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, टोंक, उदयपुर	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बरन, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, धोलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, जालौर, झालावाड़ झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाई, माधोपुर, सीकर, सिरोही, टौंक, उदयपुर
15.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर, डिंडीगुल, कांचीपुरम, मद्रास, थेनी, तिरूवन्नामलाई, तूतीकोरीन	कोयम्बटूर, कडालोर, धर्मपुरी, एरोड, कन्या–कुमारी, नमक्कल, पेरमबुलुर, पुदुकोट्टई, शिवगंगा, तंजावूर, तिरूनेलवेली, तिरूवल्लुर, तिरूवरूर,
16.	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बदायूं, बलिया, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर, एटा, इटावा, फैजाबाद, फतेहगढ़, फतेहपुर, गाजियाबाद, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखीमपुर, ललितपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुरादाबाद,	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बदायूं, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बुलंदशहर, देवरिया, एटा, इटावा, फतेहगढ़, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद,

1	2	3	4
		मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़ रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव	मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तापुर, उन्नाव
17.	पश्चिमी बंगाल	बांकुरा, बीरभूम, कूचबिहार, पुरूलिया	बांकुरा, बर्द्धमान, बीरभूम, दक्षिण, दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, पुरूलिया

[अनुवाद]

भारतीय बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

***98. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ताजा ब्रांड वाले दुग्ध के क्षेत्र में भारतीय बाजार में विशेषकर गुजरात में प्रवेश करने हेतु अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के व्यवसाय में लगी भारतीय सहकारी कम्पनियों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश के परिणामस्वरूप कठिन प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप सहकारी कंपनियों को राजस्व घाटा होगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इस क्षेत्र में अनुमति देने हेतु लिए गए निर्णय की समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सरकारी नीति विदेशी इक्विटी की किसी भी सीमा तक भागीदारी के स्वचल रूट के अंतर्गत दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण/विनिर्माण में सीधे विदेशी निवेश की अनुमति देती है। तथापि, विदेशी निवेशकों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे स्वचल अथवा सरकारी अनुमोदन के रूट के अंतर्गत प्रवेश चरण पर प्रस्ताव की स्थिति को दर्शाएं।

(ग) और (घ) दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के व्यवसाय में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश भारतीय डेयरी सहकारिताओं को अधिक प्रतियोगी बनाएगा क्योंकि एफडीआई आर्थिक विकास का उच्च स्तर प्राप्त करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए अवसर प्रदान करने, सार्वभौमिक दक्षता एवं व्यवसाय प्रबंधन का पता लगाने में घरेलू निवेश में सहायता देती है।

संविदा कृषि का संवर्धन

***99. श्री अशोक ना. मोहोल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोचैम (एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया) ने फसल पूर्व और फसल पश्चात प्रबंधन के संविदा कृषि प्रशिक्षण के संवर्धन का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा कृषकों को अपेक्षित वास्तविक और विपणन के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) एसोसिएटेड चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए पेपर में फसल पूर्व तथा फसलोपरांत प्रबंध के बारे में ठेके पर खेती संबंधी प्रशिक्षण को बढ़ावा देने का कोई उल्लेख नहीं है। पेपर में कृषि में निगमित क्षेत्र को लाने की विधियों में "मौजूदा भूमि कानून में समुचित संशोधन करके ठेके पर खेती शुरू करना" केवल एक विधि के रूप में उल्लिखित है।

विमानपत्तनों पर दलाल

***100. श्री चन्द्र भूषण सिंह :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यात्रियों की इस आम शिकायत की जानकारी है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली समेत बड़े हवाई अड्डों पर काम कर रहे दलालों द्वारा उन्हें धोखा दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वे टैक्सी आपरेटरों, ट्रॉली लाने ले जाने वाले कर्मचारियों, सामान चढ़ाने वाले एजेंटों और अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों की मिलीभगत से काम करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच शुरू की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (घ) टैक्सी ऑपरेटरों, ट्राली रिट्रिविंग स्टाफ, लोडिंग एजेंटों तथा हवाई अड्डों पर कार्यशील एजेंसियों के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के कुछ वर्ग की मिलीभगत से दलालों की कार्यशीलता के बारे में कुछ घटनाएं प्रकाश में आई हैं। सभी ऐसे मामलों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसी/संगठन/पुलिस को भेजा जाता है।

(ङ) सीसीटीवी कैमरा लगाने, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जांच करने, चूककर्ता स्टाफ के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ करने, यातायात पुलिस के चार्ज के अधीन प्री पेड टैक्सी काउंटरों की व्यवस्था करने जैसे कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

नदियों का रासायनिक प्रदूषण

***101. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नदियों को रासायनिक प्रदूषण से बचाने के लिए पर्याप्त तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने हेतु क्या प्रसास किए गए हैं;

(ग) क्या सरकारी तंत्र के विद्यमान होने के बावजूद नदियां रसायनों से प्रदूषित हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश में कानपुर और इलाहाबाद में गंगा के किनारे कौन–कौन सी कम्पनियां स्थित हैं जिनके विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्रवाई की गई है और इस मामले में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) सरकार प्रदूषित नदियों की सफाई के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कार्यान्वित कर रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) के माध्यम से 784 स्थानों पर भारतीय राष्ट्रीय जलीय संसाधनों की मानीटरिंग (एमआईएनएआरएस) और विश्व पर्यावरणीय मानीटरिंग प्रणाली (जीईएमएस) के अंतर्गत नदियों की जल गुणता की मानीटरिंग कर रहा है। इसके अतिरिक्त नदियों के आस–पास स्थापित रासायनिक कारखानों सहित उद्योगों से नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए कुल 851 घोर प्रदूषणकारी उद्योगों की पहचान की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमित रूप से इन उद्योगों की मानीटरिंग करते हैं। सबसे हाल की सूचना के अनुसार 851 उद्योगों में से 608 उद्योगों को दिशा निर्देश देने के उपरांत उन्होंने बहिस्राव शोधन सुविधाएं स्थापित कर ली है, 238 उद्योग बंद हो गए हैं और 5 उद्योग चूककर्ता हैं और वे कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं।

(ङ) उत्तर प्रदेश में कानपुर और इलाहाबाद में गंगा नदी के आस–पास स्थापित कुल 74 घोर प्रदूषणकारी उद्योगों की पहचान की गई है। इन 74 इकाइयों में से 27 इकाइयों बंद हो गई हैं, 35 इकाइयां संतोषजनक ढंग से बहिस्राव शोधन संयंत्रों को संचालित कर रही हैं। शेष 12 इकाइयों ने बहिस्राव शोधन संयंत्र तो स्थापित कर लिए है परंतु उनका संचालन संतोषजनक नहीं है। अतः राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इन इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इन 74 उद्योगों की सूची संलग्न विवरण में दे दी गई है जिसमें उनकी संचालन स्थिति भी दी गई है।

विवरण

गंगा नदी में बहिस्राव का उत्सर्जन करने वाले घोर प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थिति

क्र.सं.	उद्योग का नाम और पता	ब.शो.सं. स्थिति
1	2	3
	इलाहाबाद	
1.	इफको, फूलपुर, इकाई 1 और 2, इलाहाबाद	ओपीआरएस
2.	रेक्रोन सिंथेटिक लि., इकाई 1 और 2 नैनी, इलाहाबाद	ओपीआरएस
	कानपुर	
1.	मै. सुपर टैनरी (इंडिया) लि., जाजमाऊ, कानपुर (इकाई नं.1)	ओपीआरएस
2.	मै. पायोनियर लेदर फिनिशर्स, 150 फीट रोड, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
3.	मै. जाज टैनरी, 150 फीट रोड, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
4.	मै. अपर इंडिया टैनरी, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
5.	मै. नार्दन टैनरी, 150 फीट रोड, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
6.	मै. एशिया टैनरी (प्रा.) लि., 150 फीट रोड, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
7.	मै. सनराईज टैनरी, 150 फीट रोड, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
8.	मै. कयूम लैदर्स (एलाइड टैनरी), 150 फीट रोड, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
9.	मै. यूनीवर्सल लैदर फिनिशर्स, 461 ए 150 जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
10.	मै. ऑर्डनेंस फैक्टरी कल्पी रोड कानपुर	ओपीआरएस
11.	मै. कानपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, निराला नगर, कानपुर	ओपीआरएस
12.	मै. सीईटीपी जाजामाऊ, कानपुर	ओपीआरएनएस
13.	मै. शालीमार लैदर फिनिशर्स, 150 फीट रोड, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
14.	मै. डैनिश टेनर्स नजीदपुर, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
15.	मै. डायमंड टैनरी वजीदपुर, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
16.	मै. नगौरी टैंनिंग, वजीयादपुर, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
17.	मै. ब्राइट टैनिंग, इंडस्ट्रीज, इकबाल स्ट्रीट जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
18.	मै. स्टार टैनरी, 19 जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस

1	2	3
19.	मै. अवध टैनरी, भल्ला इस्टेट जाजमाऊ, कानपुर	यूसीएल
20.	मै. होमेरा टैनिंग इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि. 150 फीट रोड, जाजमाऊ, कानपुर,	ओपीआरएस
21.	एच. रहमान टैनर्स जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
22.	मै. यूनाइटेड प्रोविंसेज टैनरी कं. लिमिटेड जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
23.	मै. हमराज लैदर फिनिशर्स, बधिया घाट, जाजमाऊ, कानपुर,	ओपीआरएस
24.	मै. कासिफ टैनरी, 150 फीट रोड, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
25.	मै. सुप्रीम टैनिंग इंडस्ट्रीज 150 फीट रोड, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
26.	मै. नुसरत टैनरी, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
27.	मै. रीनेट्स ईस्टर्न एक्सपोर्ट, रामराय सराय जाजमाऊ, कानपुर	यूसीएल
28.	मै. ग्लोब टैनरी, जाजमाऊ रोड, कानपुर	ओपीआरएस
29.	मै. वासिफ टैनरी 150 फीट रोड, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
30.	मै. अजीज लैदर्स फिनिशर्स, बधिया घाट जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
31.	सुपर टैनरी (इंडिया) इकाई नं. 2 जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
32.	मै. यूरो एशिया लैदर्स (प्रा.) लि. (यूनियन टैनिंग इंडस्ट्रीज) वजीदपुर, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
33.	मै. सुल्तान टैनर्स, जाजमाऊ रोड, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएस
34.	मै. पंकी थर्मल पावर, पंकी, कानपुर	ओपीआरएस
35.	मै. ग्लोब इंटरनेशनल, 104/90, ए–72, 150 फीट रोड, जाजमाऊ, कानपुर	यूसीएल
36.	मै. एम के जे कार्पोरेशन (प्रा.) लि., सरेशबाग, कानपुर	यूसीएल
37.	मै. इंटरनेशनल टैनिंग इंडस्ट्रीज, जाजमाऊ, कानपुर	यूसीएल
38.	मै. समसेर की टैनरी, जाजमाऊ रोड, जाजमाऊ, कानपुर	यूसीएल
39.	मै. साद टैनर्स, जाजमाऊ रोड, जाजमाऊ, कानपुर	यूसीएल
40.	मै. इंडियन नेशनल टैनरी, जाजमाऊ रोड, जाजमाऊ, कानपुर	यूसीएल
41.	मै. जीनत टैनरी, रामराय सराय, जाजमाऊ, कानपुर	यूसीएल
42.	मै. न्यू मून लाईट टैनिंग इंडस्ट्रीज, मक्को साहिद का भट्टा, जाजमाऊ, कानपुर	यूसीएल

1	2	3
43.	मै. एजाज टैनरी, 150 फीट रोड, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएनएस
44.	मै. एन आर टैनर्स बधिया घाट, जाजमाऊ, कानपुर	यूसीएल
45.	मै. सेबान टैनर, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएनएस
46.	मै. न्यू यूनिवर्सल टैनरी, जाजमाऊ रोड, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएनएस
47.	मै. मोना टैनिंग इंड., जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएनएस
48.	मै. कमल टैनिंग इंड., शीतला बाजार, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएनएस
49.	मै. चंगाल टैनिंग इंड. (क्लासिक टैमिंग इंड.), जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएमएस
50.	मै. एंटरप्राइजेज टैनिंग इंड., जाजमाऊ रोड, जाजमाऊ, कानपुर	यूसीएल
51.	मै. हिन्दुस्तान टैनरी प्रा. लि., जाजमाऊ, कानपुर	यूसीएल
52.	मै. राफियो टैनरी, 150 फीट रोड, जाजमाऊ, कानपुर	यूसीएल
53.	मै. एस के कमल (लैदर फिनिशर्स) शीतला बाजार, कानपुर	ओपीआरएनएस
54.	मै. अलसफा टैनरी, बधिया घाट, जाजमाऊ, कानपुर	यूसीएल
55.	मै. कमरूदीन की टैमरी, लालटूपूर्वा, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएनएस
56.	मै. ग्रेटर अराफत टैनर्स, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएनएस
57.	मै. न्यू लाइट टैनरी (प्रा.) लि., 150 फीट रोड, जाजमाऊ, कानपुर	यूसीएल
58.	मै. सीमा टैनिंग इंड., 150 फीट, संजय नगर, कानपुर	ओपीआरएमएस
59.	मै. मगदूम टैनरी, जाजमाऊ, कानपुर	ओपीआरएनएस
60.	मै. अशोका अक्षय एंड कं., कानपुर	यूसीएल
61.	मै. अतुल रिफाइनरी, कानपुर	यूसीएल
62.	मै. बनारसी दास लक्ष्मीनारायण, कानपुर	यूसीएल
63.	मै. एल्जीन मिल कं. लि. इकाई 1, कानपुर	यूसीएल
64.	मै. एल्जीन मिल कं. लि. इकाई 2, कानपुर	यूसीएल
65.	मै. हिन्दुस्तान वैजीटेबल ऑयल, कारपोरेशन लि., कानपुर	यूसीएल
66.	मै. कानपुर वूलन मिल, कानपुर	ओपीआरएस

1	2	3
67.	मै. कानपुर टैक्सटाइल लि., कानपुर	यूसीएल
68.	मै. लक्ष्मीरतन कॉटन मिल, कानपुर	यूसीएल
69.	मै. मूड मिल, कानपुर	यूसीएल
70.	मै. न्यू विक्टोरिया मिल, कानपुर	यूसीएल
71.	मै. स्वदेशी कॉटन मिल, कानपुर	यूसीएल
72.	मै. टेफको, कानपुर	यूसीएल

बहिस्राव शोधन संयंत्र की स्थिति इस प्रकार है :

ओपीआरएस – **बहिस्राव शोधन संयंत्र चालू है और मानकों के अनुसार है।**

ओपीआरएनएस – **बहिस्राव शोधन संयंत्र चालू है लेकिन मानकों के अनुसार नहीं है।**

यूसीएल – **इकाई बंद है।**

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.)

906. श्री सुबोध राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) अमेरिका की एक बीज उत्पादक कम्पनी मोनसांटा के दबाव में कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपनी बीटी कॉटन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की आनुवंशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति के निदेशों के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) ने वर्ष 2001–2002 के दौरान भारत के मध्य एवं दक्षिणी क्षेत्रों में अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार परियोजना के माध्यम से बीटी कपास संकरों के परीक्षण किए हैं। मूल्यांकन की अंतिम रिपोर्ट आनुवंशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति को फरवरी, 2002 में प्रस्तुत कर दी गई थी। आनुवंशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति ने 26 मार्च, 2002 को आयोजित हुई अपनी बैठक में बीटी कपास संकरों की दक्षता की समीक्षा के बाद वर्ष 2002–03 के फसली मौसम के दौरान देश के मध्य एवं दक्षिणी क्षेत्रों में व्यापारिक खेती करने के लिए तीन पराजीनी बीटी कपास संकरों (बीटी. एमईसीएच–12, बीटी. एमईसीएच–162 और बीटी. 184) को सशर्त जारी करने की स्वीकृति दी है।

[अनुवाद]

काकिलाबाड़ी सेंट्रल स्टेट फार्म का बंद होना

907. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार असम के बारपेटा के "काकिलाबाड़ी सेंट्रल स्टेट फार्म" को बंद करने के पूर्व निर्णय को रद्द करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए संबंधित फार्म का प्रबंधन अपने हाथों में लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इस फार्म के पुनरुद्धार के लिए व्यपगत न होने वाले केंद्रीय पूल के संसाधनों में से आवश्यक धन की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ङ) केन्द्रीय राज्य फार्म, कोकिलाबाड़ी को लगातार हुए घाटे तथा असम में कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण भारतीय राज्य फार्म निगम लि. (एस.एफ. सी.आई.) ने नवम्बर, 2001 में लीज समाप्त हो जाने के बाद उक्त फार्म के बंद करने का निर्णय लिया। तथापि असम सरकार ने अनुरोध किया कि एस.एफ.सी.आई. इस फार्म पर कार्य चलने दे जिसके लिए वे सुरक्षा व्यवस्था आदि प्रदान करेंगे। परंतु फार्म को प्रतिवर्ष होने वाले घाटे, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति करने के लिए भारतीय राज्य फार्म निगम लि. द्वारा रखी गई शर्त पर असम सरकार सहमत नहीं हुई। इस बीच इस फार्म के 84 कर्मचारियों में से 81 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है।

नेफेड द्वारा बैंक गारंटी

908. श्री रघुनाथ झा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफेड ने सैन्य बिक्री संगठन को 1.14 करोड़ रुपये की एक बैंक गारंटी दी थी परंतु भूतकाल में कभी दिल्ली फेडरेशन से केवल 10 लाख रुपये की नकद गारंटी ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नेफेड के व्यापार संबंधी नियमों के अनुरूप है;

(ग) क्या केन्द्रीय रजिस्ट्रार ने नेफेड के घोटालों के संबंध में किसी तरह की आरम्भिक जांच कराई है और इसके नुकसान के लिए व्यापार संबंधी समिति को जिम्मेदार ठहराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर सरकार या नेफेड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) व्यवसायिक प्रक्रिया और सिद्धांतों के अनुसार नेफेड अपने सदस्य संगठनों से अपनी वाणिज्यिक प्रतिबद्धता पूरी करने की कोई गारंटी नहीं लेता। तथापि, नेफेड ने प्रतीकात्मक तौर पर दिल्ली फेडरेशन से 10.00 लाख रु. की नकद गारंटी ली।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय रजिस्ट्रार ने नेफेड द्वारा ए.पी.ओ. को की गई आपूर्ति की प्रारम्भिक जांच की तथा उसने नेफेड को हुए नुकसान के लिए व्यवसाय समिति को उत्तरदायी पाया। बहरहाल, उसने व्यवसाय समिति से कुछ और स्पष्टीकरण मांगा। नेफेड ने केन्द्रीय रजिस्ट्रार को अभिवेदित किया है कि व्यवसाय समिति एक नीति निर्माण निकाय है और समिति के सदस्यों पर कोई वैयक्तिक दायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता। केन्द्रीय रजिस्ट्रार से अपने निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया। इसके बाद में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ए.पी.ओ. को की गई आपूर्ति के संबंध में मामले की जांच की तथा जांच के बाद उसने नेफेड के दो अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। नेफेड ने भी अन्य उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की है। नेफेड ने केन्द्रीय रजिस्ट्रार के पास भी दिल्ली फेडरेशन के विरुद्ध वसूली का मामला दायर किया है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे से बंदरों को मुक्त कराना

909. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि कुछ पशु कार्यकर्ताओं ने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरोलॉजी, पुणे से शोध के लिए रखे गए बंदरों को जबरन मुक्त करा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये बंदर कुछ ऐसी बीमारियों से ग्रस्त थे जो जन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का जन स्वास्थ्य के हित में कौन से निराधात्मक उपाय करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जीव जंतुओं के प्रति क्रूरता निवारण समिति (सीपीसीएसईए) द्वारा विधिवत गठित एक दल ने 8 मई, 2002 को नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरोलॉजी, पुणे का निरीक्षण किया। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरोलॉजी, पुणे के स्टॉक में बहुत से पशु बीमार पाए गए। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरोलॉजी द्वारा बाद में 37 बंदर इंडियन हर्पिटॉलोजी सोसाइटी, पुणे को पुनर्वास के लिए हस्तांतरित कर दिए गए थे।

(ख) और (ग) चूंकि, ऐसे पशुओं को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में अवस्थिति और प्रयोग के लिए उनका इस्तेमाल करना पूरी तरह से 'गुड लेबोरटरी प्रेक्टेसिस' (जीएलपी) मेनुअल के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था और इससे लोक-स्वास्थ्य को खतरा हो सकता था, इसलिए इस संस्थान से पशुओं को स्थानांतरित करने का निर्णय किया गया।

खाद्यान्नों का अभाव

910. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में व्याप्त अकाल की स्थिति के कारण निकट भविष्य में खाद्यान्नों का तुरंत अभाव हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रस्तावित उपचारात्मक कदम क्या हैं;

(ग) अकाल के कारण खाद्यान्नों की कितनी मात्रा नष्ट हो गई;

(घ) क्या 2003-2004 की आगामी खरीफ के दौरान किसानों और उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) निकट भविष्य में खाद्यान्न की कमी होने की कोई संभावना नहीं है। तथापि, खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 18.72 प्रतिशत की क्षति होने का अनुमान है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में कोई संकेत देना जल्दबाजी होगी।

कालीकट विमानपत्तन पर प्रयोक्ता शुल्क की वसूली को बंद करना

911. श्री टी. गोविन्दन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालीकट विमानपत्तन के प्राधिकारियों को विमान यात्रियों से प्रयोक्ता शुल्क न वसूलने के निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

क्योटो संधि के अंतर्गत भारत को सहायता

912. श्री अबुल हसनत खां :
श्री मोइनुल हसन :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने क्योटो संधि के अंतर्गत स्वच्छता परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विकसित राष्ट्रों से धन प्राप्त किया है जो जलवायु परिवर्तनों को धीमा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यवार चिन्हित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन्हें लागू करने के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश का बारगी बांध

913. श्री रामानन्द सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बारगी बांध का निर्माण कार्य किस समय हुआ था,

(ख) अब तक इस बांध की दायीं नहर का निर्माण न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस नहर को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार से किसी वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इसे किस समय तक जारी किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) बार्गी बांध में मुख्य बांध, बायां तट नहर तथा दो विद्युत गृह हैं, मुख्य बांध वर्ष 1987 में पूरा हो गया था। बार्गी डायवर्सन प्रोजेक्ट के नाम से चर्चित बार्गी जलाशय से निकली दायां तट नहर के कार्य में राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना को पर्याप्त निधि उपलब्ध न करा पाने के कारण विलम्ब हुआ है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रमों के अंतर्गत फास्ट ट्रेक कार्यक्रम के तहत बार्गी डायवर्सन परियोजना अर्थात दायां तट नहर को केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया करा रही है ताकि वह शीघ्र पूरी हो सके। वर्ष 2001-2002 में फास्ट ट्रेक कार्यक्रम के तहत इस परियोजना को 98.03 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। पहली किस्त के रूप में जारी की गई धन राशि का राज्य सरकार द्वारा पहले पूरा उपयोग करने के बाद ही दूसरी किस्त जारी की जाएगी।

[अनुवाद]

जलचर पालन फार्मों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया

914. श्री सुबोध मोहिते : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जलचर पालन फार्मों की लाइसेंस प्रक्रिया को तेज करने के लिए राज्यों से निवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) लाइसेंस मुहैया कराने में देरी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस विलम्ब का समुद्री उत्पादों को निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) पांच हेक्टेयर से कम के फार्मों के संबंध में निरीक्षण विभागों/एजेंसियों की संख्या कम करके तटवर्ती क्षेत्रों में झींगा जलकृषि फार्मों की स्थापना करने के लिए स्वीकृतियों को शीघ्र देने के मसले के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित जलकृषि प्राधिकरण ने भूजल, राजस्व तथा मात्स्यिकी विभागों के लिए आवेदनों की छानबीन को प्रतिबंधित कर दिया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सलाहकारों के रिक्त पद

915. डा. बलिराम : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार खादी और ग्रामोद्योग आयोग में, "सलाहकारों" के कितने पद खाली पड़े हैं और ये किस समय से खाली पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन पदों को भरने के लिए अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और किस समय तक यह पद भर लिए जाएंगे?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग (के. वी.आई.सी.) का एक पद 25.9.2002 से रिक्त पड़ा है। सरकार ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध किया है कि वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए नामों की एक उपयुक्त सूची सुझाएं। उपयुक्त व्यक्ति के चयन उपरांत पद भरा जा सकता है, इसलिए निश्चित समयावधि नहीं दी जा सकती।

[अनुवाद]

इंडियन एयर लाइंस की जे और वाई श्रेणी में यात्रियों की संख्या

916. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इंडियन एयरलाइंस के तहत प्रतिदिन संचालित होने वाली एयरबसों की संख्या और उनके प्रारम्भिक और गंतव्य स्थलों के नाम क्या हैं;

(ख) सितम्बर, 2002 में इन उड़ानों की जे और वाई श्रेणी में यात्री संख्या क्या रही है; और

(ग) लाभकारी उड़ानों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) इंडियन एयरलाइंस के विमान बेड़े में एयरबसों की सूची तथा उन एयरबसों द्वारा इंडियन एयरलाइंस उड़ान संख्या के अंतर्गत प्रचालित रूटों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) सितम्बर, 2002 माह में जे तथा वाई श्रेणी में आक्यूपैंसी दर निम्नानुसार है :

जे	–	63.2 प्रतिशत
वाई	–	64.9 प्रतिशत

(ग) इंडियन एयरलाइंस एयरबस परिवार से ए–300 तथा ए–320 विमान प्रचालित कर रहे हैं। एयरबस के प्रचालन से नकद लाभ हो रहा है जैसे कि अधिकतर उड़ानों की प्रचालन की नकद लागत की तुलना में अधिक राजस्व की प्राप्ति। 2001–02 के दौरान, इंडियन एयरलाइंस द्वारा एयरबस विमान द्वारा प्रचालित 112 उड़ानों में से 83 उड़ानों ने नकद लाभ अर्जित किया।

विवरण

इंडियन एयरलाइंस के एयरबस बेड़े के साथ प्रचालित मार्गों को दर्शाने वाला विवरण

	इंडियन एयरलाइंस का एयरबस विमान बेड़ा	
	ए 300	ए 320
प्रचलनरत	4	32
रख–रखाव	1	4
कुल बेड़े	5	36

18 नवम्बर, 2002 के अनुसार इंडियन एयरलाइंस की अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं

क्र.सं.	रूट
1	2
1.	चेन्नई–कोलकाता–चेन्नई
2.	चेन्नई–सिंगापुर–चेन्नई
3.	दिल्ली–काठमांडू–दिलली
4.	कोलकाता–बैंकोक–कोलकाता
5.	कोलकाता–काठमांडू–कोलकाता
6.	मुंबई–कोलकाता–कोचीन–शारजाह और वापसी
7.	मुंबई–गोवा–कालीकट–शारजाह और वापसी
1.	बेंगलौर–सिंगापुर–बेंगलौर
2.	चेन्नई–कालीकट–दुबई और वापसी
3.	चेन्नई–कालीकट–दुबई और वापसी
4.	चेन्नई–कालीकट–मस्कट और वापसी
5.	चेन्नई–कोचीन–गोवा–कुवैत और वापसी
6.	चेन्नई–कोचीन–मस्कट और वापसी

1	2
7.	चेन्नई–कोयम्बटूर–कोचीन–शारजाह और वापसी
8.	चेन्नई–हैदराबाद–दुबई और वापसी
9.	चेन्नई–कुआलालम्पुर–चेन्नई
10.	चेन्नई–त्रिची–कालीकट–फुजैरा–कुवैत और वापसी
11.	चेन्नई–त्रिची–कालीकट–रस एल खैमाह–कुवैत और वापसी
12.	चेन्नई–त्रिची–त्रिवेंद्रम–शारजाह और वापसी
13.	कोचीन–कालीकट–दोहा–बहरीन और वापसी
14.	दिल्ली–अहमदाबाद–मस्कट और वापसी
15.	दिल्ली–अमृतसर–शारजाह और वापसी
16.	दिल्ली–बैंकाक–सिंगापुर और वापसी
17.	दिल्ली–लखनऊ–शारजाह और वापसी
18.	हैदराबाद–अहमदाबाद–कुवैत और वापसी
19.	हैदराबाद–अहमदाबाद–शारजाह और वापसी
20.	हैदराबाद–बंगलौर–चेन्नई–बैंकाक और वापसी
21.	हैदराबाद–बंगलौर–मस्कट और वापसी
22.	हैदराबाद–बंगलौर–शारजाह और वापसी
23.	जयपुर–दिल्ली–दुबई और वापसी
24.	कोलकाता–बैंकाक–कोलकाता
25.	कोलकाता–ढाका–कोलकाता
26.	कोलकाता–काठमांडू–कोलकाता
27.	कोलकाता–यंगून–बैंकाक–कोलकाता
28.	त्रिवेंद्रम–माले–त्रिवेंद्रम
29.	वाराणसी–काठमांडू–वाराणसी

18 नवम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार इंडियन एयरलाइंस की घरेलू सेवाएं

क्र.सं.	रूट
1	2
1.	दिल्ली–हैदराबाद–दिल्ली
2.	कोलकाता–गुवाहाटी–कोलकाता
3.	मुंबई–चेन्नई–मुंबई
4.	मुंबई–हैदराबाद–मुंबई
5.	मुंबई–कोलकाता–मुंबई
1.	बैंगलौर–मुंबई–अहमदाबाद तथा वीवी
2.	बैंगलौर–कोचीन–त्रिवेंद्रम–बैंगलौर
3.	बैंगलौर–हैदराबाद–बैंगलौर
4.	बैंगलौर–कोलकाता–बैंगलौर
5.	बैंगलोर–पुणे–गोवा–बैंगलोर
6.	चंडीगढ़–दिल्ली–मुंबई–गोवा (one way)
7.	चेन्नई–दिल्ली–चेन्नई
8.	चेन्नई–हैदराबाद–चेन्नई
9.	चेन्नई–त्रिवेंद्रम–चेन्नई
10.	दिल्ली–अहमदाबाद–दिल्ली
11.	दिल्ली–अहमदाबाद–वडोदरा–दिल्ली
12.	दिल्ली–बागडोगरा–गुवाहाटी–दिल्ली
13.	दिल्ली–बैंगलोर–दिल्ली
14.	दिल्ली–भुवनेश्वर–दिल्ली
15.	दिल्ली–गुवाहाटी–इम्फाल तथा वीवी
16.	दिल्ली–हैदराबाद–दिल्ली
17.	दिल्ली–जम्मू–श्रीनगर–दिल्ली

1	2
18.	दिल्ली–कोलकाता–दिल्ली
19.	दिल्ली–मुंबई (one way)
20.	दिल्ली–मुंबई–औरंगाबाद तथा वीवी
21.	दिल्ली–मुंबई–कोचीन
22.	दिल्ली–मुंबई–कोयम्बटूर तथा वीवी
23.	दिल्ली–मुंबई–दिल्ली
24.	दिल्ली–मुंबई–पुणे तथा वीवी
25.	दिल्ली–मुंबई–त्रिवेंद्रम एवं वीवी
26.	दिल्ली–जम्मू–श्रीनगर–दिल्ली
27.	हैदराबाद–तिरुपति–हैदराबाद
28.	कोलकाता–अगरतला–कोलकाता
29.	कोलकाता–बागडोगरा–कोलकाता
30.	कोलकाता–चेन्नई–कोलकाता
31.	कोलकाता–डिब्रूगढ़–कोलकाता
32.	कोलकाता–गुवाहाटी–कोलकाता
33.	कोलकाता–इम्फाल–कोलकाता
34.	कोलकाता–मुंबई–कोलकाता
35.	मुंबई–अहमदाबाद–मुंबई
36.	मुंबई–बैंगलोर–मुंबई
37.	मुंबई–भावनगर–मुंबई
38.	मुंबई–चेन्नई–मदुरै तथा वीवी
39.	मुंबई–चेन्नई–मुंबई
40.	मुंबई–दिल्ली–चंडीगढ़ (one way)
41.	मुंबई–दिल्ली–लखनऊ–वाराणसी तथा वीवी
42.	मुंबई–दिल्ली–पटना–रांची तथा वीवी
43.	गोवा–मुंबई–दिल्ली (one way)
44.	मुंबई–गोवा–मुंबई
45.	मुंबई–हैदराबाद–मुंबई
46.	मुंबई–जयपुर–मुंबई
47.	मुंबई–नागपुर–मुंबई
48.	मुंबई–पुट्टापर्थी–मुंबई
49.	मुंबई–रायपुर–भुवनेश्वर–मुंबई

अंतर्राष्ट्रीय हाथी मेला

917. **श्री एम. के. सुब्बा :** क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 2003 में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में एयर इंडिया के सहयोग से मनुष्य और हाथी के बीच अजीबोगरीब सहयोग दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हाथी मेले का आयोजन प्रस्तावित है;

(ख) यदि हां, तो इस मेले की मुख्य विशेषताएं क्या होंगी और इसमें केन्द्रीय व राज्य सरकार की सहभागिता कैसी रहेगी; और

(ग) इस संबंध में उठाए गए प्रस्तावित कदम क्या हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) मेले और उत्सवों का आयोजन करना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। असम सरकार ने जनवरी 2003 में, असम में हाथी उत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है।

(ख) और (ग) असम में मनुष्य हाथी के बीच द्वंद्व में हो रही वृद्धि और द्वंद्व संकल्प के लिए उपाय करने की जानकारी देने की दृष्टि से, सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी शामिल करते हुए उत्सव आयोजित किया जा रहा है। उत्सव में हमारे समाज में प्रचलित मानव–हाथी के सह–अस्तित्व की

प्राचीन परम्परा पर प्रकाश डाला जाएगा। सजे धजे हाथियों की झांकी के अलावा, उत्सव के दौरान, हाथियों को शामिल करते हुए हाथी हेरिटेज के विभिन्न आयामों की शुरूआत भी की जाएगी।

पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने इस उत्सव के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है।

प्राइवेट एयरलाइनों द्वारा नियमों का उल्लंघन

918. डा. मन्दा जगन्नाथ :
श्रीमती प्रभा राव :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संचालित प्राइवेट एयरलाइनें सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं जिसके कारण उनके विमानों से छोटी या बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं अथवा घटनाएं जिसकी सूचना विनियामक प्राधिकरण को मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन सालों में सरकार को ऐसी कितनी घटनाओं की सूचना मिली है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सहकारी योजनाओं का सुदृढ़ीकरण

919. श्री ए. नरेन्द्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सहकारी योजनाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य को वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन सालों में कर्नाटक के सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार देश में सहकारी स्कीमों को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को धन देती रही है। कुछ स्कीमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। भारत सरकार भी देश में सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) को तथा सहकारी शिक्षा के तीव्रीकरण संबंधी विशेष घटक के क्रियान्वयन हेतु भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) को 100 प्रतिशत वित्तीय अनुदान दे रही है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए अन्य अनुमोदित कार्यकलापों हेतु भारतीय सहकारी संघ को भी 20 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। सहायता राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दी जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के जरिए मुख्यतया सहकारी विकास के सुदृढ़ीकरण के लिए कर्नाटक को दी गई वित्तीय सहायता निम्नवत है :

	(करोड़ रुपये)
1999–2000	40.93
2000–2001	83.74
2001–2002	67.57
कुल	192.24

सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के लिए कर्नाटक को दी गई वित्तीय सहायता और लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	वित्तीय सहायता (लाख रु. में)	शिक्षित/प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
सहकारी शिक्षा		
1999–2000	15.80	16747

1	2	3
2000–2001	18.39	31339
2001–2002	22.92	26874
कुल	57.11	74960
सहकारी प्रशिक्षण		
1999–2000	54.00	1289
2000–2001	54.00	1362
2001–2002	55.00	1426
कुल	163.00	4077

[हिन्दी]

सेंट्रल मैनपावर एक्सपोर्ट प्रोमोशन एंड एंडियन ओवरसीज एम्पलाइज वेलफेयर फंड

920. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे लोगों को दिशानिर्देश देने के लिए "सेंट्रल मैनपावर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल एंड इंडियन ओवरसीज एम्प्लाइज वेलफेयर फंड" की स्थापना करने का है जो रोजगार के लिए विदेश जाना चाहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और उद्देश्य क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) सरकार का उत्प्रवास (संशोधन) विधेयक, 2002 को अधिनियमित करने का प्रस्ताव है जिसे सैंट्रल मैनपावर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल की स्थापना करने और इंडियन ओवरसीज वर्कर्स वेलफेयर फंड गठित करने के लिए 21.11.2002 को लोक सभा में पहले ही पेश कर दिया है। काउंसिल के कार्य उत्प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, मैनपावर सेवाओं का प्रक्षेपण; रोजगार अवसरों तथा इसमें जुड़े मामलों से संबंधित सांख्यिकी तथा सूचना एकत्र करना; रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के संबंध में सांख्यिकी तथा सूचना एकत्र करना तथा इसका रख-रखाव करना; अन्य एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसियों के साथ संपर्क; ओवरसीज रोजगार हेतु मानकों तथा दिशानिर्देशों के बारे में केन्द्र सरकार को सिफारिश करना; तथा इंडियन ओवरसीज वर्कर्स वेलफेयर फंड का प्रशासन करना होगा। प्रस्तावित इंडियन ओवरसीज वर्कर्स वेलफेयर फंड विदेशों में असहाय हो जाने वाले श्रमिकों के लिए वापसी टिकट की व्यवस्था करने हेतु दूतावासों अथवा उच्चायोगों को भुगतान करने; श्रमिकों के शवों को लाने संबंधी लागत को वहन करने; आंशिक रूप से अथवा स्थायी रूप से विकलांग हुए कर्मकारों को वित्तीय सहायता देने तथा नियमों में यथा उल्लिखित ऐसे अन्य कारणों के लिए राहत प्रदान करने जैसी आकस्मिकताओं को पूरा करेगा। लेकिन अवैध प्रवासियों को सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक में लग्जरी ट्रेन

921. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार का पर्यटन विभाग राजस्थान और महाराष्ट्र की तर्ज पर कर्नाटक में सुपर लग्जरी ट्रेन चलाने हेतु भारतीय रेलवे से समझौता करने वाला है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस ट्रेन सेवा को कब से शुरू किए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसी, कर्नाटक, राज्य पर्यटन विकास निगम (केएसडीटीसी) के माध्यम से राजस्थान और महाराष्ट्र की तर्ज पर कर्नाटक में एक सुपर लग्जरी ट्रेन चलाने हेतु भारतीय रेलवे से समझौता करने के लिए प्रस्ताव किया है। इससे राज्य में पर्यटकों के आवागमन को बढ़ावा मिलेगा।

(ग) यह सेवा शीघ्र ही शुरू करने की सम्भावना है।

वन्य जीव और वन पर्यटन

922. श्री अनन्त नायक : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में वन्य जीव और वन पर्यटन को बढ़ावा देने की बड़ी सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन क्षमता के दोहन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है और राज्य में पर्यटन ढांचे को विकसित करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए उसे केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) अधिकतर राज्यों की तरह, उड़ीसा में भी वन्यजीव एवं वन पर्यटन के संवर्धन हेतु सम्भावना है।

(ख) से (घ) पर्यटक स्थलों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों का है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। नवीं योजना के दौरान उड़ीसा में पर्यटन के विकास हेतु 12.36 करोड़ रुपयों के केंद्रीय वित्तीय घटक (सहायता) से 62 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। अब दसवीं योजना में नई योजनाओं के अधीन राज्य सरकारों के परामर्श से केवल पर्यटन परिपथों तथा गंतव्यों के एकीकृत विकास को लिया जाना है।

आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

923. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश और राज्य के अन्य आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) इनमें प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजनाएं समयानुसार चल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) सिंचाई राज्य का विषय है और वर्तमान नीति के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, तैयारी, कार्यान्वयन और वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से तथा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार ने ऐसी निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जिन्हें योजना आयोग से निवेश स्वीकृति प्राप्त हो गई है, को शीघ्र पूरा करने के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराने के वास्ते त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता पा रही आंध्र प्रदेश की वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) आमतौर पर वृहद परियोजनाओं को पूरा करने में 10 से 12 वर्ष तथा मध्यम परियोजनाओं को पूरा करने में से 5 से 7 वर्ष लगते हैं। लेकिन इन परियोजनाओं के पूरा होने में होने वाले विलम्ब का कारण भूमि अधिग्रहण समस्याएं, निधियों की कमी, वन स्वीकृति और न्यायालय में दायर मुकदमे आदि हैं।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिले (डीपीए/टीए)	नवीनतम अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)	3.2.2002 तक जारी केन्द्रीय ऋण सहायता (रु. करोड़ में)	3.2.2002 तक सृजित क्षमता (000 हेक्टे.)	किस योजना में शुरू की गई	पूरा होने का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्रीराम सागर	1. अदिलाबाद (टीए)	2425.00	219.22	323.007	III	2006–2007

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. वारांगल (टीए)					
		3. निजामाबाद					
		4. करीमनगर					
		5. नलगोंडा					
		6. खम्माम (टीए)					
2.	चेय्यरू (अन्नामाया)	कडप्पा (डीपीए)	60.45	15.33	1.214	V	2002–2003
3.	जुराला	महबूबनगर (डीपीए)	545.82	99.88	33.930	VI	2006–2007
4.	सोमसिला	नेल्लोर	467.00	44.525	20.862	V	2006–2007
5.	नागार्जुनसागर	1. प्रकाशम (डीपीए)	1135.00	26.43	863.290	II	2006–2007
		2. खम्माम (टीए)					
		3. कृष्णा					
		4. नेल्लोर					
		5. गुंटूर					
		6. नलगोंडा					
6.	मददुवालसा	विजयनगरम	95.05	41.80	2.248	V	2003–2004
7.	गुंडालवागु	खम्माम (टीए)	121.58	1.67	शून्य	V	2006–2007
8.	मेड्डी गेड्डा	पूर्व गोदावरी (टीए)	16.37	1.00	1.093	V	2006–2007
9.	कानुपुर नहर	नेल्लोर	27.58	1.92	7.077	III	2006–2007
10.	येराकालवा जलाशय	पश्चिम गोदावरी (टीए)	81.20	2.17	3.720	V	2006–2007
11.	वम्सधारा चरण II	श्रीकाकुलम (टीए)	123.136	नई स्कीम	8.100	VI	2006–2007

डीपीए – सूखा प्रवण क्षेत्र टीए – जनजातीय क्षेत्र

[हिन्दी]

आई.सी.ए.आर. के अंतर्गत अनुसंधान के कार्यों की समीक्षा

924. श्री जय प्रकाश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक अनुसंधान संस्थान के लिए आवंटित धनराशि और उनके द्वारा व्यय की गई राशि का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन संस्थानों द्वारा शुरू किए गए नए पाठ्यक्रमों

और अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ग) क्या सरकार ने इन संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा की/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) इन संस्थानों के क्रियाकलापों की समीक्षा करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पंचवर्षीय समीक्षा दल, संस्थान प्रबंध समिति, अनुसंधान सलाहकार समिति तथा स्टाफ अनुसंधान काउंसिल का गठन किया है। समितियों द्वारा इन संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/परियोजना निदेशालयों/अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं की नियमित अंतराल पर समीक्षा तथा निगरानी की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

तीन वर्षों का स्कीमवार आवंटन एवं व्यय

(रु. लाख में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना 1999–2000		वार्षिक योजना 1999–2000 2000–2001		वार्षिक योजना 1999–2000 2001–2002	
		बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बजट आकलन	अनुमानित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**फसल विज्ञान**						
क.	**पादप आनुवंशिकी संसाधन**						
1.	रा. पादप आ.सं. ब्यूरो	600.00	500.50	350.00	250.00	212.00	212.00
2.	रा.अ.के.–डीएनए फिंगर प्रिंटिंग	1500.00	172.00	150.00	117.90	88.00	88.00
	कुल (क)	750.00	672.50	500.00	367.90	300.00	300.00
ख.	**खाद्य फसलें**						
1.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	650.00	922.34	945.00	694.95	1240.00	1240.00
2.	केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान	335.00	300.25	500.00	234.40	460.00	460.00
3.	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	200.00	200.00	220.00	240.00	245.00	245.00
4.	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान	350.00	275.42	320.00	201.02	281.00	281.00
5.	एआईसीआरपी–चना	180.00	177.47	200.00	255.48	246.00	246.00
6.	एआईसीआरपी–अरहर	185.00	178.04	220.00	256.97	249.00	249.00

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	एआईसीआरपी–दलहन–मुलार्प	240.00	217.96	275.34	356.74	369.00	369.00
8.	एआईसीआरपी–शुष्क फलियां	50.00	46.76	75.00	88.10	56.00	56.00
9.	क. परियोजना निदेशालय–चावल अनुसंधान	400.00	444.79	511.02	490.97	485.00	485.00
9.	ख. एआईसीआरपी–गेहूं अनुसंधान	*	*	*	*		
10.	एनआरसी–ज्वार	125.00	138.93	140.00	98.65	205.00	205.00
11.	एआईसीआरपी–ज्वार	200.00	199.87	200.00	214.83	164.00	164.00
12.	क. परियोजना निदेशालय–चावल अनुसंधान	650.00	640.00	683.08	641.74	518.00	568.00
12.	ख. एआईसीआरपी–चावल अनुसंधान	*	*	*	*		
13.	क. परियोजना निदेशालय–मक्का अनुसंधान	350.00	328.07	342.76	410.69	543.11	543.11
13.	ख. एआईसीआरपी–मक्का अनुंसधान	*	*	*	*		
14.	एआईसीआरपी–बाजरा	140.00	150.72	140.00	180.00	186.00	
15.	एएआईसीआरपी–छोटे मोटे अनाज	135.00	89.52	100.00	142.00	262.00	262.00
16.	एआईसीआरपी–जौ	35.00	58.50				
	कुल (ख)	4525.00	3468.64	4872.20	4506.54	5509.11	5559.11
ग.	चारा फसलें						
1.	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान	120.00	151.79	155.00	165.00	366.00	336.00
2.	एआईसीआरपी–चारा फसलें	160.00	255.00	213.14	213.00	182.00	182.00
	कुल (ग)	280.00	406.79	368.14	378.00	518.00	518.00
घ.	व्यवसायिक फसलें						
1.	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	70.00	89.99	85.00	85.00	186.00	186.00
2.	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान	100.00	1011.43	140.00	230.00	369.00	369.00
3.	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान	130.00	119.86	130.00	129.93	200.00	200.00
4.	केन्द्रीय जूट एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान	175.00	95.88	170.76	207.65	200.00	200.00
5.	गन्ना प्रजनन संस्थान	220.00	200.00	210.00	199.0	190.00	190.00
6.	एआईसीआरपी–कपास	220.00	240.00	280.00	246.49	218.00	268.00

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	एआईसीआरपी–जूट	85.00	155.00	152.61	141.96	133.00	133.00
8.	एआईसीआरपी–तम्बाकू	70.00	63.41	80.00	73.00	54.00	54.00
9.	एआईसीआरपी–शर्करा फसलें	14.00	143.98	173.69	189.00	190.00	190.00
10.	एआईसीआरपी–पूर्ण रूप से प्रयोग में नहीं लाई गई फसलें	50.00	49.93	55.00	62.00	33.00	33.00
	कुल (घ)	1265.00	1259.48	1477.06	1664.93	1773.00	1823.00
ङ.	तिलहन						
1.	एनआरसी–मूंगफली	145.00	134.72	125.00	106.13	109.00	109.00
2.	एनआरसी–सोयाबीन	135.00	124.04	135.00	95.54	121.00	121.00
3.	एनआरसी–तोरिया एवं सरसों	350.00	299.80	300.00	199.78	115.00	115.00
4.	परियोजना निदेशालय–तिलहन अनुसंधान	550.00	580.00	585.00	625.97	444.00	544.00
4.	क. एआईसीआरपी–जूट	*	*	*	*	*	*
4.	ख. एआईसीआरपी–तिल और राम तिल	*	*	*	*	*	*
5.	एआईसीआरपी–मूंगफली	135.00	135.00	156.68	212.10	144.00	144.00
6.	एआईसीआरपी–तोरिया एवं सरसों	200.00	250.00	218.07	201.00	141.00	141.00
7.	एआईसीआरपी–सोयाबीन	100.00	159.35	101.20	131.00	85.00	85.00
	कुल (ङ)	1615.00	1682.91	1620.95	1571.51	1159.00	1259.00
च.	पादप संरक्षण						
1.	एनआरसी–समेकित नाशी जीव प्रबंधन	85.00	39.45	50.00	45.00	67.00	67.00
2.	क. पीडी–जैविक नियंत्रण	180.00	179.97	202.36	148.50	100.00	100.00
2.	ख. एआईसीआरपी–जैविक नियंत्रण					33.00	33.00
3.	एआईसीआरपी–मधुमक्खी	55.00	54.99	71.08	95.00	100.00	100.00
4.	नेटवर्क–मृदा आर्थोपोड्स	45.00	39.99	57.56	57.00	48.00	48.00
5.	नेटवर्क–कृषि एकोजॉली	45.00	38.55	50.00	60.80	64.00	64.00
6.	नेटवर्क–रोडैंट कंट्रोल	50.00	45.10	50.00	52.96	79.00	79.00

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	एआईसीआरपी–कृतक नियंत्रण प्रबंधन	100.00	74.14	91.45	150.97	185.00	185.00
8.	एआईसीआरपी–सूत्रकृमि	80.00	75.08	92.12	147.11	124.00	124.00
9.	नेटवर्क–आर्थिक पक्षी विज्ञान	45.00	34.98	40.00	66.00	64.00	64.00
	कुल (च)	685.00	582.25	704.57	823.34	864.00	864.00
छ.	**संकर बीज**						
1.	चयनित फसलों के संकर बीजों में अनुसंधान एवं विकास उन्नयन हेतु परियोजना	0.00	19.01	0.00	1.62	0.00	0.00
ज.	**फसल सुधार हेतु जैव प्रौद्योगिकी**						
1.	फसल विज्ञान के लिए राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र	125.00	139.09	140.00	117.08	172.00	172.00
झ.	**बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं प्रजनक बीज उत्पादन**						
1.	राष्ट्रीय बीज परियोजना	340.00	562.29	392.08	679.44	424.00	424.00
त.	**नई पहलें**						
1.	मोटे अनाज निदेशालय		0.00	110.00			
2.	राष्ट्रीय कृषि व महत्वपूर्ण पादप सूक्ष्म जीव ब्यूरो	0.00	0.00	250.00	0.00	227.00	27.00
	कुल (छ+ज+झ+त)	465.00	720.39	892.08	798.14	823.00	623.00
थ.	**बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं**						
1.	फाइटोटान सुविधा की स्थापना (भा.कृ.अ.सं.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	पादप जननद्रव्य संरक्षण एवं उपयोग पर इंडो–यू.के. सहयोग परियोजना		1.57	0.00	0.00		
3.	इंडो–अमेरिका पादप आनुवंशिक संसाधन						
4.	भा.कृ.अ. संस्थान में क्वालिटी बीज (जापान)			0.00	0.00		
5.	इंडो–इजरायल प्रदर्शन परि. (भा.कृ.अ.सं.)	115.00	97.96	0.00	0.00	4.00	4.00
	कुल (ईएपीएस)	115.00	99.53	35.00	31.2	4.00	4.00
	कुल (फसल विज्ञान)	9700.00	9792.49	10470.00	10141.59	10950.11	10950.11

1	2	3	4	5	6	7	8
II.	बागवानी						
क.	फल						
1.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	330.00	239.25	250.00	214.80	285.00	285.00
2.	केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान	180.00	90.00	160.00	110.00	160.00	200.00
3.	एनआरसी–नींबू वर्गीय	135.00	144.59	150.00	129.99	150.00	150.00
4.	एनआरसी–अंगूर	180.00	135.0	170.00	235.00	240.00	240.00
5.	एनआईसीआरपी–उष्ण कटिबंधीय फल	120.00	120.00	150.00	150.00	150.00	150.00
6.	एआईसीआरपी–उष्ण कटिबंधीय फल	90.00	90.00	110.00	110.00	110.00	110.00
7.	एआईसीआरपी–शुष्क फल	70.00	59.78	80.00	79.83	80.00	80.00
8.	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान	150.00	99.98	175.00	89.99	140.00	140.00
9.	एनआरसी–शुष्क बागवानी	145.00	139.24	170.00	199.25	190.00	190.00
10.	एनआरसी–केला	160.00	138.88	180.00	197.13	200.00	150.00
11.	एआईसीआरपी–एप्पल स्कैब	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (क)	1560.00	1257.59	1595.00	1515.99	1705.00	1695.00
ख.	सब्जियां						
1.	एनआरसी–मशरूम	120.00	83.98	100.00	94.92	100.00	115.00
2.	क. सब्जी अनुसंधान परियोजना निदेशालय	490.00	513.22	390.00	159.43	350.00	350.00
2.	ख. एआईसीआरपी सब्जी अनुसंधान	*	*	*	*	*	*
3.	सब्जी बीज परियोजना (राष्ट्रीय बीज परियोजना)	90.00	96.51	100.00	269.98	100.00	100.00
4.	एआईसीआरपी खुम्बी	50.00	35.00	55.00	55.17	55.00	55.00
5.	एनआरसी प्याज एवं लहसुन	140.00	125.00	160.00	150.00	214.08	256.08
	कुल (ख)	890.00	853.71	805.00	729.50	819.08	876.08
ग.	आलू एवं कंद फसलें						
1.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	200.00	300.00	220.00	184.78	210.00	222.00
2.	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान	220.00	225.06	150.00	124.46	150.00	150.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	100.00	85.00	115.00	130.00	115.00	115.00
4.	एआईसीआरपी–कंद फसलें	60.00	55.00	80.00	90.00	80.00	80.00
	कुल (ग)	580.00	665.06	565.00	529.24	555.00	567.00
1.	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	260.00	199.97	190.00	183.99	215.00	215.00
2.	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान	150.00	120.00	200.00	189.92	248.00	213.00
3.	एनआरसी काजू	125.00	84.79	100.00	59.98	90.00	90.00
4.	एनआरसी तेल ताड	150.00	104.21	100.00	79.74	90.00	90.00
5.	एआईसीआरपी ताड	100.00	80.35	130.00	129.54	130.00	130.00
6.	एआईसीआरपी काजू	50.00	50.00	60.00	69.92	60.00	60.00
	कुल (घ)	835.00	639.32	780.00	713.09	833.00	798.00
ङ	मसाले						
1.	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान	155.00	134.98	135.00	135.00	170.00	200.00
2.	एनआरसी–बीज मसाले	0.00	4.93	90.00	49.99	130.00	130.00
3.	एआईसीआरपी–मसाले	100.00	89.99	110.00	136.00	110.00	110.00
	कुल (ङ)	255.00	229.90	335.00	320.99	410.00	440.00
च.	**पुष्प उत्पादन, औषधीय एवं सगंधीय पौधे**						
1.	एनआरसी–आर्किड	150.00	121.69	300.00	38.41	150.00	175.00
2.	एनआरसी औषधीय एवं सगंधीय पौधे	150.00	157.00	160.00	129.97	226.20	226.20
3.	एआईसीआरपी पुष्पोत्पादन	90.00	72.01	100.00	85.07	100.00	100.00
4.	एआईसीआरपी औषधीय एवं सगंधीय पौधे	80.00	80.00	100.00	123.00	100.00	100.00
5.	एआईसीआरपी पान	50.00	64.50	80.00	90.12	80.00	80.00
	कुल (च)	520.00	495.20	740.00	466.57	656.20	681.20
छ.	**बागवानी फसलों की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी**						
1.	एआईसीआरपी बागवानी फसलों की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	60.00	65.21	80.00	85.19	80.00	80.00
	कुल (छ)	60.00	65.21	80.00	85.19	80.00	80.00

1	2	3	4	5	6	7	8
ज.	नई पहलें						
1	एनआरसी–मखाना	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00
2.	एनआरसी–लीची	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	116.00
3.	एनआरसी–अनार	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5.00
4	उ.पू. क्षेत्र के लिए बागवानी पर प्रौद्योगिकी मिशन	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
	कुल (बा.)					225.00	146.00
	कुल (बागवानी)	4700.00	4205.99	4900.000	4360.57	5283.28	5283.28
III.	प्राकृतिक संसाधन प्रबंध						
क.	प्राकृतिक संसाधन प्रबंध						
1.	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	300.00	299.89	256.00	346.28	335.00	335.00
	कुल (क)	300.00	299.89	256.00	346.28	335.00	335.00
ख.	मृदा प्रबंध						
1.	केन्द्रीय मृदा एवं जल सरंक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	216.00	195.96	273.00	201.12	300.00	300.00
2.	एआईसीआरपी–भारतीय टिल्लेज मृदा प्रबंध	91.00	89.47	120.00	100.32	120.00	120.00
	कुल (ख)	307.00	285.43	393.00	301.44	420.00	420.00
ग.	पोषण प्रबंध						
1.	भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान	163.00	199.03	150.00	133.52	180.00	180.00
2.	एआईसीआरपी सूक्ष्म गौण पोषण तत्व	120.00	119.28	145.00	119.92	130.00	130.00
3.	एआईसीआरपी जैविक नाइट्रोजन निर्धारण	70.00	80.67	80.00	52.79	60.00	60.00
4.	एआईसीआरपी सूक्ष्म जैविक अपघटन	60.00	60.26	70.00	71.13	75.00	75.00
5.	एआईसीआरपी मृदा परीक्षण फसल अनुक्रिया	135.00	131.28	150.00	150.64	160.00	160.00
6.	एआईसीआरपी दीर्घकालीन उर्वरक परीक्षण	60.00	57.58	70.00	71.49	75.00	75.00
	कुल (ग)	608.00	628.10	665.00	599.49	680.00	680.00

1	2	3	4	5	6	7	8
घ. जल प्रबंध							
1.	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान	111.00	89.97	138.00	138.00	190.00	190.00
2.	पूर्वी क्षेत्र के लिए जल प्रौद्योगिकी केन्द्र	174.00	129.93	220.00	199.97	180.00	180.00
3.	क. परियोजना निदेशालय जल प्रबंध अनुसंधान	147.00	139.27	125.00	99.64	90.00	90.00
3.	ख. एआईसीआरपी जल प्रबंध अनुसंधान	300.00	349.98	316.00	339.98	400.00	400.00
4.	एआईसीआरपी लवणता प्रभावित मृदा एवं खारा जल उपयोग प्रबंध	120.00	120.00	125.00	125.26	130.00	130.00
5.	एआईसीआरपी कुओं द्वारा भूमिगत जल का अधिकतम उपयोग	60.00	30.01	75.00	60.18	65.00	65.00
6.	एआईसीआरपी दियारा भूमि सुधार प्रबंध	40.00	19.98	42.00	31.99	35.00	35.00
	कुल (घ)	952.00	879.14	1041.00	995.02	1090.00	1090.00
ङ. फसल प्रणाली अनुसंधान							
1.	केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान	121.00	121.00	85.00	125.99	118.00	118.00
2.	केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	170.00	175.00	175.00	125.00	220.00	220.00
3.	क. फसल प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय	268.00	82.50	148.00	82.77	250.00	250.00
3.	ख. एआईसीआरपी–फसल प्रणाली अनुसंधान	450.00	514.52	500.00	500.00	500.00	500.00
4.	एनआरसी–खरपतवार विज्ञान	168.00	148.23	102.00	101.95	138.00	138.00
5.	एआईसीआरपी–खरपतवार नियंत्रण	150.00	165.00	210.00	159.29	180.00	180.00
6.	एआईसीआरपी–कृषि मौसम विज्ञान	120.00	115.00	130.00	150.00	160.00	160.00
7.	एआईसीआरपी–बारानी कृषि	350.00	339.00	360.00	410.00	450.00	450.00
8.	एनआरसी–कृषि वानिकी	206.00	173.00	178.00	108.00	160.00	160.00
9.	एआईसीआरपी–कृषि वानिकी	230.00	192.00	198.00	252.00	210.00	210.00
10.	आईसीएआर अनुसंधान परिसर, गोवा	100.00	72.80	80.00	78.39	115.00	115.00
11.	एआईसीआरपी अनुसंधान परिसर उ.पू.प. क्षेत्र के लिए	400.00	302.09	445.00	319.82	499.40	499.40
	कुल (ङ)	2733.00	2400.14	2611.00	2413.21	3000.40	3000.40

1	2	3	4	5	6	7	8
च.	**नई पहलें**						
1.	पूर्वी क्षेत्र के लिए भाकृअप परिसर	100.00	0.00	234.00	14.00	474.60	474.60
	कुल (च)	100.00	0.00	234.00	14.00	474.60	474.60
	कुल (प्राकृतिक संसाधन प्रबंध)	500.00	4492.70	5200.00	4669.44	6000.00	6000.00
IV.	**कृषि अभियांत्रिकी**						
क.	**कृषि उपकरण एवं मशीनरी**						
1.	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान	345.00	259.60	330.00	213.94	292.00	292.00
2.	एआईसीआरपी–पावर टिलर	75.00	62.00	70.00	54.69	0.00	0.00
3.	एआईसीआरपी–कृषि उपकरण मशीनरी	310.00	284.00	300.00	239.55	230.00	230.00
4.	एआईसीआरपी–कृषि अभियांत्रिकी तथा सुरक्षा अध्ययन	70.00	43.98	65.00	45.20	120.00	120.00
	कुल (क)	800.00	649.58	765.00	553.38	642.00	642.00
ख.	**फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी**						
1.	केन्द्रीय कटाई के बाद की अभि. और प्रौद्योगिकी संस्थान	340.00	180.48	320.'00	244.53	419.99	419.99
2.	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	210.00	214.86	200.00	184.89	200.00	200.00
3.	भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान	120.00	82.92	115.00	85.19	105.00	105.00
4.	राष्ट्रीय जूट एवं संबद्ध रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	143.00	87.64	138.00	157.79	136.00	136.00
5.	एआईसीआरपी–कृषि में प्लास्टिक का उपयोग	50.00	44.00	50.00	38.07	37.00	37.00
6.	एआईसीआरपी–गुड़ तथा खांडसारी	45.00	25.12	40.00	32.94	40.00	40.00
7.	एआईसीआरपी–फसल कटाई तथा कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	310.00	230.15	290.00	269.99	250.00	250.00
	कुल (ख)	1218.00	865.17	1153.00	1013.40	1187.99	1187.99
ग.	**कृषि में ऊर्जा प्रबंध**						
1.	एआईसीआरपी–नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत	170.00	226.50	160.00	166.91	162.00	162.00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	एआईसीआरपी–कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की मांग	135.00	100.90	130.00	100.60	120.00	120.00
3.	एआईसीआरपी–पशु ऊर्जा का उपयोग	80.00	72.00	75.00	75.00	80.00	80.00
	कुल (ग)	385.00	399.40	365.00	342.51	362.00	362.00
घ.	**जल निकासी अभियांत्रिकी**						
1.	एआईसीआरपी–कृषि निकासी	80.00	69.62	70.00	56.29	65.00	65.00
	कुल (घ)	80.00	69.62	70.00	56.29	65.00	65.00
ङ.	**नई पहलें**						
	कुशल भूमि और जल प्रबंधन के लिए अभियांत्रिकी मापदंड	10.00	0.00	40.00	0.00	55.00	55.00
	कुल (ङ)					55.00	55.00
च.	**बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं**						
1.	आरएनएएम चरण–VI	7.00	0.00	7.00	0.00	8.00	8.00
2.	इंडो–सार्क स्टेंड एलोन फ्यूल सैल						
	कुल (च)	7.00	0.00	7.00	0.00	8.00	8.00
	कुल (कृषि इंजीनियरिंग)	2500.00	1983.77	2400.00	1965.58	2319.99	2319.99
V.	**पशु विज्ञान**						
क.	**पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो**						
1.	राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	220.00	12994	220.00	87.67	210.00	80.00
2.	नेटवर्क–पशु आनुवंशिक संसाधन	90.00	69.56	125.00	127.39	100.00	150.00
	कुल (क)	310.00	199.50	345.00	215.06	310.00	230.00
ख.	**पशुधन सुधार**						
1.	राष्ट्रीय डेयरी अनसुंधान संस्थान (पशु उत्पादन में एनआरसी जैव प्रौद्योगिकी सहित)	580.00	343.91	600.00	592.39	575.00	600.00
2.	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान	264.00	141.72	275.00	210.60	250.00	300.00
3	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान	255.00	255.00	250.00	247.31	175.00	225.00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान	240.00	281.61	250.00	219.80	190.00	220.00
5.	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान	230.00	165.49	250.00	200.00	190.00	210.00
6.	राष्ट्रीय पशु पोषण एवं कायिकी संस्थान	370.00	199.94	300.00	278.53	390.00	390.00
7.	एनआरसी जैव प्रौद्योकिी (राडेअसं का भाग)						
8.	एनआरसी ऊंट	135.00	144.99	150.00	126.00	150.00	120.00
9.	एनआरसी याक	170.00	170.00	200.00	181.91	255.00	250.00
10.	एनआरसी–मिथुन	165.00	164.94	200.00	195.34	420.00	420.00
11.	एनआरसी–अश्व	155.00	210.81	175.00	168.96	130.00	130.00
12.	क. प्रा.नि.–मुर्गीपालन अनुसंधान	200.00	177.55	200.00	146.42	120.00	120.00
12.	ख. एआईसीआरपी–मुर्गीपालन अनुसंधान	130.00	130.00	150.00	150.06	150.00	150.00
13.	क. प्रा.नि.–मवेशी अनुसंधान	250.00	216.61	300.00	271.97	325.00	300.00
13.	ख. एआईसीआरपी–मवेशी अनुसंधान	*	*	*			
14.	एआईसीआरपी–भेड़	58.00	52.74	60.00	56.52	65.00	65.00
15.	एआईसीआरपी–बकरी	55.00	3.49	75.00	75.25	80.00	60.00
16.	एआईसीआरपी–भैंस	67.00	59.84	70.00	56.04	300.00	520.00
17.	एआईसीआरपी–सूअर–एनआरसी–सुअर सहित	150.00	88.80	200.00	131.97	200.00	100.00
18.	एआईसीआरपी–कृषि उप उत्पाद	64.00	54.66	70.00	50.71	110.00	100.00
19.	नेटवर्क–सूक्ष्म पोषण	90.00	25.18	80.00	50.49	55.00	45.00
20.	नेटवर्क–भ्रूण स्थानांतरण	130.00	65.60	100.00	78.67	165.00	155.00
21.	नेटवर्क–फसल आधारित प.उ. प्रणाली	35.00	40.00	40.00	56.84	55.00	45.00
	कुल (ख)	3793.00	2992.88	3995.00	3545.78	4350.00	4525.00
ग.	**पशु उत्पादन प्रौद्योगिकी**						
1.	एनआरसी–मांस उत्पादन प्रौद्योगिकी	100.00	3.20	100.00	21.39	150.00	50.00
2.	औद्योगिक उपयोग के लिए स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को प्रसंस्करण उन्नयन के लिए अनुसंधान एवं विकास सहायता	70.00	17.09	70.00	21.66	150.00	10.00
	कुल (ग)	170.00	20.29	170.00	43.05	300.00	60.00

1	2	3	4	5	6	7	8
घ. पशु स्वास्थ्य							
1.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान	680.00	725.03	700.00	741.14	550.00	600.00
2.	एआईसीआरपी–रोग की निगरानी एवं सतर्कता	110.00	57.94	250.00	73.43	240.00	160.00
3.	एआईसीआरपी–रक्त प्रोटेस्टा	52.00	0.00	60.00	93.60	80.00	80.00
4.	एआईसीआरपी–खुरपका एवं मुंहपका रोग	135.00	40.26	80.00	140.19	95.00	95.00
5.	एनआरसी–जैव प्रौद्योगिकी भापचिअसं का अंश		156.33	180.00			250.00
6.	उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला					125.00	
	कुल (घ)	977.00	979.56	1270.00	1048.36	1090.00	1185.00
ङ. नई पहलें							
	रूमैन डाइनेमिक्स पर नेटवर्क	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
1.	हैमोरेजिक स्पटीकीमिया पर नेटवर्क	50.00	0.00	40.00	23.06	60.00	60.00
2.	अमाशय परजीवियों पर एआईसीआरपी	60.00	0.00	40.00	36.75	55.00	55.00
3.	नीली जीभ रोग पर नेटवर्क (बीटी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
4.	एनआरसी–सुकर साथ ही एआईसीआरपी–सुकर						
	कुल (ङ)	150.00	0.00	120.00	59.81	190.00	240.00
च. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं							
1.	इंडो–यूओके आण्विक जैविक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (च)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (पशु विज्ञान)	5400.00	4192.23	5900.00	4912.06	6240.00	6240.00
VI. मात्स्यिकी							
क. प्रग्रहण मात्स्यिकी							
1.	केन्द्रीय समुद्रीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	400.00	346.00	450.00	407.00	326.88	326.88
2.	केन्द्रीय अंतःस्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	250.00	249.10	415.00	367.94	213.68	213.68
	कुल (क)	650.00	595.10	865.00	774.94	540.56	540.56

1	2	3	4	5	6	7	8
ख.	**मछली पालन**						
1.	केन्द्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान	215.00	354.95	203.00	261.35	241.41	241.41
2.	केन्द्रीय खारा जल जीव पालन संस्थान	350.00	268.56	275.00	118.48	259.15	259.15
3.	एनआरसी–ठंडा जल मात्स्यिकी	140.00	104.85	181.00	149.29	259.15	259.15
4.	जैविक अपशिष्टों के जल जीवों हेतु संसाधन एवं उपयोग पर ओआरपी	20.00	21.31	20.00	14.07	8.55	8.55
	कुल (ख)	725.00	749.67	679.00	543.19	768.26	768.26
ग.	**मछली एवं मछली संसाधन प्रौद्योगिकी**						
1.	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	550.00	169.59	502.00	324.00	437.80	437.80
घ.	**मछली आनुवंशिक संसाधन**						
1.	राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	325.00	224.74	251.00	243.82	154.94	154.94
ङ.	**मत्स्य शिक्षा**						
1.	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	550.00	370.00	553.00	488.34	715.50	715.50
च.	**बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं**						
1.	सिवास प्रजनन व संवर्धन पर भारत–फ्रांस प्रस्ताव	0.00	0.00	50.00	47.66	120.94	120.94
	कुल (मात्स्यिकी)	2800.00	2109.10	2900.00	2421.95	2738.00	2738.00
VII.	**कृषि सांख्यिकी एवं आर्थिकी**						
1.	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान	141.00	104.43	150.00	29.23	156.00	156.00
2.	एनआरसी–कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान	259.00	185.23	250.00	64.87	210.00	210.00
	बाह्य सहायता प्राप्त प्रायोजनाएं						
1.	अनुसंधान तथा विकास में स्थिर बारानी कृषि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (कृषि, सांख्यिकी एवं आर्थिकी)	400.00	289.66	400.00	94.10	366.00	366.00
VIII.	**कृषि विस्तार**						
क.	**समेकित कार्यवाही के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण**						
1.	समेकित कृषि विज्ञान केन्द्र	4825.00	5038.73	5773.57	6123.63	6676.84	6676.84

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	एनआरसी–कृषि में महिलाएं	175.00	73.27	226.43	84.76	273.72	273.72
ख.	**नई पहलें**				0.00		
1.	संस्थान ग्राम सम्पर्क कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
2.	प्रौद्योगिकी मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन प्रायोजनाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	1986.74	1986.74
	कुल (कृषि विस्तार)	5000.00	5112.00	6000.00	6208.39	8987.30	8997.30
IX.	**कृषि शिक्षा**						
क.	**कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण**						
1.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी	200.00	137.69	160.00	122.78	200.00	200.00
2.	राज्य कृषि विश्वविद्यालय का विकास एवं सुदृढ़ीकरण	2710.00	4403.68	2350.00	3389.74	1200.00	1200.00
3.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय की कृषि शिक्षा का विकास एवं सुदृढ़ीकरण	100.00	0.00	75.00	0.00	100.00	100.00
4.	समतुल्य विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	160.00	110.10	130.00	179.98	130.00	130.00
5.	राकृविवि तथा मानद विवि में उच्च अध्ययन केन्द्रों की स्थापना	300.00	210.02	300.00	184.02	200.00	200.00
6.	एआईसीआरपी–गृह विज्ञान	210.00	263.19	225.00	319.32	160.00	160.00
ख.	**केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय**	1200.00	1250.00	1750.00	1995.00	1700.00	1700.00
ग.	**व्यावसायिक उत्कृष्टता को मान्यता**						
1.	श्रेष्ठ अध्यापक पुरस्कार	10.00	2.00	10.00	0.70	15.00	15.00
घ.	**व्यावसायिक संसाधन उपयोग**						
1.	विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों का निर्माण	10.00	0.43	10.00	0.80	4.00	4.00
2.	प्रतिष्ठित वैज्ञानिक स्कीमें	40.00	0.58	40.00	59.77	60.00	60.00
ङ.	**नई पहलें**						
1.	जम्मू में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना	300.00	0.00	250.00	0.00	300.00	300.00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आम विश्वविद्यालय से संबंधित कृषि महाविद्यालय द्वारा पूर्व स्नातक शिक्षा का विकास और उसका सुदृढ़ीकरण	50.00	0.00	100.00	0.00	120.00 0.00	120.00 0.00
3.	ग्रामीण जागरूकता कार्य अनुभव कार्यक्रम	110.00	0.00	100.00	126.76	122.00	122.00
4.	प्रत्यायन बोर्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	राष्ट्रीय प्रतिभा	0.00				0.00	0.00
6.	शिक्षा माध्यम केन्द्र (अनुमोदित नहीं)	100.00		0.00		0.00	0.00
7.	एक-मुश्त कैचअप अनुदान	0.00	0.00	1500.00	0.00	4379.44	4379.44
	कुल (कृषि शिक्षा)	5500.00	6377.69	7000.00	6378.87	8690.44	8690.44
X.	**प्रबंधन एवं सूचना सेवाएं**						
1.	सिविल कार्य						
	क. राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र	2700.00	812.24	500.00	150.00	370.00	370.00
	ख. कृषि अनुसंधान भवन चरण-II	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	ग. भूमि एवं डीडब्ल्यूएमआर, पटना	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	प्रकाशन एवं सूचना	150.00	69.99	150.00	69.80	40.00	40.00
3.	भकृअप मुख्यालय						
	क. कार्यालय स्थान एवं सुविधाओं का आधुनिकीकरण	60.00	27.17	80.00	32.74	252.60	252.60
	ख. भाकृअप पुस्तकालय	30.00	0.00	30.00	14.57	16.00	16.00
	ग. प्रचार एवं जन सम्पर्क	30.00	2.92	20.00	38.86	11.00	11.00
	घ. कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल	15.00	0.00	15.00	1.18	12.00	12.00
	ङ. इंटैलैक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स आईपीआर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	च. भाकृअप मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण	50.00	9.98	60.00	2.40	0.00	0.00
4.	कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल	50.00	3.24	50.00	16.12	20.00	20.00
5.	व्यावसायिक वैज्ञानिकों की सहायता जिसमें एनएएएस भी शामिल है	100.00	134.583	185.00	156.35	83.00	83.00

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	50.00	28.30	60.00	30.17	54.00	54.00
7.	मार्गस्थ परियोजनाएं	615.00	0.00	1335.00	0.00	911.87	911.87
	कुल (एमआईएस)	3850.00	1113.73	2485.00	512.19	1770.47	1770.47
XI.	**मिनी मिशन**	0.00	0.00	500.00	0.00	450.00	450.00
XII.	**एकमुश्त कैच अप अनुदान**						
XIII.	**विश्व बैंक एवं अन्य विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं**						
1.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रायोजना (एनएटीपी)	11300.00	8900.00	13400.00	12841.00	13722.41	13722.41
2.	राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास (विश्व बैंक)	1000.00	1109.99	1200.00	297.78	783.00	783.00
3.	जल निकासी प्रबंध पर इंडो–डच ओआरपी	200.00	118.16	200.00	145.40	99.00	99.00
4.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना (एनएआरपी–II)	0.00					
5.	अन्य बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं	0.00	49.18	0.00	0.00		
	कुल (विश्व बैंक एवं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं)	12500.00	10177.33	14800.00	13284.18	14604.41	14604.41
	कुल योग	57350.00	49846.69	62955.00	54948.92	68400.00	68400.00

विवरण-II

देश में कृषि शिक्षा के पाठ्यक्रम में एकरूपता लाने तथा नए/अग्रणी क्षेत्रों सहित इसके आधुनिकीकरण करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान तथा केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान जैसे मान्य विश्वविद्यालयों और एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान होने के अतिरिक्त अनुसंधान का संचालन एवं विस्तार कार्यकलाप भी कर रहे हैं। कृषि शिक्षा स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर और डॉक्टरेट की उपाधि स्तर पर दी जाती है। कृषि शिक्षा पद्धति के अंतर्गत चलाई जाने वाली अन्य योजनाएं हैं–सर्वोत्तम अध्यापक पुरस्कार, प्रत्यायन बोर्ड, सेवामुक्त वैज्ञानिक योजनाएं, विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकें तैयार करना और उच्च अध्ययन केन्द्रों की स्थापना तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा को सुदृढ़ बनाना।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चलाई जा रही तथा नई शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं का उल्लेख वित्तीय विवरण सहित अनुबंध–I में पहले ही दिया गया है, तथापि प्राथमिकताओं और लक्ष्यों का विवरण निम्नलिखित है :

उत्पादकता और लाभकारिता बढ़ाने के प्रयोजन से कृषि पद्धति की स्थिरता तथा टिकाऊपन नौवीं योजना में भा.कृ.अ.प. का उद्देश्य है ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ी के प्रत्येक वर्ग में जीवन स्तर को सुधारा जा सके। नौवीं योजना में भारतीय कृषि में सदाबहार क्रांति की मजबूत बुनियाद रखने के लिए निम्नलिखित मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया :

- संरक्षण, नियोजित वृद्धि तथा कृषि जैव–विविधता का उपयोग करना।
- अधिक उपजशील संकरों और किस्मों का मूल्यांकन करने के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करना।
- विविधता, गुणवत्ता सुधार, फसल कटाई के बाद की

प्रौद्योगिकी, मूल्यवर्धन और निर्यातोन्मुख जिंसों पर अनुसंधान करना।

- सिंचित कृषि की उत्पादकता में स्थिर वृद्धि करना तथा विवेकपूर्ण विकास करना और ऊर्जा में भी विशेषकर ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करना।
- अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बारानी कृषि के लिए टिकाऊ भूमि–नियोजन मॉडलों का लक्षण–वर्णन करना और विकास करना।
- टिकाऊ कृषि के लिए समेकित नाशीजीव प्रबंधन और समेकित पोषकतत्व प्रबंध प्रणाली के दृष्टिकोणों और प्रणालियों का विकास करना।
- सम्बद्ध मूलभूत और रणनीति संबंधी अनुसंधान में प्रोत्साहन विशिष्टता।
- क्षेत्रों तथा समाज और लिंग के वर्गों के बीच निष्पक्षता को प्रोत्साहन देने के लिए विकसित अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को अनुकूल बनाना।
- देश में कृषि शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना।
- अनुसंधान के समेकन, प्रौद्योगिकी उत्पादन, मूल्यांकन तथा परिष्करण और क्षेत्र विशेष में प्रसार करना तथा खाद्य सुरक्षा, निर्धनता को कम करना, ग्रामीण विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संयोजन करने के लिए उत्पादन प्रणाली मोड को बढ़ावा देना।
- समाज विज्ञान, नीति नियोजन, कृषि व्यवसाय, अनुसंधान मॉनीटरिंग प्रक्रियाओं, प्रशासनिक एवं कार्मिक सुधारों, प्रकाशन एवं सूचना प्रसार प्रणाली, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए महिलाओं के सुग्राहीकरण। और सबलीकरण को सुदृढ़ करना।

[अनुवाद]

खाड़ी क्षेत्र के लिए
अधिक क्षमता

925. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने शीत ऋतु के लिए खाड़ी क्षेत्र में विमान सेवाओं की क्षमता में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाड़ी में ऐसा करने से घरेलू सेवाएं प्रभावित होंगी;

(ग) क्या इसके लिए इंडियन एयरलाइंस को नए विमानों की आवश्यकता है; और

(घ) शुरू की गई नई विमान सेवाओं का ब्यौरा क्या है और इंडियन एयरलाइंस के लिए ऐसी अतिरेक क्षमता के स्रोत क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

वित्तीय उपायों के माध्यम से पर्यावरण
अनुकूल ईंधनों को बढ़ावा देने
संबंधी रिपोर्ट

926. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्यावरण प्रदूषण (निवारक और नियंत्रण) प्राधिकरण से "वित्तीय उपायों के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल ईंधन को बढ़ावा देने" संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशों की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों और इन पर आगे की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी सिफारिशों को स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(i) भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकार्य ईंधनों और प्रतिस्पर्धी परम्परागत ईंधनों के संबंध में उच्च मूल्य की प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक वित्तीय नीति तैयार की जानी चाहिए।

(ii) कर नीति इस ढंग से तैयार की जानी चाहिए जिससे कि सीएनजी और डीजल के बीच एक उपयुक्त और प्रभावी मूल्य विभेद रखा जा सके।

(iii) सरकार द्वारा कतिपय अवधि के लिए सीएनजी पर एक टैक्स ब्रेक दिया जाना चाहिए। तदुपरांत, विभेदीय कर प्रणाली आरम्भ की जानी चाहिए।

(iv) सरकार द्वारा पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकार्य तथा परम्परागत ईंधनों के बीच महत्वपूर्ण विभेद बनाए रखने के लिए आर्थिक साधनों का प्रयोग करते हुए सीएनजी जैसे परिवहन सैक्टर के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकार्य ईंधनों को बढ़ावा देने हेतु तत्काल एक नीति बनाई जानी चाहिए।

(ग) से (ङ) सिफारिशों पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

आंध्र प्रदेश में खुरपका-मुंहपका रोग

927. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि आंध्र प्रदेश में जानवरों में खुरपका–मुंहपका रोग तेजी से लगातार फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या से निपटने हेतु पर्याप्त धनराशि और विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं कराई जा रही है;

(ग) चालू वर्ष में इस समस्या से निपटने हेतु सरकार की क्या योजना है;

(घ) क्या राज्य में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने हेतु किसी दल को भेजा गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, राज्य के कुछ क्षेत्रों में खुरपका और मुंहपका रोग प्रचलित है।

(ख) इस समस्या से निपटने के लिए राजसहायता प्राप्त टीकाकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाती है तथा राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक विशेषज्ञता उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार का चालू वर्ष के दौरान खुरपका और मुंहपका रोग के विरुद्ध 2,77,500 पशुओं को टीके लगाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2002–2003 के दौरान राज्य सरकार की 4.56 लाख रुपये की आवश्यकता को खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण के लिए केन्द्रीय अनुदान के रूप में पहले ही जारी कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। क्षेत्रीय खुरपका और मुंहपका रोग प्रयोगशाला, हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने स्थानीय तथा जिला स्तर के अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है तथा खुरपका और मुंहपका रोग के प्रभावी नियंत्रण के लिए कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

बी.टी. काटन के उपयोग से हानि

928. श्री चन्द्रकान्त खैरे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात सहित सभी दक्षिण राज्यों के किसानों को बी.टी. काटन के उपयोग से हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे भूमि की उर्वरता में कमी आ रही है और फसलों तथा पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना

929. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित वस्तुओं को लाइसेंस मुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) और (ख) अल्कोहलयुक्त पेय और लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता को पहले ही समाप्त कर दिया है।

बी. टी. काटन का उपयोग

930. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैनेटिक इंजीनियरी की सहायता से विकसित संकर बी.टी. काटन को परम्परागत नरमा कपास का सुरक्षित विकल्प समझा जा रहा है;

(ख) क्या अनुसंधान से यह साबित हो गया है कि किसान कीटनाशकों के कम उपयोग से बी.टी. कॉटन के माध्यम से अपनी फसल की उत्पादकता 1/3 बढ़ा सकते हैं;

(ग) क्या सरकार ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बी.टी. कॉटन के उत्पादन की स्वीकृति नहीं दी है जबकि वर्ष 2002–2003 के खरीफ मौसम के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बी.टी. कॉटन में उत्पादन के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के किसानों को कब तक बी.टी. कॉटन के उपयोग की अनुमति दे दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत अनुवांशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति (जीईएसी) ने अब तक तीन बी.टी. कपास संकरों को पर्यावरण की दृष्टि से जारी करने का अनुमोदन किया है। ये संकर किस्में देश के मध्य तथा दक्षिणी भाग में खेती के लिए अनुकूल हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार कार्यक्रम में बी.टी. कपास की उक्त तीन किस्मों ने बीजों की उपज में क्रमशः 61 प्रतिशत, 47 प्रतिशत तथा 51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में इन बी.टी. कपास संकर किस्मों ने गैर बी.टी. किस्मों की तुलना में कपास बीजों की पैदावार में 100 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। कपास की पारम्परिक 'बीकानेरी नर्म" किस्म उत्तर भारत की किस्म है।

आनुवंशिक इंजीनियरी अनुमोदिन समिति द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को खरीफ 2002–2003 के दौरान बी.टी. कपास संकर की राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब के लिए उपयुक्त किस्मों के कृषि शस्य मूल्यांकन हेतु परीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। इन परीक्षणों में बी.टी. संकरों के कार्य निष्पादन के आधार पर आनुवंशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति द्वारा बी.टी. कपास की संकर किस्मों को जारी करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

विमान से माल ढुलाई सेवा

931. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फलों, सब्जियों, अंगूरों आदि के निर्यात को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नासिक शहर

(महाराष्ट्र राज्य) से विमान से माल ढुलाई सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है यह सुविधा मुम्बई एयरपोर्ट से मिल सकती है जो कि नासिक के निकट है।

तथापि, सभी प्रचालक यातायात मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान कार्गो सेवा आरम्भ करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विदेशी पर्यटकों के आगमन में कमी

932. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 नवम्बर, 2002 के "नवभारत टाइम्स" में "अब पूर्व के पर्यटकों के लिए बाहें पसारेगा भारत" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी देशों से पर्यटकों के आगमन में कमी के क्या कारण हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी कमी आई है और इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा पूर्वी देशों से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटकों के आगमन में आई कमी के कई कारण हैं, जिनमें सम्पूर्ण विश्व में आर्थिक मंदी का दौर, यू.एस.ए. में 11 सितम्बर को घटी घटना, अफगानिस्तान में युद्ध, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, भारत–पाक सीमा पर तनाव एवं कई विदेशी सरकारों द्वारा जारी किए गए यात्रा परामर्श शामिल हैं।

वर्ष 2000 में पर्यटक आगमन में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। उपुर्यक्त दर्शाए गए तथ्यों के कारण, वर्ष 2001 में इसमें 4.2 प्रतिशत की कमी आई। तथापि, विदेशी मुद्रा आय में 0.7 प्रतिशत की आंशिक वृद्धि हुई। जनवरी–अक्तूबर, 2002 की समयावधि के दौरान, पर्यटन आगमन में 11.8 प्रतिशत की कमी आई। तथापि, गत वर्ष के इसी माह की तुलना में, इस वर्ष अक्तूबर में पर्यटक आगमन में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि भरपाई का सकारात्मक संकेत है।

(ग) सरकार ने प्रमुख पर्यटक सृजक बाजारों में, जिनमें पूर्वी देश शामिल हैं, भारतीय पर्यटन उत्पादों के संवर्धन के लिए एक आक्रामक योजना तैयार की है। यह योजना पुनः आश्वासन अभियान, प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापन देने, मेले और प्रदर्शनियों में भाग लेने, कार्यशालाएं और सेमीनार आयोजित करने, वेब मार्केटिंग, ब्रोशरों और सीडी रोमों आदि के माध्यम से सूचना का प्रचार–प्रसार करने पर बल देने पर संकेंद्रित है।

[अनुवाद]

सतत विकास संबंधी विश्व शिखर सम्मेलन के लिए प्रतिनिधिमंडल

933. श्री सईदुज्जमा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जोहांसबर्ग में आयोजित विश्व शिखर सम्मेलन में देश से बड़ी संख्या में अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गैर–सरकारी संगठनों के वित्त पोषण के स्रोत क्या हैं;

(ग) क्या भारत के अधिकारियों, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य निजी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बीच कोई समन्वय था; और

(घ) यदि हां, तो कितना समन्वय था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हेतु गैर–सरकारी संगठनों सहित सरकारी भारतीय प्रतिनिधिमंडल

के सदस्यों के नामों की सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है। सतत विकास से संबंधित विश्व शिखर सम्मेलन (डब्ल्यू एस एस डी) के दौरान भारत के प्रतिनिधिमंडल की सहायता करने के लिए सरकारी भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के अतिरिक्त कई राजनयिकों और अन्य अधिकारियों विवरण–II की सेवाओं का उपयोग भी किया गया। गैर–सरकारी संगठनों सहित प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों की वित्त व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की गई थी।

(ग) और (घ) शिखर सम्मेलन के दौरान वार्ताधीन सभी मुद्दों पर गैर–सरकारी संगठनों के साथ वार्ताएं की गईं। इस निकट वार्ताओं से प्रतिनिधिमंडल को विभिन्न क्षेत्र पार (क्रॉस–सेक्टोरल) मुद्दों के संबंध में भारत की स्थिति के समन्वयन में मदद मिली।

विवरण-I

सतत विकास संबंधी विश्व शिखर सम्मेलन हेतु भारत के प्रतिनिधिमंडल के सरकारी सदस्यों की सूची

महामहिम श्री टी. आर. बालू, पर्यावरण एवं वन मंत्री, प्रतिनिधिमंडल के नेता 26–31 अगस्त, 2002

महामहिम श्री यशवंत सिन्हा, विदेश मंत्री, प्रतिनिधिमंडल के नेता 1–4 सितम्बर, 2002

श्री लक्षमण सिंह, संसद सदस्य

श्री विक्रम केशरी देव, संसद सदस्य

श्री मोहन धारिया, अध्यक्ष वनराई, पुणे (गैर–सरकारी संगठन)

डा. दिग्विजय सिंह, पूर्व पर्यावरण एवं वन उप मंत्री (गैर–सरकारी)

श्री पी. वी. जयकृष्णन, सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

श्री के. सिब्बल, विदेश सचिव

श्री विजय नांबियार, विशेष एवं पूर्णाधिकारी राजदूत, संयुक्त राष्ट्र के स्थाई प्रतिनिधि

डा. प्रदीप्तो घोष, अपर सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय

*श्री ए. गोपीनाथन, स्थाई उप प्रतिनिधि, पीएमआई, न्यूयार्क

सुश्री दीपा गोपालन वधवा, संयुक्त सचिव, (यूएनईएस), विदेश मंत्रालय

श्री राजीव खेर, संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

श्री एस. वेलूमणि, पर्यावरण एवं वन मंत्री के निजी सचिव

*श्री दीपक कुमार, विदेश मंत्री के निजी सचिव

श्री के. वी. साराभाई, निदेशक, पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद (गैर–सरकारी संगठन)

सुश्री सुनिता नारायण, निदेशक, विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली (गैर–सरकारी संगठन)

श्री मनोज जोशी, उप सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

श्री एस. के. जोशी, निदेशक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

श्री ए. ए. राव, पर्यावरण एवं वन मंत्री से संबद्ध उप प्रेस सूचना अधिकारी

*सुश्री दिव्या दत्त, टीईआरआई, नई दिल्ली।

विवरण-II

सतत विकास संबंधी विश्व शिखर सम्मेलन हेतु भारत के प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों की सूची

श्री एस. एस. मुखर्जी, दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त

सुश्री प्राइमरोज आर. शर्मा, महावाणिज्य राजदूत, जोहांसबर्ग

श्री अजित कुमार, महावाणिज्य राजदूत, डरबन

श्री वाई. के. सिन्हा, परामर्शदाता, दूतावास, अबुधाबी

श्री एन. के. सक्सेना, उप उच्चायुक्त, प्रिटोरिया

सुश्री विजय ठाकुर सिंह, परामर्शदाता, स्थाई मिशन

कैप्टन वी. शंकर, रक्षा अताशे, उच्चायुक्त, प्रिटोरिया

*भाग नहीं लिया।

श्री आर. के. झा., महावाणिज्य दौत्य, जोहानिसबर्ग

श्री जगदीश प्रसाद, प्रथम सचिव, उच्चायोग

श्री ए. कपूर, महावाणिज्य दौत्य, जोहानिसबर्ग

श्री महिन्दर कुमार, महावाणिज्यदूत, जोहानिसबर्ग

श्री ए. के. शर्मा, द्वितीय सचिव, उच्चायोग

श्री ए. पी. एस. चौहान, अताशे, उच्चायोग

श्री वी. के. कुकरेजा, उप वाणिज्यदूत, महावाणिज्य दौत्य, जोहानिसबर्ग

श्री अनिल कुमार, महावाणिज्य दौत्य, जोहानिसबर्ग

श्री ए. भास्कर, महावाणिज्य दौत्य, जोहानिसबर्ग

श्री सन्दीप कुमार, राजनयिक, विदेश मंत्री के निजी सचिव

श्री वेणू राजामणि, विदेश मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी

सुश्री रेवा गांगुली दास, निदेशक, विदेश मंत्रालय।

दमदमा साहिब के लिए सहायता

934. श्री भान सिंह भौरा : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तलवंडी स्थित दमदमा साहिब में देश के विभिन्न भागों और विदेश से प्रत्येक वर्ष लाखों तीर्थ यात्री दर्शनों के लिए आते हैं जो कि सिक्खों का पांचवां पवित्र तीर्थ स्थल है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस धार्मिक स्थल में बुनियादी सुधार हेतु कोई वित्तीय सहायता जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों और अधिकारियों के विरुद्ध बकाया राशि

935. श्री जी. जे. जावीया : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों, मंत्रियों और अधिकारियों ने एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, एलाइंस एयर और पवन हंस द्वारा की गई विमान यात्रा के लिए सरकार को बकाए का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक के विरुद्ध कितनी राशि बकाया है;

(घ) उनके विरुद्ध बकाए को किस तिथि तक वसूल किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) उनसे बकाए की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) जी, नहीं। भारत सरकार में मंत्रालयों/विभागों तथा इंडियन एयरलाइंस के बीच नियमित आधार पर जमा (क्रेडिट) प्रणाली है जहां बकायों का दैनिक आधार पर निपटान करना एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

फसल ऋणों के पुनर्भुगतान को माफ किया जाना

936. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों के लिए फसल ऋणों और उन पर ब्याज के पुनर्भुगतान को माफ करने तथा कुछ अन्य रियायतों एवं कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं को किस तिथि से क्रियान्वित किए

जाने की संभावना है और इसके अंतर्गत कितने किसानों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(घ) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप किसानों को और कितना लाभ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, लघु आवधिक ऋण को पुनःव्यवस्थित/पुनःनिर्धारित करने, दीर्घावधिक ऋणों की किस्तों को स्थगित करने, फसल संबंधी नए ऋण देने आदि जैसे कुछ ऋण संबंधी राहत उपायों की घोषणा की गई है।

(ग) हाल के सूखे की स्थिति, अर्थात खरीफ 2002 से प्रभावित सभी किसानों के लिए ऋण राहत उपाय किए गए हैं।

(घ) संभावित व्यय के अभी कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) किसानों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे :

- किसानों पर विद्यमान बकाया को स्थगित किया जाएगा।
- प्रभावित किसान नया ऋण लेने के पात्र होंगे।
- दीर्घावधिक ऋण के लिए किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली किस्तों को स्थगित किया जाएगा।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन समझौता

937. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :
श्री वी. एम. सुधीरन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र के मोर्चे पर विश्व व्यापार संगठन के समझौतों से निपटने में गम्भीर समस्याओं का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या आम राय बनाने हेतु विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों द्वारा क्या विचार रखे गए; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति का सामना करने हेतु क्या रणनीति अपनाई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान कृषि करार की समीक्षा चल रही है। कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के करार के अंतर्गत कृषि पर चालू वार्ता में भारत की स्थिति और दृष्टिकोण राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, कृषक संघों, प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्रियों और अनुसंधान संस्थाओं के साथ समय-समय पर सरकार द्वारा आयोजित विस्तृत विचार-विमर्श पर आधारित है।

(ख) भारत सरकार ने इन वार्ताओं के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए 23.10.2002 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और कृषि सचिवों की बैठक 24.10.2002 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि मंत्रियों की बैठक तथा 29.10.2002 को राजनैतिक दलों और स्टेकहोल्डरों की बैठक बुलाई।

(ग) और (घ) इन विचार-विमर्शों में वार्ताओं के दौरान हमारे कृषि उत्पादन और किसानों के हितों की सुरक्षा तथा हमारे लिए निर्यात संबंधी कृषि उत्पादों के लिए वर्धित मंडी पहुंच प्राप्त करने की आवश्यकता पर कृषि में विभिन्न स्टेकहोल्डरों के विचारों में सामान्य समभिरूपता थी।

चालू वार्ता में भारत समान हितों और चिंताओं वाले विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्यों के साथ गठबंधन तैयार करती रही है। यह वार्ता 1 जनवरी, 2005 को समाप्त होना है।

केन्द्रीय भंडार के उपनियमों में संशोधन

938. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने आम सभा की स्वीकृति के बिना केन्द्रीय भंडार के उप-नियमों के संशोधन के संबंध में एक वर्ष से भी पहले उनको पत्र लिखा था;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र विशेष का उत्तर न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) शीघ्र उत्तर देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हा।

(ख) और (ग) संबंधित माननीय सांसद को उपयुक्त उत्तर पहले ही भेजा जा चुका है।

अनुसंधान हेतु आई. सी. ए. आर. में इस्लामिक देशों के विद्यार्थी

939. श्री वाई. वी. राव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अध्ययन एवं अनुसंधान के उद्देश्य से इस्लामी देशों से विद्यार्थियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मानद विश्वविद्यालयों में शैक्षिक एवं अनुसंधान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद निम्नांकित माध्यमों से इस्लामी देशों सहित अनेक विदेशों के छात्रों को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है :

(i) भारत में विभिन्न राजदूतावासों तथा विदेशों में भारतीय राजदूतावासों और कमीशनों को भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रमों, पात्रता, स्थान और प्रक्रिया संबंधी विवरण की विवरणिकाएं तैयार करना और उनका वितरण करना।

(ii) भारत में राजदूतावासों के साथ अभिमुखीकरण कार्यक्रम।

(iii) कृषि विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रावासों का विकास करना तथा सुविधाएं जुटाना और

(iv) अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता बढ़ाने के लिए न्यूनता वाले पाठ्यक्रमों को शुरू करना कुछ ऐसे प्रयास हैं, जो इस संदर्भ में किए जा रहे हैं।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना में भ्रष्टाचार

940. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 20 अक्तूबर, 2002 के "दैनिक जागरण" में छपी खबर के मुताबिक प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत विकलांगों से रिश्वत लिए जाने के मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई गिरफ्तारी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत करने संबंधी भ्रष्टाचार में बड़ी संख्या में कर्मचारी लिप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि श्री सी.पी. बम्बानी निरीक्षक, जो उस समय उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम जिला) का कार्यालय कापसहेड़ा में कार्यरत थे, को रिश्वत लेने के आरोप में दिनांक 18.10.2002 को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें 18.10.2002 से 28.10.2002 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उन्हें "अभिग्रहित निलम्बन" के अंतर्गत रखा गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कार्यान्वयन अभिकरणों से अनुरोध किया गया है कि वे वर्तमान दिशा निर्देशों की सीमा के अंतर्गत स्कीम का कार्यान्वयन कड़ाई से करें। शिकायत, यदि कोई हो, तो उसे आवश्यक सुधारात्मक एवं दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के यहां किया जाए।

राजस्थान में सूखे की स्थिति

941. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी राजस्थान को हर 10 वर्षों में से औसतन आठ वर्षों में गम्भीर सूखे की स्थिति से गुजरना पड़ता है;

(ख) क्या राजस्थान, विशेषकर उसके बाड़मेर और जैसलमेर जिलों, गत पांच वर्षों से गम्भीर सूखे की चपेट में हैं और वहां पेयजल तथा पशुओं के चारे का भारी अभाव है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने वहां के गरीब किसानों और पशुधन के सामने आ रही समस्याओं का मौके पर आकलन करवाया है;

(घ) पेयजल और पशुओं के चारे के अभाव को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) राज्य की इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) पिछले कुछ वर्षों के दौरान राजस्थान के कुछ भाग सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान, राज्य के मौसम–विज्ञान संबंधी दोनों उप–प्रभागों अर्थात पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में दक्षिण–पश्चिमी मानसून अवधि (1.6.2002 से 30.9.2002) के दौरान बहुत ही कम वर्षा हुई है और राज्य सरकार ने राज्य के सभी 32 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया है।

अब तक निम्नलिखित सहायता स्वीकृत की गई है :

(i) राहत कार्यों के लिए 7 लाख मीटरी टन निःशुल्क गेहूं।

(ii) राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 207.68 करोड़ रुपये की सहायता की स्वीकृति जो राज्य के आपदा राहत कोष में उपलब्ध शेष राशि के समायोजन की शर्त पर है।

(iii) आपदा राहत कोष के केन्द्रीय हिस्से के 85.58 करोड़ रुपये अग्रिम निर्मुक्ति।

(iv) पशु श्रेणी के 30,000 मीटरी टन आहार का आवंटन।

(v) 2.40 लाख मिनिकिटों की संस्वीकृति।

(vi) रेल के माध्यम से पानी और चारे का निःशुल्क परिवहन।

(vii) गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से 435 पशु शिविर चलाने के लिए 11.66 करोड़ रुपये।

(ङ) इस संबंध में आवश्यक उपाय राज्य सरकार द्वारा किए जाने हैं।

[हिन्दी]

बांधों की सुरक्षा के लिए कानून

942. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को बांधों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन राज्यों को इस तरह प्रोत्साहित किया गया है; और

(ग) देश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए कितना निवेश किए जाने की आवश्यकता है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय जल आयोग ने बांध सुरक्षा अधिनियम संबंधी एक बिल का मसौदा तैयार किया है तथा जल संसाधन मंत्रालय के अनुमोदन के पश्चात इसे राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति के सभी सदस्य राज्यों को परिचालित किया गया था। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति में आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और उत्तरांचल राज्य तथा बांध का प्रबंधन और प्रचालन करने वाले तीन संगठनों अर्थात नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन, दामोदर घाटी निगम तथा भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के सदस्य शामिल हैं।

(ग) देश में सिंचाई क्षमता में वृद्धि, वृहद और मध्यम सिंचाई क्षेत्र के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध कराए जा रहे परिव्यय पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

पैलेस-ऑन-व्हील्स का किराया ढांचा

943. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में विदेशी पर्यटकों की घटती संख्या को देखते हुए राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने अक्तूबर 2002 से मार्च 2003 के बीच पैलेस ऑन व्हील्स से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक विशेष किराए ढांचे की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। किराया ढांचा विवरण के रूप में संलग्न है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो सात रात एवं आठ दिन के लिए 20000/- रुपये की दर से एक पैकेज खरीदने के लिए घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।

विवरण

पैलेस ऑन व्हील्स का किराया ढांचा रुपयों में

सीजन :	**अक्तूबर-मार्च**
एकल अधिभोग	रु. 20,000/-
डबल अधिभोग	रु. 15,000/-
ट्रिपल अधिभोग	रु. 10,000/-
ऑफ-सीजन	**सितम्बर और अप्रैल**
एकल अधिभोग	रु. 15,000/-
डबल अधिभोग	रु. 12,000/-
ट्रिपल अधिभोग	रु. 9,000/-

काली मिर्च का उत्पादन

944. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वियतनाम ने विश्व में काली मिर्च का अधिक उत्पादन और निर्यात के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वियतनाम अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय (इंटरनेशनल पिपर कम्युनिटी) का सदस्य भी नहीं है; और

(ग) काली मिर्च के उत्पादन और उसके निर्यात में भारत की पूर्व स्थिति वापस दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 2001-02 के लिए अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय के अनुमानों के अनुसार भारत 80,000 मीटरी टन के उत्पादन के साथ सबसे बड़ा काली मिर्च उत्पादक देश है। वर्ष 2001 के दौरान इंडोनेशिया सबसे बड़ा निर्यातक था जिसका निर्यात 60,453 मीटरी टन था। हालांकि, वियतनाम ने वर्ष 2001 के दौरान भारत द्वारा किए गए 22,741 मीटरी टन के निर्यात की तुलना में 56,606 मीटरी टन काली मिर्च का निर्यात किया।

(ख) वियतनाम अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय का सदस्य नहीं है।

(ग) विश्व व्यापार में भारत की स्थिति के संरक्षण के लिए देश में 8वीं और 9वीं योजना अवधियों में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से काली मिर्च के विकास के लिए समेकित कार्यक्रम तेजी से कार्यान्वित किया गया है। काली मिर्च के विकास के लिए कार्यक्रम के प्रमुख घटक ये हैं :

(क) काली मिर्च की अधिक उपज देने वाली किस्मों की गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का उत्पादन तथा राजसहायता प्राप्त दरों पर किसानों को उनका वितरण।

(ख) अधिक उपज देने वाली किस्मों तथा उन्नत कृषि पद्धतियों को भी लोकप्रिय बनाने के लिए खेत पर प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना तथा प्रबंध।

(ग) समेकित कीट एवं रोग प्रबंध पद्धतियों को अपनाना।

(घ) पुराने तथा अनुत्पादक उद्यानों के पुनर्नवीकरण को प्रोत्साहन देना।

(ङ) प्रौद्योगिकी का प्रभावकारी अंतरण।

ये कार्यक्रम "कृषि में वृहत प्रबंधन कार्य योजनाओं के जरिए राज्य के प्रयासों में अनुपूरण एवं सम्पूरण" संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के हिस्से के रूप में प्रमुख काली मिर्च उत्पादक राज्यों में चल रहे हैं जो आवश्यकतानुसार फसलों के प्राथमिकीकरण तथा हस्तक्षेप के लिए राज्य सरकार को लचीलापन प्रदान करती है।

इसी प्रकार, काली मिर्च के निर्यात के संवर्धन के लिए मसाला बोर्ड निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू कर रहा है :

(i) उन्नत सफाई एवं प्रसंस्करण सुविधाएं शुरू करने के लिए सहायता।

(ii) भाप निष्कीटन, क्रायोग्रांडिंग, अधिक विवेचित तरल निष्कर्षण जैसे हाई-टेक प्रसंस्करण की स्थापना के लिए सहायता।

(iii) विभिन्न गुणवत्ता प्रतिमानों के परीक्षण के लिए इन-हाऊस गुणवत्ता प्रयोगशालाओं के स्थापन तथा सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता।

(iv) नए उत्पाद/अंततः उपयोग विकास क लिए सहायता।

(v) उन्नत पैकेजिंग के लिए सहायता।

(vi) बिक्री संवर्धन दौरों तथा अंतराष्ट्रीय मेलों में सहभागिता शुरू करने के लिए सहायता।

(vii) विदेश में अभिज्ञात मंडियों में ब्रांडयुक्त उपभोक्ता द्वारा पैक किए हुए मसालों के संवर्धन के लिए सहायता।

हैदराबाद से कतर एयरवेज की उड़ानें

945. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कतर एयरवेज की भारत से संचालित होने वाली उड़ानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कतर एयरवेज का प्रस्ताव हैदराबाद से भी अपनी उड़ानों को संचालित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) महानिदेशक नागर विमानन द्वारा अनुमोदित शरदकालीन 2002-2003 कार्यक्रम के अनुसार कतर एयरवेज को निम्नलिखित विवरण के अनुसार भारत से/तक उड़ान प्रचालित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है :

सेक्टर	आवृत्ति (संख्या) प्रति सप्ताह
दोहा-मुंबई और वापसी	6
दोहा-तिरूवनंतपुरम और वापसी	7
दोहा-हैदराबाद और वापसी	3

यह दिनांक 24 जून, 2002 के भारत/कतर के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार है।

ह्यूमन रिवर प्रोजेक्ट (मानव नदी-परियोजना) को मंजूरी

946. श्री नरेश पुगलिया : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने 10 जुलाई, 2002 को हुई अपनी बैठक के दौरान महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले के ह्यूमन रिवर प्रोजेक्ट (मानव नदी-परियोजना) को मंजूरी प्रदान करने के संबंध में कतिपय सवाल उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को 26 अगस्त, 2002 को प्रश्न-वार एक विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या ह्यूमन रिवर प्रोजेक्ट (मानव नदी परियोजना) को मंजूरी प्रदान कर दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(छ) कब तक इसको मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) बाघ विचरण के क्षेत्र, भूमि उपयोग, भूजल मानीटरिंग, सतही जल निकासी, पर्यावरण प्रबंधन सैल आदि के बारे में विवरण मांगा गया था।

(ग) महाराष्ट्र सरकार से 5.9.2002 को उत्तर प्राप्त हो गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) किसी प्रस्ताव पर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन सामान्यतया पूरी सूचना प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर पूरा कर लिया जाता है।

[हिन्दी]

बाबतपुर हवाई अड्डे पर कुप्रबंधन

947. श्री रामरती बिन्द :
डा. बलिराम :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के बाबतपुर हवाई अड्डे पर भारी कुप्रबंधन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो वहां सौंदर्यीकरण, सफाई व्यवस्था और पेड़–पौधे लगाए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) उक्त कार्यों को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में बाबतपुर हवाई अड्डे पर भली प्रकार से सौंदर्यीकरण, स्वच्छता तथा वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। इस हवाई अड्डे पर नए प्रस्तावित टर्मिनल भवन के लिए भी वृक्षारोपण, सौंदर्यीकरण तथा स्वच्छता की योजना है।

[अनुवाद]

कूड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1995 का प्रभाव

948. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश नॉन–बॉयोडिग्रेडेबल गारबेज कंट्रोल एक्ट, 1995 के प्रभाव और मनाली को प्रदूषण मुक्त बनाने के राज्य सरकार के आदेश की बारीकी से निगरानी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतिबंध के लागू होने के बावजूद पर्यटकों के अत्यधिक प्रवाह के कारण मनाली क्षेत्र में गैर–जैव अवक्रमणीय पदार्थ भारी मात्रा में जमा हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले समूहों और स्थानीय नगर पालिकाओं/समुदायों की मदद से अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की परियोजना को लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गैर–जैव अवक्रमणीय कूड़ा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अंतर्गत गैर–जैव अवक्रमणीय कूड़े को हटाने के लिए नगर पंचायत सहित स्थानीय प्राधिकारियों को शक्तियां प्राप्त हैं। तदनुसार मनाली नगर पंचायत ने पालीथीन थैलियों के प्रयोग पर रोक लगा दी है। नगर पंचायत ने नार्वे सरकार की सहायता से एक वैज्ञानिक परियोजना शुरू की है और घर–घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण काउंसिल ने जनजागरूकता बढ़ाने के लिए अक्तूबर, 2002 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर एक कार्यशाला आयोजित की थी।

केन्द्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 में प्रदत्त शक्तियों

के अंतर्गत व्यापक नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली 2002 तैयार कर जारी किया है। इन नियमों के अंतर्गत सभी नगर निगम प्राधिकारियों को देश में नगरीय ठोस अपशिष्ट को इकट्ठा करने, छटनी करने, भंडारण, परिवहन, प्रौसैसिंग और निपटान के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य

949. श्री महेश्वर सिंह :
श्री भान सिंह भौरा :
श्री बी. एम. सुधीरन :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री अखिलेश यादव :
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करने संबंधी सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी उत्पादवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप किसानों को राज्य-वार किस सीमा तक नुकसान हुआ है;

(घ) विभिन्न उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के संबंध में विभिन्न राज्यों से मिले अनुरोध और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ङ) कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में अभिजीत सेन समिति द्वारा की गई सिफारिशों और उसमें से प्रत्येक सिफारिश पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकारी एजेंसियां विभिन्न उत्पादों को मंडियों से खरीदने में अक्षम हैं और वे बिचौलियों की मदद ले रही हैं;

(छ) यदि हां, तो किसानों के हितों की रक्षा हेतु बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ज) किसानों की रक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सही समय पर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में प्रमुख कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं और राज्य सरकारों द्वारा नामित अन्य अभिकरणों के अलावा सार्वजनिक तथा सहकारिता अभिकरणों जैसे भारतीय खाद्य निगम, भारतीय पटसन निगम, भारतीय कपास निगम, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और तम्बाकू बोर्ड द्वारा खरीद की कार्रवाई जाती है।

(ख) और (ग) हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण कृषि जिंसों के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) विभिन्न फसलों के बारे में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की मूल्य नीति संबंधी रिपोर्ट राज्य सरकारों को उनकी राय जानने के लिए परिचालित की जाती हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय इन्हें ध्यान में रखा जाता है।

(ङ) दीर्घावधिक खाद्यान्न नीति के निरूपण के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31.7.2002 को प्रस्तुत कर दी है। जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रश्न है उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सिफारिश की है कि वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति जारी रहनी चाहिए। तदनुसार, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने वाली मौजूदा नीति जारी रखी जाएगी।

(च) और (छ) नामित केन्द्रीय शीर्ष अभिकरण खरीद करते समय बिचौलियों की मदद नहीं लेते। बेचे गए उत्पाद में किसानों का अधिक अंश सुनिश्चित करने के लिए कृषि विपणन सुधार संबंधी अंतर्मंत्रालयी कार्यदल द्वारा यथासंस्तुत

प्रत्यक्ष विपणन आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को कृषि उपज विपणन जिस अधिनियम में संशोधन करने की सलाह दी गई है।

(ज) न्यूनतम समर्थन मूल्य शीघ्र घोषित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य

(फसल वर्ष के अनुसार)

(रुपये प्रति क्विंटल)

क्र.सं.	जिंस	किस्म	1998–99	1999–2000	2000–01	2001–02	2002–03	विशेष सूखा राहत मूल्य	#2002–03 में न्यूनतम समर्थन मूल्य में 2001–02 की तुलना में वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	धान	सामान्य	440	490	510	530	530	20	–
		ग्रेड 'ए'	470	520	540	560	560	20	–
2.	ज्वार		390	415	445	485	485	5	–
3.	बाजरा		390	415	445	485	485	10	–
4.	मक्का		390	415	445	485	485	5	–
5.	रागी		390	415	445	485	485	5	–
6.	गेहूं		550	580	610	620			
7.	जौ		385	430	500	500			
8.	चना		895	1015	1100	1200			
9.	तूर (अरहर)		960	1105	1200	1320	1320	5	–
10.	मूंग		960	1105	1200	1320	1330	5	10(0.8)
11.	उड़द		960	1105	1200	1320	1330	5	10(0.8)
12.	मसूर		52.70	56.10	59.50	62.05			
13.	गन्ना@		1440	1575	1625	1675	1675	20	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	कपास	एफ–414/ एच–777/ जे–84 एच–4	960	1105	1200	1320	1330	5	10(0.8)
15.	छिलके सहित मूंगफली		52.70	56.10	59.50	62.05			
16.	पटसन		1650	1775	1825	1875	1875	20	–
17.	तोरिया/सरसों		1040	1155	1220	1340	1355	20	15(1.1)
18.	सूरजमुखी बीज		650	750	785	810	850		40(4.9)
19.	सोयाबीन	काली	1000	1100	1200	1300			
		पीली	1060	1155	1170	1185	1195	15	10(0.8)
20.	कुसुम		705	755	775	795	795	10	–
21.	तोरिया		795	845	865	885	885	10	–
22.	तम्बाकू (वी.एफ.सी.)		990	1100	1200	1300			
	(रु./किग्रा.)		965	1065	1165	1265			
		काली मृदा (एफ 2 ग्रेड)	22.50	25.00	26.00	27.00			
		हल्की मृदा (एफ 2 ग्रेड)	25.50	27.00	28.00	29.00			
23.	खोपरा	मिलिंग	2900	3100	3250	3300	3300	–	
	कैलेंडर वर्षवाल		3125	3325	3500	3550	3550	–	
24.	तिल		1060	1205	1300	1400	1450	5	50(3.6)
25.	रामतिल		850	915	1025	1100	1120		20(1.8)

@न्यूनतम सांविधिक मूल्य वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत तथा इससे अधिक वृद्धि के लिए अनुपातिक प्रीमियम सहित 8.5 प्रतिशत की मूलभूत वसूली से सम्बद्ध है।

मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2000–01 से निर्धारित किया गया है।

#कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

[अनुवाद]

महानदी को दक्षिण में बहने वाली नदियों से जोड़ा जाना

950. डा. राजेश्वरम्मा युक्कला :
श्री वाई. वी. राव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा की महानदी को दक्षिण में बहने वाली प्रमुख नदियों के साथ जोड़ा जाना देश में बड़ी नदियों को एक साथ जोड़ने का एक व्यवहार्य विकल्प है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) वर्ष 1980 में, जल संसाधन मंत्रालय (तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय) ने जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की, जिसमें जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल का हस्तांतरण करने के लिए प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालयी नदियों को परस्पर जोड़े जाने की योजना है। प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत, महानदी–गोदावरी–कृष्णा–पेन्नार–कावेरी और वैगई को परस्पर जोड़े जाने की योजना है। भारत सरकार ने जल संतुलन और अन्य अध्ययन करने तथा व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्वायत्त सोसाइटी के रूप में वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने व्यावहारिकता रिपोर्टें तैयार करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत 30 संपर्कों की पहचान की है और प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 6 संपर्कों की व्यावहारिकता रिपोर्टें पूरी कर ली है।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शिकायतें

951. श्री सुनील खां :
श्री एन. एन. कृष्णदास :

क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के संचालन की निगरानी कैसे की जाती है;

(ख) क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत ऋणों के वितरण के संबंध में कतिपय राज्यों से कोई शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के कार्यान्वयन का मोनीटर जिला स्तर पर जिला पीएमआरवाई समिति द्वारा किया जाता है, राज्य स्तर पर राज्य पीएमआरवाई समिति द्वारा किया जाता है और केन्द्रीय स्तर पर पीएमआरवाई हेतु उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा तथा ग्रामीण, योजना एवं क्रेडिट विभाग (आरपीसीडी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), मुंबई के लिए मोनीटरिंग सेल मोनीटर कार्य करती है।

(ख) से (घ) सरकार, इस प्रकार की शिकायतें विभिन्न स्थानों से प्राप्त करती है। इस प्रकार की अधिकतर शिकायतें ऋणों के संवितरण से पूर्व कोलेट्रल सिक्योरिटी के आग्रह के बारे में एवं ऋणों के संवितरण में देरी आदि से संबंबधित होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल के पश्चात इस प्रकार की शिकायतों का समाधान/निपटारा मौजूदा दिशा निर्देशों की शर्तानुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

इस्पात उद्योग का उन्नयन

952. श्री पी. आर. खूंटे :
श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इस्पात उद्योग के उन्नयन के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) सरकार ने इस्पात उद्योग के उन्नयन के लिए विभिन्न उपाय किए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं :

(i) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) तथा विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग दोनों के माध्यम से विदेशी प्रौद्योगिकी को शामिल करना। इस्पात क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वतंत्र रूप से करने की अनुमति है अर्थात सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) कतिपय शर्तों के अध्यधीन विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग करारों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा सभी उद्योगों को स्वतः अनुमोदन।

इस्पात तैयार करने तथा सतत ढलाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऊर्जा दक्षता बेसिक ऑक्सीजन फर्नेश (बीओएफ) प्रौद्योगिकी अपनाकर सेल ने अपने इस्पात संयंत्रों अर्थात दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी), राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) तथा बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) का समय-समय पर आधुनिकीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यमुना कार्य योजना के लिए जापान से सहायता

953. **श्री वी. वेत्रिसेलवन :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ने यमुना योजना के दूसरे चरण के लिए दी जाने वाली अपनी वित्तीय सहायता में भारी कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यमुना कार्य योजना पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) जापान बैंक फार इंटरनेशनल को-आपरेशन ने यमुना कार्य योजना चरण II के कार्य के मूल्यांकन के लिए 10 अक्तूबर से 31 अक्तूबर, 2002 तक एक मूल्यांकन मिशन भेजा था। मूल्यांकन मिशन का मुख्य उद्देश्य परियोजना के लिए कार्य के विषय और लागत अनुमान निर्धारित करना था। मूल्यांकन मिशन और सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए विचार-विमर्श के कार्यवृत्त के आधार पर परियोजना का आकार 637 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कार्य के विषयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जापान बैंक फार इंटरनेशनल को-आपरेशन के विचाराधीन विभिन्न परियोजनाओं के मध्य परस्पर प्राथमिकता और दानकर्ता एजेंसी के पास राशियों की उपलब्धता के आधार पर परियोजना आकार को अंतिम रूप दिया गया है। परंतु परियोजना के लिए ऋण सहायता का जो वचन दिया गया था और जो जापान सरकार की वचनबद्धता थी उसे पूरा नहीं किया गया है।

विवरण

यमुना कार्य योजना चरण-II के अंतर्गत शहरवार और घटकवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य/स्कीम का नाम	अनुमानित लागत
1	2	3
	I. दिल्ली	
1.	बेला रोड ट्रंक सीवर	14.60
2.	वजीराबाद ट्रंक सीवर	64.20
3.	रिंग रोड ट्रंक सीवर	55.20

1	2	3
4.	ओखला सीवेज शोधन संयंत्र	82.40
5.	केशोपुर सीवेज शोधन संयंत्र बायोगैस से विद्युत उत्पादन के लिए पाइलट प्लांट	95.20
6.	यमुना कार्य योजना III के कार्यान्वयन के लिए पाइलट प्लांट सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना	40.00
7.	विविध अर्थात झुग्गी झोंपड़ी पुनर्वास, जन–भागीदारी और जागरूकता और क्षमता निर्माण/जन संपर्क	28.00
	जोड़ दिल्ली भाग	379.60
	II. उत्तर प्रदेश	
1.	आगरा का उत्तरी क्षेत्र (सीवर्स, पंपिंग स्टेशन, राइसिंग मेंस सीवेज शोधन संयंत्र)	29.80
2.	आगरा का पश्चिम क्षेत्र (सीवर्स, पंपिंग स्टेशन, राइसिंग मेंस सीवेज शोधन संयंत्र)	61.90
3.	भूमि अधिग्रहण और क्षतिपूर्ति	14.50
4.	यमुना कार्य योजना III के कार्यान्वयन के लिए पाइलट प्लांट सहित विस्तृत परि–योजना रिपोर्ट तैयार करना	13.00
5.	विविध, अर्थात जन भागीदारी, जागरूकता क्षमता निर्माण/जन संपर्क	25.50
	जोड़ उत्तर प्रदेश भाग	144.70
	III. हरियाणा	
1.	प्रौद्योगिकी अंतरण (अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन कार्य)	34.50
2.	यमुना कार्य योजना III के लिए पाइलट प्लांट कार्यान्वयन सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना	9.00
3.	विविध अर्थात जन भागीदारी और जागरूकता तथा क्षमता निर्माण/जन संपर्क	19.00
	जोड़ हरियाणा भाग	62.50
	IV. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी का क्षमता निर्माण	
1.	लेखा और प्रबंध सूचना प्रणाली	5.00
2.	जल गुणता प्रबंध कार्यक्रम (मानीटरिंग स्टेशन, चलती फिरती प्रयोगशाला, अनुसंधान और विकास मौजूदा मानीटरिंग व्यवस्था की समीक्षा, माडल विकास प्रशिक्षण आदि)	10.00
3.	परियोजना प्रबंधन सलाहकार (निविदाओं की मानटरिंग, मूल्यांकन, वास्तविक कार्य, संस्थागत सुदृढ़ता और क्षमता निर्माण, जल गुणता मानीटरिंग कार्यक्रम राशियों का प्रवाह प्रशिक्षण, यमुना कार्य योजना III के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, पाइलट प्लांट कार्यान्वयन और विभिन्न अन्य कार्य)	35.20
	उप योग (IV)	50.20
	सकल योग	637.00

राष्ट्रीय जल नीति

954. श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री के. पी. सिंह देव :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अक्तूबर, 2002 के

"द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "वाटर पॉलिसी प्लैन ड्रॉज फ्लैक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राष्ट्रीय जलनीति, 2002 को क्रियान्वित करने में देरी कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस नीति के क्रियान्वयन के मामले में गैर-सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों से परामर्श किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(च) इस नीति को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) राष्ट्रीय जल नीति, 2002 को अप्रैल, 2002 में स्वीकार किया गया तत्पश्चात इसके क्रियान्वयन के संबंध में बहुत से कदम उठाए गए हैं। जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ अंतर मंत्रालयी बैठकें, जल क्षेत्र से संबंधित गैर-सरकारी संगठनों और संस्थानों से बातचीत करना शामिल है। गैर-सरकारी संगठनों, जल विशेषज्ञों और व्यावसायिकों के साथ विचार-विमर्श जारी रखने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अगस्त से अक्तूबर, 2002 के दौरान पुणे, बेंगलौर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, लखनऊ, जयपुर और नई दिल्ली में क्रमशः सात क्षेत्रीय कार्यशालाएं भी आयोजित की गई थीं। इन कार्यशालाओं में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। उनके सुझावों/विचार-विमर्शों के आधार पर कार्रवाई योजना में संशोधन किया गया। इस कार्रवाई योजना पर विचार-विमर्श करने के लिए इसे राज्यों के जल संसाधन और सिंचाई मंत्रियों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों के सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा तत्पश्चात सभी राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों को क्रियान्वयन के लिए भेजा जाएगा।

बंधुआ मजदूर

955. श्री सुशील कुमार शिन्दे :
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अक्तूबर, 2002 के "द स्टेट्समैन" में "रेस्क्यूड लेबरर्स रिकाउंट टेल्ज आफ वुज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की और आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बंधुआ और दास बनाए जाने जैसे अपराध की कोई घटनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) प्रकाशित समाचार के अनुसार "बचपन बचाओ आंदोलन" ने हरियाणा में चरखी दादरी की एक पत्थर खदान से 30 सितम्बर को 12 बच्चों सहित 31 बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराया था। ये सभी श्रमिक छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिक थे।

(ग) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत बंधुआ श्रम प्रणाली पूरे देश में समाप्त कर दी गई है। अधिनियम में जिला और उप-संभागीय स्तरों पर सतर्कता समितियों के गठन का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत जिला और उप-संभागीय मजिस्ट्रेटों को कतिपय कार्य और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। इसके अलावा, पब्लिक यूनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 11.11.1997 के आदेश में निर्देश दिया था कि बंधुआ श्रम के मुद्दों पर कार्रवाई करने में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शामिल किया जाना चाहिए। श्रम मंत्रालय राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह देता रहा है कि प्रेस या स्वयंसेवी एजेंसियों

द्वारा सूचित की गई बंधुआ श्रम की घटनाओं पर ध्यान दिया जाए।

इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उपायुक्त, भिवानी को मामले की जांच करने का नोटिस जारी किया है।

(घ) और (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2000–01, 2001–02, 2002–03 (20.11.2002 तक) के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास पंजीकृत कथित बंधुआ श्रम और दासता की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000–01		2001–02		2002–03 (20.11.2002 तक)	
		बंधुआ	दासता	बंधुआ	दासता	बंधुआ	दासता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	5		3			
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	3				
3.	बिहार	5	1	6		4	
4.	गोवा	2					
5.	गुजरात			1	1	3	
6.	हरियाणा	31		12		18	
7.	हिमाचल प्रदेश			3			
8.	जम्मू–कश्मीर			2		1	
9.	कर्नाटक	3		3		1	
10.	मध्य प्रदेश	5		3		5	
11.	महाराष्ट्र	11					
12.	मिजोरम					1	
13.	उड़ीसा			1			
14.	पंजाब	8		89		190	
15.	राजस्थान	10		8		8	
16.	तमिलनाडु	3	3	3		1	
17.	उत्तर प्रदेश	63		34	2	34	1

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	पश्चिमी बंगाल	1					
19.	दिल्ली	8		16			
20.	छत्तीसगढ़					1	
21.	उत्तरांचल	4		2		1	

इस्पात संयंत्रों द्वारा भूमि का अधिग्रहण

956. श्री के. पी. सिंह देव : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा और झारखंड में निजी और सरकारी क्षेत्रों के विभिन्न इस्पात संयंत्रों द्वारा कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) क्या कुछ इस्पात संयंत्रों ने उक्त दोनों राज्यों से अतिरिक्त भूमि की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो इससे लगभग कितने लोगों के विस्थापित होने की संभावना है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप वन भूमि के किस सीमा तक प्रभावित होने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (घ) जहां तक सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का संबंध है, सेल का उड़ीसा में राउरकेला इस्पात संयंत्र तथा झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र है। इन संयंत्रों द्वारा अधिग्रहित भूमि का क्षेत्र क्रमशः 28095.805 एकड़ तथा 31287.24 एकड़ है। इन इस्पात संयंत्रों ने संबंधित राज्य सरकारों से अतिरिक्त भूमि की मांग नहीं की है तथा इन मामलों में लोगों के विस्थापित होने तथा वन भूमि के प्रभावित होने का प्रश्न नहीं उठता। निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा अधिग्रहित भूमि का ब्यौरा सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है।

पर्यटकों को बीमा कवर

957. प्रो. ए. के. प्रेमाजम : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देशों की अधिकांश बीमा कम्पनियां भारत भ्रमण पर आने की इच्छा रखने वाले पर्यटकों को बीमा कवर प्रदान करने से इनकार कर रही हैं जिसके फलस्वरूप भ्रमण के लिए पहले से बनाई गई योजनाएं बड़े पैमाने पर रद्द की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस स्थिति को संभालने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, नहीं। बीमा कम्पनियां भारत भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों के लिए बीमा मुहैया कराती हैं लेकिन न्यूयार्क (यूएसए) में डब्ल्यूटीसी पर हुए आतंकवादी हमले और अफगानिस्तान पर हुए अमरीकी हमले एवं कलकत्ता में सूचना-केन्द्र पर हुए आतंकवादी हमले एवं क्षेत्र में चल रहे सीमा-तनाव के कारण भारत भ्रमण से बचने हेतु जारी किए गए यात्रा परामर्शों के कारणों से कुछ विकसित देशों की बीमा कम्पनियों ने भारत भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों के लिए बीमा कवर प्रदान करने से इनकार कर दिया।

(ग) और (घ) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय ने प्रैस कान्फ्रैंस ट्रेवल ट्रेड ब्रीफिंग्स, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, इंटरनेट एव प्रिंट मीडिया/प्रमुख बाजारों में रोड शोज एवं भारतीय मिशनों के समर्थन से पुनः आश्वासन अभियान शुरू किया है। ग्यारह नए प्रमुख संवर्धनात्मक उत्पादों का चयन किया गया है और उनके ब्रोशर शीघ्र ही वितरित किए जाएंगे। इलेक्ट्रानिक मीडिया अभियान पर भी विचार किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सेल का कार्य निष्पादन

958. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने चालू वित्त वर्ष के प्रथम छह महीने में 90 करोड़ रुपये का नकद लाभ कमाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सेल के अंतर्गत लाभ और हानि में चलने वाले इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत दस महीनों के दौरान सेल के अंतर्गत प्रत्येक इस्पात संयंत्र के अधिकारियों द्वारा कितने विदेशी दौरे किए गए और ऐसे प्रत्येक दौरे के क्या कारण थे?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी, हां। 2002-03 के प्रथम छः माह में अर्जित नकद लाभ का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये)

अवधि	कारोबार	सकल मार्जिन	ब्याज	नकद लाभ/हानि	मूल्य ह्रास	निवल लाभ/हानि (–) पीबीटी
प्रथम छमाही 2002-2003	8189	793	703	90	569	(–) 479

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष सेल के अधीन इस्पात संयंत्रों के लाभ (+)/हानि (–) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये)

संयंत्र/इकाई	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी)	92	342	477
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी)	–651	–236	–262
राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी)	–704	–445	–1036
बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल)	120	49	–459
मिश्र इस्पात संयंत्र (एएसपी)	–260	–184	–149
सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी)	–142	–155	–153
कच्चा माल प्रभाग (आरएमडी)	–74	–30	–41
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसएल)	–91	–68	–103
अन्य इकाइयां	–10	–2	19
सेल	–1720	–729	–1707

(घ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के इस्पात संयंत्रों के अधिकारियों द्वारा किए गए विदेशी दौरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2002-03 (आज तक) के दौरान किए गए विदेशी दौरों (संयंत्रवार) का ब्यौरा

क्र.सं.	संयंत्र/इकाई	दौरे का कारण	किस देश का दौरा किया गया
1	2	3	4
1.	एएसपी	एजीटेलेक के सहयोग से ऐज, एजिप्ट को तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने हेतु प्रारंभिक सहायता के लिए विशेष इस्पात और विशेष मिश्र संयंत्र का दौरा करने के लिए	मिस्र

1	2	3	4
2.	बीएसएल	बीएसएल की सीआरएम के आधुनिकीकरण के संबंध में	यू के और यूएसए
3.	बीएसएल	बीएसएल की सीआरएम के आधुनिकीकरण के संबंध में	यूएसए
4.	बीएसएल	बीएसएल की सीआरएम के आधुनिकीकरण के संबंध में	जापान
5.	बीएसएल	सेल और हदीद के बीच हुए करार के अंतर्गत पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	सऊदी अरब गणराज्य
6.	बीएसपी	इंटरनेशनल स्टील मेकिंग कान्फ्रैंस	आस्ट्रिया
7.	बीएसपी	सेल और हदीद के बीच हुए करार के अंतर्गत पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	सऊदी अरब गणराज्य
8.	बीएसपी	भिलाई इस्पात संयंत्र के मौजूदा और साथ ही नए उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं तलाश करने के लिए	मलेशिया और सिंगापुर
9.	डीएसपी	सेल और हदीद के बीच हुए करार के अंतर्गत पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	सऊदी अरब गणराज्य
10.	आरएसपी	ट्रिप एडेड हाई स्ट्रैंथ फेरस अलायज पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार	बेल्जियम और लग्जमबर्ग
11.	आरएसपी	सेल और हदीद के बीच हुए करार के अंतर्गत पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए	सऊदी अरब गणराज्य
12.	आरएसपी	आरएसपी की बी एफ–4 के पुनर्निर्माण के संबंध में जर्मनी और बेल्जियम की धमन भट्टियों का दौरा करने और मै. पॉलवर्थ के साथ चर्चा करने के लिए	बेल्जियम, लग्जमबर्ग और जर्मनी
13.	आरएसपी	न्यूरोलाजिकल सर्जन्स की चौथी एशियाई कांग्रेस	हांगकांग

[हिन्दी]

गायब पाण्डुलिपियां

959. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिनांक 5 अक्तूबर, 2002 के "राष्ट्रीय सहारा" में "उड़ीसा संग्रहालय से 18 हजार दुर्लभ पांडुलिपियां गायब" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार देश के कुछ प्रमुख संग्रहालयों विशेषकर उड़ीसा संग्रहालय से दुर्लभ पांडुलिपियां गायब पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) उड़ीसा राज्य संग्रहालय, राज्य सरकार के प्रशासनिक

नियंत्रणाधीन है। उड़ीसा सरकार ने यह सूचित किया है कि प्रारम्भिक सत्यापन करने पर यह पाया गया कि उड़ीसा राज्य संग्रहालय में पांडुलिपि प्राप्ति रजिस्टर के अनुसार, संग्रहालय में 19,250 पांडुलिपियां थीं जिनमें से 19,220 पांडुलिपियां वास्तविक रूप से उपलब्ध थी। उड़ीसा सरकार ने पहले ही पांडुलिपियों के विस्तृत वास्तविक सत्यापन की कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने पांडुलिपियों के खो जाने से बचने के लिए नियमित सत्यापन तथा कार्य की देखरेख सहित सभी पूर्वोपाय किए हैं।

आस्ट्रेलिया से पशुओं का आयात

960. श्री राजो सिंह :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आस्ट्रेलिया से कितने पशुओं का आयात किया गया है;

(ख) क्या आस्ट्रेलिया से साढ़े तीन करोड़ रुपये की कीमत पर आयात किए गए 200 पशु गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं और इस खरीद में स्वास्थ्य अभिसमय का पालन नहीं किया गया है;

(ग) क्या भोपाल स्थित उच्च सुरक्षा रोग प्रयोगशाला के निदान के अनुसार ये पशु बोवाइन वाइटल अतिसार और मैलीगनैंट केटेरा ज्वर से ग्रस्त हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या कतिपय लोग इन रोगी पशुओं को स्वस्थ बताकर इस अनियमितता को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत में प्रजनन के उद्देश्य के लिए लाए गए इन पशुओं को चेन्नई संगरोध केन्द्र में रखा गया है;

(च) यदि हां, तो क्या इन पशुओं के आयात से पहले इनकी चिकित्सीय जांच की गई थी;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(झ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) पशु संगरोध रिकार्ड के अनुसार पिछले तीन वर्ष के दौरान आस्ट्रेलिया से 292 गोपशु, 205 सूअर, 60 बकरियां, 2 घोड़े तथा 53 कुत्ते आयात किए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला, भोपाल द्वारा अनेक आयातित पशुओं में पाजिटिव बोवाइन वायरल डायरिया तथा मालिनेंट केटेरल फीवर पाया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, हां।

(च) जी, हां। आस्ट्रेलिया में पूर्व–निर्यात संगरोध के दौरान आस्ट्रेलिया प्राधिकारियों द्वारा इन पशुओं का स्वास्थ्य अपेक्षाओं में उल्लिखित रोग की उपस्थिति के लिए परीक्षण किया गया था।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) 201 पशुओं की खरीद पर खर्च विदेशी मुद्रा की राशि 6,71,550 अमरीकी डालर (कुल 3,28,88,795.00 लाख रुपये) है।

(झ) जिन पशुओं का नेगेटिव परीक्षण हुआ था उन्हें अन्य स्थानों पर भेजा गया है तथा भारत सरकार निरंतर निगरानी रख रही है तथा पुनः परीक्षण किए जा रहे हैं ताकि प्रजनन के लिए किसी भी रोगग्रस्त पशु को न छोड़ा जा सके।

[अनुवाद]

एयर इंडिया में कर्मचारियों की कमी

961. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री प्रबोध पण्डा :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एयर इंडिया के कर्मचारियों की संख्या को कम करके इसकी जनशक्ति के व्यावहारिक उपयोग और कम्पनी की कतिपय गतिविधियों को बाहरी स्रोतों से पूरा कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) एयर इंडिया में जनशक्ति का व्यावहारिक उपयोग एक सतत प्रक्रिया है। एयर इंडिया में जनशक्ति उपयोग के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) गैर प्रचालनात्मक श्रेणियों में बाहरी भर्ती पर रोक।

(ii) विदेशी स्टेशनों के कम/बंद के कारण विदेश स्थित स्टेशनों के कर्मचारियों की छंटनी।

(iii) 687 व्यक्तियों की अप्रचालन क्षेत्र से प्रचालन क्षेत्र में पुनः तैनाती।

(iv) 168 कर्मचारियों को बिना वेतन/भत्ते की छुट्टी लेने की अनुमति दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गई है।

(v) कार्य दिवस घटाने की योजना लागू की गई है जहां कर्मचारियों को अपने वर्तमान वेतन का 60 प्रतिशत कार्य करने का विकल्प दिया गया।

(vi) सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है।

(vii) सभी खाली पड़े पदों को फरवरी–मार्च 1997 में समाप्त कर दिया गया।

(viii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की गई है।

इसके परिणामस्वरूप एयर इंडिया के कर्मचारियों की संख्या दिनांक 31.3.2001 को 17205 से घटकर दिनांक 31.10.02 को 16312 आ गई।

[हिन्दी]

अदरक और हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) निर्धारित किया जाना

962. श्रीमती हेमा गमांग :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के विशेषकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले गरीब किसान वहां विद्यमान गरीबी, भुखमरी और अपर्याप्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के कारण अदरक और हल्दी जैसे औषधीय उत्पादों को औनेपौने दामों में बेचने के लिए बाध्य हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान गरीब किसानों के कल्याण के लिए इन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जो जिंसें न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम में कवर नहीं की गई हैं, उनके लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम नामक एक स्कीम पहले से ही कार्यान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत बागवानी एवं अन्य फसलें भी कवर की गई हैं जो शीघ्र खराब होने वाली फसलें हैं। फसल उत्पादन बहुत अधिक होने पर शीर्ष मौसम वाली आवक अवधि में जब कीमतें व्यवहार्य स्तर से नीचे गिर जाती हैं तब बागवानी एवं कृषि जिंसों के उत्पादकों को मजबूरी में बिक्री से बचाने के लिए किसी जिंस विशेष हेतु मंडी हस्तक्षेप स्कीम का कार्यान्वयन उन राज्य सरकारों के अनुरोध पर किया जाता है जो इसके कार्यान्वयन के 50 प्रतिशत घाटे (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 25 प्रतिशत), यदि कोई हो, को वहन करने के लिए तैयार हों। मंडी हस्तक्षेप स्कीम के अंतर्गत कवर की गई फसलों में प्याज, आलू माल्टा, किन्नू, गलगल, मिर्च, अदरक, सेब, आयल, पाम तथा सुपारी आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

हेलीकॉप्टर दुर्घटना संबंधी रिपोर्ट

963. डा. वी. सरोजा : क्या **नागर विमानन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल 206–बी–3 हेलीकॉप्टर की दुर्घटना जिसमें लोक सभा के तत्कालीन अध्यक्ष, श्री जी. एम. सी. बालयोगी मारे गए थे, के कारणों की जांच करने वाले जांच आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) जांच समिति की रिपोर्ट सरकार को अभी प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस चरण पर कार्रवाई के बारे में बताना अभी उचित नहीं है।

(ग) सुरक्षा जांच के बारे में नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा लगातार प्रचालकों के सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाता रहता है जिसमें हेलीकॉप्टर प्रचालक भी शामिल हैं। सभी आवश्यक क्षेत्रों जिसमें इंजीनियरिंग, प्रचालन, गुणवत्ता नियंत्रण आदि विभागों को भी सुरक्षा जांच में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा रख–रखाव गतिविधियों की स्पॉट चैक भी की जाती है।

साहसिक पर्यटन

964. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की प्रबल सम्भावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए कितनी सहायता प्रदान की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में साहसिक पर्यटन सहित पर्यटन के विकास हेतु 954.55 लाख रुपयों की लागत की 39 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।

[हिन्दी]

वानिकी नियमों में संशोधन

965. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :
श्री ताराचन्द भगोरा :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वन विभाग के कठोर नियमों और कानूनों के कारण कई राज्यों में विकास संबंधी कार्यों में गतिरोध उत्पन्न हुआ है और सड़कों के निर्माण आदि से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन में ये एक बाधा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार लोगों की अनिवार्य और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन कानूनों में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कानूनों में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) प्रश्न में उल्लिखित नियम/कानून वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 से संबंधित है। इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य गैर–वानिकी प्रयोग के लिए वन भूमि के अंधाधुंध विचलन को रोकना और वनों के संरक्षण और उससे संबंधित मामलों की सुनिश्चित व्यवस्था करना था। अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सड़कों के निर्माण सहित गैर वानिकी उद्देश्यों/विकासात्मक कार्यों के लिए किसी वन भूमि के वनेतर प्रयोग के लिए केन्द्र सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। वर्ष 1980 से विभिन्न गैर वानिकी कार्यकलापों/विकासात्मक कार्यों के लिए लगभग

5.76 लाख हेक्टेयर वन भूमि के वनेतर प्रयोग के 8000 से भी अधिक प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

(ख) से (घ) अधिनियम में किसी विकासात्मक कार्य, यदि उसमें वन भूमि की आवश्यकता है, को करने पर प्रतिबंध नहीं है परंतु वन भूमि के ऐसे प्रयोग/आवंटन को विभिन्न निर्धारित शर्तों के साथ विनियमित किया जाता है। यह अधिनियम स्वरूप से विनियामक है न कि निषेधात्मक और इसके साथ-साथ इसमें वन भूमि पर किसी महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य करने की अनुमति प्रदान करने के लिए पर्याप्त लचीलापन है इसलिए इस अधिनियम में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन अपेक्षित नहीं है।

बद्रीनाथ धाम का विकास

966. श्री पदमसेन चौधरी :
श्री जय प्रकाश :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर उत्तरांचल में बद्रीनाथ धाम के विकास का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार का राज्य सरकार को इस उद्देश्य के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) मामला विचाराधीन है। लेकिन अंतिम निर्णय पर पहुंचने में कुछ समय लगेगा।

[अनुवाद]

बाढ़ प्रवण क्षेत्र

967. श्री हरिभाई चौधरी :
श्री शिवाजी माने :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली से नौवीं पंचवर्षीय योजना की प्रत्येक योजना अवधि के दौरान देश में राज्यवार कितना बाढ़ प्रवण क्षेत्र रहा है;

(ख) क्या इन नदियों पर बने बांध से सभी नदियों की तलहटी सूख रही हैं/उनमें गाद जम रही है और इसी से बाढ़ आ जाती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने वर्ष 1953-78 के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र संबंधी आंकड़ों का प्रयोग करते हुए वर्ष 1980 में देश में 40 मि. हेक्टे. को बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रूप में आकलित किया है।

राज्यों के राजस्व प्राधिकरणों द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र संबंधी जानकारी एकत्र की जाती है तथा सूचना दी जाती है। केन्द्रीय जल आयोग ने राज्य राजस्व प्राधिकरणों से प्राप्त जानकारी के आधार पर वर्ष 1953 से आंकड़े संकलित किए हैं। पहली योजना से नौवीं योजना तक औसत वार्षिक बाढ प्रभावित क्षेत्र का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) बांधों पर नदी के प्रति प्रवाह और अनुप्रवाह पर कुछ आकारिकी संबंधी प्रभाव पड़ते हैं। ये प्रभाव अलग-अलग तथा अस्थाई रूप से भी भिन्न-भिन्न होते हैं। लेकिन किसी वैज्ञानिक अध्ययन की पृष्ठभूमि न होने के कारण यह परिकल्पना स्थापित नहीं हो सकी है कि बांधों से जल की कमी हो सकती है अथवा गाद जम सकती है।

भारत सरकार ने नदियों में गाद जमा होने की समस्या के अध्ययन के लिए एक बहुविषयी समिति गठित की है जिसमें केन्द्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, भारतीय तलकर्षण निगम, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, राष्ट्रीय दूर संवेदी अभिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे विभिन्न संगठनों तथा विभिन्न राज्य सरकारों से सदस्य हैं।

विवरण

I-IX वीं योजना तक औसत वार्षिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का राज्यवार एवं योजना–वार ब्यौरा

(क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	पहली योजना 1953–56	दूसरी योजना 1956–61	तीसरी योजना 1961–66	वा. योजना 1966–69	चौथी योजना 1969–74	पांचवीं योजना 1974–78	वा. योजना 1978–80	छठी योजना 1980–85	सातवीं योजना 1985–90	वा. योजना 1990–92	आठवीं योजना 1992–97	नौवीं योजना 1997–2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0.023	0.296	0.078	0.037	0.072	0.252	0.280	0.243	1.046	0.011	0.297	0.407
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	0.040	0.001
3.	असम	1.547	0.752	0.750	0.817	1.148	0.700	0.490	0.896	1.430	0.744	0.647	0.670
4.	बिहार	1.747	0.870	0.840	1.170	1.422	2.398	1.590	1.726	1.646	0.925	0.641	1.309
5.	छत्तीसगढ़	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.018
6.	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	0.010	0.010	0.022	0.017	0.002	0.015	0.035	0.004	0.000	0.000	0.012	0.000
7.	गोवा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8.	गुजरात	0.000	0.348	0.174	0.057	0.230	0.545	0.370	0.400	0.415	0.336	0.660	0.000
9.	हरियाणा	0.043	0.156	0.242	0.250	0.108	0.443	0.360	0.146	0.195	0.144	0.144	0.002
10.	हिमाचल प्रदेश	0.000	0.046	0.000	0.000	0.028	0.010	0.045	0.024	0.164	0.000	0.293	0.163
11.	जम्मू–कश्मीर	0.017	0.026	0.000	0.007	0.006	0.008	0.000	0.000	0.133	0.000	0.076	0.003
12.	झारखंड	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13.	कर्नाटक	0.000	0.000	0.006	0.000	0.008	0.000	0.100	0.076	0.188	0.138	0.100	0.038
14.	केरल	0.000	0.062	0.040	0.290	0.038	0.250	0.105	0.144	0.366	0.640	0.160	0.115
15.	मध्य प्रदेश	0.097	0.040	0.022	0.017	0.032	6.028	0.083	0.020	0.036	0.026	0.078	0.004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	महाराष्ट्र	0.000	0.068	0.044	0.007	0.046	0.023	0.100	0.004	0.076	0.136	0.025	0.011
17.	मणिपुर	0.000	0.002	0.004	0.027	0.016	0.008	0.000	0.030	0.035	0.000	0.000	0.000
18.	मेघालय	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.005	0.000	0.000	0.027	0.002	0.004	0.000
19	मिजोरम	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.082	0.000
20.	नागालैंड	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.002	0.000
21.	उड़ीसा	0.220	0.592	0.308	0.587	0.824	0.253	0.355	0.514	0.460	0.938	0.147	0.422
22.	पंजाब	0.310	0.350	0.566	0.117	0.074	0.118	0.025	0.022	0.740	0.002	0.231	0.027
23.	राजस्थान	0.000	0.016	0.032	0.197	0.454	0.910	1.175	0.192	0.152	0.900	0.389	0.036
24.	सिक्किम	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.002	0.000	0.000	0.000
25.	तमिलनाडु	0.000	0.002	0.112	0.000	0.092	0.085	0.020	0.049	0.001	0.000	0.049	0.000
26.	त्रिपुरा	0.007	0.014	0.082	0.080	0.048	0.025	0.000	0.030	0.007	0.000	0.011	0.000
27.	उत्तरांचल	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
28.	उत्तर प्रदेश	2.130	1.940	1.150	1.583	2.702	2.115	4.020	3.980	1.971	1.510	1.106	0.860
29.	पश्चिमी बंगाल	0.257	1.114	0.134	1.080	1.182	0.858	1.550	0.070	0.922	1.474	0.305	1.116
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000
31.	चंडीगढ़	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
32.	दादरा व नगर हवेली	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
33.	दमण और दीव	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
34.	लक्षद्वीप	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
35.	पांडिचेरी	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.013	0.000	0.002	0.002	0.006	0.002	0.000

मोर के पंखों के व्यापार पर प्रतिबंध

968. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारत में मोर के पंखों का व्यापार एक आम बात है और गैर–कानूनी रूप से मारे गए मोरों के प्रतिदिन हजारों पंख बेचे जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मोर को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम जारी करने को अनुसूची–I में डालने हेतु एक अधिसूचना और इस व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत घरेलू व्यापार के प्रयोजन के लिए मोर की पूंछ के पंखों पर छूट दी गई है। मोरों की हत्या अपराध है और जब भी मोरों के अवैध शिकार की सूचना मिली है, कार्रवाई की गई है। पीफाउल पहले से ही अधिनियम की अनुसूची–I में शामिल है और सरकार की आयात–निर्यात नीति के तहत पूंछ के पंखों व उनसे निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध है। घरेलू व्यापार पर प्रतिबंध लगाने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

दक्षिण एशिया में धुएं के बादल (स्मॉग) छा जाना

969. श्री रामजी मांझी :
श्री चिंतामन वनगा :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अगस्त, 2002 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'इज ए ब्लैन्केट आफ स्मॉग चोकिंग साउथ एशिया' शीर्षक से प्राकशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा भारत में किस प्रकार से प्रदूषण के खतरे से निपटने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) "इंडियन ओशन रिसर्च एक्सपैरीमैंट (इंडोक्स)" नामक एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अध्ययन से हिन्द महासागर के ऊपर धुंध का पता चला है। एशियाई क्षेत्र एवं इसके चारों ओर के समुद्रों के ऊपर यह धुंध वायुमंडल का स्थाई भाग नहीं है। यह केवल जनवरी–मार्च की अवधि में ही होती है अर्थात ऐसे मौसम में जब वर्ष 1999 में इंडोक्स द्वारा प्रेक्षण किए गए थे। हमारे देश की वर्षा और/या कृषि पर इस धुंध के प्रभाव को देखने के लिए निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने इंडोक्स पर आधारित "दि एशियन ब्राऊन क्लाउड : क्लाईमेट एंड अदर एनवायरमैंटल इम्पैक्ट्स" शीर्षक से एक रिपोर्ट निकाली है। यूएनईपी द्वारा उक्त रिपोर्ट को जारी किए जाने वाली प्रेस विज्ञप्ति में क्षेत्रीय एवं विश्व दोनों स्तरों पर इस धुंध के प्रभावों की एक खतरनाक तस्वीर पेश की है। तथापि इसमें पेश की गई अधिकतर चिंताओं को विश्वसनीय माडलिंग अध्ययनों या प्रयोगात्मक प्रेक्षणों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका है। विद्यमान कानून और नीतिगत ढांचे के साथ–साथ पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के संबंध में उठाए गए अनेक उपाय देश में वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त हैं।

बहुराष्ट्रीय बीज कम्पनियां

970. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय बीज कम्पनियां बीज वितरण बाजार पर एकाधिकार जमाने के उद्देश्य से भारतीय बीज कम्पनियों पर तेजी से कब्जा करती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा बीज व्यापार में विदेशी भागीदारी को प्रतिबंधित करने के लिए कौन–कौन से कदम उठाए जाने की सम्भावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) विदेशी सहयोगियों द्वारा भारतीय बीज

कम्पनियों में शेयरों पर कब्जे के मामलों सहित 01.01.2000 से 31.08.2002 तक बीज क्षेत्र में स्वीकृत विदेशी सहयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जैव सुरक्षा दिशा निर्देशों तथा बीज विकास पर नई नीति, 1988 में निहित प्रावधानों के अनुपालन के अधीन बीज क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत है।

विवरण

जनवरी, 2000 से अगस्त, 2002 तक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा अनुमोदित विदेशी सहयोग मामलों की सूची

क्र.सं.	भारतीय कम्पनी का नाम	मद विवरण	विदेशी सहयोगी का नाम	प्रतिशत इक्विटी राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	चंबल एग्री टेक लि. नई दिल्ली	उच्च उत्पादक पौधों का नियंत्रित पर्यावरण में बहुलीकरण जिसके फल–स्वरूप छोटे आलू के बीज का उत्पादन	टेकनिको प्रा.लि. आस्ट्रेलिया	0.00 (0.00%)
2.	ग्लोबल ट्रांसजिनेस लि. औरंगाबाद (महा.)	ट्रांसजैनिक संकर कपास बीज	चाईनीज कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, चीन	तकनीकी मामला
3.	ग्लोबल ट्रांसजिनेस लि. औरंगाबाद (महा.)	ट्रांसजैनिक संकर चावल बीज	हुआझोंग कृषि विश्वविद्यालय, चीन	तकनीकी मामला
4.	ग्लोबल ट्रांसजिनेस . लि. औरंगाबाद (महा.)	ट्रांसजैनिक संकर कपास बीज	चाईनीज कॉटन रिसर्ज इंस्टीट्यूट, चीन	तकनीकी मामला
5.	ग्लोबल ट्रांसजिनेस लि. औरंगाबाद, (महा.)	ट्रांसजैनिक कपास बीज संकर	बायोसेन्चुरी ट्रांससेन (चीन) कं. लि, चीन	तकनीकी मामला
6.	बिका इंस्ट्रूमेंट इंडिया प्रा.लि., पुणे	बीज के विपणन हेतु पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कं. की स्थापना	बिका अलेक्जैंडर विंग, जीएमबीएच एंड कं. जर्मनी	400.43 (100.00%)
7.	यूनीकॉर्न सीड्स लि. सिकंदराबाद	सब्जी बीज	जेरेम गिडेरा सीड्स ग्रोवर्स कं.लि., इजरायल	तकनीकी मामला
8.	अदानी बिल्मर लि. अहमदाबाद	तिलहन से घुलनशील निष्कर्षण तथा तिलहनों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय	विलमर इन्वेस्टमेंट्स (मॉरीशस)	0.00 (0.00%)
9.	इंडिया सीड होल्डिंग लि., हैदराबाद	संकर बीजों का विकास, उत्पादन प्रसंस्करण और विपणन	इंडिया सीड होल्डिंग लि., मॉरीशस	4320.00 (100.00%)
10.	इंडिया सीड होल्डिंग लि. हैदराबाद	संकर बीजों का विकास, उत्पादन प्रसंस्करण और विपणन	इंडिया सीड होल्डिंग लि., मॉरीशस	0.00 (0.00%)

1	2	3	4	5
11.	इंडिया सीड होल्डिंग लि. हैदराबाद	संकर बीजों के अनुसंधान और विकास हेतु पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनियां	इंडिया सीड होल्डिंग लि., मॉरीशस	50.00 (100.00%)
12.	इंडिया सीड होल्डिंग लि., हैदराबाद	संकर बीजों के अनुसंधान और विकास हेतु पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनियां	इंडिया सीड होल्डिंग लि., मॉरीशस	4370.00 (0.00%)
13.	हाईब्रिड राईस इंटरनेशनल लि., नई दिल्ली	धान के संकर बीजों को उगाना, उसका प्रसंस्करण तथा उनकी बिक्री	बायोजेनेटिक टैक्नोलोजीज बी.वी. नीदरलैंड	690.00 (61.06%)
14.	प्रोएग्रो सीड कं.लि., नई दिल्ली	प्रमाणित अधिक उपज देने वाले संकर बीजों तथा सब्जी बीजों का विकास और विपणन	बायोजेनेटिक टेक्नोलोजीज बी.वी नीदरलैंड	11.11 (100.00%)
15.	हाइब्रिड राईस इंटरनेशनल लि., नई दिल्ली	धान के संकर बीजों का उगाना, उसका प्रसंस्करण तथा उनकी बिक्री	बायोजेनेटिक टेक्नोलोजीज बी.वी. नीदरलैंड	0.00 (0.00%)
16.	स्प्रिक एग्रो बायोटेक सेंटर, चैन्ने	फूलों के बीज	शेरूअर्स डी क्वाकंल बी.वी. नीदरलैंड	तकनीकी मामला
17.	प्रोएग्रो सीड कं.लि., नई दिल्ली	प्रमाणित अधिक उपज देने वाले संकर बीजों तथा सब्जी बीजों का विकास और विपणन	पी.जी.ए. इंटरनेशनल एन.बी. नीदरलैंड	5.47 (10.96%)
18.	प्रोएग्रो सीड कं.लि., नई दिल्ली	प्रमाणित अधिक उपज देने वाले संकर बीजों तथा सब्जी बीजों का विकास और विपणन	पी.जी.ए. इंटरनेशनल एन.वी. नीदरलैंड	0.00 (0.00%)
19.	नोम यूसीड (इं.) प्रा. लि., मुंबई	फल सब्जियों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज का प्रजनन	मोन यूसीड कं.लि., ताईवान	80.00 (100.00%)
20.	मन्संटो केमिकल्स ऑफ इंडिया लि., नई दिल्ली	एग्रो. केमिकल्स का निर्माण तथा बीज व्यवसाय	मन्संटो कम्पनी यू.एस.ए.	231.74 (72.17%)
21.	स्पिक फि. सीड्स लि., नई दिल्ली,	संकर बीजों का उत्पादन	पयोनियर ओवरसीज कॉरपोरेशन, यू.एस.ए.	45.00 (100.00%)
22.	पायोनियर ओवरसीज कारपोरेशन, नई दिल्ली	मूल आधारी बीज के उत्पादन हेतु पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां	पायोनियर ओवरसीज कॉरपोरेशन यू.एस.ए.	1400.00 (100.00%)

1	2	3	4	5
23.	अल्टेक आई.एन.सी., यू.एस.ए.	बीज विपणन के उद्देश्य से विकास, उत्पादन, विपणन और व्यवसाय	अल्टेक आई.एन.सी. यू.एस.ए.	70.00 (100.00%)
24.	मन्संटो होल्डिंग्स प्रा. लि., मुंबई	संकर और उन्नत बीजों का अनुसंधान, विकास, उत्पादन एवं बिक्री	मन्संटो (इ.) प्रा. लि., यू.एस.ए.	0.00 (0.00%)
25.	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कं.लि., मुंबई	संकर बीज	मन्संटो कं., यू.एस.ए.	तकनीकी मामला
26.	सीड वर्क्स इंडिया प्रा. लि., हैदराबाद	बीजों के अनुसंधान, विकास, उत्पादन, विपणन और निर्यात हेतु पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां	यू.ए. एग्री सीड्स आई.एन.सी. यू.एस.ए.	0.00 (0.00%)
27.	अल्टेक आई.एन.सी. यू.एस.ए.	बीज विपणन के उद्देश्य से विकास, उत्पादन, विपणन और व्यवसाय	अल्टेक आई.एन.सी., यू.एस.ए.	0.00 (0.00%)
28.	मन्संटो होल्डिंग्स प्रा. लि., मुंबई	एग्रो. केमिकल्स का निर्माण तथा बीज व्यवसाय	मन्संटो कं. यू.एस.ए.	0.00 (0.00%)
29.	मन्संटो होल्डिंग्स प्रा. लि., मुंबई	संकर और उन्नत बीजों का अनुसंधान, विकास, उत्पादन एवं बिक्री	मन्संटो (इ.) प्रा. लि. यू.एस.ए.	0.00 (0.00%)
30.	नन्हेम्स प्रो. एग्रो. सीड्स प्रा. लि., हैदराबाद	उन्नत खुले परागित किस्म और संकर बीजों के प्रसंस्करण के लिए पूर्णतया स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां	अंसीड्स यू.एस.ए.	1746.74 (0.00%)
31.	जुआरि सीड्स लि., पणजी	बीज में व्यवसाय	दी इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्ड एंड वेजीटेबल्स, यूगोस्लाविया	तकनीकी मामला

खजूर के तेल उत्पादकों को सहायता

971. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम वर्षा का खजूर के तेल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सूखे जैसी स्थितियों के कारण इस संकटग्रस्त खजूर के तेल उत्पादकों के लिए कितनी सहायता का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) आयल पाम एक बहुवार्षिक फसल है और भारत में यह अधिकांशतः सिंचित स्थितियों में उगाई जाती है। किसानों को वर्षा की अनियमितता के दुष्परिणामों से बचाने के लिए आयल पाम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत डीजल पम्प सैटों की खरीद एवं छिड़काव सिंचाई प्रणाली के लिए राहसहायता प्रदान की जाती है। आपदा राहत कोष एवं राष्ट्रीय आपदा आकस्किता कोष के दिशा–निर्देशों के अनुसार जहां बहुवार्षिक फसल को 50 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान होता है, वहां छोटे और सीमांत किसानों को 4000/– रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि आदान राजसहायता के रूप में सहायता दी जाती है।

वनस्पति और जड़ी-बूटी आधारित कृषि उद्योगों की स्थापना

972. कुमार भावना पुंडलिकराव गवली : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि के वनस्पति और जड़ी–बूटी उत्पादों का उत्पादन करने वाले जनजातीय क्षेत्र में इन उत्पादों पर आधारित उद्योगों की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) सरकार अपने आप कोई उद्योग नहीं लगाती है। वनस्पतियों और हर्बल उत्पादों से जुड़े उद्योगों सहित उद्योगों की स्थापना करने के संबंध में निर्णय उद्यमियों पर छोड़ दिया जाता है। तथापि, सरकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से उड़ीसा तथा महाराष्ट्र राज्यों की आदिवासी बेल्टों सहित सारे देश में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का कार्यान्वयन पहले ही कर रही है ताकि वनस्पति तथा हर्बल उत्पादों पर आधारित कृषि उद्योगों सहित, कृषि आधारित उद्योगों का संवर्धन किया जा सके। इस स्कीम के तहत के.वी.आई.सी. 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत का 25 प्रतिशत की दर से मार्जिन मनी सहायता देती है तथा 10 लाख रु. से ऊपर की और 25 लाख रु. तक की परियोजना के संबंध में 10 लाख रु. तक के लिए 25 प्रतिशत की दर से जमा परियोजना की शेष लागत के संबंध में 10 प्रतिशत की दर से मार्जिन मनी प्रदान करती है। अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग/एक्स–सर्विसमैन तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितग्राही/संस्थान तथा पहाड़ी बार्डर और आदिवासी क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप के मामले में 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के संबंध में मार्जिन मनी 30 प्रतिशत की दर से प्रदान की जाती है परंतु इस राशि से ऊपर और 25 लाख रु. तक की परियोजना लागत के संबंध में 10 लाख रु. तक यह 30 प्रतिशत की दर से जमा शेष परियोजना लागत के 10 प्रतिशत की दर से प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत हितग्राही का अंशदान परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत होना चाहिए। अनु.जा./अनु. ज.जा. तथा अन्य कमजोर वर्गों के संबंध में हितग्राही का अंशदान परियोजना लागत का 5 प्रतिशत है। इस स्कीम का कार्यान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

तथापि, सरकार ने 14.5.2001 को कृषि आधारित उद्योगों सहित खादी और ग्रामोद्योग (के.वी.आई.) के संवर्धन तथा विकास हेतु एक पैकेज की घोषणा की है। पैकेज में पांच वर्ष के लिए खादी हेतु छूट नीति, छूट और मार्किट विकास सहायता (एम.डी.ए.) में विकल्प, खादी कारीगरों को बीमा कवर, खादी उत्पादों के सुधार पर बल, पैकेजिंग तथा डिजाइन सुविधाओं का सृजन, मार्किट संवर्धन हेतु उपाय, ब्रांड बिल्डिंग कलस्टर विकास इत्यादि शामिल हैं। पैकेज कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के अंतर्गत है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) द्वारा बकाया धनराशि की वसूली

973. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **इस्पात** मंत्री 7.8.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3582 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के कौन–कौन से ऐसे उपभोक्ता हैं जिन पर दो करोड़ रुपये से भी अधिक की धनराशि सेल को देय है और ये किस तिथि से देय है;

(ख) सरकार द्वारा बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) बकाया देय राशि का ग्राहक–वार ब्यौरा प्रकट

करना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) के वाणिज्यिक हित में नहीं है।

(ख) और (ग) आमतौर पर ऋणों की वसूली समय पर की जाती है। लंब समय से बकाया ऋणों के सभी मामलों में बकाया देय राशियों की वसूली करने के लिए सेल द्वारा नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करके जोरदार प्रयास किए जाते हैं और उपुयक्त मामलों में कानूनी कार्रवाई का सहारा भी लिया जाता है।

[अनुवाद]

होटलों पर कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) और कर्मचारी राज्य बीमा की देय राशि

974. श्री सी. श्रीनिवास :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर दिल्ली और तमिलनाडु में स्थित पंचसितारा होटलों को गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) और कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) के सबसे बड़े चूककर्ता माने गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी होटलवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसके मालिकों/प्रबंधन के विरुद्ध क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंध में सूचना निम्नलिखित है :

(I) कर्मचारी राज्य बीमा

दिल्ली तथा तमिलनाडु सहित देश में स्थित पांच सितारा होटल भुगतान नियमित रूप से करते हैं।

(II) कर्मचारी भविष्य निधि

दिल्ली में दो पांच सितारा होटलों अर्थात अशोक तथा कुतुब के संबंध में अनुपालन की स्थिति संतोषजनक नहीं है क्योंकि इन दोनों होटलों ने ठेका श्रमिकों के संबंध में उपबंधों का पूर्णतः कार्यान्वयन नहीं किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अंतर्गत ठेका कर्मचारियों के संबंध में बकाया राशि का आकलन कर रहा है। तमिलनाडु के संबंध में चूक का ऐसा कोई मामला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की जानकारी में नहीं आया है।

[हिन्दी]

रुग्ण इस्पात संयंत्र

975. योगी आदित्यनाथ :
श्रीमती जस कौर मीणा :
श्री वाई. जी. महाजन :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई इस्पात संयंत्र रुग्ण हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त संयंत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केवल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लि. (इस्को) को जून, 1994 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित किया गया था और बाद में अगस्त, 1994 में इसे रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एसआईसीए) के अंतर्गत रुग्ण औद्योगिक कंपनी घोषित कर दिया गया।

(ग) जी, हां

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार के अनुमोदन के अनुसरण में एक पुनर्वास

प्रस्ताव पर इस समय प्रचालन एजेंसी इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई) द्वारा विचार किया जा रहा है। बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित किए जाने पर इसका कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकी प्रसार घटक में नवीकरण

976. **श्री टी. टी. वी. दिनाकरन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित "प्रौद्योगिकी प्रसार घटक में नवीकरण" की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन-कौन से राज्यों का चयन किया गया है और इनके चयन का आधार क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विस्तार सेवाओं से सुदृढ़ीकरण के लिए कृषि के विकास हेतु उक्त योजना में तमिलनाडु को शामिल किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एनएटीपी) के प्रौद्योगिकी प्रसार में नवीकरण घटक में निम्नलिखित प्रस्तावित है :

- जिला स्तर पर तथा इससे नीचे प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए नई तथा विकेन्द्रीकृत संस्थागत व्यवस्थाएं स्थापित करना जिसमें सामूहिक दृष्टिकोण, कृषक सहभागिता विधियां, निचले स्तर पर योजना निर्माण संबंधी प्रक्रिया पर अधिक जोर दिया गया हो ताकि यह प्रणाली मांग आधारित एवं किसानों के प्रति उत्तरदायी हो सके।
- विस्तार सेवाओं में आमूल परिवर्तन करके इसे बहुकोणीय बहु-एजेंसी प्रणाली बनाना, तथा
- सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, प्रचार माध्यमों तथा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

(ख) इस स्कीम का प्रायोगिक परीक्षण सात राज्यों- आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा पंजाब के चार-चार जिलों में किया जा रहा है। परियोजना वाले राज्यों/जिलों का चयन कृषि पारिस्थितिकी, कृषि विकास की स्थिति एवं विस्तार सेवाओं के आधार पर किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) का विभाजन

977. **श्री टी. एम. सेल्वागनपति :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के द्विशाखन के प्रस्ताव की पुनः जांच की जा रही थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2000 में संशोधित ऑफर के विपरीत केवल पांच पार्टियों ने बिक्री के लिए अपनी रुचि व्यक्त की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के विभाजन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) उपयुक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना

978. **श्री चिन्तामन वनगा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में प्रत्येक जिले में कम से कम एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश कृषि विज्ञान केन्द्र पूरी तरह कार्यशील नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) वर्तमान 261 कृषि विज्ञान केन्द्रों के अतिरिक्त नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि विज्ञान केन्द्रों के अतिरिक्त कार्यों को पूरा करने के लिए 53 क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों (जैडएआरएस) को भी सुदृढ़ किया है। इसके अतिरिक्त, 2001–02 से 2003–04 तक की तीन वर्षों की अवधि के दौरान 66 नए कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त की है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के शेष जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।

(ग) और (घ) कृषि विज्ञान केन्द्रों में आधारभूत सुविधाएं चरणगत रूप में विकसित की जाती हैं। पहले से अनुमोदित 261 कृषि विज्ञान केन्द्रों में से 82 प्रतिशत केन्द्र पूरी तरह से कार्यशील हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र की वार्षिक कार्य योजना के साथ–साथ आधारभूत ढांचे के विकास की प्रगति की समीक्षा करने के लिए जिला अधिकारियों तथा क्षेत्रीय समन्वयक को शामिल करते हुए प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए एक वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति (एसएसी) का गठन किया गया है।

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सहायता

979. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी में विधवा हुई 80 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के पास आय का कोई स्रोत नहीं है जैसाकि 27 सितम्बर, 2000 को 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया'' में खबर प्रकाशित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले का ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी स्थिति सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 के किनारे लगे वृक्षों को काटा जाना

980. डा. चरणदास महंत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और कोलकाता के बीच राष्ट्रीय सुपर राजमार्ग संख्या–2 के दोनों किनारे फल वाले बहुत पुराने वृक्षों को काटे जाने के लिए जारी किए आदेश/अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र जिन निबंधन और नियमों के अंतर्गत जारी किए गए हैं, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन वृक्षों को काटे जाने के लिए किन पार्टियों को अधिकृत किया गया और काटे जाने के बाद उनका स्वामित्व किस के पास है;

(ग) क्या काटे जाने का ठेका देने से पूर्व उक्त वृक्षों की गणना की गई थी और उनकी किस्म का पता लगाया गया था,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या काटे गए वृक्षों की नीलामी कर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक कर लिया जाएगा और इस संबंध में प्राधिकारी का नाम क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को चौड़ा करने के लिए वृक्षों की विभिन्न प्रजातियों को काटने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और यथालागू अन्य प्रावधानों के अनुसार अनुमति दी गई है। मुख्य शर्त यह थी कि कम से कम काटे गए वृक्षों

की संख्या से दोगुणा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के रूप में वृक्ष लगाए जाएंगे।

(ख) राज्य वन विभागों को अपने-अपने राज्यों में अपने स्वामित्व के अधीन वृक्षों की कटाई और काटे गए वृक्षों के निपटान के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्राधिकृत किया गया है। तथापि, कुछ इलाकों में संबंधित राज्य वन विभाग की देख-रेख में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वृक्षों की कटाई की गई थी।

(ग) से (च) जी, हां। यह एक स्थापित पद्धति है कि जो पेड़ काटे/नीलाम किए जाएं उनको उपयुक्त रूप से चिन्हित किया जाए और उनका विस्तृत लेखा-जोखा रखा जाए। ऐसे ब्यौरे केन्द्रीय सरकार के स्तर पर संकलित नहीं किए जाते चूंकि ये मामले राज्य सरकारों के समुचित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।

[अनुवाद]

फैरो मिश्र और फैरो क्रोम संयंत्रों का बंद होना

981. **श्री मोहन रावले :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ फैरो मिश्र और फैरो क्रोम संयंत्र या तो बंद हो गए हैं या बंद होने की कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप प्रभावित कामगारों की संख्या कितनी है; और

(घ) कामगारों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी हां। 14,09,320 टन वार्षिक क्षमता की 58 फैरो मिश्र इकाइयों में से 4,40,838 टन वार्षिक क्षमता की 22 इकाइयां बंद पड़ी हैं। इस प्रकार बंद इकाइयों की क्षमता लगभग 31.28 प्रतिशत है। फैरो मिश्र का उत्पादन करने वाली 36 चालू इकाइयों में से 10 इकाइयां फैरो क्रोम का उत्पादन करती हैं। इन 10 इकाइयों की कुल क्षमता लगभग 3,52,000 टन वार्षिक है। बंद इकाइयों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इन संयंत्रों को बंद किए जाने से अनुमानतः लगभग 16,500 कामगार प्रभावित हुए हैं।

(घ) सभी बंद इकाइयां निजी क्षेत्र में थीं। ये इकाइयां बाजार शक्तियों की अन्योन्य क्रिया के प्रभाव के कारण बंद हुईं। इस प्रकार इसमें सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं है।

विवरण

बंद फैरो मिश्र इकाइयों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	इकाई का नाम	क्षमता (टीपीए)	कामगारों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	जिंदल स्ट्रिप्स लि.	40,000	253
2.	आंध्र प्रदेश	वी.बी.सी. फैरो अलॉयज लि.	37,000	231
3.	आंध्र प्रदेश	आंध्र फैरो अलॉयज लि.	5,000	75
4.	आंध्र प्रदेश	फैरो अलॉयज कॉरपोरेशन लि.	72,500	4,709
5.	छत्तीसगढ़	हीरा फैरा अलॉयज लि. (आई)	16,000	380

1	2	3	4	5
6.	छत्तीसगढ़	नव क्रोम प्रा. लि.	27,500	410
7.	केरल	द ट्रावनकोर इलैक्ट्रो–कैमिकल इंडस्ट्रीज	7,500	210
8.	केरल	द सिल्कल मैंटालर्जिक लि.	10,500	157
9.	कर्नाटक	डंडेली स्टील एंड फैरो अलॉयज	15,000	384
10.	कर्नाटक	विश्वैश्वरैया आयरन एंड स्टील	15,000	350
11.	कर्नाटक	संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर	60,000	2,000
12.	महाराष्ट्र	भारत पल्वेराइजिंग मिल्स	300	50
13.	महाराष्ट्र	के.एफ.ए. मैंगनीज (खांडेवाल फैरो अलॉयज)	53,750	3,500
14.	महाराष्ट्र	सनबेल अलॉयज कंपनी	300	50
15.	महाराष्ट्र	यूनिवर्सल फैरो एंड अलाइड	40,000	2,500
16.	मध्य प्रदेश	जालान इस्पात कास्टिंग लि.	10,000	200
17.	उड़ीसा	ईस्टर्न मैटल्स एंड फैरो अलॉयज	588	150
18.	उड़ीसा	द जयपुर शुगर कंपनी	24,000	600
19.	उड़ीसा	उत्कल फैरो अलॉयज लि.	300	50
20.	पांडिचेरी	द सिलिकल मैटालर्जिक लि.	3,500	150
21.	तमिलनाडु	द सिलिकल मैटालर्जिक लि.	1,800	75
22.	पश्चिमी बंगाल	आर सेन एंड कंपनी	300	50

[हिन्दी]

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान

982. श्री अखिलेश यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में व्याप्त अराजकता और अनियमितताओं के कारण जानवर मर रहे हैं और उद्यान में आने वाले पर्यटकों की संख्या घट रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त उद्यान के विकास और पर्यावरण सुरक्षा के लिए विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग की भी जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने, जानवरों की सुरक्षा, उद्यान में सामान्य स्थिति बहाल करने और धनराशि के समुचित उपयोग हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और दोषी यदि कोई हो, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारत पारिविकास परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक से प्राप्त सहायता में ऐसी किसी अनियमितता के मामले केन्द्र सरकार के ध्यान में नहीं आए हैं।

(घ) 'बाघ परियोजना' और 'भारत पारि-विकास परियोजना' नामक स्कीमों के अंतर्गत रणथम्भौर बाघ रिजर्व के उचित प्रबंधन के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है जिसमें वन्यजीवों के संरक्षण और वास स्थल के विकास से संबंधित कार्यों के लिए सहायता शामिल है। राजस्थान में इस वर्ष सूखे की स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार ने रिजर्व के आस पास के गांवों में चारे और जल की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 45.0 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की है जिसमें से पहली किस्त के रूप में 25.0 लाख रुपये दिए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

रोटेशनल कृषि प्रणाली

983. श्री सुरेश कुरुप : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि हाल के वर्षों में धान के खेतों को खाली रखने की प्रथा बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की देश में नमभूमियो में रोटेशनल कृषि प्रणाली को सक्रियता से प्रोत्सगहन देने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। चावल के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र कवरेज निम्नवत है :

वर्ष	क्षेत्र (मिलियन हेक्टे.)
1996–1997	43.43
1997–1998	43.45
1998–1999	44.80
1999–2000	45.16
2000–2001	44.36

वर्ष 1999–2000 की तुलना में 2000–01 के दौरान चावल के क्षेत्र में आई मामूली कमी प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों जैसे बाढ़ तथा सूखे के कारण आई।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कृषि मंत्रालय के पास ऐसी स्कीम नहीं है। तथापि वृहत प्रबंध स्कीम के अंतर्गत राज्यों को चावल/फसल उत्पादन के लिए अपनी कृषि परिस्थितियों/क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार उपाय/गतिविधियां शुरू करने की सुविधा दी गई है।

बंजर भूमि पर वनारोपण

984. श्री के. करुणाकरन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 नवम्बर, 2002 को 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में 'यूजिंग माइक्रोप्स टू ग्रीन असोला' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश भर में इन नई तकनीकों को शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) वनों की कटाई के कारण वन क्षेत्र की भरपाई हेतु अन्य योजनाएं यदि कोई हैं, का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. सी. आर. बाबू ने दिल्ली विश्वविद्यालय के "सेंटर फार मैनेजमेंट ऑफ डीग्रेडिड ईको सिस्टम' के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर 'टैक्नोलॉजी डेवलपमेंट फार रीहैबिलिटेशन ऑफ भट्टी माइंड एरिया एंड अदर मोर्रम क्वैरीज इन देहली स्टेट' के संबध में भाटी और असोला क्षेत्रों में प्रत्येक 15 हेक्टेयर क्षेत्र के दो स्थलों पर एक पायलट परियोजना आरम्भ की है। यह परियोजना 1.12.1994 से 30.11.1999 तक पांच वर्षों के लिए थी और इसकी कुल लागत 25,76,970/– रुपये थी। इस परियोजना में नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले तथा फास्फेट विलायक सूक्ष्मजीवियों सहित स्थानीय वनस्पतियों की पौध के बीजों/जड़ों को संपुटित करने की परिकल्पना की गई है। ये सूक्ष्मजीवी पौधों को उनके विकास हेतु पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद पहुंचाते हैं। अरावली रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले दिल्ली

के असोला और भाटी स्थित 'वर्क्ड ओवर' खनन क्षेत्रों के शुष्क और गर्म क्षेत्रों के पुनः स्थापन के लिए लगभग पचास लेग्यूंस और घास प्रजातियों पर परीक्षण किया गया है। पायलट परियोजना होने के कारण इस समय इसकी देश के अन्य भागों में पुनरावृत्ति होना समय पूर्व जैसी बात होगी।

(घ) वन भूमि से अतिक्रमणकारियों को बाहर करने की कार्रवाई भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा इस समय लागू इसी तरह के राज्य विधानों में किए गए प्रावधानों के अनुसार की जाती है। तथापि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाही करने तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार समयबद्ध ढंग से अपात्र अतिक्रमणकारियों को उन भूमि से निकाल बाहर करने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रजनन कार्यों में सुधार

985. श्री के. येरननायडू : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से प्रजनन योग्य पशुओं हेतु प्रजनन कार्य में सुधार संबंधी कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से वर्ष 2000–01 हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार राज्य को 1108 लाख रुपये जारी करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने का भी अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार, संतति परीक्षण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर अक्तूबर, 2000 में राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रजनन योग्य सभी गोपशुओं तथा भैंसों को कृत्रिम गर्भाधान अथवा उच्च गुणवत्ता वाले सांडों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्राकृति सेवा के अंतर्गत लाना है।

(ग) और (घ) जी, हां। वित्तीय वर्ष 2000–2001 के दौरान सितम्बर, तक हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार तथा राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को 5.52 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी। जहां तक राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना का संबंध है, राज्य सरकार की आंध्र प्रदेश पशुधन विकास एजेंसी को परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अक्तूबर, 2000 से अब तक 14.97 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। और अनुदानों को जारी करना विगत अनुदानों के उपयोग तथा उसको वास्तविक लक्ष्यों की उपलब्धि के अधीन ईएफसी द्वारा अनुमोदित निधियों की वर्षवार प्रणाली पर निर्भर करेगा।

वन सम्पदा की चोरी

986. श्री पी. सी. थामस : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में विशेषकर केरल में बड़े पैमाने पर वन कटाई और वन सम्पदा को नुकसान/चोरी के मामलों की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबधी व्यौरा क्या है; और

(ग) केरल में प्रत्येक मामले विशेषकर इडुक्की जिले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों तथा केरल के कुछ भागों को छोड़कर केरल सहित देश में बड़े पैमाने पर वनों के दुरुपयोग और कटाई/वन सम्पदा की चोरी से संबंधित किसी विशिष्ट मामले की सूचना नहीं मिली है।

पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में केन्द्र सरकार को रेल मार्ग द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध इमारती लकड़ी लाने-ले-जाने के बारे में सूचना मिली थी। केन्द्र सरकार द्वारा 200 वैगनों की वास्तविक जांच कराई गई जिसके दौरान सभी वैगनों में बड़ी मात्रा में अवैध इमारती लकड़ी के होने का पता चला। उच्चतम न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका संख्या 202/95 के संदर्भ में अपने दिनांक 13.11.2000 के आदेश के अनुसार केन्द्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामलों की जांच करने व आगे की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। जांच कार्य के पश्चात इन वैगनों में मौजूद अवैध इमारती लकड़ी को जब्त कर लिया गया है। संबंधित लकड़ी आधारित उद्योगों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।

केरल के वायानद जिले में जनवरी, 2000 के दौरान 431 वृक्षों की कटाई की सूचना मिली थी जिसके लिए काटी गई इमारती लकड़ी जब्त करने के बाद दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। जब्त की गई इमारती लकड़ी की नीलामी कर दी गई है। इस स्कैंडल में प्रथम दृष्ट्या संलिप्त पाए गए दोषी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। केरल के उच्च न्यायालय द्वारा मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने का आदेश भी दिया गया है।

केरल के इडुक्की जिले में, जो कि राजस्व और वन विभाग के दोहरे नियंत्रण के अंतर्गत था, कुछ अतिक्रमणकारियों ने लगभग 800 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया था। आगे किसी तरह के अतिक्रमण को रोकने के लिए समूचा क्षेत्र अब वन विभाग के नियंत्रणाधीन कर दिया गया है। राजस्व विभाग और वन विभाग के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।

चोरी, तस्करी तथा अतिक्रमण आदि के इक्का-दुक्का मामले होते ही रहते हैं जिसके फलस्वरूप वन सम्पदा की क्षति होती है। इस तरह के सभी मामलों पर संबंधित राज्यों में लागू अधिनियमों और नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है।

कृष्णा जल न्यायाधिकरण

987. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कृष्णा जल न्यायाधिकरण की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कर्नाटक और अन्य राज्यों को अतिरिक्त जल छोड़ने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य ने सितम्बर, 2002 में अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत एक शिकायत पत्र भेजा है। इस पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि अंतर्राज्यीय कृष्णा नदी और उसकी घाटी के जल के संबंध में कर्नाटक राज्य और इसके निवासियों के हितों के निम्नलिखित कारणों से प्रभाव पड़ने की सम्भावना के कारण आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकारों के बीच एक जल विवाद पैदा हो गया है :

(i) बड़े पैमाने पर परियोजनाओं और जल भंडारों के स्थाई तौर पर निर्माण करके अधिशेष जल (आवंटन से पूर्व) के उपयोग और अधिशेष जल अर्थात 75 प्रतिशत की विश्वसनीयता पर 2130 हजार मिलियन घन फीट (टीएमसी) (2060 टीएमसी और 70 टीएमसी वापसी प्रवाह) में हिस्सेदारी देने से मना करने संबंधी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की क्रियात्मक कार्रवाई;

(ii) कर्नाटक राज्य द्वारा यथा प्रस्तावित एवं यथा-योजित पूर्ण जलाशय स्तर 519.6 मीटर से पूर्ण जलाशय स्तर के ऊपर 524.256 मीटर तक अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के संबंध में उसके असहमत होने के कारण आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों की क्रियात्मक कार्रवाई;

(iii) महाराष्ट्र सरकार द्वारा कृष्णा बेसिन जिसमें अधिशेष जल अर्थात 75 प्रतिशत विश्वसनीयता पर 2130 टीएमसी (2060 टीएमसी तथा 70 टीएमसी वापसी प्रवाह) से अधिक जल के उपयोग की क्षमता है, में कुल 560 टीएमसी की सक्रिय भंडारण क्षमता के सृजन की क्रियात्मक कार्रवाई;

(iv) नवम्बर से मई माह के दौरान प्रत्येक वर्ष अंतर्राज्यीय सीमा पर कृष्णा घाटी में भीमा नदी में ग्रीष्म ऋतु के पर्याप्त प्रवाहों को बनाए रखने में विफल होने में महाराष्ट्र राज्य सरकार की क्रियात्मक कार्रवाई तथा उसके बाद कृष्णा नदी के जल के उपयोग, बंटवारा और नियंत्रण के संबंध में अपने अधिकारों का प्रयोग करने में असफल होने पर महाराष्ट्र राज्य सरकार की कार्यात्मक कार्रवाई।

(v) पत्र में यह अनुरोध किया गया कि सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 4(1) के अंतर्गत जल विवाद अधिकरण का गठन किया जाए तथा (ii) इस प्रकार गठित अधिकरण को जल विवादों और उससे संबंधित मामलों को इस पत्र की शिकायत के कारण पैदा जल विवादों (अंतरिम उपायों सहित) के संगत मामलों को अधिनिर्णय और निर्णय हेतु भेजा जाए।

(ग) अधिनियम के प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार को बातचीत के आधार पर विवाद का समाधान करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से समाधान न होने की स्थिति में इस विवाद को शिकायत प्राप्त होने से एक वर्ष के भीतर निर्णय हेतु अधिकरण को भेजा जाना आवश्यक है।

[हिन्दी]

नदियों पर बहुउद्देश्यीय बांध का निर्माण

988. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :
श्री सुबोध राय :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अक्तूबर, 2002 के "पंजाब केसरी" में "बिहार में हर वर्ष बांध विनाश के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में बाढ़ नियंत्रण हेतु कोसी, कमला और बाघमती नदियों पर बहुउद्देश्यीय बांध का निर्माण करने का है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि सामान्यतः नेपाल से आने वाली नदियों के कारण बिहार में बाढ़ आती है। नेपाल से निकलने वाली नदियों के कारण आने वाली बाढ़ से होने वाली तबाही को कम करने के लिए भारत सरकार नेपाल की महामहिम सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से वार्ता कर रही है।

सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना तथा सनकोसी भंडारण सह व्यपवर्तन स्कीम के संबंध में नेपाल के साथ वार्ता के दौरान अक्तूबर, 2001 में सफलता मिली है जिसमें संयुक्त प्रारम्भिक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। इससे संयुक्त परियोजना कार्यालय स्थापित करने एवं संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्षेत्र अन्वेषण शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस परियोजना से अन्य बातों के साथ बिहार के लिए बाढ़ नियंत्रण लाभ मुहैया होगा।

कमला एवं बागमती बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण संबंधी मामला नेपाल की महामहिम सरकार के साथ विचाराधीन है।

इसके बाद, नेपाल से बिहार की ओर बहने वाली लालबकिया, बागमती, खांडों एवं कमला नदियों के बाढ़ के पानी को रोकने के लिए दोनों पक्षों ने भारतीय क्षेत्र से नेपाल तक इन नदियों में तटबंधों का विस्तार करने तथा भारतीय क्षेत्र में तटबंधों को सुदृढ़ करने के साथ ही नेपाल में ऊंची भूमि के साथ उन्हें जोड़ने पर सहमति हुई है। केन्द्र सरकार इन कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देती है। केन्द्र सरकार कोसी नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों के रख-रखाव के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।

कृषि उत्पादों की खरीद

989. श्रीमती रीना चौधरी :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 2001 से आज तक उत्तर प्रदेश में गेहूं, चावल, गन्ना और खरीफ फसलों की कितनी खरीद की गई;

(ख) इससे जिलेवार कितने किसान लाभान्वित हुए;

(ग) क्या सरकार ने किसानों को लाभकारी मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं और चावल की खरीद मूल्य समर्थन स्कीम के अधीन प्रत्येक विपणन मौसम हेतु निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। 2000–01 विपणन मौसम से उत्तर प्रदेश में खरीदी गई चावल और गेहूं की मात्रा निम्नवत है :

(मात्रा लाख मी. टन में)

विपणन मौसम	गेहूं	चावल (चावल के संदर्भ में धान सहित)
2000–01	15.45	11.74
2001–02	24.46	19.36
2002–03	21.11	0.08

(20.11.2002 को यथास्थित)

मोटे अनाजों की खरीद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में मोटे अनाजों की खरीद नहीं की जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा गन्ने की खरीद नहीं की जाती है। तथापि, समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुसार चीनी मिलों पर अनिवार्य चीनी लेवी की बाध्यता है।

(ग) और (घ) खाद्य राज सहायता के निर्गम में कमी करके बचत करने, खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता में वृद्धि करने और अधिक से अधिक स्थानीय खरीद को प्रोत्साहित करके न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ स्थानीय किसानों को पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत खरीद की स्कीम वर्ष 1997–98 में शुरू की गई। अब यह स्कीम पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और उत्तरांचल राज्यों में चल रही है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत खरीद की स्कीम को अपनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करती आ रही है।

शारदा परियोजना

990. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेपाल की पंचवर्षीय योजना में "शारदा परियोजना" को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या शारदा नदी में मुख्य नदियों का पानी गिरने के कारण "शारदा बैराज" को खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवती) : (क) से (घ) नेपाल द्वारा "शारदा परियोजना" की योजना के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। इस प्रकार की कोई परियोजना नेपाल की पंचवर्षीय योजना में शामिल करने संबंधी कोई सूचना नहीं है।

[अनुवाद]

समुद्र जल का उपयोग

991. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कच्छ क्षेत्र को जल आपूर्ति हेतु

रिजर्व ओसमोसिस संयंत्र प्रक्रिया द्वारा समुद्र जल के उपयोग संबंधी कोई प्राप्त प्रस्ताव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम फैसला लिए जाने की सम्भावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) गुजरात में कच्छ क्षेत्र की जलापूर्ति के लिए समुद्री जल का रिवर्स आसमोसिस प्लांट द्वारा प्रोसेस कर उपयोग करने संबंधी कोई प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

ए.ए.एस.एल. में सेवा शर्तें

922. श्री रामजीवन सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरलाइंन एलायड सर्विसेज लिमिटेड के ग्राउंड स्टाफ को इंडियन एयरलाइंस और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों की तुलना में कम वेतन मिलना है और यहां तक कि उन्हें स्वास्थ्य भत्ते का अलग से प्रावधान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस असमानता को दूर करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस से प्रतिनियुक्ति पर एलायंस एयर में गए अधिकारियों को इंडियन एयरलाइंस से वेतन के अलावा अब भी काफी भत्ते मिल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या एलायंस एअर में कोई प्रोन्नति नीति है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस से प्रतिनियुक्ति पर रखे गए कर्मचारियों के अलावा एलायंस एयर के अन्य कर्मचारी तीन वर्ष की अवधि के लिए अल्पावधि नवीनीकरण कांट्रैक्ट पर नियुक्त किए गए हैं। इंडियन एयरलाइंस से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को इंडियन एयरलाइंस से वेतन प्राप्त होता है। प्रबंधवर्ग के साथ किए गए समझौते के अनुसार, कांट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारियों के वेतन की संरचना अलग है तथा उन्हें चिकित्सा भत्ता, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, वार्षिक वेतन–वृद्धि, छुट्टी, एयर पैसेज, कैंटीन सुविधा आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कर्मचारी के संतोषजनक कार्य–निष्पादन के आधार पर कांट्रैक्ट की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस से एलायंस एयर में प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को उनका वेतन, प्रतिनियुक्ति और अन्य भत्ते उनके अपने कार्य की अपेक्षाओं के अनुसार मिलते हैं।

(ङ) और (च) एलायंस एयर में, एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड के जो कर्मचारी लघु अवधि नवीनीकरण कांट्रैक्ट पर हैं, के कल्याण के लिए निम्नलिखित नीति अपनाई है :

(i) सहायक पर्यवेक्षक/कार्यालय पर्यवेक्षक के स्तर पर आवश्यकतानुसार तथा पद के लिए निर्धारित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता मानदंडों के अनुरूप भर्ती की जाएगी।

(ii) प्रथम समझौता अवधि में कोई पदोन्नति नहीं की जाएगी।

(iii) यदि प्रथम समझौता अवधि के दौरान यदि कोई कर्मचारी अतिरिक्त योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसे वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा सकता है तथा समझौते के नवीनीकरण के समय उसे अगला उच्च पद देने पर विचार किया जा सकता है।

(iv) यदि कोई कर्मचारी प्रारम्भिक करार अवधि के दो वर्ष में उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो प्रारम्भिक करार के दो वर्ष पूर्ण होने पर अगले उच्चतर स्तर के लिए उनके नाम पर विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उच्च पद के लिए एक नया करार करना होगा।

(v) अगले उच्च स्तर पर नियुक्ति के लिए विचार

करने से पूर्व कर्मचारी को किसी भी स्तर पर कम से कम तीन वर्ष के लिए कार्य करना होगा।

अरावली पहाड़ियों का पारिस्थितिकीय क्षरण

993. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अरावली पहाड़ियों में बढ़ रहे पारिस्थितिकीय विनाश की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विनाश के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा अरावली पहाड़ियों पारिस्थितिकीय क्षरण के दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई शुरू की गई है; और

(घ) अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जैव दबाव में वृद्धि और खनन सहित विभिन्न तरह की अन्य गतिविधियों में वृद्धि होने के कारण अरावली पहाड़ियों का पारिस्थितिकीय अवक्रमण हुआ है।

(ग) और (घ) अरावली पर्वतमाला की परिस्थितिकीय क्षति को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जिनमें पंजाब भूमि (संरक्षण) अधिनियम, 1900, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और अन्य संगत अधिनियमों और विनियमों के प्रावधानों को कारगर ढंग से लागू करना शामिल है। दिनांक 7 मई, 1992 को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके अनुसार गुड़गांव और अलवर जिलों के अरावली पर्वतमाला के विशिष्ट रूप से विनिर्धारित क्षेत्रों में बिना पूर्वानुमति के वृक्षों की कटाई, खनन, नए उद्योग लगाना, निर्माण तथा बिजली की तारें बिछाना जैसी प्रक्रियाओं और गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली में पड़ने वाले रिज क्षेत्र, जो कि अरावली पर्वतमाला का हिस्सा हैं, उनके संबंध में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गई है जिसमें इस क्षेत्र को आरक्षित वन के रूप में घोषित करने के संबंध में सरकार की मंशा सूचित की गई है। रिज क्षेत्रों के संरक्षण और उनके विकास के लिए रिज क्षेत्र प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान की स्थापना

994. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को केरल, में प्रस्तावित इस संस्थान की स्थापना हेतु सभी जरूरी सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केरल सरकार की सहमति मिल गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) दसवीं योजना के दौरान एक नई स्कीम राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना से संबंधित प्रस्ताव के अनुमोदन पर विचार किया जा रहा है जिसमें एक राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान की स्थापना शामिल है। इसका कार्य देश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देना तथा इसके विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा देना है। इसके घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय मानदंडों के निर्धारण सहित जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण की प्रणाली की स्थापना करना।
- जैविक खेती के लिए क्षमता निर्माण।
- जैविक आदानों की वाणिज्यिक उत्पादन इकाइयों जैसे फल एवं सब्जी अवशिष्ट कम्पोस्ट यूनिटों, जैव उर्वरक उत्पादन यूनिटों एवं वर्मिकल्चर हेतु हैचरियों को सहायता।
- जैविक खेती को प्रोत्साहन एवं विस्तार।

(ग) और (घ) केरल वह राज्य है, जिसकी राज्य सरकार

ने अपने राज्य में राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान (एन.आई.ओ.एफ.) की स्थापना का अनुरोध किया है। इस अनुरोध एवं अन्य राज्यों से प्राप्त इस प्रकार के अनुरोध पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य

995. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश गन्ना उत्पादक संघ ने केन्द्र सरकार से गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपये और 8.5 प्रतिशत वसूली दर घोषित करने का अनुरोध किया है क्योंकि राज्य में व्याप्त सूखे की स्थिति के कारण कुल पैदावार में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गन्ना उत्पादक अन्य राज्यों से भी ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों से प्राप्त मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) सरकार गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, न कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। आंध्र प्रदेश गन्ना उत्पादक संघ से वर्ष 2002-03 के गन्ने के लिए 8.5 प्रति वसूली दर पर न्यूनतम सांविधिक मूल्य 1000/- रुपये घोषित करने के बारे में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(ख) महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा किसी अन्य गन्ना उत्पादक राज्य के गन्ना उत्पादक संघ से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

केरल की सिंचाई परियोजनाएं

996. श्री टी. गोविन्दन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को काफी पहले कावेरी नदी से संबंधित 21 परियोजनाएं मंजूरी हेतु प्रस्तुत की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजनाओं को मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) केरल सरकार ने कावेरी बेसिन की केवल 2 परियोजनाओं को ही भारत सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	परियोजनाओं के नाम	प्राप्त करने की तारीख	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)		लाभ (हजार हे./ मै.वाट.)
			मूल	नवीनतम	
1.	अट्टापडी सिंचाई परियोजना	फरवरी, 1996 (संशोधित)	26.00	110.00	8.38/0
2.	कुट्टिआडी संवर्धन बनसुरासागर परियोजना	सितंबर, 1977	5.00	17.98	4.80/0

अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी राज्यों के बीच उत्पन्न कावेरी जल विवाद को जून, 1990 में कावेरी जल विवाद अभिकरण को भेजा गया था। कोवरी जल विवाद अभिरण ने 25 जून, 1991 को एक अंतरिम आदेश पारित किया है। यह अभिकरण कावेरी जल विवाद पर निर्णय लेने के लिए नियमित रूप से सुनवाइयां कर रहा है। अभिकरण के समक्ष निर्णय के लिए विचाराधीन किसी राज्य की सिंचाई परियोजना निवेश स्वीकृति के लिए भारत सरकार द्वारा सिफारिश कर योजना आयोग को नहीं भेजा गया है।

[हिन्दी]

वनाच्छादित क्षेत्र

997. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री शिवाजी माने :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी राज्यों मे विशेषकर बिहार और महाराष्ट्र में अपेक्षित वनाच्छादित क्षेत्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अपेक्षित वनाच्छादन से संबंधित लक्ष्य प्राप्त करने के रास्ते में आने वाली बाधा को दूर करने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत देश के कुल भू-क्षेत्र का कम से कम एक-तिहाई क्षेत्र वन अथवा वृक्षावरण के अंतर्गत लाने की परिकल्पना है। पहाड़ों और पर्वतीय क्षेत्रों में, अपरदन और भूमि अवक्रमण को रोकने के लिए और नाजुक पारि तंत्र के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे आवरण के अंतर्गत क्षेत्र के दो-तिहाई भाग के रख-रखाव का लक्ष्य होना चाहिए। भारतीय वन सर्वेक्षण के नवीनतम आकलन के अनुसार बिहार और महाराष्ट्र राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का क्रमश 5.13 प्रतिशत और 15.17 प्रतिशत क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत है।

(ख) वन स्थिति रिपोर्ट 1999 के अनुसार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश में वन संवर्धन के लिए किए गए विभिन्न उपाय हैं :

(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने निजी संसाधनों एवं भारत सरकार की वित्तीय सहायता से वनीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(ii) वनों के विकास और उन्हें बनाए रखने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(iii) अवक्रमित वनों की सुरक्षा और पुनरुद्धार के लिए ग्रामीण समुदायों को शामिल करने के लिए सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(iv) गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपवर्तन के नियंत्रण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया है।

(v) सुरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(vi) मंत्रालय ने पारिस्थितिकीय स्थायित्व के लिए वानिकी और वृक्ष संसाधनों के योगदान में बढ़ोत्तरी करने एवं वन संसाधनों के संरक्षण और उनके विकास हेतु निवेश में सुधार द्वारा लोक केन्द्रित विकास करने के लिए एक राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम तैयार किया है।

विवरण

वन स्थिति रिपोर्ट, 1999 के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में "वनावरण" की प्रतिशतता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिशतता
1	2
आंध्र प्रदेश	16.08
अरुणाचल प्रदेश	82.21
असम	30.2
बिहार	5.13
छत्तीसगढ़	41.93
दिल्ली	5.93
गोवा	33.79
गुजरात	6.61
हरियाणा	2.18

1	2
हिमाचल प्रदेश	23.5
जम्मू–कश्मीर	9.2
झारखंड	27.15
कर्नाटक	16.93
केरल	26.56
मध्य प्रदेश	19.73
महाराष्ट्र	15.17
मणिपुर	77.86
मेघालय	69.7
मिजोरम	86.99
नागालैंड	85.43
उड़ीसा	30.21
पंजाब	2.8
राजस्थान	4.05
सिक्किम	43.94
तमिलनाडु	13.13
त्रिपुरा	54.79
उत्तरांचल	43.49
उत्तर प्रदेश	11.55
पश्चिमी बंगाल	9.42
अंदमान और निकोबार द्वीप	92.21
चंडीगढ़	6.14
दादरा और नगर हवेली	41.44
दमन और दीव*	2.68
लक्षद्वीप*	0
पांडिचेरी*	0
कुल	19.39

*इन राज्यों में वन उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

कनाडा के लिए एयर इंडिया की उड़ान सेवायें

998. श्रीमती प्रभा राव :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया वर्तमान में कनाडा के लिए किसी उड़ान का परिचालन कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या दोनों देशों के बीच सीधे संपर्क की संभावना का पता लगाने हेतु कनाडा के साथ कोई बातचीत हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस समय, विमान बेड़ा सीमित होने के कारण एयर इंडिया की कनाडा में प्रचालन की कोई योजना नहीं है। एयर कनाडा ने भी अपने व्यावसायिक कारणों की वजह से भारत से प्रचालन पर रोक लगा दी है। तथापि, एयर इंडिया द्वारा यात्रियों को यूरोप/यू.के. में एक स्थान तक ले जाया जाता है, तत्पश्चात यात्रियों को दूसरे वाहकों द्वारा कनाडा में विभिन्न स्थानों तक ले जाया जाता है।

[हिन्दी]

रूस के सहयोग से लौह और इस्पात संयंत्र की स्थापना

999. श्री वाई. जी. महाजन : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने रूस के सहयोग से देश में लौह और इस्पात संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस्पात संयंत्र के कब तक स्थापित होने की सम्भावना है;

(घ) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ङ) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ग) रूस के सहयोग से देश में लोहा और इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन एम डी सी) रूसी प्रौद्योगिकी से नागरनार, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ में 3,00,000 टन वार्षिक क्षमता का एक वाणिज्यिक कच्चा लोहा संयंत्र स्थापित कर रहा है। इस संयंत्र को अक्तूबर, 2004 तक चालू किए जाने की संभावना है।

(घ) संयंत्र की अनुमानित लागत 298.68 करोड़ रुपये है।

(ङ) 2002-2003 के दौरान इस परियोजना के लिए एन एम डी सी द्वारा 43.15 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

[अनुवाद]

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

1000. श्री अनन्त नायक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्वरित लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) को प्रत्येक राज्य में लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों में ऐसे कार्यक्रम शुरू किये गये हैं और कब से शुरू किये गए हैं;

(ग) क्या इस कार्यक्रम को उड़ीसा में भी शुरू किया गया है; और

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को अब तक वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने 500 करोड़ रु. अथवा उससे ऊपर की लागत वाली वृहद सिंचाई और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा ऐसी परियोजनाएं जो राज्यों की संसाधन क्षमता से बाहर हैं तथा अन्य परियोजनाएं जो निर्माण के अन्तिम चरण में हैं, को शीघ्र पूरा करने के लिए भी वर्ष 1996-97 से "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) प्रांरभ किया है। इस कार्यक्रम के तहत आनुपातिक आधार पर केन्द्रीय ऋण सहायता (सी एल ए) के रूप में निधियां जारी की गई हैं। राज्यों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ए आई बी पी के तहत मुहैया कराए जाने वाली वित्तीय पद्धति को वर्ष 1997-98 और 1999-2000 में संशोधित किया गया था। वर्ष 1999-2000 से प्रभावी पद्धति के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय राज्य जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम तथा साथ ही साथ उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट (के बी के) जिलों को शामिल करते हुए विशेष श्रेणी के राज्यों को 3 : 1 (केन्द्र : राज्य) के अनुपात में केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की जा रही है जबकि अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों को 2 : 1 के अनुपात में जारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, विशेष श्रेणी के राज्यों और उड़ीसा के के. बी.के. जिलों की सभी लघु परियोजनाओं (निर्माणाधीन और नई दोनों) को 3 : 1 के अनुपात में केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया करायी जा रही हं। इसके बाद विशेष श्रेणी के राज्यों को 1 : 0 (केन्द्र : राज्य) के अनुपात में और सामान्य श्रेणी के राज्यों को 4 : 1 (केन्द्र : राज्य) के अनुपात में केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराकर सुधारात्मक राज्यों को प्रोत्साहन देने के वास्ते ए आई बी पी के दिशा-निर्देशों को पुनः संशोधित किया गया जो फरवरी, 2002 से प्रभावी हैं। ए आई बी पी के तहत राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता							जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता की कुल राशि
		1996–97	1997–98	1998–99	1999–00	2000–01	2001–02	2000–03	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश*	35.250	74.00	79.670	65.015	95.020	281.660	0.000	630.615
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.000	0.000	7.500	7.500	15.000	0.000	30.000
3.	असम	5.230	12.400	13.950	14.540	24.077	14.521	2.085	86.803
4.	बिहार	13.500	5.150	36.185	129.695	148.440	3.420	0.000	336.390
5.	छत्तीसगढ़	0.000	4.500	9.500	10.520	13.930	48.200	0.000	86.650
6.	गोवा	0.000	5.250	0.000	3.500	61.650	58.000	0.000	128.400
7.	गुजरात*	74.773	196.900	423.820	272.700	421.850	581.690	289.115	2260.848
8.	हरियाणा	32.500	12.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.677	51.177
9.	हिमाचल प्रदेश	0.000	6.500	5.000	11.047	18.015	3.244	3.450	47.256
10.	जम्मू–कश्मीर	1.300	0.000	0.000	4.680	10.460	11.070	0.000	27.510
11.	झारखंड	0.000	8.890	11.640	14.345	9.050	10.820	10.000	64.745
12.	कर्नाटक	61.250	90.50	94.500	157.140	171.000	492.500	0.000	1066.890
13.	केरल	3.750	15.000	0.000	0.000	22.400	11.275	0.000	52.425
14.	मध्य प्रदेश	63.250	110.000	81.250	95.325	151.328	215.410	0.000	716.563
15.	महाराष्ट्र	14.000	55.000	50.860	49.875	97.020	39.100	0.000	305.855
16.	मणिपुर	4.300	26.000	10.780	21.810	1.500	9.360	0.000	73.750
17.	मेघालय	0.000	0.000	8.000	2.694	5.512	4.470	0.000	12.676
18.	मिजोरम	0.000	0.000	0.000	1.433	1.433	2.000	0.000	4.866
19.	नागालैंड	0.000	00.000	0.000	2.730	5.000	5.000	0.000	12.730

*फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के तहत शामिल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	उड़ीसा*	48.450	85.000	71.500	90.250	100.320	168.475	8.250	572.245
21.	पंजाब	67.500	100.000	0.000	42.000	55.620	113.690	16.160	394.970
22.	राजस्थान	2.675	42.000	140.050	106.665	78.467	96.315	63.300	529.472
23.	त्रिपुरा	3.773	5.100	3.975	34.653	13.883	21.063	0.000	82.447
24.	तमिलनाडु	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.000	20.000
25.	उत्तर प्रदेश*	43.500	78.000	76.500	286.000	315.900	354.690	194.970	1349.560
26.	उत्तरांचल	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
27.	पश्चिमी बंगाल	5.000	20.000	10.000	25.000	26.825	38.608	0.000	125.433
28.	सिक्किम	0.000	0.000	0.000	1.360	0.000	2.400	0.750	4.510
	कुल	500.001	952.19	1119.18	1450.477	1856.2	2601.981	594.757	9074.786

*फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के तहत शामिल

[हिन्दी]

प्रदूषण नियंत्रण हेतु उत्तर प्रदेश को सहायता

1001. श्री जय प्रकाश : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को गंगा कार्य योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन नगरों में इस कार्यक्रम को लागू किया गया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी सफलता हासिल हुई है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से हाल ही में गंगा कार्य योजना के अंतर्गत गंगा, यमुना और गोमती नदियों के किनारे स्थित 23 नगरों में चलाए जा रहे प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम हेतु सहायता की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में एक अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ङ) गंगा कार्य योजना का कार्य दो चरणों में किया गया है। वर्ष 1985 में शुरू किए गए गंगा कार्य योजना चरण–I में तत्कालीन संयुक्त उत्तर प्रदेश के छह शहरों नामतः हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, इलाहबाद, मिर्जापुर, वाराणसी और फतेहगढ़–फर्रुखाबाद में 191.25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से प्रदूषण निवारण कार्यों का कार्यान्वयन किया गया था। गंगा कार्य योजना चरण-I 31.3.2000 को पूरी हो गयी थी। गंगा कार्य योजना चरण-I के अन्तर्गत उपर्युक्त छह शहरों में प्रतिदिन 375 मिलियन लीटर सीवेज के अवरोधन, दिशापरिवर्तन और शोधन की क्षमता तैयार की गई थी।

गंगा कार्य योजना चरण-II के अन्तर्गत गंगा और इसकी सहायक नदियों अर्थात् यमुना, गोमती और दामोदर के किनारे स्थित 23 शहरों के प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण निवारण कार्यों का 537 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कार्यान्वयन किया जा रहा है। जहां तक उत्तर प्रदेश को उपर्युक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए दी गई सहायता का संबंध है तो

वर्ष 2000-01 और 2001-2002 में क्रमशः 40.66 करोड़ रुपये और 52.38 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 401 मि.ली. सीवेज शोधन की क्षमता तैयार की गई है।

23 शहरों के नाम और उनकी मौजूदा अनुमोदित लागत और मांगी गई अतिरिक्त सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है। परियोजनाओं पर विचार शहर में प्रदूषण की स्थिति और राशियों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

विवरण

23 शहरों में चलाए जा रहे प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सहायता

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	शहर	वर्तमान अनुमोदित लागत	मांगी गई अतिरिक्त सहायता
1	2	3	4
	गंगा		
1.	इलाहाबाद	32.72	202.08
2.	अनूपशहर	5.49	
3.	बिजनौर	7.18	
4.	चुनार	4.68	
5.	फर्रुखाबाद	0.51	
6.	गढ़मुक्तेश्वर	1.54	
7.	गाजीपुर	7.72	
8.	कानपुर	85.74	121.62
9.	मिर्जापुर	3.70	
10.	मुगल सराय	4.09	
11.	सैदपुर	0.62	
12.	वाराणसी	45.06	191.22
	उप-योग (गंगा)	199.05	514.92
	गोमती		
13.	जौनपुर	5.66	12.46
14.	लखनऊ	47.75	279.93
15.	सुल्तानपुर	4.70	4.30
	उप-योग (गोमती)	58.11	296.69
	यमुना		
16.	आगरा	74.63	126.19
17.	इटावा	9.43	13.67
18.	गाजियाबाद	91.72	51.22
19.	मथुरा	27.99	129.89
20.	मुजफ्फर नगर	12.83	18.44
21.	नोएडा	28.15	
22.	सहारनपुर	25.52	27.03
23.	वृदांवन	9.62	23.30
	उप-योग	279.89	389.74
	योग	537.05	1201.35

[अनुवाद]

बहुराज्यीय सहकारी समिति का निरीक्षण

1002. श्री रघुनाथ झा : क्या **कृषि** मंत्री 4/3/2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 424 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या केन्द्रीय भंडार में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर करने के मामले में कतिपय संसद सदस्यों से पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। चूंकि केन्द्रीय रजिस्ट्रार की शक्तियां राज्य के रजिस्ट्रारों को भी सौंपी गई थीं, अतः उनके निरीक्षण के बारे में सूचना मांगी गई जिनमें से कुछ से सूचना प्रतीक्षित है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार ने बहु–राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को नियुक्त करके केन्द्रीय भंडार के निरीक्षण का आदेश दिया था। निरीक्षण रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि जहां तक क्रय नीति और उप–विधियों के अंतर्विषय का संबंध है, कोई उल्लंघन नहीं किया गया तथा माल/विभिन्न मदों की खरीद के लिए टेंडर और आदेश जारी करने की प्रक्रिया में किसी भ्रष्ट पद्धति की रिपोर्ट नहीं मिली। तब केन्द्रीय रजिस्ट्रार ने भी आरोपों के लिए कानूनी जांच का आदेश दिया। जांच अधिकारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें आरोप साबित नहीं हुए हैं। केन्द्रीय भण्डार द्वारा यह सूचित किया गया है कि श्री ब्रह्मा तत्कालीन अध्यक्ष से निजी यात्राओं के लिए 800/- रुपये की रकम वसूल की गई। यह भी पाया गया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) ने सरकार के अपर सचिव रैंक के अधिकारी की केन्द्रीय भण्डार के अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्ति की कोई शर्त निर्धारित नहीं की है।

चावल के लिए वैकल्पिक फसल हेतु प्रस्ताव

1003. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल उत्पादन की भरमार से बचने के लिए डेल्टा क्षेत्र और सिंचित क्षेत्रों में चावल की वैकल्पिक फसल की संभावना का अध्ययन करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य किसी संस्थान अथवा निकाय को सौंपा गया है;

(ग) इस अध्ययन की स्थिति क्या है;

(घ) क्या इस उद्देश्य हेतु जनमत प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) संभाव्यता रिपोर्ट के कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

ग्रामीण बाजार अनुकूल कृषि विपणन नीति

1004. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गांव में विपणन ढांचे के विकास हेतु "ग्रामीण बाजार अनुकूल कृषि विपणन नीति" बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि विपणन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) देश में कृषि विपणन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और विकास के उद्देश्य से इस मंत्रालय द्वारा स्थापित अंतःमंत्रालयी कार्यबल ने 28 जून, 2002 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत

कर दी है। रिपोर्ट में कार्यबल ने अन्य बातों के साथ–साथ इन बातों की सिफारिश की है–(i) कृषि मंडियों की स्थापना के लिए निजी और सहकारी क्षेत्र के निवेश को अनुमति देने के लिए राज्य कृषि विपणन विनियमन अधिनियम में संशोधन करना, सीधे विपणन और संविदा कृषि को बढ़ावा देना तथा मंडी शुल्क संरचना को तर्कसंगत बनाना; (ii) राज्यों और केन्द्र सरकार द्वारा अनुपूरक निवेश करना; (iii) आर्थिक व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र की पहल को सक्षम बनाने के लिए राजसहायता देना; (iv) कृषि विपणन कार्यकलापों के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना। प्रवर्धक अभिकरणों को अवसंरचनात्मक परियोजनाएं शुरू करने के वास्ते आकर्षित करने हेतु केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा मंडियां स्थापित करने हेतु उपयुक्त भूमि के आवंटन, उन क्षेत्रों को विनियमन विहीन (डि रेग्यूलेशन) करने जहां नई मंडियां ए.पी.एम.सी. अधिनियम के क्षेत्राधिकार से स्थापित की जाएंगी, विदेशी तकनीकी सहायता के लिए त्वरित अनुमोदन, उपस्कर के आयात तथा बिजली, जल, सीवेज, टेलिफोन आदि जैसी सेवाओं के लिए अतिरिक्त सहायता देना जरूरी है। सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रशासनों से 27-9-2002 को विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कार्यबल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का अनुरोध किया गया है। कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार संबंधी उपायों के क्रियान्वयन के लिए कार्यवाही कार्यक्रम विकसित करने के लिए केन्द्रीय राज्य मंत्री (कृषि) की अध्यक्षता में राज्य मंत्रियों की एक स्थायी समिति भी गठित की गई है।

[अनुवाद]

असम में पर्यटक स्थलों का विकास

1005. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य के तेजपुर क्षेत्र में पर्यटक स्थलों के विकास हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो योजनाओं और इससे जुड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या इनको केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसे लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, विकास के लिए पूर्वोत्तर में अभिनिर्धारित किए गए पारिस्थितिकी पर्यटन परिपथ में, असम में, तेजपुर आता है।

(ख) से (घ) परामर्शी के रूप में, आवास और शहरी निगम से कहा गया है कि संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इस परिपथ के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करें।

[हिन्दी]

"सेल" में कर्मचारियों की संख्या में कमी किया जाना

1006. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) अत्यधिक व्यय को रोकने हेतु कर्मचारियों की संख्या में कमी करने हेतु एक नये प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2002-2003 के दौरान 1600 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति देने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी श्रेणियों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस) शुरू किये जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, 2002 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अध्यधीन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सभी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पात्र हैं।

[अनुवाद]

शुल्क मुक्त दुकानों का आवंटन

1007. श्री सईदुज्जमा : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 नवम्बर, 2002 के 'दि इकॉनामिक टाइम्स' में ड्यिूटी फ्री शॉप्स एण्ड न्यू इन्टरनेशनल एयरपोर्ट में गो टू यू.ए.ई. कंपनी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या सरकार का इस निर्णय पर पुनर्विचार करने और किसी सार्वजनिक/निजी उद्यम को बढ़ावा देने का है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) लखनऊ, वाराणसी, गुवाहाटी तथा अमृतसर हवाई अड्डों पर ड्यूटी फ्री शॉप तथा तिरूवनंतपुरम हवाई हड्डे पर अतिरिक्त डयूटी-फ्री-शॉप खोलने के लिए ग्लोबल टेंडर आमंत्रित करने पर, चार पार्टियों ने टेंडर के दस्तावेज खरीदे तथा केवल एक ही पार्टी ने निविदा जमा की है। सभी निर्धारित मानदण्डों के पूरा हो जाने के पश्चात कार्य आरंभ होने की संभावना है।

[हिन्दी]

देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान में अनियमितताएं

1008. श्री सुरेश चन्देल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान में जुलाई, 2002 के दौरान कराए गए लेखा-परीक्षा में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं जिसमें यह कहा गया है कि परामर्श के नाम पर एकत्र किया गया करोड़ों रुपया संस्थान के लेखा में जमा कराने के बजाय निदेशकों (समूह क) के बीच वितरित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकारी धनराशि की वसूली हेतु क्या प्रसास किये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान के संदर्भ में, वर्ष 2001-02 के लिए, लेखा परीक्षा रिपोर्ट में, संकाय के सदस्यों तथा सहयोगी स्टाफ द्वारा, अनुमानतः एक करोड़ रुपये के लगभग परामर्शदात्री फण्ड के कुप्रबंधन के लिए लेखा परीक्षा आपत्तियां उठाई गई हैं। प्राप्तकर्त्ताओं से परामर्शदात्री राशि की वसूली के लिए संस्थान द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

नवी मुंबई में विमानपत्तन

1009. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवी मुंबई में नये विमानपत्तन संबंधी परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना हेतु अधिगृहीत की गई भूमि का ब्यौरा क्या है और भूमि के अधिग्रहण से कितने किसान प्रभावित होंगे;

(घ) विस्थापित किसानों के पुनर्वास हेतु क्या योजना तैयार की गई है; और

(ङ) अधूरा कार्य कब तक सम्पन्न होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पंजाब से गुजरने वाली नदियों में जल का प्रवाह

1010. श्री भान सिंह भौरा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब से गुजरने वाली नदियों के जल का प्रवाह समय के साथ क्षीण हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में वास्तविक स्थिति का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारात्मक उपाय किये गए हैं/किये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व व्यापार संगठन के अधिकारियों के साथ बैठक हेतु जेनेवा के लिए किसानों का शिष्टमंडल

1011. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि संबंधी मामलों पर चर्चा करने के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के अधिकारियों के साथ बैठक करने हेतु किसान संघों तथा इनसे संबंधित व्यक्तियों का एक शिष्टमंडल जेनेवा भेजने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमंडल का कब तक इस यात्रा पर जाने का विचार है; और

(ग) विचार-विमर्श हेतु कार्य-सूची का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) विश्व व्यापार संगठन के अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए किसान संघों और स्टेक होल्डरों के प्रतिनिधिमण्डल को जेनेवा भेजने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बाढ़ के कारण हुई हानि

1012. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाढ़ के कारण जान और माल की हानि होती है और इससे करोड़ों रुपये का नुकसान होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तालाबों और जलाशयों में बाढ़ के जल के भंडारण हेतु कोई योजना तैयार की है ताकि इससे जल संकट का सामना कर रहे क्षेत्रों को जलापूर्ति की जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1980 में, जल संसाधन मंत्रालय जो उस समय सिंचाई मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, ने क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने एवं उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से एकीकृत जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन पी पी) तैयार की है जिसमें अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिसों में जल का अंतर्बेसिन हस्तांतरण करने की योजना है। इस प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न नदी बेसिनों में क्षमता स्थलों पर भंडारण जलाश्यों के निर्माण की योजना हैं।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में हिमालय नदी विकास घटक एवं प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक नामक दो घटक शामिल हैं।

(घ) प्रायद्वीपीय एवं हिमालयी दोनों घटकों के तहत अंतर्बेसिन जल हस्तांतरण संपर्क स्कीमों के क्रियान्वयन की अनुमानित लागत वर्ष 2002 के मूल्य स्तर पर 5,60,000 करोड़ रुपये आंकी गई है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी भविष्य निधि का निवेश

1013. श्री सुबोध मोहिते : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों के साथ–साथ केन्द्र में गैर–सरकारी भविष्य निधि के निवेश से संबंधित उसके मार्ग–निर्देशों का कार्यान्वयन नहीं किये जाने संबंधी मामले सरकार की जानकारी में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कर्मचारियों को कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रस्तावित कदमों और संबंधित चूककर्ताओं को जारी किये गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने सरकार द्वारा निवेशों के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार धन निवेश करने में कोई व्यतिक्रम नहीं किया है।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 तथा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 27 तथा 27 क के तहत कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 के समस्त या किन्हीं उपबंधों से छूट प्राप्त भविष्य निधि न्यासों द्वारा अधिनियम एवं स्कीम में यथा उल्लिखित छूट के नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि :

(i) "चोरी, सेंधमारी, गबन दुरुपयोग या किसी अन्य कारणवश भविष्य निधि में हुई हानि की भरपाई नियोजक करेगा।"

(ii) "सरकार के निदेशानुसार निवेश करने में विफल होने पर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उसके प्रतिनिधि द्वारा लगाए गए अधिभार के प्रति न्यासी बोर्ड पृथक् या संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगा।"

इस प्रकार कर्मचारियों को किसी प्रकार की हानि नहीं होती क्योंकि अधिनियम एवं स्कीम में ऐसे छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं।

विकसित देशों द्वारा कृषि क्षेत्र को राज सहायता

1014. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकसित देशों से कृषि क्षेत्र के लिए राजसहायता को समाप्त करने की अपील की है;

(ख) यदि हां, तो विकसित देशों से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ग) भारतीय कृषक समुदाय पर अनुरोध को स्वीकार नहीं किये जाने के क्या प्रभाव पड़ेंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) दोहा में नवम्बर, 2001 में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के चतुर्थ मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में विचार–विमर्श के लिए सहमत अधिदेश में कृषि के बारे में व्यापक विचार–विमर्श का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के अलावा व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाली घरेलू सहायता को कम करना एवं सभी प्रकार की निर्यात राजसहायता को समाप्त करने के उद्देश्य से उनमें कमी लाना है।

विश्व कृषि मण्डियों में तोड–मरोड़ को ठीक करने तथा रोकने के लिए उक्त अधिदेश के अन्तर्गत आयोजित विचार–विमर्श में भारत ने अपने व्यापक प्रस्तावों में अन्य बातों के अलावा सभी विकसित देशों से व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाली सभी प्रकार की सहायता में कमी लाने की मांग की है।

विचार–विमर्श 1 जनवरी, 2005 तक सम्पन्न होगा।

गन्ना के मूल्य निर्धारण हेतु नया सूत्र

1015. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में गन्ने के मूल्य निर्धारण हेतु नया सूत्र तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक प्रभावी होने की संभावना है; और

(ग) नये सूत्र की प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) सरकार ने गन्ना मूल्य निर्धारण संबंधी महाजन समिति की सिफारिशें कृषि लागत और मूल्य आयोग को सौंप दी हैं और उनसे गन्ने के लिए नई मूल्य निर्धारण नीति की सिफारिश करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में सरकार की नीति कृति लागत और मूल्य आयोग द्वारा की जाने वाली सिफारिशों पर निर्भर होगी।

इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ का कार्य-निष्पादन

1016. श्री बसुदेव आचार्य : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इसकी स्थापना से लेकर अब तक किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है; और

(ग) इसके उद्देश्यों को निर्धारित समय के अन्दर पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) वन्यजीव संरक्षण से संबंधित मामलों में भारतीय वन्यजीव बोर्ड देश का सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। बोर्ड ने अपनी स्थापना के बाद से देश में वन्य जीवों से संबंधित संरक्षण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। इनमें से महत्वपूर्ण निर्णयों का विवरण संलग्न है।

(ग) देश में वन्यजीव संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार की वित्तीय व तकनीकी मदद से समय-समय पर उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

विवरण

भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा अपनी स्थापना के बाद से लिए गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

1. देश में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक संयुक्त कानून की सिफारिश जिसके परिणामस्वरूप जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष समूचे देश में संरक्षण के समस्त पहलुओं को शामिल करने हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का बनना।

2. आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संकटापन्न जंगली भैंसे की सुरक्षा।

3. गिर में एशियाई शेरों की अंतिम जीवित संख्या के लिए अभयारण्यों अथवा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना तथा एशियाई शेरों की संख्या को पुनःस्थापित करने के लिए किसी दूसरे स्थान की तलाश करना।

4. प्रवासी पक्षियों के लिए भरतपुर के कियोलाडियो घाना को अभयारण्य के रूप में संरक्षित करना।

5. कच्छ के रण में फ्लैमिंगो प्रजनन स्थल का संरक्षण।

6. राज्यों में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का क्रियान्वयन।

7. स्थानीय लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और शिक्षण संस्थाओं में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह मनाना।

8. राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 1983 का अंगीकरण।

9. देश में संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए सिफारिश।

10. व्यापार को विनियमित करने के लिए साईट्स के परिशिष्टों में निर्दिष्ट भारतीय संकटापन्न प्रजातियों को शामिल करना।

11. बाघ को राष्ट्रीय प्राणी और मोर को राष्ट्रीय

पक्षी के रूप में नामोदिष्ट करने की सिफारिश की।

12. आन्ध्र प्रदेश में श्री लंकामालेश्वरम् के जर्डोन्स कोर्सर की सुरक्षा के लिए एक अभयारण्य बनाना।

13. भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना की सिफारिश की।

14. राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना (2002-2016) का अंगीकरण।

15. राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण रणनीति 2002 का अंगीकरण।

16. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन के लिए सिफारिश की/संशोधन विधेयक, 2002 राज्य सभा में पेश किया गया।

मौसम संबंधी विकासात्मक परियोजनाओं का बुरा प्रभाव

1017. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा किसी अन्य अभिकरण/संस्थान के सहयोग से कुल्लू घाटी में मौसम परिवर्तन संबंधी एक अनुसंधान परियोजना आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या अनुसंधान परियोजना के अनुसार अविचारित विकासात्मक परियोजनाओं के कारण कुल्लू घाटी में होने वाली दुर्घटनाओं एवं मौसम के खराब होने के कारण होने वाली घटनाओं की संख्या बढ़ी है और इस बदलाव से पूरे दक्षिण एशियाई प्रदेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

(घ) यदि हां, तो भूमि-उपयोग में अनियोजित परिवर्तन के कारण हिमालय के 1500 प्रमुख हिमखंडों में से लगभग 67% पीछे खिसक रही है और इसके परिणामस्वरूप पर्वतीय एवं शहरी क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या ठोस कार्य योजना तैयार की गई है अथवा तैयार की जानी है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) भू-स्खलन, आकस्मिक बाढ़, जलवायवी परिवर्तन आदि जैसी अति विषम परिस्थितियों पर विशेष ध्यान देते हुए कुल्लू घाटी में पर्यावरणीय प्रभावों के विभिन्न पहलुओं पर भूगोल विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, मोनीटोबा विश्वविद्यालय कनाडा के साथ, शास्त्री इण्डोकैनेडियन इन्स्टीट्यूट और कैनेडियन अंतर्राष्ट्रीय डैवलैपमेंट एजेन्सी के वित्तीय समर्थन से संयुक्त अनुसंधान कार्य कर रहा है। अध्ययन से घाटी में फसल उपज पर जलवायवी प्रभावों सहित कुल्लू घाटी में भू-सूचना प्रणाली के साथ भू-उपयोग और भू-उपयोग परिवर्तनों पर मानवोद्भवी प्रभावों को समझने में हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है। कुल्लू घाटी में किए गए सूक्ष्म स्तरीय अध्ययनों को समूचे दक्षिण-एशियाई क्षेत्रों से परस्पर जोड़ा नहीं जा सकता।

(घ) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार हिमालयी हिमखण्डों की सूची के आधार पर हिमालय के भारतीय भाग में सभी आयामों के 7500 से अधिक हिमखण्ड हैं। यहां केवल 5 कि.मी. से अधिक लम्बाई वाले केवल 365 मुख्य हिमखण्ड हैं (श्योक और किशनगंगा बेसिन को छोड़कर)। सर्वेक्षण द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि उनमें से अधिकांश की लम्बाई कम हो रही है। हिमालय के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में कमी की दर भिन्न-भिन्न वर्षों में घटी-बढ़ी है। इसलिए कुल्लू घाटी में किया गया अध्ययन समग्र प्राकृतिक चक्रीय प्रक्रम का चित्र प्रस्तुत नहीं करता। पृथ्वी हिमानी और अन्तराहिमानी अवधि के विभिन्न चरणों की साक्षी रही है। यह एक प्राकृतिक क्रिया है। इस समय पृथ्वी अन्तराहिमानी दौर से गुजर रही है जहां पूरे विश्व में हिमखण्ड पिघल रहे हैं और हिमखण्डों का पिघलना एक प्राकृतिक क्रिया है जिसका कारण विश्वव्यायापी उष्णता है।

(ङ) सरकार पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूक है और हिमालय क्षेत्रों में वनीकरण, सामुदायिक शौचालयों की स्थापना और कूड़ा-करकट हटाना और पारि-पर्यटन को बढ़ावा देने सहित संरक्षण कार्यों को समर्थन दे रही है।

[हिन्दी]

नस्ल सुधार योजना

1018. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नावीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पशुपालन के अंतर्गत नस्ल सुधार योजना के अंतर्गत क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ख) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गाय, भैंस एवं बकरी की नस्ल सुधारने हेतु कृत्रिम गर्भाधान हेतु कोई कार्यक्रम बनाया गया है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बिहार के सभी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र बंद पड़े हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ये सुविधाएं किसानों को उनके घर तक उपलब्ध कराने और बंद पड़े हुए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को फिर से खोलने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित विभिन्न नस्ल सुधार योजनाओं के तहत हासिल की गई उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना नौवीं योजना की स्पिल ओवर गतिविधि के रूप में चालू योजना अवधि के दौरान लागू की गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। तथापि, सहकारिताओं तथा निजी ऑपरेटरों के जरिए कृत्रिम गर्भाधान का कुछ कवरेज होता है। राज्य सरकार से परियोजना के अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के संबंध में संशोधित प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

योजनाओं के तहत उपलब्धियां

क्र.सं.	योजना का नाम	उपलब्धियां
1	2	3
1.	हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार, संतति परीक्षण तथा राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम के संबंध में केन्द्रीय प्रायोजित योजना	नौवीं योजना के दौरान इन योजनाओं के तहत विभिन्न राज्यों को 137.74 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी और वास्तविक उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :
2.	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना (उक्त घटकों को मिलाकर अक्तूबर, 2000 से कार्यान्वित)	1. मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना/अंतरण-18,179 2. स्पर्म केन्द्र की स्थापना/सुदृढ़ीकरण-51 3. हिमित वीर्य बैंक की स्थापना/सुदृढ़ीकरण-84 4. प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण-58
3.	राष्ट्रीय मृग/मेढ़ा तथा खरगोश विकास कार्यक्रम	इन प्रजातियों के सुधार के लिए विभिन्न राज्यों को 8.59 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
4.	भारवाही पशुओं का संरक्षण तथा विकास	भारवाही पशुओं के सुधार के लिए विभिन्न राज्यों को 1.53 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

[अनुवाद]

वन्यजीव का अवैध व्यापार

1019. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में पक्षियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर लगे प्रतिबंध के बावजूद लखनऊ के नक्खास बाजार की लेनों में फेरी वाले पक्षियों के लुप्तप्राय प्रजातियों को अनुसूची-I की नोटिस में रखकर सारसों की खुलेआम बिक्री कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सारसों को बचाने एवं उनके संरक्षण हेतु एवं पक्षियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार में लिप्त फेरी वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) नक्खास बाजार, लखनऊ में सरसों की बिक्री के संबंध में मीडिया रिपोर्ट और एक दल ने अन्वेषण किया परन्तु कुछ विशेष नहीं पाया गया।

निजी संगठन द्वारा स्मारकों का संरक्षण

1020. श्री अम्बरीश : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में विरासत स्मारकों के संरक्षण के लिए कुछ निजी संगठनों को धन प्रदान करने हेतु कोई समझौता ज्ञापन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विरासतवार एवं संगठनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक संगठन द्वारा जारी की गई कुल धनराशि कितनी है;

(घ) समझौता ज्ञापन का उल्लंघन करते हुए किन संगठनों ने अभी तक धन जारी नहीं किया है;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) जी, हां। संस्कृति विभाग ने, राष्ट्रीय निधि के माध्यम से, प्राइवेट संगठनों से समझौता ज्ञापन किए गए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जन्तर मन्तर और ताज महल के बारे में परियोजना संबंधी ब्यौरा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह कार्य हो जाने पर, प्राइवेट संगठनों से कहा जाएगा कि वे कार्यों के निष्पादन के लिए अपेक्षित निधियां जमा करें।

विवरण

प्रायोजक अभिकरण का नाम	स्मारक का नाम	अभिनिर्धारित कार्यों के लिए अनुमानित लागत	अब तक मुक्त निधियों	टिप्पणी
एपीजे सुरेन्द्र होटल्ज	जन्तर मंतर, दिल्ली	10 लाख रुपये	कुछ नहीं	प्रलेखन तथा आयोजना कार्य किया जा रहा है।
आगा खान प्रतिष्ठान और ओबराय होटल समूह	हुमायूँ का मकबरा, दिल्ली	2.25 करोड़ रु.	29.00 लाख रु0 (आगाखान न्यास)	बाग का पुनरुद्धार किया जा रहा है।
इंडियन होटल्ज कम्पनी (टाटा समूह)	ताज महल, आगरा (उ.प्र.)	1.87 करोड़ रु.	कुछ नहीं	संकलनात्मक योजना तथा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

सूखा प्रभावित राज्यों को मुआवजा

1021. श्री रामदास आठवले :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के कितने जिले सूखे से प्रभावित हैं और राज्यवार जान-माल की कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान किसी केन्द्रीय दल ने प्रभावित राज्यों का दौरा किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त दल के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान मुआवजे के रूप में महाराष्ट्र सहित ऐसी अन्य सरकारों द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने अपेक्षित धन जारी किया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (च) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2000-2001 के दौरान 26 जिले, वर्ष 2001-2002 के दौरान 16 जिले तथा वर्तमान वर्ष के दौरान 33 जिले सूखे से प्रभावित हुए हैं। केन्द्रीय दलों ने सूखे की स्थिति की जांच करने के लिए पहले राज्य का दौरा किया था और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) से कोई सहायता स्वीकृत नहीं की गई थी क्योंकि स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार के पास आपदा राहत कोष में पर्याप्त धन था। वर्तमान वर्ष के सूखे की जांच के लिए भी एक केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया। उच्च स्तरीय समिति (एच.एल.सी.) ने राज्य के आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) में उपलब्ध शेष राशि के समायोजन के अधीन 20 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की थी।

[अनुवाद]

पाकिस्तान वायु सीमा के ऊपर से उड़ानें

1022. श्री कालवा श्रीनिवासुलु :
श्री बी. वेंकटेस्वरलु :

क्या **नागर विमानन** मंत्री 15 जुलाई, 2002 के तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारस्परिक सद्भाव प्रदर्शन के रूप में पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी वायु सीमा के ऊपर से उड़ान भरने संबंधी प्रतिबंधों को हटा लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस विषय में पाकिस्तान को निर्णय लेना है। इसके कारण पाकिस्तानी विमान भारतीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान नहीं भर पा रहे हैं।

[हिन्दी]

पर्यटन का विकास

1023. श्री रामदास रूपला गावीत : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पर्यटकों के आगमन में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितने पर्यटक भारत आये;

(ग) क्या प्रमुख होटलों, विमानपतनों एवं पर्यटन स्थलों के रिकार्डों ने यह दर्शाया है कि जून, 2002 से विदेशी पर्यटक भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके बाद पर्यटकों के आगमन में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा और विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने हेतु क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं एवं कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) अक्तूबर, 2001 की तुलना में अक्तूबर, 2002 माह में विदेशी पर्यटक आगमन में 16.8% की सकारात्मक वृद्धि हुई है।

(ख) जनवरी से अक्तूबर, 2002 की अवधि के दौरान भारत भ्रमण करने आए विदेशी पर्यटकों की संख्या 1.83 मिलियन है।

(ग) भारतीय होटल संघ द्वारा जून, 2002 माह में जारी की गई सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वास्तव में पर्यटक अपनी सुरक्षा एवं बचाव के लिए कोई खतरा महसूस नहीं करते हैं।

(घ) पर्यटक आगमन में जून, 2002 में 143100 से बढ़कर अक्तूबर, 2002 में 212191 होने का अनुमान है।

(ङ) पर्यटन विभाग के पास पर्यटन को आकर्षित बनाने के लिए निम्नलिखित लघु अवधि एवं दीर्घकालीन योजनाएं हैं, जिसके कारण देश में और अधिक विदेशी पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं :–

- हबों के विकास जिसमें–संस्कृति, पर्यटन, स्वच्छ नागरिक जीवन, सक्षम और प्रभावी प्रबंधन तथा स्वस्थ वातावरण के घटकों को संश्लेषित किया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि भारत में पर्यटक, स्फूर्तिपूर्ण, मानसिक रूप से पुनर्योवन प्राप्त सांस्कृतिक रूप से समृद्ध एवं आध्यात्मिक उन्नयन प्राप्त कर वापस जाते समय अपने को भारतमय महसूस करें।
- पर्यटन विकास कार्य को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यकलाप के रूप में प्रतिष्ठित तथा अनुरक्षित करना।
- एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में भारत की स्पर्धात्मकता में वृद्धि करना तथा इसे बनाए रखना।
- नए पर्यटन बाजार की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत के वर्तमान उत्पादों में सुधार तथा इनका विस्तार करना।
- विश्व स्तर का अवसंचरना का सृजन।
- सतत एवं प्रभावी मार्केट योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करना।
- ग्रामीण और लघु पर्यटन के विकास पर विशेष बल देना।
- सभ्यता से संबंधित मुद्दों एवं नागरिक प्रशासन संबंधी विषयों, बेहतर शासन एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की ओर ध्यान आकर्षित करना।
- पर्यटन परिपथों का विकास और मार्गस्थ सुविधाओं में सुधार करना ताकि स्वदेशी पर्यटन में आसानी से वृद्धि की जा सके।

[अनुवाद]

विदेशों में पर्यटकों की यात्रा

1024. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष भारत की तुलना में चीन के अलावा मलेशिया, हांगकांग, थाईलैण्ड एवं सिंगापुर जैसे छोटे देशों में भी ज्यादा पर्यटकों ने यात्रा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत अवसंरचना की कमी, अत्यधिक होटल शुल्क, महंगे विमान फ्लाईंग ईंधन के कारण घरेलू उड़ानों की ज्यादा लागत एवं आतंकवाद एवं दंगों की बढ़ती घटनाओं के बोझ से दबा पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो कम बजट पर भी थोड़े दिन के लिए भारतीयों द्वारा पड़ोसी देशों में जाने का विकल्प चुनने के क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) दक्षिण एशिया में सुरक्षा परिदृश्य, मौजूदा कर ढांचा, हवाई यात्रा की ऊंची लागत एवं अपर्याप्त अवसंरचना के कारण भारत में पर्यटन के विकास एवं विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) भारतीय पर्यटकों की श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर इत्यादि पड़ोसी देशों की यात्रा, इन देशों के विभिन्न पर्यटकों आकर्षणों हेतु उनकी वरीयता एवं उन देशों द्वारा दिए जा रहे पैकेजों, जो उनके बजट के अनुसार हों, पर निर्भर करती है।

कृषि उत्पादों में आत्म-निर्भरता

1025. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन कृषि उत्पादों का ब्यौरा क्या है जिनकी देश में कमी है और जिनका आयात किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और अब तक कितनी सफलता प्राप्त की हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों द्वारा नई फसलों को बोने के लिए प्रेरित करने हेतु पॉम ऑयल ब्रीज की खेती को लाभकारी बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इसके बार–बार आयात को रोकने हेतु दलहन के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) खाद्य तेल और दलहन ऐसी मुख्य कृषि जिंसें है जिन्हें इसलिए आयात किया जा रहा है क्योंकि घरेलू उत्पादन मांग को पूरा करने में अपर्याप्त है।

(ख) सरकार तिलहन और दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तिलहन और दलहन प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत तिलहन उत्पादन कार्यक्रम और राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना नामक दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें क्रियान्वित कर रही है। देश के कुछ भागों में बार–बार आने वाली सूखे की स्थिति के मद्देनजर पिछले तीन वर्षों के उत्पादन आंकड़ों से उठाए गए कदमों की सफलता का पता नहीं चलता है। तथापि, खासकर तिलहन में पिछले वर्षों में प्राप्त उपज में पर्याप्त वृद्धि उपर्युक्त उपायों की सफलता प्रदर्शित करती है।

देश में वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के वर्षों के दौरान तिलहन और दलहन का उत्पादन निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

(मिलियन टन)

फसल	1999-2000	2000-01	2001-02*
तिलहन#	20.71	18.40	20.73
दलहन	13.41	10.67	13.52

#मूंगफली, एरंड के बीज, रामतिल, तिल, तोरिया और सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी, सोयाबीन शामिल हैं।

*27-6-2002 को लगाया गया चौथा अग्रिम अनुमान।

(ग) जी, हां।

(घ) ऑयल पाम सबसे अधिक उपज देने वाला खाद्य तेल है और विभिन्न राज्यों में इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके लिए देश में 8.00 लाख हेक्टेयर क्षमतावान क्षेत्र की पहचान की गई है। वृहत् पैमाने पर ऑयल पाम की खेती शुरू करने के लिए किसानों को पौध रोपण सामग्री, खेती की लागत, टपका सिंचाई, प्रशिक्षण, विस्तार और प्रचार, प्रदर्शन, डीजल पम्पसैट, बंजर भूमि का विकास आदि जैसे विभिन्न प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं। राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए अभिज्ञात अभिवृद्धि क्षेत्रों में बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों/संकर और सूखे के अनुकूल किस्मों का विकास, सिंचाई सुविधाएं, पोषक तत्वों की पर्याप्त और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना, जिप्सम/पाइराइट जैसे सल्फर से भरपूर रसायनों का उपयोग, समय पर ऋण और विस्तार सेवाएं तथा किसानों को विपणन सहायता देना शामिल हैं।

भाखड़ा एवं पोंग बांधों से राजस्थान को जल की आपूर्ति

1026. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भाखड़ा एवं पोंग बांधों के स्तर तक जलाशय को पूरा न भरने के कारण राजस्थान को जल की आपूर्ति न किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या लगातार चौथे वर्ष राजस्थान

में जारी भीषण सूखे के कारण राज्य में जलापूर्ति की स्थिति और भी बदतर हो गयी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य में जलापूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु इन बांधों को जलाशय स्तर तक भरने पर विचार कर चुकी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) राजस्थान को भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की तकनीकी समिति की मासिक बैठकों में लिए गए निर्णयों तथा अन्य बातों के साथ-साथ राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, राजस्थान सहित सहभागी राज्यों के बीच हुए विभिन्न समझौतों, भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड से जल से संबंधित की गई मांग, जलाशयों में अन्तर्वाहों और जल की उपलब्धता के आधार पर भाखड़ा और पोंग बांधों से जलापूर्ति की जा रही है। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा किए गए आकलन के अनुसार वर्तमान जल की कमी की अवधि के दौरान (पिछले वर्ष के बाद 21 सितम्बर से 20 मई तक) जल उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में और अधिक घटने की संभावना है तदनुसार राजस्थान एवं अन्य सहभागी राज्यों के हिस्से का निर्धारण किया जाएगा।

(ग) और (घ) जलाशयों का भरना उनके जल ग्रहण क्षेत्र में होने वाली वर्षा और बर्फ गिरने/बर्फ गलने के कारण उनमें प्रवाहित होने वाली जल की मात्रा पर निर्भर करता है। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा राजस्थान सहित सहभागी राज्यों को पेय जल और सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जलाशयों से अधिकतम जल छोड़े जाने की व्यवस्था की जाती है।

एयर इंडिया का विस्तार

1027. श्री वाई. वी. राव :
डा. अशोक पटेल :
डा. मन्दा जगन्नाथ :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया ने लंबी दूरी के 17 विमानों की खरीद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आपूर्तिकर्ता के नियम एवं शर्तें क्या हैं;

(ग) किन मार्गों पर नए विमानों को शामिल करने के विस्थापन के रूप में उक्त को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इस विस्तार की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ङ) धन के स्रोतों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) विमान विस्तार योजना पर एयर इंडिया को अभी अंतिम राय बनानी है।

जहां तक इंडियन एयरलाइंस का संबंध है, उनकी लम्बी दूरी के 17 विमानों के खरीद की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

कृषि एवं ग्राम्य आधारित उद्योगों हेतु प्रशिक्षण

1028. श्री पी. आर. खूंटे :
श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कृषि एवं ग्राम्य आधारित उद्योगों के संचालन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) 44 विभागीय तथा गैर–विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से शिल्पियों/उद्यमियों को प्रशिक्षण देता है। प्रशिक्षण वैतनिक तथा गैर–वैतनिक, दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिया जा रहा है। वर्ष 2001-02 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 31,310 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त पूरे देश में विभिन्न विभागीय केन्द्रों के साथ–साथ प्राधिकृत प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से के.वी.आई.सी. द्वारा सभी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) लाभार्थियों को ई.डी.पी. प्रशिक्षण अनिवार्य तौर पर दिया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

न्यूनतम मजदूरी संबंधी कानून

1029. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के अलावा विश्व के लगभग सभी देशों में एक क्रमणिक शोषण से कामगारों के हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम मजदूरी संबंधी कानून मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत में उक्त कानूनों को लागू करने में क्या बाधाएं हैं;

(ग) क्या सरकार ने कामगारों को संरक्षण देने और रोजगार सृजित करने को प्राथमिकता दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) भारत में, असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों, जो सामान्यतया निरक्षरता एवं सौदेकारिता शक्ति के अभाव के कारण आसानी से शोषण के शिकार हो जाते हैं, के हित की रक्षा करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 नामक एक विधान प्रवर्तन में है। डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन आदि जैसे अनेक अन्य देशों में भी न्यूनतम मजदूरी विधान हैं।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, न्यूनतम मजदूरी नियत, संशोधित तथा प्रवर्तित करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य दोनों ही सरकारें समुचित सरकारें हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रवर्तन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है जबकि राज्य क्षेत्र में इसका कार्यान्वयन राज्य प्रवर्तन तंत्र के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इन तंत्रों के अधिकारी, प्रतिष्ठानों का नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं एवं शिकायतों की भी जांच–पड़ताल करते हैं तथा जहां कहीं उन्हें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने अथवा कम भुगतान किए जाने के किसी मामले का पता चलता है वहां वे नियोजकों को कम मजदूरी की क्षतिपूर्ति करने की सलाह देते हैं। अनुपालन न किए जाने के मामले में, वे चूककर्ता नियोजकों के विरुद्ध दावा संबंधी आवेदन पत्र दायर करते हैं तथा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कानूनी कार्यवाही करते हैं।

(ग) और (घ) दसवीं योजना संबंधी दृष्टिकोण अतिरिक्त श्रम बल को अर्थपूर्ण उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार प्रदान किए जाने पर केन्द्रित है और यह 10वीं योजना तथा उससे आगे के लिए संविक्षा किए जाने योग्य एक उद्देश्य के रूप में सूचीबद्ध है। 10वीं योजना की विकास संबंधी कार्यनीति में उन क्षेत्रों के तेजी से विकास पर जोर दिया जाएगा जिनके द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार अवसरों के सृजित होने तथा रोजगार विकास को हतोत्साहित करने वाली नीतिगत बाधाओं का निराकरण होने की संभावना है। व्यापक आर्थिक कार्यकलापों को प्रभावित करने वाले उस नीतिगत माहौल पर विशेष ध्यान देना होगा जिसमें रोजगार की प्रबल संभावनाएं हैं।

नकली और घटिया कीटनाशकों व बीजों की आपूर्ति

1030. श्री जी. एस. बसवराज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेईमान व्यापारियों द्वारा बड़ी मात्रा में नकली एवं घटिया कीटनाशकों एवं बीजों की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पौध संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने हाल में छापा मारा था और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ऐसे व्यापारियों पर कड़ा दंड लगाने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) समय–समय पर मंत्रालय को नकली और घटिया कृमिनाशियों और बीजों की आपूर्ति के बारे में रिपोर्ट/शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जी, हां। सरकार के पौध संरक्षण प्रभाग के अधिकारियों ने दिल्ली की इन्दिरा मार्केट से विभिन्न कृमिनाशियों के 18 नमूने लिए । 14 नमूने संतोषजनक पाए गए तथा 4 नमूने घटिया पाए गए। इस मामले में कानून के अनुसार कार्यवाई की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) अपराध की गंभीरता के अनुरूप श्रेणीकृत दंड के साथ बढ़ाये गए दंड का प्रावधान है अर्थात गैर इरादतन अथवा छोटे अथवा पहली बार बहुत छोटे अपराधों के लिए छोटा दंड, दूसरी बार अपराध करने पर गंभीर और कठोर दंड।

विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सामुदायिक वन प्रबन्धन परियोजनाएं

1031. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से कुछ राज्यों में सामुदायिक वन प्रबन्धन परियोजनाएं चलाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उड़ीसा सहित कई राज्यों से अपने अपने राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से ऐसी परियोजनाएं चलाने के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर राज्यवार क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से 625.43 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से हाल ही में "आन्ध्र प्रदेश सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना" प्रारम्भ की है। इस परियोजना का विकासात्मक उद्देश्य "सामुदायिक भागीदारी से उन्नत वन प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण निर्धनता को कम करना" है। इस परियोजना के तीन प्रमुख घटक हैं–(क) सामुदायिक वन प्रबंधन हेतु सशक्त पर्यावरण की स्थापना करना; (ख) वन प्रबन्धन और (ग) सामुदायिक विकास।

(ग) से (ङ) सरकार को, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखण्ड के विश्वबैंक सहायता की मांग करते हुए साझा वन प्रबंधन परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये परियोजनाएं, लोक भागीदारी से उन्नत वन प्रबन्धन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अभिकल्पित की गई हैं। सरकार ने ये परियोजनाएं विश्व बैंक के सामने रखी हैं। विश्व बैंक द्वारा परियोजनाओं के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है। सरकार को उड़ीसा सरकार से भी "उड़ीसा वानिकी क्षेत्र विकास परियोजना" हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु जापान बैंक से सहायता की मांग की गई है। कुछ स्पष्टीकरणों की मांग करते हुए यह परियोजना वापस राज्य को भेज दी गई है।

उर्वरकों की बिक्री

1032. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई भागों में आए भीषण सूखे के कारण खरीफ मौसम के दौरान उर्वरकों की बिक्री में भारी गिरावट आई थी, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में गिरावट आने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) देश में मुख्य उर्वरकों अर्थात यूरिया, डाई–अमोनियम फास्फेट और म्यूरिएट ऑफ पोटाश की बिक्री देश के विभिन्न भागों में सूखे के कारण खरीफ 2001 की तुलना में खरीफ 2002 में क्रमशः लगभग 6%, 20% और 15% कम हुई। प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, खरीफ 2002 के दौरान 90.64 मि.मी. टन खाद्यान्न का उत्पादन होने की सम्भावना है जबकि खरीफ 2001 के दौरान 111.51 मि.मी. टन खाद्यान का उत्पादन हुआ था।

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के संचालनों का एकीकरण

1033. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्रीमती प्रभा राव :
श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने देशों के साथ भारत ने द्विपक्षीय समझौते किए हैं और कहां से उड़ानों की आवाजाही हो रही है;

(ख) इन समझौतों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या भारत अपनी समस्त क्षमता का सभी देशों के साथ पूरी तरह उपयोग करता है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इंडियन एयरलाइंस का भी विचार उक्त देशों में विमान संचालन आरम्भ करने का है;

(ङ) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइंस के संचालन को एकीकृत करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) भारत ने अभी तक 97 देशों के साथ विमान सेवा करार किए हैं। ये करार भारत तथा संबंधित देश के बीच निर्धारित विमान सेवा के प्रचालन के लिए आधारभूत विधिक रूपरेखा उपलब्ध कराते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्तमान में इंडियन एयरलाइंस वास्तविक रूप से 13 देशों में अपनी उड़ानें प्रचालित कर रही है।

(ङ) और (च) नए रूट/सेक्टर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन आरम्भ करने या उसका विस्तार करने के लिए मौजूदा नीति के अनुसार प्रथम रूप से इनकार करने का अधिकार एयर इंडिया को है जिसे एक निश्चित समय-सीमा के दौरान इस अधिकार का प्रयोग करना होता है। यदि एयर इंडिया इस विकल्प का प्रयोग नहीं करता या ऐसा करने का इरादा नहीं जताता तो यह इंडियन एयरलाइंस को दिया जा सकता है। राष्ट्रीय वाहकों के बीच प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए यथा सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

ईंधन की लकड़ी की खपत का वनाच्छादित क्षेत्र पर प्रभाव

1034. श्री अबुल हसनत खां :
श्री सुबोध राय :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान ईंधन की लकड़ी का वार्षिक राज्यवार उत्पादन और खपत क्या है;

(ख) क्या खपत की दर उत्पादन की दर से काफी ज्यादा है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति से वनाच्छादित क्षेत्रों में कमी आती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) 1996 में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार देश में ईंधन की लकड़ी की कुल आवश्यकता और पूर्ति क्रमशः 201 और 115 मिलियन टन है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान ईंधन की लकड़ी के राज्यवार उत्पादन और खपत पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) वनों पर जैवीय दबाव की बढ़ोत्तरी का वनावरण पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

(घ) वनों को बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं :

(i) राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा अपने निजी संसाधनों एवं भारत सरकार की वित्तीय सहायता से वनीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(ii) वनों के विकास और उन्हें बनाए रखने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(iii) अवक्रमित वनों की सुरक्षा और पुनरुद्धार के लिए ग्रामीण समुदायों को शामिल करने के लिए सभी राज्य/संघशासित सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(iv) गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपवर्तन के नियंत्रण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया है।

(v) सुरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(vi) मंत्रालय ने पारिस्थितिकीय स्थायित्व के लिए वानिकी और वृक्ष संसाधनों के योगदान में बढ़ोत्तरी करने एवं वन संसाधनों के संरक्षण और उनके विकास हेतु निवेश में सुधार द्वारा लोक-केन्द्रित विकास करने के लिए एक राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम तैयार किया है।

मध्य प्रदेश में नए विमानपत्तन

1035. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में बदुबगढ़, बालाघाट, नीमच और छिंदवाड़ा में विमानपत्तन निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावित विमानपत्तनों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि अब तक जारी की जा चुकी है, और

(घ) इन विमानपत्तनों का निर्माण कब तक हो जाने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश राज्य में बदुबगढ़, बालाघाट, नीमच तथा छींदवाड़ा स्थित हवाईपट्टियां, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की नहीं हैं। वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इन स्थानों पर हवाई अड्डों के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

पुष्कर सरोवर के लिए जलशोधन संयंत्र

1036. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर सरोवर के प्रदूषित जल की सफाई के लिए जल शोधन संयंत्र की स्थापना करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक बना लिया जाएगा और कार्यान्वित कर दिए जाने की सम्भावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत पुष्कर सरोवर के पुनरुद्धार के लिए राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव विचारार्थ प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दुर्घटना प्रवण खानें

1037. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान सुरक्षा महानिदेशालय ने ऐसी खानों की पहचान करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है जिनमें अकसर दुर्घटनाएं होती रहती हैं;

(ख) क्या हाल में कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में कई खान दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) खान सुरक्षा महानिदेशालय कुल नियोजित श्रम बल और संदर्भ वर्ष के दौरान कोयला खानों की दुर्घटना दर पर आधारित दुर्घटना की गम्भीरता आधार पर प्रत्येक वर्ष दुर्घटना

की सम्भावना वाली कोयला खानों की सूची तैयार करता है।

(ख) अगस्त–अक्टूबर, 2002 की अवधि के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कम्पनियों में 12 घातक और 65 गम्भीर दुर्घटनाओं की सूचना मिली जिनमें 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 73 घायल हुए।

(ग) खान सुरक्षा महानिदेशालय सभी दुर्घटनाओं की जांच करता है और खान प्रबंधन का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए तथा खानों में सुरक्षा सुधार हेतु उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। निम्नलिखित कार्रवाई भी की जाती है :

(i) दोषियों को चेतावनी।

(ii) प्रमाण–पत्र का निलम्बन।

(iii) कार्य के तरीके में सुधार।

(iv) खान सुरक्षा महानिदेशालय के जांच परिणामों के आधार पर प्रबंधन द्वारा अपने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई।

(v) न्यायालय में अभियोजन।

[अनुवाद]

सूखा राहत हेतु जिलास्तरीय निगरानी समिति

1038. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सभी सूखाग्रस्त राज्यों को सुगम राहत प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय निगरानी समितियां गठित करने और तत्काल काम के बदले अनाज कार्यक्रम आरम्भ करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को प्रत्येक प्रभावित क्षेत्र में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक कितने राज्यों ने उक्त समितियों का गठन किया है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सूखा पीड़ितों तक राहत नहीं पहुंच पा रही है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्कीमों के अंतर्गत जिला–स्तरीय मानिटरिंग समितियों की परिकल्पना की गई है जिसमें संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शामिल है जिसके विशेष घटक से काम के बदले अनाज कार्यक्रम को सूखा राहत प्रदान करने के लिए वित्त पोषित किया जाता है। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने राज्य के मुख्य मंत्रियों से भी यह अनुरोध किया है कि वे संसद सदस्यों और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को इन समितियों में सहयोजित करें। इस मामले में अब तक कोई औपचारिक जानकारी वापिस प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) से (छ) इस मामले में अब तक कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

एम्बुलेंस/आश्रय योजना के अंतर्गत अनुदान

1039. श्रीमती मेनका गांधी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 2002 से एम्बुलेंस और आश्रय योजनाओं के अंतर्गत जारी अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में प्रत्येक योजना के अंतर्गत लम्बित किस्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक जारी किए जाने की सम्भावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) 1 जुलाई, 2002 से आश्रय गृह योजना के अंतर्गत 71,46,839/– रुपये की कुल राशि और एम्बुलेंस स्कीम के अंतर्गत 7,93,511/– रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। लाभ प्राप्त करने वालों का ब्यौरा और स्वीकृत धनराशि संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) और (ग) आश्रय गृहों की सहायता के 10 मामले और एम्बुलेंस संबंधी सहायता के 5 मामले सहायता/किस्तों की रिलीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं। इन मामलों के संबंध में अपेक्षित दस्तावेज और अनुबद्ध निरीक्षण रिपोर्टें अभी हाल में प्राप्त हुई थीं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहायता की स्वीकृति/रिलीज की प्रक्रिया पहले ही चल रही है।

विवरण-I

आश्रय गृह योजना

क्र.सं.	संगठन का नाम	राशि (रुपयों में)
1.	दुष्कल गौसेवा समिति पाली, राजस्थान	7,20,000/–
2.	पी.एफ.ए., आगरा	11,16,000/–
3.	दयोदया पशु संस्थान, ललितपुर, उत्तर प्रदेश	7,20,000/–
4.	अखिल भारतीय महर्षि दयानन्द गौशाला, रोहतक	7,25,125/–
5.	दयोदया पशु सेवा समिति, सिओनी मध्य प्रदेश	10,68,750/–
6.	हरिग्रामोद्योग संस्थान, पो. हैदरपुर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	9,57,565/–
7.	आशुराली विवेकानंन्द समिति, पश्चिम बंगाल	9,23,649/–
8.	चंडीगढ़ एनीमल वेल्फेयर एंड ईको डेवलपमेंट सोसायटी, चंडीगढ़	9,15,750/–
	कुल	71,46,839

एम्बुलेंस स्कीम

क्र.सं.	संगठन का नाम	राशि (रुपयों में)
1.	श्री कृष्णा गौसेवा संस्थान, राजस्थान	3,43,511/–
2.	ग्राम विकास संस्थान, मथुरा, उत्तर प्रदेश	4,50,000/–
	कुल	7,93,511/–

विवरण-II

विभिन्न स्कीमों में लंबित मामलों की संख्या

क्र.सं.	संगठन का नाम	स्कीम का नाम
1	2	3
1.	पीपल फार एनीमल्स, गाजियाबाद	आश्रय

1	2	3
2.	एस.पी.सी.ए., जम्मू	आश्रय
3.	पीपल फार एनीमल्स, लखनऊ	आश्रय
4.	मणिपुर ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएशन, मणिपुर	आश्रय
5.	गौशाला बाबा फुल्लू, संघ, जींद	आश्रय
6.	श्री गौशाला डेरी दत्ता, हिसार	आश्रय
7. और 8.	पीपल फार एनीमल्स, गुड़गांव (एनीमल्स हॉस्पीटल सधराना)	आश्रय और एम्बुलैंस
9.	पीपल फार एनीमल्स, केन्द्रपाड़ा	आश्रय
10.	श्री मरूधर जैन केसरी गौशाला, पाली, राजस्थान	आश्रय
11. और 12.	एस.पी.सी.ए., कश्मीर	आश्रय, (रख–रखाव) एम्बुलैंस
13.	सर्कल आफ एनीमल लवर्स	एम्बुलैंस
14.	पीपल फार एनीमल्स, थोबल, मणिपुर	एम्बुलैंस
15.	यूथ एंड वूमैन वोलिएंटरी आर्गेनाइजेशन, इम्फाल पूर्वी जिला	एम्बुलैंस

पुराने घरेलू टर्मिनलों का नवीकरण

1040. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी विमानपत्तनों के पुराने घरेलू टर्मिनलों के नवीकरण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) अंतर्देशीय हवाई अड्डों पर पुराने टर्मिनल भवनों का नवीनीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है तथा इस कार्य को आवश्यकता, वित्तीय संसाधनों की स्थिति एवं उपलब्धता के आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। अंतर्देशीय टर्मिनल–I बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा रांची हवाई अड्डा, अहमदाबाद हवाई अड्डा, कालीकट तथा भावनगर हवाई अड्डे के टर्मिनलों के रूपांतरण का कार्य लिया गया है। टर्मिनल–I बी, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुम्बई, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा पटना हवाई अड्डे पर शहर की ओर से एक कैनापी का निर्माण किया गया है। रांची तथा गोवा हवाई अड्डे पर फर्श डाला गया है। पटना तथा गोवा हवाई अड्डों पर एयरोब्रिज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मंगलौर हवाई अड्डे पर कैनापी समेत अंतर्देशीय खंड का विस्तार कार्य पूर्ण होने वाला है। कालीकट हवाई अड्डे पर अंतर्देशीय टर्मिनल का फर्श पुनः डाला गया। विजयवाड़ा, त्रिची, गया तथा मदुरै हवाई अड्डों पर पुराने टर्मिनल भवनों के विस्तार एवं नवीनीकरण का कार्य पूरा हो चुका है।

कृषि विश्वविद्यालयों की योजनाएं/कार्यक्रम

1041. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात में कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में चल

रही कौन–कौन सी योजनाओं/कार्यक्रमों का वित्तपोषण किया जा रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या उनकी उपलब्धियों के मूल्यांकन हेतु कोई तंत्र है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और गुजरात में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों का विकास और सुदृढ़ीकरण ऐसी योजनाएं/कार्यक्रम हैं जिन्हें गुजरात कृषि विश्वविद्यालय कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों जैसे 1999–2000, 2000–01 और 2001–02 के दौरान क्रमशः 674.80 1864.17 और 1231.83 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) बाह्य सदस्यों वाले दल ने पंचवर्षीय समीक्षा की। उन्होंने वित्त पोषित स्कीमों/कार्यक्रमों की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया।

सहकारी संस्थाओं का मूल्यांकन

1042. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहकारी संस्थाएं अपने उद्देश्यों के अनुसार चलाई जा रही हैं और उनके कार्यकरण के संबंध में कोई अनियमितता और शिकायत न हो उनका मंत्रालय इनके कार्यकलापों का मूल्यांकन करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अब तक केन्द्रीय भंडार, एन.सी.सी.एफ. और नैफेड का कितनी बार निरीक्षण किया गया और इन संस्थाओं में किस प्रकार की अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। सहकारिता राज्य का विषय है तथा संबद्ध राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार बहु–राज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम लागू करती है जिसके अंतर्गत एक से अधिक राज्यों के सदस्यों के हित को देखने के उद्देश्य वाली सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण किया जाता है और ये सोसाइटियां लेखा परीक्षा, जांचों, निर्वाचनों और निरीक्षणों आदि के जरिए बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित की जाती हैं। तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि नए बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत रजिस्ट्रार के पास लेखा परीक्षा जांच और निरीक्षण का स्वयं का कोई अधिकार नहीं है।

(ख) और (ग) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नए बहुराज्यीय सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत केन्द्रीय रजिस्ट्रार के पास निरीक्षणों और जांचों की स्वयं की कोई शक्ति नहीं है। तथापि, पुराने बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 के अंतर्गत केन्द्रीय रजिस्ट्रार ने वर्ष 2001–2002 के दौरान प्राधिकृत अधिकारी के जरिए केन्द्रीय भंडार और एन.सी.सी.एफ. का निरीक्षण कराया है। किसी संज्ञेय अनियमितता का पता नहीं चला।

[हिन्दी]

चार महानगरों में विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

1043. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी चार महानगरों के विमानपत्तनों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किन–किन खामियों का पता लगाया गया है; और

(ग) उक्त कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा और प्रत्येक विमानपत्तन पर कितना व्यय किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चारों महानगरीय हवाई अड्डों के टर्मिनल भवनों का परिवर्धन कार्य एक सतत प्रक्रिया है। निजी भागीदारी से मैट्रो हवाई अड्डों की पुनर्संरचना से मैट्रो हवाई अड्डों पर विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप सुविधाएं अच्छी होने की सम्भावना है। इसी बीच, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 54.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से टर्मिनल 1 बी और 2 बी के परिशोधन जैसे निर्माण कार्यों, कोलकाता हवाई अड्डे पर 11.24 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन के परिशोधन तथा टर्मिनल 2बी पर सिटी साइड कैनापी कार्यों तथा चेन्नई हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का विस्तार, बे नं. 26 पर एयरसाइड पर एयरोलिंक और बढ़ाए गए क्षेत्रों के लिए एट्रियम के कवरिंग संबंधी कार्यों को 88.44 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से करने के लिए हाथ में लिया जा चुका है। कुछ कार्यों को पहले ही पूरा कर लिया गया है जबकि शेष निर्माण कार्यों को मार्च, 2004 तक पूरा किए जाने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का उत्पादन

1044. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले दस वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन को दुगुना करने की रणनीति तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए अतिरिक्त धनराशि का आवंटन कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तमिलनाडु को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा धान और तिलहनों की फसल में वृद्धि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। अगले दस वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन दोगुना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) तमिलनाडु सहित सभी राज्यों को वृहत प्रबंध स्कीम के अंतर्गत धान सहित खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए सहायता दी जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2002–03 के दौरान तमिलनाडु को 42.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा तिलहन उत्पादन में वृद्धि हेतु तमिलनाडु में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया जा रहा है; जिसके अंतर्गत तमिलनाडु को वर्ष 2002–2003 के दौरान 4.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बहु-कराधान

1045. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उद्योगों से प्राप्त बहु–कराधान विनियमों और मानकों से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से एक विधेयक लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इस क्षेत्र में पांच प्रतिशत विकास दर हासिल करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) एक आधुनिक एकीकृत खाद्य कानून और संबंधित विनियमों को तैयार करने के वास्ते वैधानिक और अन्य परिवर्तनों पर सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है।

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से हाल ही में करवाए गए एक अध्ययन के अनुसार यदि सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होती है तो अनुमान है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की वृद्धि दर 10.1 प्रतिशत होगी।

यूनियन कार्बाइड कारखाने के निकट पानी में पारे की मात्रा

1046. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्व यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के निकट भू-जल स्रोतों में बड़ी मात्रा में पाया गया पारा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने के कारण यह मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त है-जैसा कि दिनांक 30 सितम्बर, 2002 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पानी से पारे और विषैले तत्वों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कितनी केन्द्रीय सहायता, यदि कोई हो, की मांग की गई है; और

(घ) पूर्व यूनियन कार्बाइड फैक्टरी से भू-जल को प्रदूषित करने के लिए हरजाना लेने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एम.पी.पी.सी.बी.) ने अक्तूबर, 2002 में यूनियन कार्बाइड परिसर के आस-पास के 11 विभिन्न स्थानों में भू-जल की गुणता के मूल्यांकन के लिए दो सर्वेक्षण किए हैं। दो नमूनों में, पारे की सांद्रता का पता चला है और यह बी.आई.एस. 10500 : 1991 के अंतर्गत निर्धारित पेय जल गुणता की अपेक्षित सीमाओं से अधिक है।

(ग) और (घ) गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार दूषित स्थलों में सुधार से संबंधित कार्यकलापों को समन्वित कर रहा है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कहने पर, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने दूषित क्षेत्रों के मूल्यांकन के बारे में अध्ययन किए हैं और गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए सिफारिशें भेज दी हैं। इसके अलावा, राज्य विभाग ने यूनियन कार्बाइड परिसर के अंदर पड़े अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान के लिए सभी संभव कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

भू-जल वैज्ञानिकों को सुविधाएं

1047. श्री अखिलेश यादव : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के भू-जल वैज्ञानिकों ने सरकार से उन्हें भी अन्य वैज्ञानिकों को मिलने वाली सुविधा देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भू-जल बोर्ड में कितने वैज्ञानिक कार्यरत हैं और अन्य वैज्ञानिकों की तुलना में उनके वेतनमानों, पदोन्नतियों आदि में अंतर का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का विचार कब तक इस विसंगति को दूर करने का है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बिजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) सरकार को केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) में कार्यरत वैज्ञानिकों की शिकायतों की ओर ध्यान दिलाने संबंधी अभ्यावेदन समय-समय पर प्राप्त हुए हैं। ये शिकायतें मुख्य रूप से विभिन्न स्तरों पर कार्यरत वैज्ञानिकों की पदोन्नतियों में हुए विलंब के संबंध में हैं। इन शिकायतों की जांच की गई और जहां कहीं आवश्यक हुआ, अन्य संबंधित विभाग/अभिकरण, उदाहरण के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, के परामर्श से उन पर कार्रवाई की गई।

(ग) इस समय केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में 362 वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं और वे भारत सरकार के अन्य वैज्ञानिकों के अनुरूप वेतन-मान और अन्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शिलालेखों का पता लगना

1048. श्री सुरेश कुरुप : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस गात की जानकारी है कि नवम्बर, 2001 में पाए गए कतिपय शिलालेखों के बारे में ऐसी सूचना है कि उन्हें हाल में खजुराहो के इनटैक गोदामों से बरामद किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इस सूचना को देने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। इस मामले की सूचना छतरपुर के जिला कलक्टर द्वारा अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भोपाल मंडल को मूर्तियों को बरामद करने के बाद, 15 जुलाई, 2002 को दी गई थी जिन्होंने उक्त मामले की सूचना बाद में महानिरीक्षक को दी थी।

(ग) और (घ) जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक दाय समिति कार्यरत है जिसमें विभिन्न स्थानीय निकायों के सदस्य हैं और स्थानीय प्राधिकारियों ने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है। दोषी के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी केरल का प्रस्ताव

1049. श्री पी. सी. थामस : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के निजी संगठनों, एजेंसियों, न्यासों अथवा गैर-सरकारी संगठनों ने केन्द्र सरकार को पर्यटन से संबंधित कई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान भेजे गए ऐसे प्रस्तावों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है और परियोजना-वार कितनी राशि स्वीकृत और प्रयुक्त की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार केरल सहित राज्यों में पर्यटन के विकास के लिए विभिन्न निजी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त कर रहा है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, पर्यटन विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंतर्गत ऐसी एजेंसियों को पर्यटन परियोजनाओं के लिए निधि स्वीकृत की जा सके।

पिछले तीन वर्षों के दौरान 2170.00 लाख रुपये की लागत की 40 परियोजनाएं पर्यटन विभाग, केरल सरकार, को मंजूर की गई हैं।

पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, वह वार्षिक आधार पर देश में 6 यात्रा परिपथ अभिनिर्धारित करेगा और उनका विकास करेगा। इन परिपथों को राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों और भारत सरकार के संबंधित विभागों के गहन सहयोग और भागीदारी से अंतिम रूप दिया जाएगा और उनका विकास किया जाएगा। इसके अलावा, समग्र विकास के लिए, प्रत्येक वर्ष केरल राज्य सहित, प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में, एक वृहत गंतव्य स्थल अभिनिर्धारित करने का प्रस्ताव है।

चालू वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान, केरल के राज्य पर्यटन विभाग से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसरण में, केरल में पर्यटन के विकास के लिए, दक्षिणी यात्रा परिपथ (पश्चजल और समुद्र तट परिपथ) कोचीन-कुमारकोम (पश्चजल)-कोट्टायम-क्वलॉन-त्रिवेंद्रम (कोवलम) पर विचार किया गया। बेकल को भी पश्चिमी परिपथ (कोंकन-रिवीरा परिपथ) में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

इस्पात मंत्रालय में कार्यालय व्यय

1050. डा. बलिराम : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रचार, विज्ञापन, होटलों, आतिथ्य, खान-पान, उद्घाटन, समारोहों, बैठकों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, दौरों (विदेशी दौरों सहित), एस.टी.डी., आई.एस.डी., टेलिफोन के बिलों, बिजली के बिलों विशेषकर, एयर कंडीशनरों और कूलरों के

बिजली बिलों और अन्य कार्यालय व्ययों पर प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत अलग-अलग कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त शीर्ष के अंतर्गत व्यय में किफायत बरतने हेतु कोई अभियान चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

1051. श्री रामशकल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से कितने श्रमिक लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण हेतु नियोजकों पर विशेष उपकर लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इससे श्रमिकों को क्या लाभ मिलने की सम्भावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) सरकार ने कतिपय श्रेणी के श्रमिकों, यथा-बीड़ी श्रमिकों, कुछेक गैर-कोयला खान श्रमिकों तथा सिने कामगारों को बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976, लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 तथा सिने कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 के तहत सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराने के लिए कल्याण निधियों की स्थापना की है। इन निधियों का उपयोग श्रमिकों को स्वास्थ्य देखभाल, आवास, बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता, पेयजलापूर्ति आदि जैसी विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करने हेतु किया जाता है। इन कल्याण निधियों के तहत वर्ष 2001-2002 के दौरान, लगभग 63.5 लाख रोगियों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की गई, 3.8 लाख छात्रवृत्तियां दी गईं और 8432 आवास निर्माण की संस्वीकृति दी गई। सरकार ने 50 चुनिंदा जिलों में कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 भी शुरू की है जिसके तहत तीन वर्षों के प्रथम चरण में 10 लाख कृषि श्रमिकों को लाया जाएगा। वर्ष 2001-02 के दौरान लगभग 1.01 लाख कृषि श्रमिकों को कवर किया गया। इसके अतिरिक्त, गरीबी रेखा से नीचे या आंशिक रूप से रहने वाले ग्रामीण तथा शहरी व्यक्तियों (असंगठित श्रमिकों सहित) को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए सन 2000 से जनश्री बीमा योजना लागू है। इसके अलावा, सरकार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी और रोजगारोन्मुख योजनाएं तथा कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रही है। इनमें से ऐसी कुछ योजनाएं हैं : स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आदि।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-नेपाल संधि

1052. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल से बहने वाली गंगा नदी की उत्तरी सहायक नदियों की सम्भावनाओं का उपयोग करने के लिए महाकाली नदी के समेकित विकास के संबंध में भारत-नेपाल संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं और भारत-नेपाल संयुक्त विशेषज्ञ समूह को विभिन्न वार्ताओं के पश्चात विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए काठमांडू में संयुक्त परियोजना कार्यालय और देश में फील्ड कार्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कार्यालयों की स्थापना कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो वे कहां-कहां हैं और उनकी संरचना क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। संयुक्त परियोजना कार्यालय पंचेश्वर अन्वेषण (जे.पी.ओ.–पी.आई.) की स्थापना दिनांक 10.12.1999 को की गई थी और आवश्यक क्षेत्र सर्वेक्षण करने के बाद दिनांक 31.7.2002 को इसे बंद कर दिया गया है।

(ग) संयुक्त परियोजना कार्यालय–पंचेश्वर अन्वेषण (जे.पी.ओ.–पी.आई.) टनकपुर (भारत) के प्रभागीय कार्यालय के साथ काठमांडू (नेपाल) में स्थापित किया गया था जिसमें अभियांत्रिकी, भू–विज्ञान, प्रशासन, लेखा इत्यादि के क्षेत्र के अधिकारी/कर्मचारी शामिल हैं।

इंडियन एयरलाइंस में निदेशकों की नियुक्ति

1053. श्री रामजीवन सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस को लगातार घाटे के बावजूद कई निदेशकों की नियुक्ति की गई है; और

(ख) यदि हां, तो हाल में इंडियन एयरलाइंस में कितने निदेशकों की नियुक्ति की गई है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) वर्ष 2002 में निदेशक के दस (10) पदों को भरा गया है। इंडियन एयरलाइंस में ये पद महाप्रबंधक संवर्ग में से पदोन्नति द्वारा भरे गए हैं, जोकि इंडियन एयरलाइंस में निदेशक के पद से तत्काल नीचे का संवर्ग है।

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की भूमि पर भवन निर्माण

1054. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्टूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की भूमि पर किस प्रकार के भवन का निर्माण किया जाना है;

(ख) क्या अभी तक कोई कार्य शुरू किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा नींव डालने एवं पानी की टंकी का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में सुधार

1055. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) तंत्र सहित कृषि क्षेत्र में सुधार कराने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(घ) केन्द्र सरकार के प्रस्तावों से राज्य सरकारें कहां तक सहमत हुई हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा किसानों को प्रौद्योगिकी तथा अवसंरचना के संबंध में उचित मार्ग–दर्शन तथा सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) भारत सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए

समय–समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी) तंत्र सहित कृषि क्षेत्र में सुधार करती है। इस उद्देश्य के अनुसरण में, समय–समय पर राज्य सरकारों के साथ नियमित बैठकें, सम्मेलन तथा विचार–विमर्श आयोजित किए जाते हैं। राज्य सरकार ने कृषि में सुधारों की एक शृंखला शुरू की है।

(ङ) सूचना और प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए, विस्तार नेटवर्क, प्रशिक्षणों, दौरों, प्रदर्शनों, व्यापार मेलों आदि के माध्यम से किसानों का मार्गदर्शन किया जाता है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, सिंचाई, परिवहन और संचार, गोदामों, शीतागारों के निर्माण, विपणन सुविधाओं के प्रावधान सहित बुनियादी ढांचे के विकास की विभिन्न नीतियों का भी तीक्ष्णता से अनुसरण कर रही है।

[हिन्दी]

मछुआरों के कल्याण हेतु योजनाएं

1056. श्री रामरती बिन्द :
श्री महबूब जाहेदी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत प्रतिवर्ष मछली आयात के द्वारा 6.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय समुद्र में बेरोक–टोक मछली पकड़ने हेतु विदेशी नौकाओं को अनुमति दी है जिससे मछुआरों की जीविका संकट में पड़ गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार जम्बू द्वीप में मछुआरों के रहने के अधिकार को समाप्त करने की योजना बना रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) मछुआरों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा लागू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने की मांग

1057. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों ने सूखाग्रस्त राज्यों में किसानों के लिए कुछ रियायतों सहित धान तथा कुछ अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य शीघ्र घोषित करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब और अन्य राज्यों की राज्य सरकारों ने धान सहित खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा शीघ्र करने, धान (570–850 रु.), मोटे अनाज (530–875 रु.), दलहन (1450–2261 रु.), छिलके सहित मूंगफली (1460–1983 रु.), कपास (1875–3400 रु.), के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण, बोनस के भुगतान इत्यादि की मांग की थी।

(ग) सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों, राज्य सरकार और केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण समझे गए अन्य संगत घटकों को ध्यान में रखते हुए 2002–03 मौसम के लिए विभिन्न खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। जून–अगस्त, 2002 के दौरान देश के विभिन्न भागों में मानसून के असफल होने के कारण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2002–2003 मौसम की खरीफ फसलों के लिए विशेष सूखा राहत मूल्य घोषित किए हैं। ये विशेष सूखा राहत मूल्य 2002–03 मौसम की खरीफ फसलों के लिए पहले से ही घोषित न्यूनतम समर्थन

मूल्यों के अतिरिक्त हैं। 2002–03 मौसम की खरीफ फसलों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों और विशेष सूखा राहत मूल्यों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

2002–03 मौसम की खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और विशेष सूखा राहत मूल्य

(रु. प्रति क्विंटल)

फसल/जिंस	किस्म	न्यूनतम समर्थन मूल्य	विशेष सूखा राहत मूल्य
धान	सामान्य	530	20
	ग्रेड 'ए'	560	20
ज्वार	485	5	
बाजरा	485	10	
मक्का	485	5	
रागी	485	5	
तुर (अरहर)	1320	5	
मूंग	1330	5	
उड़द	1330	5	
मूंगफली (छिलके सहित)	1355	20	
सोयाबीन	पीली	885	10
	काली	795	10
सूरजमुखी बीज	1195	15	
तिल	1450	05	
रामतिल	1120	0	
कपास	एफ–414एच–777/जे34	1675	20
	एच–4	1875	20

[हिन्दी]

ट्राली घोटाला

1058. श्री कैलाश मेघवाल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.बी.आई. ने एक निजी कम्पनी टी.डी. आई. इंटरनेशनल प्राइवेट लि. के विरुद्ध पांच अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर ट्रालियों की आपूर्ति करने के समझौते का उल्लंघन करने के लिए आपराधिक मामला और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है जिससे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 21.5 करोड़ रुपये की भारी हानि हुई है;

(ख) क्या यह घोटाला प्राधिकरण के कतिपय अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने कोई जिम्मेदारी तय की है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त कम्पनी और उसमें शामिल अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सी.बी.आई. को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इस स्थिति में गलती करने वाले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों तथा उनकी अभियोज्यता दर्शाने वाले विवरणों का प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है और न ही उनके तथा कम्पनी के विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण सम्भव है।

[अनुवाद]

लीलाबाड़ी विमानपत्तन पर टर्मिनल भवन का निर्माण

1059. श्री एम. के. सुब्बा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीलाबाड़ी विमानपत्तन पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल लागत का ब्यौरा क्या है और लागत में कितनी वृद्धि हुई, यदि कोई है;

(ग) क्या किसी विमान सेवा ने टर्मिनल भवन पूरा होने पर यहां से उड़ानें चलाने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) लीलाबाड़ी हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन काम्प्लैक्स का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। इसकी कुल लागत 18.45 करोड़ रुपये है जिसमें लागत में बढ़ोतरी होने से संबंधित 1.58 करोड़ रुपये भी सम्मिलित हैं। मैसर्स एलायंस एयर द्वारा बी–737 विमान के उपयोग द्वारा गुवाहाटी–लीलाबाड़ी–गुवाहाटी सेक्टर पर प्रति सप्ताह 2 दिन उड़ाने प्रचालित की जा रही हैं।

[हिन्दी]

पक्षियों तथा पशुओं की प्रजातियों का लुप्त होना

1060. श्री वाई. जी. महाजन : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पक्षियों तथा पशुओं की जनगणना की विधि संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में इस समय पक्षियों और पशुओं की कौन सी प्रजातियां हैं;

(ग) उन पक्षियों तथा पशुओं की प्रजातियों का राज्य वार ब्यौरा क्या है जो गत पांच वर्ष के दौरान और उसके पश्चात लुप्त होने के कगार पर हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में दुर्लभ पक्षियों तथा पशुओं की प्रजातियों को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितना धन उपलब्ध कराया गया खर्च किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) पक्षियों और जानवरों की संख्या का आकलन निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है :

(i) प्रत्यक्ष देख कर गिनती द्वारा

(ii) पशुओं/पक्षियों का गोबर अथवा बीट, मिट्टी में बने निशान, आवाजों की संख्या, मौतों की संख्या आदि जैसी घटनाओं का अर्थ लगाकर

(iii) फोटो–ट्रैप विधि द्वारा

(iv) बंदी बनाना, छोड़ना और फिर से बंदी बनाना

(v) रेडियो टैलीमीट्री।

(ख) अनुमान है कि देश में पक्षियों सहित जानवरों की प्रजातियां 89,451 से भी अधिक हैं, जिनकी एक लम्बी सूची बनेगी तथापि, पशुओं और पक्षियों की प्रमुख प्रजातियों के नाम, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में सूचीबद्ध किए गए हैं।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान कोई भी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर नहीं पहुंची है तथापि इस अवधि के दौरान गिद्धों की संख्या में चौंका देने वाली गिरावट आई है।

(घ) देश में पक्षियों और पशुओं की दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. सभी वन्य प्राणियों और पक्षियों के शिकार को वन्यप्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है।

2. वन्य प्राणियों और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के संवेदनशील आवास स्थलों को राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के रूप में अधिसूचित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण वैटलेंडस को रामसर स्थल और विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थलों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

3. वन्य प्राणियों के अवैध शिकार और उनके उत्पादों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से क्षेत्र में गश्त लगाई जाती है। इस संबंध में अन्य प्रवर्तन अभिकरणों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग भी लिया जाता है।

4. वन्य प्राणियों की बेहतरी के लिए वन्य प्राणी

आश्रय स्थलों का प्रबंधन वैज्ञानिक पदचिह्नों पर किया जाता है।

5. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

6. विभिन्न प्रजातियों की गणना के स्तर की मानीटरी करने और विभिन्न प्रजातियों के स्वस्थाने तथा स्थान बाह्य संरक्षण के लिए नीतियां तैयार करने हेतु वैज्ञानिक शोध किया जाना है।

7. प्रशिक्षण व कार्यशालाओं के द्वारा फील्ड प्रबंधकों को वन्यजीव प्रबंधन तकनीक का स्थानांतरण किया जाना।

8. वन्यजीव संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना।

9. गिद्धों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।

10. वन्यजीव संरक्षण से संबंधित समस्या के उपशमन के लिए 29 और 30 जनवरी, 2001 को कोयम्बटूर में आयोजित पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्रियों के सम्मेलन के कोयम्बटूर चार्टर का कार्यान्वयन।

11. राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना, 2002-16 और वन्यजीव संरक्षण नीति 2002 को तैयार किया गया है जिन्हें जनवरी, 2002 में अंगीकार किया गया।

पिछले 5 वर्षों के दौरान और उसके उपरांत राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों और वन्यजीव संरक्षण के लिए जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

नवीं पंचवर्षीय योजना और उसके बाद (31.10.2002) "राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के विकास" योजना के अंतर्गत, जारी की गई व उपयोग में लाई गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1997-1998	उपयोगिता	1998-1999	उपयोगिता	1999-2000	उपयोगिता	2000-2001	उपयोगिता	2001-2002	2002-03 31.10.2002 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	43.39	42.13	50.72	39.18	87.54	95.37	186.07	184.60	88.595	74.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	27.953	शून्य	75.91	10.94	50.983	95.42	121.12	141.80	160.465	57.93
3.	असम	54.62	शून्य	58.05	77.455	53.44	59.38	317.205	169.14	70.55	127.25
4.	बिहार	6.00	17.15	–	शून्य	27.85	18.90	21.02	24.57	4.52	–
5.	छत्तीसगढ़									36.94	25.45
6.	गोवा	–	4.63	11.07	9.45	21.305	22.80	10.50	14.45	78.43	–
7.	गुजरात	17.005	24.61	13.80	13.00	22.105	26.80	65.27	40.01	127.20	37.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	हरियाणा	14.57	17.76	37.20	17.90	21.55	42.90	28.35	3.27	15.64	18.75
9.	हिमाचल प्रदेश	61.50	60.30	49.80	57.69	47.46	42.20	165.30	164.54	11.235	63.10
10.	जम्मू–कश्मीर	124.70	18.07	70.00	84.60	5.55	25.09	–	–	26.00	99.90
11.	कर्नाटक	78.17	62.04	84.12	84.48	100.319	98.44	307.18	290.298	388.26	473.65
12.	केरल	49.29	53.86	49.35	48.84	59.975	56.795	102.62	82.242	81.50	146.20
13.	मध्य प्रदेश	195.67	120.89	35.93	73.44	152.203	167.12	182.195	194.931	99.38	105.30
14.	महाराष्ट्र	48.845	34.24	27.783	27.99	123.43	131.43	90.96	93.235	153.368	61.19
15.	मणिपुर	13.50	13.50	19.64	16.64	13.28	16.28	41.784	10.00	26.81	26.00
16.	मेघालय		शून्य	शून्य	12.45	शून्य	शून्य	66.36	44.99	27.95	41.00
17.	मिजोरम	13.48	10.34	8.45	11.04	12.30	8.85	102.31	132.52	128.55	125.50
18.	नागालैंड	15.29	12.67	9.00	11.62	9.70	9.70	31.85	20.00	43.13	76.00
19.	उड़ीसा	34.22	61.72	68.73	10.00	94.74	14.35	3.50	83.93	70.265	57.20
20.	पंजाब	14.03	9.38	8.65	0.56	11.57	17.19	26.39	17.178	29.60	–
21.	राजस्थान	82.34	91.98	69.52	24.93	66.54	65.32	116.00	153.679	73.00	199.68
22.	सिक्किम	12.51	13.12	11.00	6.96	12.00	25.20	97.45	एन.ए.	30.45	87.00
23.	तमिलनाडु	61.284	60.02	74.63	72.20	61.18	68.61	89.83	103.79	75.23	69.75
24.	त्रिपुरा	29.81	8.53	–	21.00	19.97	13.10	21.90	28.60	46.41	49.40
25.	उत्तर प्रदेश	112.11	99.75	89.57	78.93	117.81	127.85	144.60	136.15	79.815	122.55
26.	उत्तरांचल									38.13	68.38
27.	पश्चिमी बंगाल	69.69	58.19	72.96	70.35	55.20	60.29	90.22	102.14	180.945	161.46
28.	अंदमान और निकोबार द्वीप	20.56	शून्य		18.02	22.00	9.12	50.00	33.07	25.59	0.47
29.	चंडीगढ़	12.00	शून्य	–	12.00	28.00	20.00	–	8.00	18.40	14.00
30.	दादरा और नागर हवेली									6.01	15.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	दमण और दीव										–
32.	लक्षद्वीप										–
	कुल	1212.537		934.883		1298.00		2479.984		2342.068	2404.71

नवीं योजना के दौरान जारी की गई कुल राशि 8267.472 लाख

नवीं योजना के दौरान उपयोग में लाई गई कुल राशि 5421.583 लाख

नवीं योजना का आवंटन 350 करोड़ रुपये

एन.ए. उपलब्ध नहीं।

नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य–वार "बाघ रिजर्व सहित, राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्यों में व उनके इर्द गिर्द पारि–विकास" योजना के अंतर्गत जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	निधि जारी की गई 1997–98	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 1998–99	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 1999–2000	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 2000–2001	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 2001–2002	उपयोग की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	25.399	10.20	40.020	54.60	44.534	44.13	33.548	33.80	69.595	
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.998	12.80	15.229	9.98	13.820	13.61	31.83	39.50	45.153	
3.	असम	10.250	–	42.34	24.50	32.00	3.50	45.51	94.92	43.81	11.05
4.	बिहार	–	–	15.00	–	38.39	32.00	28.99	–	33.86	–
5.	गुजरात	–	–	–	–	9.64	–	26.22	12.95	32.56	–
6.	हिमाचल प्रदेश	58.40	11.50	–	2.13	86.84	105.4966	63.70	131.346	104.30	–
7.	जम्मू–कश्मीर	22.49	–	–	–	13.70	–	–	–	–	–
8.	कर्नाटक	34.65	24.19	20.35	–	73.80	77.67	209.02	96.84	339.34	–
9.	केरल	–	60.058	70.55	61.532	36.45	44.327	153.439	64.962	138.27	–
10.	मध्य प्रदेश	51.33	8.00	65.89	44.717	63.277	47.677	126.53	107.54	231.974	247.71
11.	महाराष्ट्र	7.435	7.377	41.880	31.833	96.153	34.558	27	37.81	26.40	57.08
12.	मणिपुर	4.750	4.75	10.400	10.40	10.110	10.11	21.445	12.77	9.15	–
13.	मेघालय			–		–		21.52	16.06	17.106	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	मिजोरम	10.500	10.50	2.00	–	64.55	14.77	118.05	110.25	226.83	56.78
15.	नागालैंड	–	–	10.00	–	8.00	13.00	23.25	13.00	28.45	28.45
16.	उड़ीसा	45.775	31.165	22.60	9.094	12.00	20.516	56.16	30.00	42.60	31.04
17.	पंजाब	9.140	–	10.20	–	–	–	–	–	12.272	
18.	राजस्थान	36.93	31.53	53.44	11.51	16.74	–	–	39.20	80.20	
19.	सिक्किम	–	–	5.85	–	32.63	–	29.60	30.63	26.225	
20.	तमिलनाडु	4.12	–	18.10	–	31.96	–	6.30	1.53	6.38	
21.	त्रिपुरा	–	–	44.40	–	–	29.223	20.00	20.00	44.346	
22.	उत्तर प्रदेश	41.453	13.95	101.860	10.00	66.51	35.95	113.74	76.91	118.00	
23.	पश्चिमी बंगाल	66.525	41.725	44.39	39.60	48.889	–	153.00	134.36	121.953	
24.	झारखंड									12.56	
25.	उत्तरांचल									82.00	
26.	छत्तीसगढ़									24.70	
	कुल	434.145		634.499		799.993		1311.152		1966.07	

नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "लाभोन्मुखी आदिवासी विकास योजना" के अंतर्गत राज्यवार जारी की गई व उपयोग में लाई गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	निधि जारी की गई 1997–98	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 1998–99	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 1999–2000	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 2000–2001	निधि जारी की गई 2001–2002
1.	मध्य प्रदेश	45.00	90.19	350.00	177.84	201.08	130.14	200.00	300.00
2.	कर्नाटक	25.00	–	–	25.00	68.50	68.50	64.65	100.00
3.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	46.00	–
4.	उड़ीसा	40.00	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	110.00	90.19	350.00	202.84	269.58	198.64	310.65	400.00

नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और उसके बाद "बाघ परियोजना" के अंतर्गत राज्य–वार जारी व उपयोग में लाई गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	निधि जारी की गई 1997–98	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 1998–99	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 1999–2000	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 2000–2001	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 2001–02	जारी की गई निधियां 2002–03 (30.10.02 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	10.70	10.51	18.01	16.051	29.036	27.118	45.00	52.538	21.00	10.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	14.94	47.68	22.45	30.590	–	32.607	28.505	82.76	35.875
3.	असम	45.08	29.33	35.00	8.29	87.290	18.115	156.10	81.42	46.00	65.00
4.	छत्तीसगढ़									35.00	20.00
5.	बिहार	36.75	32.515	153.99	116.757	165.952	58.749	87.077		50.00	25.00
6.	झारखंड								109.013	75.625	18.00
7.	कर्नाटक	25.00	25.00	69.34	69.34	167.079	116.499	193.36	239.104	181.434	100.00
8.	केरल	34.95	32.62	39.19	35.033	43.665	38.89	50.00	–	50.00	50.00
9.	मध्य प्रदेश	133.778	115.58	225.125	204.89	332.160	207.105	433.567	270.003	472.18	416.00
10.	महाराष्ट्र	60.53	53.79	110.74	89.90	134.765	116.665	167.931	118.72	209.231	153.855
11.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	1.50	–	–	–
12.	मिजोरम	12.45	11.85	9.65	6.80	21.430	10.43	27.58	–	20.495	53.00
13.	उड़ीसा	49.30	40.45	67.65	39.75	84.450	31.34	83.31	–	126.81	–
14.	राजस्थान	149.885	132.035	472.265	123.803	222.595	137.755	299.705	271.671	170.319	119.00
15.	तमिलनाडु	45.60	45.60	32.50	25.19	58.780	39.16	60.315	–	16.00	50.00
16.	उत्तरांचल								–	181.825	50.00
17.	उत्तर प्रदेश	125.012	124.56	199.75	180.47	234.23	197.12	181.655	–	67.4[illegible]	32.75
18.	पश्चिमी बंगाल	58.95	53.92	179.985	142.22	137.140	115.60	98.18	384.2717	142.176	80.00
	कुल	807.985	408.415	1660.875	518.233	1749.162	1114.546	1917.887		1948.495	1278.19

नवीं योजना के दौरान और उसके बाद "भारत पारिविकास परियोजना" के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई निधियां व व्यय की स्थिति को दर्शाता विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1997–1998 के दौरान जारी	1997–1998 के दौरान व्यय	1998–1999 के दौरान जारी	1998–1999 के दौरान व्यय	1999–2000 के दौरान जारी	1999–2000 के दौरान व्यय	2000–2001 के दौरान जारी	2000–2001 के दौरान व्यय	2001–2002 के दौरान जारी	2001–2002 के दौरान व्यय	2002–2003 के के दौरान जारी (30.11.2001 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	राजस्थान	50.00	17.640	158.000	41.470	150.000	255.820	531.28	437.773	227.50	329.29	400.00
2.	पश्चिमी बंगाल	377.00	174.605	457.700	305.399	512.800	771.060	459.390	560.960	848.63	500.50	150.00
3.	मध्य प्रदेश	50.00	42.840	365.870	217.436	417.720	297.750	322.940	461.440	643.79	477.20	195.45
4..	बिहार/झारखंड	50.00	–	89.985	61.145	200.000	126.786	125.00	265.387	325.67	262.00	0
5.	गुजरात	360.00	278.220	161.000	242.900	689.200	557.580	658.73	591.990	300.00	407.74	315.00
6.	केरल	449.50	127.650	378.950	418.730	402.570	441.130	561.81	620.390	704.41	597.00	0
7.	कर्नाटक	50.00	59.990	432.000	377.560	955.15	709.59	425.85	725.850	950.00	867.40	500.00
	कुल	1386.50	700.945	2043.505	1664.94	3327.44	3159.716	3085.00	3489.075	4000.00	3441.49	1560.45

नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और उसके बाद 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत राज्य–वार जारी व उपयोग में लाई गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1997–1998 जारी निधियां	उपयोग की गई	1998–1999 जारी निधियां	उपयोग की गई	1999–2000 जारी निधियां	उपयोग की गई	2000–2001 जारी निधियां	उपयोग की गई	2001–2002 जारी निधियां	2002–2003 के दौरान जारी निधियां (30.10.02 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	18.90	15.30	30.21	20.37	11.86	11.86	46.30	42.666	31.00	35.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	10.08	–	19.303	3.55	89.81	78.00	56.00	35.00
3.	असम	–	–	29.60	29.25	25.15	–	45.00	19.50	94.50	70.00
4.	बिहार/झारखंड	–	–	40.00	40.00	26.00	–	5.00	–	22.69	45.00
5.	कर्नाटक	51.79	45.65	40.00	32.09	85.00	85.00	51.00	26.00	81.00	60.00
6.	केरल	76.87	69.39	143.40	141.75	63.55	51.80	66.05	64.24	82.00	75.00
7.	मेघालय	12.31	–	–	–	20.68	–	35.73	14.90	30.00	35.00
8.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	1.00	1.00	–	–
9.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	1.00	–	–	–
10.	नागालैंड	–	–	11.00	11.00	40.00	40.00	35.17	35.17	72.13	35.00
11.	उड़ीसा	48.40	47.18	–	–	25.00	3.64	29.75	0.97	102.03	70.00
12.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	2.00	–
13.	तमिलनाडु	30.60	30.40	69.28	67.61	48.21	22.21	50.00	24.00	40.00	55.00
14.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	111.95	109.45	95.00	95.00	155.806	99.99	100.00	24.20	125.14	80.00
15.	पश्चिमी बंगाल	84.72	77.42	78.44	48.44	76.011	61.80	79.04	65.317	95.00	50.50
कुल											645.50

[अनुवाद]

कृषि इंजीनियरिंग स्नातकों को वित्तीय सहायता

1061. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव कृषि/कृषि इंजीनियरिंग स्नातकों को अपने स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना को लागू करने हेतु किन्हीं विशिष्ट बैंकों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे बैंकों के नाम क्या हैं; और

(ङ) इस कार्यक्रम हेतु अभी तक स्वीकृत किए गए धन का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) वर्ष 2001–2002 के दौरान "कृषि क्लिनिकों एवं कृषि व्यापार केन्द्रों के नेटवर्क की स्थापना" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई स्कीम की शुरूआत की गई। इस स्कीम की परिकल्पना कृषि उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से किसानों को फसल पद्धति के बारे में विशेषज्ञ सेवाएं एवं परामर्श देने, प्रौद्योगिकी, अपनाने, फसल संरक्षण, तकनीकी तथा अन्य विशेष प्रकार की सेवाएं प्रदान करने में प्रशिक्षित कृषि स्नातकों, जो बेरोजगार हैं, की क्षमता का उपयोग करने एवं कृषि विस्तार में मौजूदा सरकारी मशीनरी की मदद करके उसे सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कृषि एवं संबंधित विषयों के स्नातकों के लिए एक स्वरोजगार स्कीम के रूप में की गई थी। इस स्कीम में कृषि स्नातकों तक कृषि से संबंधित विषयों के स्नातकों को अभिज्ञात क्षेत्रों में कृषि क्लिनिकों/कृषि व्यापार उद्यमों की स्थापना में सहायता की जाएगी।

(ग) और (घ) इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए किसी विशेष बैंक का चयन नहीं किया गया है। स्नातकों द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन स्थानीय बैंकों द्वारा किया जाएगा और यदि स्थानीय बैंक अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्ताव व्यवहार्य पाया गया तो संबंधित स्नातक को स्कीम के अंतर्गत ऋण दे दिया जाएगा। यह मूल रूप से एक बैंकिंग स्कीम है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा मानदंडों के अनुसार ऋण का संवितरण किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत ऋण का पुनर्वित्तपोषण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक द्वारा किया जाएगा।

(ङ) इस स्कीम के प्रशिक्षण घटक के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2001–2002 के दौरान 1 करोड़ रुपये की राशि निर्गत की गई है।

खानों में सुरक्षा पर्यवेक्षण

1062. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव खान सुरक्षा महा-निदेशालय का आधुनिकीकरण करने और उसे मजबूत बनाने की बजाय खानों में सुरक्षा पर्यवेक्षण को निजी एजेंसियों को सौंपने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण कानूनों का प्रवर्तन

1063. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र में पर्यावरण से संबंधित विनियमों के बेहतर निगरानी करने और प्रभावी प्रवर्तन की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऊर्जा उत्पादन के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को दूर करने हेतु निर्धारित मानदंडों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन पर एक रिपोर्ट तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) पर्यावरण संबंधी विनियमों के प्रवर्तन सहित ऊर्जा संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण की मानीटरी, मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। निर्धारित मानकों में शामिल हैं–थर्मल विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्सर्जन और बहिस्राव मानदंडों का अनुपालन लाभकारी कोयले जिसमें 34 प्रतिशत से जयादा राख न हो का उपयोग, मौजूदा इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर्स (ई.एस.पी.) की समयबद्ध तरीके से वृद्धि/नवीकरण करना और फ्लाई ऐश का उपयोग करना। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अधिसूचित प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के अनुपालन के लिए थर्मल विद्युत संयंत्रों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

(ङ) और (च) योजना आयोग, राज्य बिजली बोर्डों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार, विद्युत आपूर्ति की औसत लागत और औसत टैरिफ के मध्य अंतर 1996–97 में 50 पै./के.डब्ल्यू.एच. के स्तर से 2001–02 में बढ़कर 110 पै./के.डब्ल्यू.एच. हो गया है। राज्य बिजली बोर्डों की सब्सिडी सहित अनुमानित वाणिज्यिक घाटा 1992–93 में 2,725 करोड़ रुपये से बढ़कर 2001–02 (वार्षिक योजना) से 24,837.22 करोड़ रुपये तक हो गया है।

सुनिश्चित रोजगार योजना

1064. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को सुनिश्चित/रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय आवंटन का राज्य–वार, वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त कार्यक्रम पर राज्यवार कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) इसमें कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत जारी एवं उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सुनिश्चित रोजगार योजना एक निरंतर चलने वाली योजना होने के कारण कुल उपलब्ध निधियों में से वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग न की गई निधियों का 15 प्रतिशत तक अगले वर्ष में उपयोग किया जाता है।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष 1999–2000, 2000–2001 एवं 2001–2002 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना (ईएएस) के अंतर्गत वित्तीय एवं वास्तविक निष्पादन

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	प्रारम्भिक शेष			कुल जारी निधियां			कुल उपलब्ध निधियां			व्यय		
		1999–2000	2000–2001	2001–2002	1999–2000	2000–2001	2001–2002	1999–2000	2000–2001	2001–2002	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अरुणाचल प्रदेश	1225.72	201.63	239.70	959.00	1062.48	652.30	2184.72	1264.11	599.57	1360.57	721.85	298.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	असम	3600.72	1771.29	2590.04	6701.11	6315.31	15344.34	10301.83	8086.60	17956.60	9369.96	5880.31	12103.40
3.	मणिपुर	426.95	107.48	0.00	410.48	478.58	523.72	837.43	586.06	523.72	766.44	126.38	0.00
4.	मेघालय	460.57	–	197.84	294.31	500.88	1035.87	754.88	500.88	1233.81	465.47	–	974.54
5.	मिजोरम	24.35	307.81	36.77	635.49	244.48	538.18	659.84	552.29	576.11	354.90	517.00	475.54
6.	नागालैंड	330.96	4.42	26.48	432.62	961.52	695.06	763.58	965.94	721.54	748.31	639.74	171.61
7.	सिक्किम	15.02	11.66	2.98	557.10	613.84	384.60	572.12	625.50	388.17	361.33	625.09	170.00
8.	त्रिपुरा	0.00	0.00	214.55	1201.46	1616.30	2221.59	1201.46	1616.30	2436.14	1201.46	503.94	2396.72
	योग	6084.29	2404.29	3308.36	11191.58	11793.39	21395.66	17275.87	14197.68	24735.56	14628.44	9014.31	16590.01

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन

1065. श्री सुरेश चन्देल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक राज्य में विशेषकर हिमाचल प्रदेश में फलों के भारी उत्पादन का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या बहुत कम है और वहां हो रहे फलों के उत्पादन के अनुरूप नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राज्यों में विशेषकर हिमाचल प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) से (घ) देश में हिमाचल प्रदेश समेत राज्य–वार उत्पादित फलों के ब्यौरे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा रखे जाते हैं। राज्य में स्थापित किए जाने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या अनेक तत्वों जिसमें बिक्री योग्य उपलब्ध अतिरिक्त माल, ऐसे कच्चे माल की कीमत, प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता, ताजे और प्रसंस्कृत उत्पादों की मांग आदि शामिल है, पर निर्भर करती है। फल उत्पाद आदेश 1955 के तहत पंजीकृत यूनिटों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि देश में बाजार में पहुंचने वाली फल और सब्जियों में से 2 फीसदी से कम फल–सब्जियों का प्रसंस्करण होता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के लिए सरकार ने बुनियादी सुविधा को मजबूत करने, मौजूदा यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए सहायता देने, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में समर्थन देने तथा मानव संसाधन में प्रशिक्षित करने के जरिए सहायता देने का काम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश दुर्गम क्षेत्र की श्रेणी में आता है और बाकी देश की तुलना में अधिक सहायता का पात्र है।

इसके अलावा, सरकार ने अनुकूल माहौल तैयार करने, इस क्षेत्र के मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त कानूनी ढांचा तैयार करने और तर्कसंगत कर प्रणाली के बारे में भी सुझाव देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति का मसौदा तैयार करने के लिए उपाय किए हैं।

बागवानी के विकास हेतु निधियां

1066. श्री रामदास रूपला गावीत :
श्री वाई. जी. महाजन :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान बागवानी के विकास हेतु खर्च की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उसके परिणामस्वरूप बागवानी के विकास का लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किया गया है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यों को विशेषकर महाराष्ट्र तथा राजस्थान को राज्य-वार कितनी निधियां आवंटित की गईं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) वर्ष 2001-02 के दौरान वृहत-प्रबंध योजनाओं, जिनके तहत बागवानी विकास कार्यक्रम भी किए गए थे, के अंतर्गत निर्मुक्त की गई धनराशि सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान बागवानी के संवर्धन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को निर्मुक्त की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) बागवानी उत्पादन के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा रहे हैं। तथापि, बागवानी के उत्पादन में निम्नलिखित सूचना के अनुसार लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है :

वर्ष	उत्पादन (मिलियन मीटरी टन)
1998-1999	145.16
1999-2000	149.93
2000-2001	152.50

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बागवानी की विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकारों को क्रमशः 4840.85 लाख रुपये और 517.50 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

विवरण

बागवानी के संवर्धन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को निर्मुक्त की गई धनराशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1560.22	204.25	2250.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	195.35	41.35	219.50
3.	असम	42.55	21.44	523.50
4.	बिहार	26.55	31.42	1800.00
5.	झारखंड	–	–	1095.00
6.	गोवा	150.05	21.62	200.00
7.	गुजरात	346.40	216.71	1900.00
8.	हरियाणा	262.88	97.38	1620.00
9.	हिमाचल प्रदेश	93.28	45.87	1800.00
10.	जम्मू-कश्मीर	266.73	132.38	900.00
11.	कर्नाटक	3111.00	354.94	5850.00
12.	केरल	1426.32	177.74	2315.54
13.	मध्य प्रदेश	473.70	140.34	5000.00
14.	छत्तीसगढ़	–	–	1339.02
15.	महाराष्ट्र	3573.80	385.97	9000.00
16.	मणिपुर	145.78	45.03	345.00
17.	मेघालय	59.96	39.02	204.74
18.	मिजोरम	148.69	42.89	722.00
19.	नागालैंड	196.82	45.25	779.80

1	2	3	4	5
20.	उड़ीसा	1809.13	285.38	1487.00
21.	पंजाब	59.40	75.23	1035.00
22.	राजस्थान	535.26	213.15	5252.00
23.	सिक्किम	220.55	55.96	425.00
24.	तमिलनाडु	1572.53	213.92	4500.00
25.	त्रिपुरा	91.42	38.87	630.00
26.	उत्तर प्रदेश	507.91	162.48	7501.00
27.	उत्तरांचल			1400.00
28.	पश्चिमी बंगाल	45.85	35.41	2500.00
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	24.96	22.94	90.00
30.	चंडीगढ़	5.00	0.88	50.00
31.	दादरा और नागर हवेली	11.41	6.10	135.00
32.	दमण और दीव	11.00	5.07	45.00
33.	दिल्ली	6.30	13.38	–
34.	लक्षद्वीप	17.09	5.01	90.00
35.	पांडिचेरी	11.00	20.62	135.00

[अनुवाद]

सार्वजनिक और संयुक्त उद्यम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1067. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र तथा संयुक्त उद्यम में चलने वाले खाद्य प्रसंस्करण एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाभ हो रहा है और कितने घाटे में चल रहे हैं;

(ग) उन प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनका निर्यात किया जा रहा है और उनके प्रमुख निर्यातकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्यात का मात्रात्मक लक्ष्य क्या है और उसके अंतर्गत क्या उपलब्धियां रहीं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. टी. षणमुगम) : (क) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कोई केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। संयुक्त उद्यम क्षेत्र में स्थित यूनिटों के ब्यौरे नहीं रखे जा रहे हैं।

(ख) इसके ब्यौरे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते।

(ग) मांस और मांस से बनी वस्तुएं मुख्यतः मलेशिया, फिलीपींस, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, जोर्डन, अंगोला, ईरान, ओमान, जोर्जिया और लेबनान को निर्यात की जाती हैं।

समुद्री उत्पादों के प्रमुख बाजार चीन, संयुक्त अरब अमीरात, चीनी ताइपे, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मलेशिया, सिंगापुर, स्पेन, बंगलादेश, फ्रांस, लिथुआनिया, पुर्तगाल इटली, हांगकांग, मारीशस, थाइलैंड, आस्ट्रेलिया ब्रिटेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, ग्रीस और कनाडा हैं।

दूध से बनी वस्तुओं के प्रमुख बाजार बंगलादेश, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और मलगासे गणतंत्र, सऊदी अरब, कोरिया, यमन, अंगोला, कुवैत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी और नेपाल हैं। फल और सब्जी (ताजी और सूखी दोनों आदि) के प्रमुख बाजार मलेशिया, बंगलादेश, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, बेहरीन, मारीशस, सऊदी अरब, री यूनियन, इंडोनेशिया, नेपाल, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, कनाडा, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, इटली, सूडान, मिस्र, कुवैत, ब्रिटेन, ग्रीस, नीदरलैंड, एंटील, यमन गणतंत्र और इजरायल हैं।

व्हिस्की के प्रमुख बाजार संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन, नीदरलैंड, नेपाल और सिंगापुर हैं।

आटे और तिलहन से बनने वाली खाद्य वस्तुओं के प्रमुख बाजार श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया, कोरिया, डी.पी. रिपब्लिक, थाइलैंड, आस्ट्रेलिया, चीनी ताइपे, चेक गणतंत्र, फिलीपींस और कोरिया रिपब्लिक हैं।

प्राकृतिक गोंद, किशमिश और ऑलियोरेजिन के प्रमुख बाजार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मैक्सिको, इटली, जापान, स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कोरिया गणतंत्र और इंडोनेशिया हैं।

वेजिटेबल सैप्स तथा एक्स्ट्रैक्ट्स के प्रमुख बाजार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको हैं।

(घ) इन उत्पादों के भिन्न-भिन्न स्वरूप को देखते हुए मूल्यों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के अनुसार, केवल पिछले दो वर्षों के निर्यात लक्ष्य ही उपलब्ध हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान प्राप्त निर्यात के ब्यौरे और वर्ष 2000-2001 के दौरान निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त निर्यात का विवरण संलग्न है।

विवरण

मद	1999-2000	2000-2001		2001-2002	
	मूल्य	लक्ष्य	मूल्य	लक्ष्य	मूल्य
प्रसंस्कृत फल एवं सब्जी	993.64	965.00	1345.54	1265.00	1100.57
अन्य प्रसंस्कृत खाद्य	1494.49	1270	1798.03	1200.00	1780.07
कुल योग	2488.13	2235	3143.58	2465.00	2880.64

(स्रोत : एपीडा, नई दिल्ली)

कार्बन परियोजना हेतु सौदा

1068. श्री वाई. वी. राव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने कार्बन बाजार में कार्बन परियोजनाओं हेतु 10 मिलियन डालर का सौदा किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) विश्व बैंक की प्रोटोटाइप कार्बन फंड (पी.सी.एफ.) और इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी (आई.डी.एफ.सी.) ने दिनांक 21 अक्तूबर, 2002 को एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अनुसार आई.डी.एफ.सी. जिन परियोजनाओं को कार्बन वित्त व्यवस्था के लिए पात्र समझेगी उन उपयुक्त परियोजनाओं को भारत सरकार के अनुमोदन के उपरांत पी.सी.एफ. के विचारार्थ प्रस्तुत करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के अनुसार, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का संबंध उस राशि से है जो प्रोटोटाइप कार्बन फंड ऐसी परियोजनाओं के लिए कार्बन वित्त व्यवस्था करने के लिए प्रदान कर सकेगी।

होटलों में ठहरने वालों की संख्या में गिरावट

1069. श्री वी. वेत्रिसेलवन :

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान अन्य प्रमुख शहरों की तुलना में दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में होटल में ठहरने वालों की संख्या में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन शहरों में सरकारी राजकोष को कितने राजस्व की हानि हुई; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) वर्ष 2001-2002 के दौरान देश में, दिल्ली एवं कोलकाता के

होटलों सहित, होटलों में ठहरने वालों की संख्या में लगभग 2 प्रतिशत की आम गिरावट आई है। लेकिन चेन्नई में पिछले वर्ष की तुलना में 2001 के दौरान ठहरने वालों के औसत में वृद्धि दर्ज की गई है।

(ख) औसत ठहरने वालों का विवरण निम्न प्रकार है :

	1999–2000	2000–2001	2001–2002
कोलकाता	52.9%	66.7%	61.7%
चेन्नई	58.7%	75.1%	65.0%
दिल्ली	60.1%	59.3%	55.9%

(स्रोत : एफ.एच.आर.ए.आई.)

11 सितंबर, 2001 की घटना, सम्पूर्ण विश्व में आर्थिक मंदी, दिसंबर, 2001 में भारतीय संसद पर हमला, दक्षिण एशिया सुरक्षा परिदृश्य एवं भारत–पाक तनाव के कारण होटल में ठहरने वालों की संख्या में गिरावट आई है।

(ग) वर्ष 2000 में विदेशी मुद्रा की अनुमानित आय में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 2001 के दौरान 4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

(घ) अनुमोदित परियोजनाओं एवं वर्गीकृत होटलों के लिए, विभिन्न प्रकार के राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन यथा, करों में छूट, आयात इत्यादि पर रियायती सीमा शुल्क, उपलब्ध हैं। इनके अतिरिक्त, देश में पर्यटन के विकास के लिए एक विशेष पर्यटन संवर्धन कार्यबल गठित किया गया है। स्थिति में सुधार लाने के लिए, पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास के लिए पर्यटक परिपथों को अभिनिर्धारित करना, पर्यटन उद्योग को बाजार विकास सहायता देना, इंडिया टूरिज्म ब्रांड का सृजन एवं इसकी अवस्थापना करना इत्यादि, कुछेक उपाय किए गए हैं।

पंजाब के किसानों के लंबित बीमा दावे

1070. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के किसानों के कितने बीमा दावे गत तीन वर्षों से और चालू वर्ष में लंबित पड़े हैं;

(ख) इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दावों के तीव्र निपटान के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) पंजाब राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का कार्यान्वयन नहीं कर रहा है। अतः फसल बीमा के अधीन लंबित दावों आदि के संबंध में प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शिक्षुओं को लगाना

1071. **श्री जी. एस. बसवराज :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रतिष्ठान शिक्षु अधिनियम के प्रस्तावों के अंतर्गत शिक्षुओं को कार्य पर लगाने के अनिवार्य दायित्व की अनदेखी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक इकाई में नियोजित कुशल कार्मिकों के अनुपात में शिक्षुओं के लिए कोटा निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठान शिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित कोटा के अनुरूप शिक्षुओं को काम पर नहीं रखते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर, पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यवसाय शिक्षुओं के लिए निर्धारित कोटे की तुलना में सीटों के उपयोग के प्रतिशत में भिन्नता रही अर्थात यह 71 प्रतिशत से 73 प्रतिशत के बीच रहा।

(ख) प्रत्येक इकाई में शिक्षुता प्रशिक्षण की उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तथा प्रत्येक नामोद्दिष्ट व्यवसाय में अकुशल कामगारों के अतिरिक्त कामगारों की तुलना में व्यवसाय शिक्षुओं के निर्धारित अनुपात के आधार पर प्रत्येक इकाई में शिक्षुओं के लिए कोटे का निर्धारण किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक

क्षेत्र के चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध तथा संबंधित राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा राज्य/संघ शासित प्रदेश के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के चूककर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध शिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। पिछले 6 महीने के दौरान केन्द्र एवं राज्यों द्वारा शिक्षु अधिनियम की धारा 30 एवं 31 के तहत 6027 चूककर्ता प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस्पात के मूल्य में गिरावट

1072. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस्पात के मूल्यों में गिरावट के कारण कई इस्पात संयंत्रों में इस्पात उत्पादों/स्क्रैप की विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान और 31 अक्तूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार कीमतों में गिरावट का सामना करने वाले बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादित उत्पादों/स्क्रैप का ब्यौरा क्या है और कौन सी वस्तुएं गिरावट से अप्रभावित रहीं; और

(घ) इस्पात उत्पाद, स्क्रैप की कीमतों को बढ़ाने/घटाने संबंधी विद्यमान मानदंड क्या हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मामूली पारस्परिक समायोजन को छोड़कर बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादित इस्पात मदों के सूचीबद्ध कारखाना–बाह्य मूल्यों में पिछले एक वर्ष में कोई कमी नहीं हुई है।

पिछले एक वर्ष में इस्पात स्क्रैप की निम्नलिखित मदों के मूल्यों में मंदी का सामना करना पड़ा :

1. सी.आर.एम. की एच.आर. शीट कटिंग्स
2. डी.डी.एच.आर. पिकल्ड क्वायल
3. डी.ई.एफ.सी.आर. वैरिंग थिकनेस
4. डी.ई.एफ.सी.आर. स्लिट क्वायल (एम.जी.)
5. डी.ई.एफ.जी.पी. क्वायल (एम.जी.)
6. डी.ई.एफ.जी.पी. शीट/कटिंग्स
7. डी.ई.एफ.जी.सी. शीट/कटिंग्स
8. एच.डी.जी.एल./सी.ए.एल. की हैड एंड कटिंग्स
9. मिक्सड गेज एच.आर. प्लेट
10. मिक्सड गेज एच.आर. शीट

पिछले एक वर्ष में इस्पात स्क्रैप की निम्नलिखित मदें पिछले एक वर्ष के दौरान और 31.10.2002 की स्थिति के अनुसार मूल्यों में कमी होने से अप्रभावित रहीं :

1. कोबल प्लेट
2. स्लैब एंड कटिंग्स
3. स्लैब कट पीस
4. थिक प्लेट कटिंग्स
5. एम.एस. थिक प्लेट
6. एच.आर.एम. की एच.आर. प्लेट/शीट कटिंग्स
7. डी.ई.एफ.एच.आर. क्वायल
8. डी.ई.एफ. कोल्ड रोल्ड अनअनील्ड क्वायल
9. सी.आर. क्वायल एंड स्क्रैप
10. सी.आर. क्वायल एंड शीट
11. अनअनील्ड क्वायल एंडस स्क्रैप
12. टेंडम मिल/पिकलिंग/स्टिलटिंग लाइंस से क्वायल एंडस
13. एच.आर. गैर कट शीट
14. डी.ई.एफ. कोल्ड रोल्ड अनअनील्ड कट शीट

(घ) आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के भाग के रूप में 1991–92 में इस्पात मदों के नियंत्रण समाप्त करने के पश्चात सरकार इस्पात के किसी भी उत्पाद/स्क्रैप का मूल्य निर्धारित नहीं करती। उत्पाद की मांग, प्रतिस्पर्धा का स्तर, सप्लायरों की संख्या, आयात सहित उपलब्धता, ग्राहकों के पास मालसूची का स्तर, विशिष्ट उत्पादों के निर्यात की संभावना को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आदि जैसे घटकों के आधार पर मूल्य संबंधित इस्पात उत्पादकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। स्क्रैप के मूल्यों की सिफारिश इस प्रयोजन के लिए बनाई गई समिति द्वारा की जाती है।

[अनुवाद]

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन
अधिसूचना, 1994

1073. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 1994 में एक परिवर्तन किया है जिससे नई परियोजनाओं के लिए निवेश सीमा 50 करोड़ रु. से बढ़ाकर 100 करोड़ रु. कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने छूट के लिए उद्योगों की लगभग 16 श्रेणियों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इससे प्रक्रिया सरल और शीघ्रगामी होने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो किस सीमा तक ऐसा होगा?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार ने 13 जून, 2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 632(अ) के द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना (ई.आई.ए.), दिनांक 27 जनवरी, 1994 में कतिपय संशोधन किए हैं जिसमें उपयुक्त पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना की अनुसूची–1 में सूचीबद्ध नई परियोजनाओं के 16 वर्गों के लिए निवेश सीमा 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करना शामिल है। इस सूची में आधारभूत ढांचा, ताप विद्युत, न्यूक्लीय वैद्युत और नदी घाटी परियोजनाएं भी शामिल हैं। विकास परियोजनाओं के 16 वर्गों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रक्रिया को और सरल तथा कारगर बनाने तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध और अधिक पारदर्शक बनाने के लिए समय–समय पर पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया की समीक्षा की जाती है।

विवरण

विकास परियोजनाओं के 16 वर्गों की सूची

1. हैवी वाटर संयंत्र, न्यूक्लीय फ्यूल काम्प्लैक्स, रेयर अर्थस जैसी न्यूक्लीय पावर और इससे संबंधित परियोजनाएं।

2. नदी घाटी परियोजनाएं जिनमें हाइडिल पावर, मेजर इरिगेसन और बाढ़ नियंत्रण सहित उनका संयोजन शामिल है।

3. पत्तन, बंदरगाह, हवाई पत्तन (लघु पत्तन और बंदरगाहों को छोड़कर)।

4. कच्चा और उत्पाद पाइप लाइनों सहित पेट्रोलियम शोधन–शालाएं।

5. रासायनिक उर्वरक (सिंगल सुपर–फास्फेट से भिन्न नाइट्रोजनी और फास्फेटी)।

6. पेट्रोलियम काम्प्लेक्सेस (ओलेफिनिक और ऐरोमैटिक दोनों) और डी.एम.टी., कैप्रोलैक्टम, एम.ए.बी. इत्यादि जैसे पेट्रो–रसायन इंटरमीडिएट्स और एल.डी.पी.ई., एच.डी.पी.ई., पी.पी., पी.वी.सी. जैसे बुनियादी प्लास्टिक का उत्पादन।

7. तेल और गैस के लिए अनुसंधान और उनका उत्पादन, परिवहन एवं भंडारण।

8. कृत्रिम रबर।

9. (क) प्राथमिकधातुकर्मीय उद्योग (जैसे लोहा और इस्पात, एल्युमीनियम, कॉपर, जिंक, लीड और फेरो एलॉय का उत्पादन)।

   (ख) इलेक्ट्रिक आर्क फरनेस (लघु स्टील संयंत्र)

10. क्लोर अल्कायली उद्योग।

11. विस्कोज स्टैपल फाइबर एवं फिलामेंट यार्न।

12. लीड और लीड एंटिमनी एलॉयज के आक्साईड्स के विनिर्माण के साथ एकीकृत बैटरीज का भंडारण।

13. ताप विद्युत संयंत्र।

14. राज मार्ग परियोजनाएं।

15. लुग्दी, कागज एवं अखबारी कागज।

16. सीमेंट।

कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती

1074. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :
श्री पी. राजेन्द्रन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कटौती के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस मामले पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से अभी भी विचार किया जा रहा है। इसे अंतिम रूप दिए जाने में कुछ और समय लगने की सम्भावना है।

उद्योगों को बंद किया जाना

1075. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सहित राज्यों में बंद घोषित उद्योगों की संख्या क्या है;

(ख) बंद किए जाने के कारण प्रभावित श्रमिकों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) प्रभावित श्रमिकों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में बंद घोषित किए गए उद्योगों तथा इस बंदी से प्रभावित हुए कर्मकारों की संख्या के संबंध में श्रम ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) ऐसी बंदी से प्रभावित कर्मकारों के हितों की सुरक्षा करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के योक्तिकीकृत श्रमिकों के परामर्श, पुनः प्रशिक्षण तथा पुनः तैनाती हेतु 2001-02 से एक योजना भी शुरू की गई है जिसमें योक्तिकीकृत कर्मचारियों के स्वःरोजगार पर बल दिया गया है।

विवरण

1999-2000 के दौरान बंदी तथा इससे प्रभावित हुए श्रमिकों की राज्यवार संख्या

राज्य	1999 (अ)		2000 (अ)		2001 (अ)		2002 (जन.-सित.) (अ)	
	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	2	114	3	393	–	–	2	221
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–
असम	1	21	–	–	1	39	xx	xx

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिहार	3	90	–	–	–	–	xx	xx
गोवा	4	163	6	326	7	403	–	–
गुजरात	14	272	25	999	43	1,353	22	1,07
हरियाणा	2	187	4	262	1	20	1	62
हिमाचल प्रदेश	–	–	6	186	5	255	1	15
जम्मू–कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	–
कर्नाटक	3	2,237	9	624	7	220	6	343
केरल	9	293	9	367	9	695	5	90
मध्य प्रदेश	9	1,552	–	–	–	–	1	29
महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	1	70
मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–
मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–
मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–
नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–
उड़ीसा	5	350	8	498	2	130	1	14
पंजाब	51	8,202	1	22	1	91	–	–
राजस्थान	5	269	4	348	1	49	3	311
सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–
तमिलनाडु	2	630	3	737	7	417	–	–
त्रिपुरा	18	139	7	104	7	199	1	35
उत्तर प्रदेश	13	559	31	6,356	39	7,127	–	–
उत्तरांचलx					5	437	–	–
पश्चिमी बंगाल	10	463	5	426	–	–	xx	xx
अंदमान और निकोबार द्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–
चंडीगढ़	3	75	–	–	10	150	1	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दादरा और नागर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–
दिल्ली	–	–	–	–	–	–	1	17
दमण और दीव	–	–	–	–	–	–	–	–
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–
पांडिचेरी	5	91	17	256	6	14	1	5
कुल योग	159	15,707	138	11,904	151	11,599	47	2,302

क = बंद की गई इकाइयों की संख्या ख = प्रभावित हुए कर्मकारों की संख्या

– = शून्य ×× = उपलब्ध नहीं अ = अनंतिम

× = श्रम ब्यूरो ने 2001 से उत्तरांचल के संबंध में सूचना भिजवाना शुरू किया है।

पवित्र नदी 'पंबा' का संरक्षण

1076. श्री टी. गोविन्दन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केरल में पवित्र पंबा नदी को पर्यावरणीय क्षरण से बचाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) केरल सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत केरल में पंबा नदी के प्रदूषण निवारण के लिए 272 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। दसवीं पंचवर्षीय योजना में नई परियोजनाओं के लिए वित्तीय कठिनाइयों के कारण राज्य सरकार को प्रदूषण भार के आधार पर कार्यों को प्राथमिकता प्रदान करने के बाद प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। केरल सरकार से अभी तक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जलचर पालन का विकास

1077. श्री सुबोध मोहिते : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगस्त, 2002 में चेन्नई में, "देश में सतत जलचर पालन का विकास" पर हुए सम्मेलन में विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सिफारिशों पर क्या कार्यवाही किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने जलचर पालन के संबंध में नाबार्ड द्वारा राशि उपलब्ध कराए जाने की नीति को बदलने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जलकृषि प्राधिकरण ने भारत में सतत झींगा पालन के विकास के संबंध में अगस्त, 2002 में चेन्नई में एक विशेषज्ञ परामर्श आयोजित किया जहां रोग प्रतिरोधी ब्रूड स्टॉक के लिए समुचित अनुसंधान कार्यक्रमों के विकास, जलकृषि फार्मिंग का माइक्रो लेबल आयोजन, उचित पर्यावरणीय अनुमान तथा निगरानी, स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना, बैंकिंग तथा वित्त पोषण मशीनरी की उन्नत पहुंच, विनियामक उपायों के लिए कानूनी सहायता के जरिए तथा झींगा फार्मिंग में सुप्रबंधित गतिविधियों के प्रयास को लोकप्रिय बना करके झींगा पालन की सतत वृद्धि के लिए कई सिफारिशें की गईं।

(ग) संबंधित संगठनों/एजेंसियों द्वारा दसवीं योजनागत स्कीमों में प्रमुख सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों पर स्थापित जलकृषि प्राधिकरण ने भी सर्वोत्तम प्रबंधन कार्यकलापों पर झींगा किसानों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए समुचित कदम उठाए हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पहले ही जलकृषि प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप खारा जल जलकृषि को अनुबंधित करने वाली इकाइयों के लिए पुनर्वित्त पोषण सुविधा आरंभ कर दी है। नाबार्ड एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट संयंत्रों को स्थापित करने की इच्छुक इकाइयों को भी समर्थन देने पर सहमत हो गया है। इस मामले में बैंकरों का मूल्यांकन करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कम्पोस्ट संयंत्र के लिए धनराशि

1078. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जैव अपघटनीय कचरे से कम्पोस्ट के उत्पादन के लिए कम्पोस्ट संयंत्र की स्थापना करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) खाद के रूप में उपयोग करने के लिए कृषि मंत्रालय ने विघटनशील शहरी कूड़े–करकट से कम्पोस्ट के उत्पादन के लिए 30 यांत्रिक संयंत्रों की स्थापना हेतु आठवीं योजना के दौरान 20 लाख रुपये तथा नौवीं योजना के दौरान 50 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की है। आठवीं तथा नौवीं योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "उर्वरकों का संतुलित एवं समेकित उपयोग" के अंतर्गत कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्य–वार तथा वर्षवार निर्गत धन राशि का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण–I व II में दिया गया है। इसके अलावा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भी शहरी ठोस कूड़े–करकट से कम्पोस्ट तैयार करने के लिए 3 परियोजनाओं को संलग्न विवरण–III में दिए ब्यौरे के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई है।

(ग) और (घ) उर्वरकों के संतुलित एवं समेकित उपयोग संबंधी स्कीम, जिसके अंतर्गत कम्पोस्ट संयंत्रों के लिए सहायता दी जाती है, को नौवीं योजना में "कृषि का वृहत प्रबंध कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में मदद/सहायता" के अंतर्गत जारी रखा जा रहा है, जिसमें परिकल्पना है कि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश अपनी कार्य योजनाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन जारी रख सकते हैं।

विवरण-I

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "उर्वरकों का संतुलित एवं समेकित उपयोग" के अंतर्गत कम्पोस्ट यूनिटों की स्थापना के लिए वर्ष 1993–94 से 1997–98 के दौरान निर्गत धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1993–94	1994–95	1995–96	1996–97	1997–98	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	तमिलनाडु	20.00(1) नगरकोईल	शून्य	70.20(5) तम्बारम, कांचीपुरम, थिरूवन्नामलाई, वेल्लूर व पलाची	शून्य	शून्य	90.20(6)

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	केरल	20.00(1) नेयाटिनकारा (त्रिवेंद्रम)	शून्य	20.00(1) मुवातुपूझा, (एनराकुलम)	शून्य	शून्य	40.00(2)
3.	मध्य प्रदेश	10.00	10.00(1) म.प्र.एग्रो., भोपाल	20.00(1) म.प्र.एग्रो., ग्वालियर	शून्य	शून्य	40.00(2)
4.	पंजाब	शून्य	20.00(1) अबोहर	शून्य	शून्य	शून्य	20.00(1)
5.	असम	शून्य	20.00(1) जोरहाट	शून्य	शून्य	शून्य	20.00(1)
6.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	20.00(1) फैजपुर (जलगांव)	शून्य	शून्य	20.00(1)
7.	दिल्ली	शून्य	शून्य	20.00(1) आजादपुर	शून्य	शून्य	20.00(1)
8.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	20.00(1) सिदालगट्टा, (कोलार)	20.00(1) रामानगरम	शून्य	40.00(2)
9.	राजस्थान	शून्य	20.00(1) हनुमागढ़	20.00(1) चित्तौड़गढ़	शून्य	शून्य	40.00(2)
10.	आंध्र प्रदेश	3.35	शून्य	16.65(1) एल.बी. नगर (रंगारेड्डी)	शून्य	शून्य	20.00(1)
11.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	20.00(1) बोधगया (गया)	शून्य	20.00(1)
12.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	20.00(1) कराइकल	शून्य	20.00(1)
	कुल	53.35(2)	70.00(4)	206.85(12)	60.00(3)		390.20(21)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकडे इस स्कीम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त नगरपालिकाओं की संख्या दर्शाते हैं।

विवरण-II

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "उर्वरकों को संतुलित एवं समेकित उपयोग" के अंतर्गत नौवीं योजना के दौरान कम्पोस्ट यूनिटों की स्थापना के लिए निर्गत धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थान	1999–2000	2000–2001	कुल
1.	कर्नाटक	(iii) केसीडीसी, बंगलौर	50.00(1)	–	74.52(2)
		(iv) मै. सनरेज कम्पोस्ट, बंगलौर	24.52(1)	–	
2.	महाराष्ट्र	(iv) थाने नगर निगम	50.00(1)	–	125.00(3)
		(v) औरंगाबाद नगर निगम	50.00(1)		
		(vi) नासिक नगर निगम	25.00(1)		
3.	मेघालय	शिलांग नगर बोर्ड	50.00(1)	–	50.00(1)
4.	पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता नगर निगम	50.00(1)	–	50.00(1)
5.	गुजरात	अहमदाबाद नगर निगम	–	50.00(1)	50.00(1)
6.	दिल्ली	दिल्ली नगर निगम (भलस्वा)	–	50.00(1)	50.00(1)
	कुल		299.52(7)	100.00(2)	399.52(9)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े इस स्कीम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त नगरपालिकाओं की संख्या दर्शाते हैं।

विवरण-III

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा शहरी कूड़ा–करकट प्रबंध हेतु वित्तपोषित परियोजनाएं

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 133.30 लाख रुपये की कुल लागत से निम्नलिखित 3 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं :

(i) शहरी ठोस कूड़ा–करकट प्रबंध परियोजना–नगर निगम, गाजियाबाद (स्वीकृत धनराशि–55 लाख रुपये)

(ii) हैदराबाद शहर में ठोस कूड़ा–करकट प्रबंध के लिए पाइलट संयंत्र (स्वीकृत धनराशि–55.3 लाख रुपये)

(iii) शिमला में ठोस कूड़ा–करकट प्रबंध–सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश एवं पी.सी.बी. (स्वीकृत धनराशि–25 लाख रुपये)

गोल्फ पर्यटन

1079. श्री अनन्त नायक : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गोल्फ पर्यटन को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में इस प्रकार के क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) गोल्फ पर्यटन का संवर्धन करने के लिए पर्यटन विभाग

ने हाल ही में अप्रैल तथा सितंबर, 2002 में दिल्ली में दो गोल्फ चैंपियनशिपों का आयोजन किया। इसके अलावा भारत में गोल्फिंग सुविधाओं पर पर्यटन विभाग द्वारा एक ब्रोशर निकाला जा रहा है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा संपर्क साधना

1080. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने अपनी दुकानों पर उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों और फलों को उपलब्ध कराने के लिए किसानों या संगठनों से संपर्क साधा है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां एनडीडीबी ने इस प्रकार के संपर्क स्थापित किए हैं; और

(ग) इनके किस तिथि से कार्यशील होने की सम्भावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। फल और सब्जी यूनिट, मदर डेयरी फूड प्रोसेसिंग लि. ने संपर्क स्थापित किया है जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक सहायक इकाई है।

(ख) जिन राज्यों में उक्त संपर्क स्थापित किए गए हैं वे हैं– दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश।

(ग) ये संपर्क पहले ही काम कर रहे हैं।

[हिन्दी]

ताज ट्रेपेजियम प्रोग्राम के अंतर्गत सहायता

1081. श्री जय प्रकाश : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ताज ट्रेपेजियम प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा और वृंदावन शहरों में चालू पेयजल और जल–मल व्ययन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या उपचारात्मक कदम प्रस्तावित हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) केन्द्र सरकार ने ताज सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत कुछ परियोजनाओं को अनुमोदित किया है जिसमें आगरा, मथुरा और वृंदावन के लिए जलापूर्ति परियोजना शामिल है, लेकिन कोई जल–मल व्ययन परियोजना शामिल नहीं है। केन्द्र सरकार अनुमोदित परियोजनाओं के लिए नियमित रूप से निधियां जारी कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सी.सी.आर.टी. सेंटर में वित्तीय दुर्विनियोजन

1082. श्री अखिलेश यादव : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीसीआरटी सेंटर में बड़े स्तर पर वित्तीय दुर्विनियोजन हुआ है और अभी भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त संस्थान में हुई अनियमितताओं की कोई जांच कराई है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी) के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा महानिदेशक, सीसीआरटी (जो इस समय निलंबित है) के विरुद्ध वित्तीय तथा अन्य अनियमितताओं के विभिन्न आरोप लगाए गए थे। सरकार को भी सीसीआरटी के तत्कालीन अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप प्राप्त हुए हैं। इन मुद्दों पर विचार करने के बाद सरकार ने विभिन्न आरोपों की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। जांच किए जाने वाले आरोपों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

1.0 श्री सुरेन्द्र कौल, महानिदेशक, सीसीआरटी (निलंबनाधीन) की व्यावसायिक तथा शैक्षिक अर्हताओं और जन्म तिथि की जांच करना और यह पता लगाना कि क्या कोई धोखाधड़ी की गई है या रिकार्ड में कोई असंगति है।

2.0 ऐसी परिस्थितियों की जांच करना जिनमें श्री सुरेन्द्र कौल को महानिदेशक, सीसीआरटी के पद पर नियुक्त किया गया था और क्या इस मामले में अपेक्षित नियमों और क्रियाविधि का अनुपालन किया गया था।

3.0 ऐसी परिस्थिति की जांच करना जिनमें महानिदेशक, सीसीआरटी द्वारा अस्थाई शौचालयों के निर्माण से संबद्ध कार्य, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा परामर्शदाता की नियुक्ति का अनुमोदन, मल–निकास एवं जल आपूर्ति तथा इलेक्ट्रिक रूम और नए भवन परिसर के सौंदर्यकरण से संबद्ध कार्य सौंपे गए थे और क्या इस संबंध में सीसीआरटी के नियमों और क्रियाविधि का पालन किया गया था।

4.0 इस तथ्य का पता लगाना कि क्या अध्यक्ष द्वारा कतिपय रिकार्ड मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध कराने के संबंध में श्री सुरेन्द्र लौल की ओर से कोई अवज्ञा या असहयोग का व्यवहार किया गया था।

5.0 वर्ष 2001–02, 2002–03 में प्रस्तुत श्री सुरेन्द्र कौल और सीसीआरटी के अन्य अधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों की जांच करना और इस आशय का मूल्यांकन करना कि इन दावों के भुगतान में कोई अनियमितता बरती गई है।

6.0 सीसीआरटी में फाइलों के रख–रखाव की पद्धति की जांच करना और यह पता लगाना कि क्या महानिदेशक, सीसीआरटी द्वारा फाइलों और रिकार्डों के संबंध में उचित ध्यान और सावधानी बरती जा रही है।

7.0 ऐसी परिस्थितियों की जांच करना जिनमें दो फिल्मों नामतः 'महाकुंभ' और 'जर्नी टू द माउंटेन गोड' के निर्माण से संबद्ध कार्य निजी पार्टियों को सौंपा गया था और क्या इस संबंध में किए भुगतानों के संबंध में कोई अनियमितता थी।

8.0 अध्यक्ष और सदस्यों के टीए/डीए के दावों के भुगतान के संबंध में सीसीआरटी के मौजूदा नियमों तथा क्रियाविधि की समीक्षा करना और क्या 2000–01, 2001–02 तथा 2002–2003 (आज तक) के दौरान सीसीआरटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के दावों का भुगतान करते समय इन नियमों और क्रियाविधियों का अनुपालन किया गया है और क्या इस संबंध में कोई अनियमितता बरती गई है।

9.0 ऐसी परिस्थितियां जिनमें श्री ओ.पी. तिवारी को सीसीआरटी की भवन समिति में मनोनीत किया गया है और क्या श्री तिवारी को सीसीआरटी की भवन समिति में मनोनीत करने के समय उनके मूल कार्यालय अर्थात गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में उनके विरुद्ध कोई सतर्कता जांच लंबित थी।

[अनुवाद]

कृषि विभाग के लिए धनराशि

1083. श्री रघुनाथ झा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि संबंधी स्थाई समिति ने अपनी 1999–2000 की रिपोर्ट सं. 6 में कहा है कि राज्यों को जारी धनराशि राज्य कृषि विभाग को नहीं पहुंच रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों के पास कितनी राशि बिना व्यय किए हुए है और राज्य कृषि विभागों को धनराशि जारी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र में निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राज्यों को जारी धनराशि राज्य कृषि विभागों के पास जारी होने से 15 दिनों के भीतर ही पहुंच जाए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) समिति ने वर्ष 1999–2000 की अपनी रिपोर्ट सं. 6 में खासतौर से फसल तथा बागवानी क्षेत्र सहित कार्यान्वित की जा रही अनेक महत्वपूर्ण स्कीमों पर चिंता व्यक्त की है, योजनागत धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि कुछ राज्यों के पास पिछले वर्ष की राशि में से व्यय न की गई राशि बकाया है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कम धनराशि निर्गत की गई है। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि कुछ राज्यों के कृषि विभागों को अपने राज्य वित्त विभाग से यथासमय धनराशि प्राप्त नहीं हो रही है। समिति का यह अभिमत है कि यह एक स्थाई समस्या है और इसके निराकरण के लिए कुछ ठोस उपाय करने की आवश्यकता है। समिति ने सिफारिश की है कि यह विभाग अपने मॉनीटरिंग तंत्र को सुदृढ़ बनाए और यह सुनिश्चित करे कि राज्यों को निर्गत धनराशि राज्य कृषि विभागों को निर्मुक्ति से 15 दिन में प्राप्त हो जाए। स्कीमों के कार्यान्वयन में पिछड़े राज्यों के नाम कार्य निष्पादन बजट में दिए जाएं और जिन राज्यों का कार्य निष्पादन अच्छा है उन्हें अधिक राशि आवंटित करके प्रोत्साहित किया जाए।

(ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार राज्यों के पास 282.51 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी, जो व्यय नहीं की गई थी।

राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता भारतीय रिजर्व बैंक की नागपुर स्थित केन्द्रीय लेखा इकाई के माध्यम से वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा जारी अंतर्शासकीय समायोजन एडवाइस द्वारा निर्गत की जाती है। राज्यों के कृषि विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनकी स्कीम की मंजूरी तथा धनराशि जारी करने के लिए उनके सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करते हैं। धनराशि शीघ्रता से जारी न किए जाने के कारणों में अन्य बातों के अलावा प्रक्रियात्मक विलंब एवं राज्यों की वित्तीय समस्याएं शामिल हैं।

(घ) राज्य के कृषि विभागों को धनराशि शीघ्रता से जारी करना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता जारी करने संबंधी मंजूरी आदेश प्राप्त करने के लिए कृषि भवन स्थित मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) के कार्यालय में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। धनराशि जारी होने में विलंब से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी जाने वाली अंतर्शासकीय समायोजन एडवाइस • वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा स्पीड पोस्ट से भिजवाई जा रही है। स्कीमों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा नियमित रूप से की जाती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय मवेशी आयोग की रिपोर्ट

1084. श्री चन्द्रकान्त खैरे :
श्री जय प्रकाश :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मवेशी आयोग ने 31 जुलाई, 2002 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में जंतुओं की स्वदेशी नस्लों के लुप्त होने के संबंध में अपनी शंकाएं व्यक्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो जंतुओं की कौन सी नस्लें लुप्त होने के कगार पर हैं;

(ग) सरकार द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय मवेशी आयोग की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा गायों की नस्लों की पहचान और संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का ध्यान 5 अगस्त, 2002 के "दैनिक जागरण" में "1967 में गौवंश पर गठित पहले आयोग की रिपोर्ट गायब" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(च) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भू-सम्मेलन के दौरान विकसित देशों द्वारा लादी गई शर्तें

1085. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री रघुनाथ झा :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोहान्सबर्ग में हाल में हुए भू–सम्मेलन के दौरान विकासशील देशों की मुख्य सफलता विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों पर सामाजिक और पर्यावरणीय शर्तों को लादने से रोकना था; और

(ख) यदि हां, तो विकासशील देशों पर लगाए जाने वाली इन शर्तों का ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की प्रत्येक स्थिति में भारत का दृष्टिकोण क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) औद्योगिक राष्ट्रों ने ईको–लेबलिंग जीवन–चक्रण विश्लेषण मानदंड और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कोर श्रम मानदंडों के समावेश के रूप में छद्म ट्रेड बैरियर लगाने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। भारत समान विचारधारा वाले अन्य विकासशील देशों के सहयोग से एक संकल्पित प्रयास में "प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन" के पाठ से इन संदर्भों को हटाने में सफल हुआ है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पारिस्थितिकी को क्षति

1086. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्रीमती कांति सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान माननीय उच्चतम न्यायालय की इस टिप्पणी की ओर आकर्षित किया गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने व्यवसाय को रोहतांग–मनाली क्षेत्र में चट्टानों पर विज्ञापन द्वारा बढ़ावा देने से भारतीय पारिस्थितिकी को हुई क्षति के लिए भुगतान करना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा दंड की वसूली और चट्टानों को पुनः प्राकृतिक स्वरूप देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने 1995 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 202 में दिनांक 26.9.2002 के 2002 के अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 780 में दिए अपने अंतरित आदेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित विज्ञापनकर्ता को, जिन्होंने कुल्लू–मनाली–रोहतांग क्षेत्र में विज्ञापन लगाए हैं, क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए एक करोड़ रुपये के भुगतान का निर्देश दिया है। केन्द्रीय उच्च शक्ति प्राप्त समिति को क्षेत्रों को हुई हानि के मरम्मत संबंधी कार्यों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली में प्रदूषण

1087. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सभी तीनों ताप विद्युत केन्द्र राजधानी में लगभग 300 टन राख और प्रदूषित कण वातावरण में छोड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रदूषित वायु में श्वास लेने के कारण बच्चों सहित राजधानी के 30 प्रतिशत लोग श्वास और हृदय संबंधी रोगों से ग्रस्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) अनुमान है कि दिल्ली में समस्त तीनों तापविद्युत संयंत्र 23.7 टन विविक्त पदार्थ (फ्लाई ऐश) छोड़ते हैं। यह अनुमान उच्च कुशलता के इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर की स्थापना पर आधारित है ताकि 150 एमजी/एनएम^3 की सीमा को पूरा किया जा सके।

(ग) केवल प्रदूषित वायु के अंतःश्वसन की वजह से श्वसनीय और हृदय रोगों से कोई निर्णायक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(घ) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सभी तीनों विद्युत संयंत्रों से कहा है कि वे विविक्त पदार्थों के उत्सर्जन को 50 एमजी/एनएम^3 की सीमा तक नीचे लाएं जिसके लिए तीनों विद्युत संयंत्रों ने कठोर सीमाओं की क्षमता को प्राप्त करने के लिए पहल की है।

[अनुवाद]

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों की संख्या

1088. श्री एम. के. सुब्बा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथियों और गैंडों की संख्या निश्चित करने के लिए जुलाई–अगस्त, 2002 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान में एक सप्ताह लंबा सर्वेक्षण हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या है और इन उद्यानों में प्रत्येक प्रजाति के जंगली जंतुओं की संख्या पिछले तीन सर्वेक्षणों के तुलनात्मक आंकड़ों सहित कितनी है; और

(ग) इन प्रजातियों को उनके प्राकृतिक स्थानों पर संरक्षित और संवर्धित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्र सरकार, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए असम राज्य सरकार को तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। हाथियों और गैंडों की उनके प्राकृतिक वास स्थलों में सुरक्षा और उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं :

(i) स्शस्त्र वन कर्मचारियों द्वारा जोरदार गश्त।

(ii) सड़क नेटवर्क और गश्त के लिए मार्गों जैसी अवसंरचनाओं का विकास।

(iii) अवैध शिकार रोधी कैंपों की स्थापना।

(iv) बेतार संसूचना नेटवर्क की स्थापना।

चावल उत्पादन

1089. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001–2002 के दौरान चावल उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में तुलनात्मक रूप से वास्तव में चावल उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अतिरिक्त चावल उत्पादन को निजी भंडारगृहों में रखा जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 27.6.2002 की स्थिति के अनुसार, कृषि उत्पादन के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2001–02 के दौरान चावल का उत्पादन 91.61 मिलियन मीटरी टन आकलित किया गया है, जो वर्ष 2000–01 के आकलित 84.87 मि.मी. टन चावल के उत्पादन से लगभग 8 प्रतिशत अधिक है।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम भी चावल के ऐसे स्टाक जो केन्द्रीय पूल के लिए खरीदा जाता है, के संबंध में कार्रवाई करता है और ऐसे स्टाक को स्वाधिकृत अथवा किराए के गोदामों में रखता है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना

1090. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री बृजलाल खाबरी :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन योजना शुरू करने का है जैसा कि 27 अक्टूबर, 2002 के "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के कब तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार द्वारा तैयार नई श्रमिक कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) सरकार ने तीन वर्षों के प्रथम चरण के दौरान 10 लाख कृषि श्रमिकों का दायरे में लेने के लिए 50 चुनिंदा जिलों में "कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001" शुरू की है। इस योजना में जीवन सह-दुर्घटना बीमा, धनवापसी, पेंशन तथा अधिवर्षिता लाभ का प्रावधान किया गया है। वृद्धावस्था, सामाजिक तथा आय सुरक्षा (ओएसिस) रिपोर्ट ने असंगठित क्षेत्र के लिए एक नई पेंशन प्रणाली की सिफारिश की है। ओएसिस रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक मंत्री दल गठित किया गया है और मंत्री दल की सिफारिशें आने पर अगली कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

(घ) दसवीं योजना के दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन दंड

1091. श्री सुरेश चन्देल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन्य जीवों के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए दंड देने हेतु क्या प्रावधान निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार लोगों को इस प्रकार के अपराध करने से हतोत्साहित करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत जुर्माना/दंड बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों का भी विचार इस प्रकार के जुर्माने/दंड को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ङ) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार वन्यजीवों के प्रति अपराध करने पर दंड दिया जाता है। वन्य जीव (सुरक्षा) संशोधन विधेयक, 2002, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जुर्माना/दंड राशि बढ़ाने की मांग की गई है, राज्य सभा में 20 नवम्बर, 2002 को प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकारों के परामर्श से जुर्माना/दंड राशि बढ़ाने से संबंधित प्रस्तावित संशोधन कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र को बंद करना

1092. श्री वाई. वी. राव : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है. और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र को उचित रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

इस्पात संयंत्रों में दुर्घटना

1093. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष 2002 के दौरान सभी इस्पात संयंत्रों विशेषकर बोकारो इस्पात संयंत्र में कुल कितनी घटनाएं घटीं;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इससे हुई हानि एवं इसके परिणामस्वरूप एवं संयंत्र-वार संयंत्र को हुई क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष 2002 में इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) गत तीन वर्षों तथा वर्ष 2002 के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र सहित सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में घटित प्रतिवेदय दुर्घटनाओं की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	प्रतिवेदय दुर्घटनाएं	
	बोकारो इस्पात संयंत्र	अन्य सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र
1999	37	518
2000	71	476
2001	60	419
2002 (जनवरी-अक्तूबर)	45	245

(ख) दुर्घटनाओं से बचने के लिए संबंधित इस्पात संयंत्रों ने विभिन्न उपाय किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समग्र सुरक्षा निष्पादन की समीक्षा, संयंत्रों तथा निगमित स्तरों पर विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन, कर्मचारियों के लक्षित समूह को सुरक्षा प्रशिक्षण देना, सुरक्षा निरीक्षण करना, प्रमुख पूंजीगत मरम्मत/शट डाऊन पर बराबर निगरानी तथा मानक प्रचालन/मरम्मत पद्धतियों में सुरक्षा प्रावधानों को शामिल करना है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) सेल ने अपनी तीन इकाइयों अर्थात दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी), राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) तथा बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) में आधुनिकीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात तैयार करने के लिए अप्रचलित ओपन हर्थ फर्नेश के स्थान पर ऊर्जा दक्षता बेसिक ऑक्सीजन फर्नेश (बीओएफ) को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी तीनों संयंत्रों में सतत ढलाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

इस्पात उद्योग में प्रौद्योगिकीय गतिशीलता के वांछित स्तर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) तथा विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग करारों, दोनों के माध्यम से विदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किया है। इस्पात क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए सरकार की कोई पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है।

पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी समिति

1094. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद ने सिफारिश की है कि भारत को पर्यटन क्षेत्र हेतु एक सुनियोजित योजना की आवश्यकता है और इसकी शुरूआत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति गठित करके की जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद द्वारा अन्य क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक में सभी राजनीतिक दल सम्मिलित हुए;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस बैठक में दिए गए सुझावों की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में पर्यटन के विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद (डब्ल्यूटीटीसी) ने सिफारिश की है कि पर्यटन पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के समय प्रभावी नियंत्रण एवं दिशा निर्देशन के लिए देश के सबसे बड़े राजनैतिक कार्यालय को शामिल करने की आवश्यकता है। भारत में पर्यटन के विकास के लिए विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद की अन्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

1. हवाई जहाजों में सीट की उपलब्धता में वृद्धि करना;
2. वीजा प्रक्रिया का सरलीकरण करना;
3. मौजूदा हवाई अड्डों का निजीकरण करना;
4. भारत की छवि में सुधार करना;
5. अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे खोलना;
6. मूल पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन करना;
7. एकीकृत कर-प्रणाली तैयार करना;
8. भारतीय हेरिटेज के अनुरक्षण एवं बाजार के लिए निजी क्षेत्र की निधियों एवं दक्षता में वृद्धि करना;
9. सभी राष्ट्रीय हेरिटेज स्थलों के लिए सिंगल टिकट विपणन करना; एवं
10. आवासीय क्षेत्र खोलना।

(ग) विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद द्वारा 23 से 25 अगस्त, 2002 के बीच आगरा में आयोजित की गई एक रिट्रीट में इन सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें विभिन्न दलों के कुछ संसद सदस्य, प्रख्यात मीडिया प्रधान, प्रमुख विचारक एवं यात्रा एवं पर्यटन उद्योग से संबंधित सरकारी सदस्य उपस्थित थे।

(घ) पर्यटन उद्योग एवं व्यापार पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद एवं पर्यटन पर सचिवों की स्थाई समिति के विचार से यह महसूस किया गया कि मंत्रिमंडलीय समिति गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक, पर्यटन विकास पर, माननीय प्रधान मंत्री जी की सलाह एवं प्रेरणा लेने की बात है, उसे समय-समय पर लिया भी जाता है।

(ङ) उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

- हबों के विकास जिसमें – संस्कृति, पर्यटन, स्वच्छ नागरिक जीवन, सक्षम और प्रभावी प्रबंधन तथा स्वस्थ वातावरण के घटकों को संश्लेषित किया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि भारत में पर्यटक, स्फूर्तिपूर्ण, मानसिक रूप से पुनर्योवन, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध एवं आध्यात्मिक उन्नयन प्राप्त कर वापस जाते समय अपने को भारतमय महसूस करें।
- पर्यटन विकास कार्य को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यकलाप के रूप में प्रतिष्ठित तथा अनुरक्षित करना।
- एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में भारत की स्पर्धात्मकता में वृद्धि करना तथा इसे बनाए रखना।
- नए पर्यटन बाजार की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत के वर्तमान उत्पादों में सुधार तथा इनका विस्तार करना।
- विश्व स्तर की अवसंरचना का सृजन।
- सतत एवं प्रभावी मार्केट योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करना।
- ग्रामीण और लघु पर्यटन के विकास पर विशेष बल देना।
- सभ्यता से संबंधित मुद्दों एवं नागरिक प्रशासन संबंधी विषयों, बेहतर शासन और सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की ओर ध्यान आकर्षित करना।
- पर्यटन परिपथों का विकास और मार्गस्थ सुविधाओं में सुधार करना ताकि स्वदेशी पर्यटन में आसानी से वृद्धि की जा सके।

ऐतिहासिक स्थलों/स्मारकों का विकास

1095. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :
श्री आर. एल. जालप्पा :

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ऐतिहासिक स्थलों/स्मारकों के विकास के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के उन स्थलों/स्मारकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें संरक्षित किया जाएगा और 2001–2002 और 2002–2003 के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(घ) क्या राज्य सरकारों विशेषकर कर्नाटक ने केन्द्र सरकार से अतिरिक्त धनराशि की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ढांचागत, संरक्षण, रसायनिक–परिरक्षण और पर्यावरण संबंधी विकास के वास्ते 753 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों को अभिनिर्धारित किया है।

(ग) आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में संरक्षण/विकास के लिए परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल किए गए स्मारकों की संख्या क्रमशः 39 और 46 है।

संरक्षित स्मारकों के संरक्षण/विकास के लिए किया गया/आवंटित व्यय निम्न प्रकार है :

	वर्ष	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक
व्यय (लाख रु. में)	2001–02	136.00	194.45
आबंटन (लाख रु. में)	2002–03	272.03	383.73

(घ) और (ङ) ऐतिहासिक स्थलों/स्मारकों के विकास के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास कोई योजना नहीं है।

पर्यटन सर्किटों का विकास

1096. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के मदुरै को इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण उसे पर्यटन सर्किट के रूप में चिन्हित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, वार्षिक आधार पर देश में 6 यात्रा परिपथ अभिनिर्धारित करेगा और उनका विकास करेगा। इन परिपथों को राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों और भारत सरकार के संबंधित विभागों के गहन सहयोग और भागीदारी से अंतिम रूप दिया जाएगा और उनका विकास किया जाएगा। इसके अलावा, यह प्रस्ताव किया गया कि प्रत्येक वर्ष, समग्र विकास के लिए, तमिलनाडु सहित प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में, एक वृहत गंतव्यस्थल अभिनिर्धारित किया जाए। चालू वर्ष में, मदुरै से जोड़ने वाले परिपथ को विकास के लिए अभिनिर्धारित नहीं किया गया है।

तमिलनाडु के राज्य पर्यटन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसरण में, तमिलनाडु में पर्यटक गंतव्यस्थल के रूप में, मामल्लापुरम के विकास के लिए एक परियोजना ली गई है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के फल और सब्जी के बिक्री केन्द्र

1097. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेयरी के बिक्री केन्द्रों के फल एवं सब्जियों की गुणवत्ता में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को गुणवत्ता में आ रही इस गिरावट की जानकारी है;

(ग) अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एनडीडीबी द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या एनडीडीबी अपने विशाल नेटवर्क का पर्यवेक्षण करने में सक्षम नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो क्या बिक्री केन्द्रों पर सब्जी एवं फलों की बिक्री का ठेका कुछ कतिपय एजेंसियों को देने की योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। मदर डेयरी की दुकानों पर

फल और सब्जियों की गुणवत्ता कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होती है जिसका उद्देश्य उपभोक्ता की पूर्ण संतुष्टि है।

(घ) जी, नहीं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मदर डेयरी फूड प्रोसेसिंग लि. जैसी अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से अपने विस्तृत नेटवर्क का पर्यवेक्षण करने में सक्षम है।

(ङ) और (च) उक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

रबी फसल के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन

1098. श्री अनन्त नायक : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबी फसल 2002–2003 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वास्तव में कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(ग) यदि हां, तो रबी फसल 2002–03 में खाद्यान्नों के अनुमानित उत्पादन में कमी का प्रतिशत कितना है; और

(घ) कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) रबी मौसम 2002–03 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 109.52 मिलियन मीटरी टन है। रबी 2002–03 के दौरान खाद्यान्न का मूल्यांकन करना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि बुआई का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है।

एयर इंडिया द्वारा लाभ

1099. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिन्दे :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने छह वर्षों तक घाटा उठाने के बाद वर्ष 2001–02 में लाभ अर्जित किया है; और

(ख) यदि हां, तो एयर इंडिया द्वारा गत छह वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना लाभ अर्जित किया गया और उसे कितना घाटा हुआ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) पिछले छः वर्षों के दौरान एयर इंडिया ने हानि उठाई है। जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	(करोड़ रुपये में)
1995–1996	271.84
1996–1997	296.94
1997–1998	181.01
1998–1999	174.48
1999–2000	037.63
2000–2001	044.40

वर्ष 2001–2002 के दौरान, एयर इंडिया ने 15.44 करोड़ रुपये का लाभ कमाया।

भूमि अर्जन अधिनियम का निरसन

1100. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के वन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यावरण को बचाने हेतु प्रसिद्ध पर्यावरणविदों ने भूमि अर्जन अधिनियम के निरसन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रिपोर्ट कार्ड

1101. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अपना तीन वर्षों का रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) मंत्रालय अपना कोई तीन वर्षीय रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित नहीं करता है। तथापि, वार्षिक रिपोर्टें, जिसमें किए गए अन्य कार्यों के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप शामिल रहते हैं, नियमित रूप से प्रकाशित की जाती हैं। देश में पर्यटन के विकास में नए आयाम सृजित करने के लिए हाल ही में नई पर्यटन नीति तैयार की गई है। गत वर्ष के दौरान शुरू किए गए अन्य कार्यकलाप इस प्रकार हैं :

- पर्यटन के कारकों का संश्लेषण करने के लिए संस्कृति एवं स्वच्छ नागरिक शासन एवं नए केन्द्रों का सृजन करना, जो पूरे देश के लिए पेस सेटर के रूप में कार्य करेंगे।
- देश के समक्ष नई कार्य संस्कृति एवं परिणामोन्मुखी शासन प्रस्तुत करना।
- घरेलू पर्यटन पर विशेष बल देना एवं एक व्यापक अवसंरचना का सृजन करना।
- दूर-दराज, पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना।
- ऐसा ढांचा तैयार करना, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र अपने कार्यकलापों को प्रभावी रूप से समन्वित एवं कार्य योग्य सम्पर्क स्थापित कर सकें।
- प्राचीन एवं संरक्षित स्मारकों हेतु एक नई डील मुहैया कराना एवं ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व के नए स्मारकों/स्थलों को संरक्षणाधीन लाना।
- भारत को समागम पर्यटन गंतव्य के रूप में संवर्धित करना।

अनियमित/असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा

1102. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनियमित/असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बारे में एक डाटाबेस तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने अनियमित/असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों के लिए एक "सामाजिक सुरक्षा कार्ड (सोशल सिक्योरिटी कार्ड)" शुरू करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत प्रथम तीन वर्षों के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है और किन-किन राज्यों द्वारा इस योजना को क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) संगठित और असंगठित श्रमिकों से संबंधित आंकडे मुख्यतः जनगणना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) तथा रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम से प्राप्त होते हैं। आंकड़ों का उपयोग मुख्यतः योजनाकरण व नीति निर्माण हेतु किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

राजस्थान में भू-जल का स्तर बढ़ाया जाना

1103. श्री कैलाश मेघवाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से राजस्थान में भू-जल का स्तर बढ़ाए जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए कोई निधियां आवंटित की जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने भूजल के पुनर्भरण के अध्ययन के लिए अपनी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान राज्य में कार्यान्वयन के वास्ते भूजल के पुनर्भरण संबंधी 18 स्कीमों को स्वीकृति दी है। इन स्कीमों को पूरा करने के लिए 91.72 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। इन स्कीमों का ब्यौरा तथा उनकी वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.डी.) द्वारा राजस्थान राज्य में नौवीं योजना के दौरान अनुमोदित की गई पुनर्भरण परियोजनाएं

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	कांटली–नदी, झुंझुनू स्थित मखर और भागोली गांव में उप सतही बाधाओं के निर्माण के लिए स्कीम।	स्कीम पूरी हो चुकी है और भूजल स्तरों की निगरानी की जा रही है।
2.	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के कार्यालय भवन, पश्चिम क्षेत्र, जयपुर में कृत्रिम पुनर्भरण के लिए छत/फुटपाथ की वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए स्कीम।	स्कीम पूरी हो चुकी है और भूजल स्तरों की निगरानी की जा रही है।
3.	सिंचाई भवन, जयपुर में छत/फुटपाथ के वर्षा जल अपवाह का संचयन।	निर्माण कार्य चल रहा है।
4.	मुख्य मंत्री निवास, जयपुर में छत के वर्षा जल का संचयन।	स्कीम पूरी हो चुकी है और भूजल स्तरों की निगरानी की जा रही है।
5.	गवर्नर हाउस, राजभवन, जयपुर में छत के वर्षा जल का संचयन।	स्कीम पूरी हो चुकी है और भूजल स्तरों की निगरानी की जा रही है।
6.	राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में छत/फुटपाथ वर्षा जल अपवाह संचयन संरचनाएं।	स्कीम हटा दी गई।
7.	राज्य सचिवालय (भाग–I और भाग–II), जयपुर	स्कीम पूरी हो चुकी है और भूजल स्तरों की निगरानी की जा रही है।
8.	एमआरईसी, जयपुर के संस्थागत भवन, जयपुर के हिस्से में छत के अपवाह संचयन कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं।	स्कीम पूरी हो चुकी है और भूजल स्तरों की निगरानी की जा रही है।
9.	विद्दा भवन, जयपुर में छत/फुटपाथ वर्षा जल अपवाह संचयन।	स्कीम पूरी हो चुकी है और भूजल स्तरों की निगरानी की जा रही है।
10.	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राम बाग सर्किल, जयपुर में छत/फुटपाथ वर्षा जल संचयन।	निर्माण कार्य प्रगति पर है।

1	2	3
11.	भूजल विभाग भवन परिसर, जयपुर में छत के वर्षा जल संचयन संरचना।	स्कीम पूरी हो चुकी है और भूजल स्तरों की निगरानी की जा रही है।
12.	अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय (ओटीएस, नेहरू भवन), जयपुर में छत/फुटपाथ वर्षा जल अपवाह संचयन संरचनाओं की परियोजना डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए संकल्पना योजना।	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
13.	प्रौद्योगिकी और अभियंत्रण महाविद्यालय, उदयपुर में कृत्रिम पुनर्भरण।	निर्माण कार्य प्रगति पर है।
14.	पीएचईडी, मुख्यालय (नया भवन), जयपुर के परिसर में छत/फुटपाथ के वर्षा जल अपवाह संचयन संरचना की परियोजना डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए संकल्पना योजना।	कार्यों की निविदा प्रगति पर है।
15.	पालासरा, जिला सीकर की कृत्रिम पुनर्भरण स्कीम।	निविदाएं आमंत्रित
16.	पृथ्वीपुरा, जिला सीकर की कृत्रिम पुनर्भरण स्कीम	निविदाएं अमंत्रित
17.	अजबपुरा, जिला सीकर की कृत्रिम पुनर्भरण स्कीम।	निविदाएं आमंत्रित
18.	कलेक्ट्रेट (I), जयपुर में छत/फुटपाथ के वर्षा जल अपवाह संचयन संरचना की परियोजना डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए संकल्पना योजना।	कार्यों की निविदा प्रगति पर है।

ऊपरी तुंगभद्रा का निर्माण

1104. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ऊपरी तुंगभद्रा पर निर्माण करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय जल आयोग से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ङ) कर्नाटक सरकार द्वारा अपर तुंगभद्रा नामक कोई परियोजना प्रारंभ नहीं की गई। माननीय सदस्य, संभवतः सिमोगा के पास तुंग नदी पर स्थित ऊपरी तुंग परियोजना की बात कर रहे हैं जिसमें सिमोगा, देवानगोर और हावेरी जिलों, जिनमें पीछे वाले दो जिलों को सूखा प्रवण घोषित किया गया, में 80,494 हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई मुहैया कराने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मौजूदा तुंग अनिकट के 100 मीटर अनुप्रवाह पर 330 किमी. लंबी नहर वाले एक नए बांध के निर्माण की योजना है। बांध और नहर पर कार्य चल रहा है।

जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति की 24 मई, 2002 को आयोजित 79वीं बैठक में इस परियोजना पर विचार किया गया और समिति ने यह निर्णय लिया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से जब तक सभी पर्यावरणीय मामलों की स्वीकृति नहीं मिल जाती है तब तक इस परियोजना को स्थगित रखा जाए।

जल विवादों को हल करने हेतु संविधान में संशोधन

1105. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंतर्राज्यीय जल विवादों को हल

करने का अधिकार केन्द्र सरकार को देने हेतु संविधान में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जल के समान बंटवारे हेतु सभी बांधों और अंतर्राज्यीय नदियों के जलाशयों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) इस समय सरकार के समक्ष इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

स्टैंड-बाई स्कीम

1106. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी एयरलाइनों में यात्रियों के लिए स्टैंड–बाई पद्धति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस का विचार भी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने हेतु इसी प्रकार की स्टैंड–बाई स्कीम स्वीकार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) विदेशों में प्रचालित स्टैंड–बाई योजना के अंतर्गत, प्रस्थान के समय सीटें खाली होने पर वाहकों द्वारा यात्रियों को डिस्काउंट दिया जाता है। हवाई अड्डे पर स्टैंड–बाई यात्रियों को अंतिम क्षण में सीट दी जाती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अधिक लाभ देने वाले यात्रियों को आरक्षण/सीटें प्रदान करने से इनकार न किया जाए। तथापि कोई भी विदेशी एयरलाइन भारत में स्टैंड–बाई योजना का पालन नहीं कर रही है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, इंडियन एयरलाइंस ने कैपेसिटी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए संवर्धक/छूट प्राप्त किराए आरंभ किए हैं।

भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में पृथ्वी सम्मेलन की सिफारिशें

1107. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिन्दे :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए पृथ्वी सम्मेलन में भोपाल गैस त्रासदी और इसके पीड़ितों को राहत हेतु उठाए गए कदमों और उनके दीर्घकालिक पुनर्वास की समीक्षा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पृथ्वी सम्मेलन में क्या मुख्य टिप्पणियां और सिफारिशें की गईं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष

1108. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **पर्यटन और संस्कृतिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996 में गठित राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष के अंतर्गत इस समय कुल कितनी धनराशि है;

(ख) इस निधि से प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को अपने राज्यों में इसी प्रकार के सांस्कृतिक कोष गठित करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य सांस्कृतिक कोष के अंतर्गत अंशदान करने पर आयकर में छूट देगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) इस समय राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष (एनसीएफ) में कुल 9.45 करोड़ रुपये की राशि है।

(ख) निधियों का आवंटन, विभिन्न कारपोरेट प्रतिष्ठानों, निजी निकायों तथा व्यक्तियों आदि के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के आधार पर परियोजनावार किया जाता है। एनसीएफ, निधियों का आवंटन राज्यवार नहीं करता है।

(ग) जी, नहीं। इस संबंध में कोई भी पहल राज्य सरकार द्वारा अपनी मांगों के आधार पर की जाएगी।

(घ) और (ङ) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को राज्य सांस्कृतिक निधियों में किए गए दान की राशियों के संबंध में कर में शत–प्रतिशत छूट देने के लिए कतिपय राज्य सरकारों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। तथापि, कर में शत–प्रतिशत छूट केवल उन केन्द्रीय निधियों या राज्य सरकारों की उन निधियों को ही देने का निर्णय किया गया है जिनका उद्देश्य आपदा प्रबंधन या चिकित्सा सहायता देने का है। किसी भी स्थिति में राज्य सांस्कृतिक निधियां, किए गए दान की राशि पर 50 प्रतिशत छूट प्राप्त करने के लिए संबंधित आयकर आयुक्त को आवेदन कर सकती हैं।

बीटी कॉटन को दी गई सशर्त मंजूरी को वापस लेना

1109. श्री सईदुज्जमा :
श्री महबूब जाहेदी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में उगाई गई "बीटी कॉटन" और "बीटी मेज" की असफलता की जानकारी है जैसा कि 7 नवंबर, 2002 के "द इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों ने "बीटी कॉटन" के वाणिज्यिक रूप से उगाने को दी गई सशर्त मंजूरी को अविलंब वापस लेने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस प्रकार के गैर–सरकारी संगठनों को जन हित की रक्षा के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) में प्रतिनिधित्व देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) बीटी काटन पहली और एकमात्र ट्रांसजैनिक उपज है जिसे जीईएसी द्वारा भारत में वाणिज्यिक कृषि के लिए अनुमोदित किया गया है। हाइब्रीड की तीन अनुमोदित किस्मों (बीटी मैक 162, बीटी मैक 184, बीटी मैक 12) की इस समय केवल छह राज्यों नामतः, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु में खेती की जा रही है। कुछ गैर–सरकारी संगठनों ने बीटी काटन की खेती के बारे में आशंकाएं व्यक्त की हैं। इस मंत्रालय द्वारा गठित एक उप–समिति ने हाल ही में ऐसे कुछ खेतों की मानीटरिंग की है जहां इन हाइब्रीड किस्मों की खेती की जा रही है। रिपोर्ट से पता चला है कि बीटी काटन का निष्पादन संतोषजनक है। उत्तरी राज्यों (पंजाब, हरियाणा और राजस्थान) में कृषि के लिए उपयुक्त बीटी काटन हाइब्रीड की चौथी किस्म को जीईएसी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ङ) जीईएसी एक कानूनी निकाय है जिसमें विशेषज्ञ (विषय के विशेषज्ञ) और संबंधित विषय वाले मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं। मंत्रालय जनहित में नियमित रूप से कार्यशालाओं और बैठकों का आयोजन कर रहा है।

पटना हवाई अड्डे को स्थानांतरित करना

1110. श्रीमती कान्ति सिंह : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने उनके मंत्रालय से पटना हवाई अड्डे को राजभवन और अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आवासों के निकट होने को ध्यान में रखते हुए इसे किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) एलायंस एयर बी–737 दुर्घटना की न्यायालय जांच की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार ने बेहटा एयर फोर्स स्टेशन, पटना पर सिविल एंक्लेव के निर्माण पर विचार किया है। रक्षा मंत्रालय, भारतीय वायु सेना, बिहार, सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ चर्चा करने के पश्चात यह महसूस किया गया कि राज्य सरकार को रनवे के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि या नए रनवे के निर्माण के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने की सम्भावना पर विचार करना चाहिए यदि ये दोनों विकल्प सम्भव नहीं हैं तो राज्य सरकार को बेहटा हवाई अड्डे पर सिविल एंक्लेव के निर्माण तथा रनवे/अन्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए निशुक्ल 100 एकड़ भूमि प्रदान करने के लिए विचार करना चाहिए। राज्य सरकार का यातायात के सुगम प्रावह के लिए बेहटा से पटना जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 30 को भी सुदृढ़ तथा चौड़ा करना चाहिए।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) संगीत नाटक एकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6030/02]

(3) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखत पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6031/02]

(5) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6032/02]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : महोदय, श्री अर्जुन चरण सेठी की ओर से, मैं राष्ट्रीय जल नीति–2002 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6033/02]

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र पर सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2001–2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली वर्ष 2000–2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6034/02]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष जी, श्री शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से, मैं भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2002 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6035/02]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : सर, माननीय मंत्री जी कहां हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने, श्री संतोष कुमार गंगवार को श्री शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से पत्र रखने की अनुमति दी है।

श्री संतोष कुमार गंगवार : वह दूसरी सभा में हैं। इसीलिए मैं उनकी ओर से पत्र सभा पटल पर रख रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुड़ा) : महोदय, माननीय उप-प्रधानमंत्री को वक्तव्य देना था। उसका क्या हुआ? वह कब वक्तव्य देंगे?

अध्यक्ष महोदय : वह आज दो बजे वक्तव्य देंगे। अब मद संख्या 6 लेते हैं।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हू

(1) मेकॉन लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) मेकॉन लिमिटेड के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेकॉन लिमिटेड का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6036/02]

(ख) (एक) राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2001–2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2001–2002 की वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त मद संख्या (12) के (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6037/02]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष जी, संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 की धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत

संसद अधिकारी (लोक सभा अध्यक्ष की ऐसा पद धारण करने के दौरान मृत्यु होने पर उसकी पत्नी/को पेंशन, आवास तथा चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 2002, जो 31 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 535 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) जो 23 अगस्त, 2002 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 592 (अ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6038/02]

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : महोदय, मैं, रेल अधिनियम, 1989 की धारा 10 के अन्तर्गत रेल सुरक्षा आयोग के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6039/02]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षु (संशोधन) नियम, 2002, जो 19 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 656(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6040/02]

(2) शिक्षु अधिनियम, 1961 की उपधारा (1 और 2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1017(अ), जो 19 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय शिक्षुता परिषद के पुनर्गठन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संरकरण) तथा उसका शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) जो 17 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1094(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6041/02]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6042/02]

(तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट् को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी 6043/02]

अपराह्न 12.03 बजे

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

उनतीसवां, तीसवां, इकतीसवां और बत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष जी, मैं, पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) 'औषधों/भेषजों का मूल्य निर्धारण और उनकी उपलब्धता' के बारे में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (2001) के पन्द्रहवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी उनतीसवां प्रतिवेदन;

(2) 'तेल और गैस का उत्पादन' के बारे में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (2001) के इक्कीसवें प्रतिवेदन (तेहरवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी तीसवां प्रतिवेदन;

(3) 'डीलर चयन बोर्डों के दिशानिर्देशों का मूल्यांकन' के बारे में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (2001) के बाइसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी इकतीसवां प्रतिवेदन; और

(4) 'इडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड (इफ्को)' के बारे में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (2001) के चौबीसवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी बत्तीसवां प्रतिवेदन।

---

*ये प्रतिवेदन अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत 17 अक्तूबर, 2002 को, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, माननीय लोक सभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए। माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

तिरपनवां प्रतिवेदन

श्री सी. पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : महोदय, मैं राष्ट्रीय उत्पादन परिषद के कार्यकरण के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के तरेपनवे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड और फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कथित रूप से बंद करना

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेते हैं, जिसकी सूचना श्री सुनील खां ने दी थी।

यदि वे उपस्थित नहीं हैं तब श्री बसुदेव आचार्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं रसायन और उर्वरक मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें :

"हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) तथा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एफ.सी.आई.) को बंद करने, जिससे पूर्वी क्षेत्र विशेषकर पश्चिमी बंगाल में कृषि क्षेत्र प्रभावी हुआ है, से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपाय।"

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

[श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा]

(एफ.सी.आई.) को नवम्बर, 1992 में औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को संदर्भित किया गया था और बी. आई. एफ. आर. द्वारा रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अधीन इन्हें रुग्ण घोषित किया गया था।

एच.एफ.सी. और एफ.सी.आई. के पुनर्स्थापन के लिए अप्रैल, 1995 में तैयार किए गए पुनर्स्थापन पैकेजों में इनकी कुछ इकाइयों के सीमित पुनरुद्धार की परिकल्पना की गई है जबकि एच.एफ.सी. की हल्दिया परियोजना और एफ. सी. आई. की गोरखपुर इकाई के पुनरुद्धार को प्रौद्यो–आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया था। एच.एफ.सी. और एफ. सी.आई. की क्रियाशील इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए क्रमशः 465 करोड़ रुपये और 1736 करोड़ रुपये की नवनिवेश की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। बाद में भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि. (आई.सी.आई.सी.आई.) के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ दल द्वारा इन प्रस्तावों की समीक्षा की गई थी और इन्हें पुनः तैयार किया गया था। इस विशेषज्ञ दल ने एफ.सी.आई. की सिन्दरी, रामागुण्डम और तलचर इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए 2638 करोड़ रुपये के नवनिवेश और एच.एफ.सी. की नामरूप, दुर्गापुर व बरौनी इकाइयों के पुनरुद्वार के लिए 869 करोड़ रुपये के नवनिवेश की आवश्यकता बताई थी। इसके अतिरिक्त इन पैकेजों को व्यवहार्य बनाने के लिए अन्य वित्तीय राहतों और भारत सरकार के ऋणों व संचित व्याज औसतन 5006 करोड़ रुपये को बट्टे खाते डालकर रियायतों की परिकल्पना की गई थी।

विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने अक्टूबर, 1997 में केवल एच.एफ.सी. की नामरूप इकाइयों के संबंध में पुनर्स्थापन पैकेज पर निर्णय लिया।

एच.एफ.सी. की नामरूप इकाइयों के पुनर्स्थापन में अनुमानतः 5009.40 करोड़ रुपये का नवनिवेश (संशोधित लागत) निहित है। पुनरुद्वार परियोजना दिनांक 2.11.1998 से कार्यान्वयनाधीन है और सरकार ने अभी तक 322 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता प्रदान की है। वर्ष 2002–03 के लिए 200 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। नामरूप इकाइयों को एच.एफ.सी. से अलग कर दिया गया है और दिनांक 1.4.2002 से "ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (बी.वी.एफ.सी.एल.)" नामक नई कम्पनी बना दी गई है।

एच.एफ.सी. और एफ. सी. आई. की शेष इकाइयों के संबंध में संशोधित विस्तृत पुनर्स्थापन प्रस्तावों पर इस परियोनार्थ नियुक्त मंत्रीदल की सिफारिशों के आधार पर मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 18.7.2002 और 5.9.2002 को विचार किया गया था तथा एच.एफ.सी. और जोधपुर खनन संगठन को छोड़कर एफ. सी.आई. को बंद करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय लेते समय प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन लागत के संदर्भ में फीडस्टाक से संबद्ध मुद्दों व बजट पर पड़ने वाले प्रभाव और देश में यूरिया की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा गया था।

उल्लेखनीय है कि बी.आई.एफ.आर. ने एफ.सी.आई. और एच.एफ.सी. को बंद करने के आदेश क्रमशः दिनांक 2.11.2001 तथा 12.12.2001 को दिये हैं। इन दोनों कम्पनियों ने बी. आई.एफ.आर. के आदेशों के खिलाफ औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन अपीलीय प्राधिकरण (ए.ए.आई.एफ.आर.) के समक्ष अपील दायर की है। ए.ए.आई.एफ.आर. द्वारा एफ.सी.आई. की अपील को खारिज कर दिया है और एच.एफ.सी. अपील पर दिनांक 15.11.2002 को सुनवाई हुई थी जिस पर आदेश ए.ए.आई. एफ.आर. द्वारा आरक्षित रखे गये हैं। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 के उपबंधों के अनुसार बी. आई.एफ.आर. ने इन दो कम्पनियों को बंद करने के अपने विचार दिल्ली उच्च न्यायालय को भेजे हैं।

एच.एफ.सी. और जोधपुर खनन संगठन को छोड़कर एफ. सी.आई. को बंद करने के सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने पर इन कम्पनियों के कर्मचारियों को स्वैच्छिक पृथक्करण योजना की पेशकश की गयी है। इन दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 10596 कर्मचारियों की स्वैच्छिक पृथक्करण योजना की पेशकश के लिए अनुमानतः 691 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी जिसे पूरी तरह सरकार की बजटीय सहायता से पूरा किया जा रहा है।

माननीय सदस्यों ने इन इकाइयों के बंद होने से पूर्वी क्षेत्र विशेषतः पश्चिम बंगाल में कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का मुद्दा उठाया है। इन्हें बंद किये जाने के समय एफ.सी.आई. और एच.एफ.सी. की कोई भी इकाई प्रचालनरत नहीं थी। यद्यपि, एच.एफ.सी. की हल्दिया उर्वरक परियोजना 1979 में यांत्रिक रूप से पूर्ण हो गयी थी लेकिन उसे कभी भी शुरू नहीं किया जा सका। दुर्गापुर इकाई के प्रचालन 1997 से निलम्बित हैं। एच.एफ.सी. की बरौनी इकाई और

एफ.सी.आई. की रामागुंडम और तलचर इकाइयों में 1999 से प्रचालन बंद है। एफ.सी.आई. की गोरखपुर इकाई 1990 में बंद हो गयी थी। सिन्दरी इकाई मार्च, 2002 से बंद पड़ी है। एच.एफ.सी. और एफ.सी.आई. की विभिन्न इकाइयों में से एफ. सी. आई. की केवल सिन्दरी इकाई में 1999–2000 से 2001–02 के दौरान उत्पादन हुआ और यह इकाई 1999–2000, 2000–01 और 2001–02 के दौरान क्रमशः केवल 3.06 लाख मी. टन, 2.37 लाख मी. टन और 0.76 लाख मी. टन का ही उत्पादन कर सकी जो देश में यूरिया की खपत के 1.5 प्रतिशत, 1.24 प्रतिशत और 0.38 प्रतिशत के बराबर था। इस प्रकार एफ.सी.आई. और एच.एफ.सी. की इकाइयों द्वारा यूरिया के उत्पादन या अनुत्पादन का देश में उर्वरकों की उपलब्धता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है।

उर्वरक उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और अब किसी भी कम्पनी द्वारा देश में नई उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नौवीं/दसवीं योजना अवधि के दौरान 15 बड़ी उर्वरक परियोजनाएं स्थापित की गयी हैं/कार्यान्वयनाधीन हैं।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2005–06 से आगे ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कम्पनी (ओ.एम.आई.एफ.सी.ओ.) से 16.52 लाख मी. टन यूरिया प्राप्त होने की आशा है जिसके लिए सरकार दीर्घावधि पूर्व निर्धारित मूल्य पर वापस खरीद के लिए वचनबद्ध है।

जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों सहित देश के विभिन्न भागों में यूरिया की उपलब्धता का संबंध है, सभी राज्यों को एक समान सांविधिक बिक्री मूल्य पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है और उर्वरकों की कमी से किसी भी राज्य में उर्वरकों की कमी नहीं होने नहीं दी जाती। उपर्युक्त के आधार पर एच.एफ.सी. और एफ.सी.आई. को बंद करने के निर्णय का पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में भी देश के विभिन्न भागों में उर्वरकों की उपलब्धता बनी रहे।

श्री बसुदेव आचार्य : महांदय, फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के पुनरुत्थान का प्रश्न इस सभा में कई बार उठा। यह प्रश्न पिछले माह सत्र के दौरान उठाया गया और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान उठाए गए प्रश्नों का जवाब देते समय मंत्री महोदय ने इन इकाइयों को बंद करने के बारे में कभी उल्लेख नहीं किया।

महोदय, मैंने बंद करने के किसी मामले में यह नहीं देखा कि मंत्री समूह के निर्णय के बाद तीन दिन के अन्दर मंत्रिमंडल ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की सात इकाइयों को जल्दबाजी में बंद करने का निर्णय कर लिया।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विगत में इन सभी इकाइयों को पुनः चालू करने हेतु क्या प्रयास किए गए। वे जानते हैं कि उत्पादन पुनः शरू करने हेतु अनेक सुझाव दिये गए थे। गोरखपुर इकाई में उत्पादन 1990 में बंद हो गया था, बरौनी इकाई में उत्पादन 1999 में, दुर्गापुर इकाई में उत्पादन 1997 में बंद हो गया और उड़ीसा के तालचेर और आंध्र प्रदेश की रामागुंडम दोनों इकाइयों में उत्पादन 1997 में बंद हो गया था। तालचेर और रामागुंडम इकाइयों में यूरिया के उत्पादन हेतु कोयले का उपयोग किया जा रहा था। यद्यपि हमारे पास प्रचुर मात्रा में कोयले का भंडार है और हमने अपनी सभी कोयला आधारित इकाइयों को बंद कर दिया है।

मंत्री महोदय ने बताया है कि गोरखपुर से रामागुंडम तक की इन सभी इकाइयों को बंद करने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में उर्वरक का कोई संकट नहीं होगा। आज कोई संकट नहीं है क्योंकि हमारे पास अनिश्चित भंडार है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां उर्वरक खपत में वृद्धि अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है। यह प्रतिवर्ष लगभग आठ प्रतिशत है। अकेले पश्चिम बंगाल में उर्वरक की खपत 10 लाख टन है। यह पिछले वर्ष का आंकड़ा था, यहां भाड़ों पर दी जाने वाली राजसहायता का प्रावधान है लेकिन भाड़ों पर दी जाने वाली राजसहायता को समाप्त करने का प्रावधान है। एक बार भाड़े पर दी जाने वाले राजसहायता समाप्त कर दी जाती है तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के किसानों को अधिक दाम पर उर्वरक खरीदना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उर्वरक को पश्चिमी भारत और पंजाब से लाया जाएगा। यद्यपि यह इकाई भी घाटे में चल रही थी लेकिन वे अपनी इकाई को बचाने में सक्षम थे। लेकिन वे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लिए कुछ नहीं कह सके। टी.डी.पी. ने इसे

[श्री बसुदेव आचार्य]

एक विद्युत उत्पादन इकाई में परिवर्तित करने हेतु एक वैकल्पिक प्रस्ताव दिया है। लेकिन इन सभी इकाइयों का क्या होगा?

महोदय, हमारे देश की सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई सिन्दरी उर्वरक इकाई है। इसका उद्घाटन 1952 में भारत के प्रथम प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था। हमें आज भी याद है जो उन्होंने इस इकाई का उद्घाटन करते समय कहा था। उन्होंने कहा था कि वे न सिर्फ उर्वरक कारखाने का उद्घाटन कर रहे हैं अपितु वे आधुनिक भारत के एक मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं।

अब यह सरकार न केवल मस्जिदों के विध्वंस करने पर तुली है बल्कि वे आधुनिक भारत के मंदिरों का विध्वंस करने पर भी तुली है। हम अपनी स्वदेशी इकाइयों को बंद कर रहे हैं जबकि हम अपनी सरकारी क्षेत्र की उर्वरक इकाइयों को बंद कर रहे हैं, वहीं हम ओमान में एक संयुक्त इकाई स्थापित करने जा रहे हैं, जहां से हम उर्वरक लाऐंगे ! यह इस सरकार की नीति है। और यह सबकुछ कितनी जल्दबाजी में किया जा रहा है।

एच.एफ.सी. के संबंध में ए.ए.आई.एफ.आर. ने अभी भी अपना अंतिम निर्णय नहीं दिया है जबकि एफ.सी.आई. के मामले में इसने अपना अंतिम निर्णय दे दिया है। मंत्री महोदय इस सभा में यह बात स्पष्ट करें कि ए.ए.आई.एफ.आर. ने अपना निर्णय कब सुरक्षित रखा तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने अपने किस निर्देश के तहत यह अनुदेश दिए हैं कि बरौनी, सिन्दरी और दुर्गापुर के कामगारों को एक महीने के अंदर अपने क्वार्टर खाली करने होंगे? यह सरकार कितनी अमानवीय हो गई है। बच्चे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं लेकिन मंत्रालय ने सख्त आदेश जारी किये हैं कि सभी विद्यालयों को बंद कर दिया जाए। बच्चे शैक्षणिक सत्र के मध्य में कहां जाऐंगे?

उन्होंने अब एक वी.एस.एस., स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की है।

[हिन्दी]

सैपरेट हो जाओ। आप अगर 20 दिसम्बर तक नहीं जाओगे। नहीं लोगे तो टर्मिनेट कर देंगे। आर्डर भी इश्यू कर दिया है। पानी बंद

[अनुवाद]

यह सरकार कितनी अमानवीय है। कामगार अभी भी अपने क्वार्टरों में ठहरे हैं? उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि उनके क्वार्टरों में जलापूर्ति नहीं की जाएगी। उन्होंने डी.पी. एच., दुर्गापुर प्रोजैक्ट लिमिटेड से जो कालोनी को विद्युत आपूर्ति कर रही है से पहले ही कालोनी को विद्युत आपूर्ति बंद करने के लिए पूछा है। यह सरकार कितनी क्रूर है? जब ए.ए.आई.एफ.आर. ने अपना अंतिम निर्णय नहीं दिया है तो आपने यह आदेश कैसे जारी कर दिया कि कामगारों को 30 दिसम्बर तक वी.एस.एस. का विकल्प चुनना होगा और ऐसा न करने पर सभी कामगारों को सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी? उन्हें वी.एस.एस. का लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत धनराशि मिलेगी जो वी.एस.एस. के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि से बहुत कम होगी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इतनी जल्दबाजी में ऐसा निर्णय क्यों लिया?

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने उर्वरक मंत्री और प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है, श्री सोमनाथ चटर्जी को इनकी जानकारी है। आई.डी.बी.आई. का ओ.एन.जी. के साथ एक समझौता है। हमारे पास रानीगंज और झरिया कोलपील्ड्स में कोल बेड मीथेन का प्रचुर भंडार है। इसका पहले ही पता लगाया जा चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार ने औद्योगिक उद्देश्यों हेतु कोल बेड मीथेन के प्रयोग की संभावना का पता लगाने हेतु एक कार्य दल का गठन किया था। उन्होंने सकारात्मक रिपोर्ट सौंपी हैं। पश्चिम बंगाल सरकार अमरीका के अनिवासी भारतीयों से संबंधित कुछ निजी कंपनियों के साथ कोल-बेड मीथेन के प्रयोग हेतु योजना बना रही है। एक पाइप लाइन बिछाई जाएगी और अप्रैल 2003 तक गैस आपूर्ति की संभावना होगी। क्या यह सरकार छह महीने इंतजार नहीं कर सकती?

यदि यूरिया के उत्पादन हेतु कोल-बेड मीथेन का प्रयोग किया जाता है तो यूरिया की प्रति टन उत्पादन लागत क्या होगी? यह मीथेन के प्रयोग से उत्पादन लागत की अपेक्षा एक-तिहाई होगी। हम मीथेन का आयात कर रहे हैं। हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स को मीथेन का आयात करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्हें आई.ओ.सी. के माध्यम से मीथेन का आयात करना होगा। और आई.ओ.सी. मीथेन की आपूर्ति कर

रही है...*(व्यवधान)* कुमारी ममता बनर्जी मुझे अपनी बात समाप्त करने के बाद आप बोल सकती हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, यद्यपि मेरा नाम सूची में नहीं है और मैं तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के बारे में जो कुछ भी वे कह रहे हैं हम उसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं जानता हूं कि मंत्री जी के अलावा हरेक समर्थन करेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : पानी और बिजली की आपूर्ति रोकना और अस्पतालों तथा कालेजों को बंद करना अमानवीय है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बंद करने के निर्णय को कम से कम छः माह के लिए स्थगित रखेगी। जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है ताकि कोल-बेड मिथेन (सी.बी.एम.) का यूरिया के उत्पादन हेतु उपयोग किया जा सके और दुर्गापुर इकाई और सिंदरी इकाई का पुनरुद्धार किया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि झरिया कोलफील्ड्स की सभी भूमिगत कोयला खानों में प्रचुर मात्रा में सी.सी.एम. उपलब्ध है और बरौनी इकाई का भी पुनरुद्धार किया जा सकता है।

मेरी मांग है कि भारत सरकार को मंत्रिमंडल के कार्यन्वयन रोकना चाहिए, निर्णय की समीक्षा की जानी चाहिए तब इन इकाइयों को पश्चिम बंगाल सरकार के कोल-बेड मिथेन का प्रयोग करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने तक कार्य करते रहना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह पानी और बिजली की आपूर्ति बंद करने तथा स्कूलों और अस्पतालों को बंद करने के अमानवीय परिपत्र को वापस लें। यदि अस्पतालों को बंद किया जाता है तो रोगी कहां जाएंगे? मेरी यह भी मांग है कि वी.एस.एस. को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए। यदि कोई श्रमिक वी.आर.एस. का विकल्प चुनना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है और जा सकता है। वालंटरी सेपरेशन स्कीम (वी.एस.एस.) क्यों होनी चाहिए? मैं मंत्री जी से सकारात्मक उत्तर चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बसुदेव आचार्य जी अब आप समाप्त करिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय : आप केवल प्रश्न पूछ सकते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक-दो लाइन में इसके विषय में बताना चाहता हूं।

महोदय, आपने बड़ी कृपा की है कि इस विषय को सदन में प्रस्तुत होने दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि बरौनी, सिन्दरी, दुर्गापुर, गोरखपुर और रामागुंडम कारखानों के विषय में कहा गया था कि सरकार उन्हें चालू कराएगी, जिससे पूरे देश में हर्ष की लहर दौड़ गई, लेकिन जब से इन कारखानों को बन्द करने का फैसला हुआ है, तब से सारे देश में और विशेष रूप से सारे बिहार में कोलाहल मच गया है। बिहार बन्द का आयोजन हुआ है। धरना और सत्याग्रह जारी हैं। सभी दल के लोगों ने फैसला किया है कि हम संघर्ष करेंगे। इस बारे में प्रधान मंत्री जी को ज्ञापन दिया। पूर्व वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा जी को भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन सरकार जनविरोधी और किसान विरोधी कार्यवाही कर रही है। इससे देश दुखी है, देशभर में क्षोभ है और गुस्सा भरा हुआ है।

मैं सरकार से स्पेसिफिक पूछना चाहता हूं कि एक एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी जिसने इनका अध्ययन करके बताया कि सिन्दरी, बरौनी, दुर्गापुर, गोरखपुर और नामरूप कारखाने वाएबल हैं और कहा था कि इन्हें रिहैबिलिटेट किया जाए और कुछ पूंजी लगाकर इन सभी कारखानों को चालू किया जा सकता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि केवल नामरूप का कारखाना चालू किया गया, बाकी को क्यों छोड़ दिया गया, जबकि एक ही कमेटी ने कहा था कि ये कारखाने वाएबल हैं और उन्हें चालू किया जाना चाहिए। यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरा, सरकार यह बताए कि गोरखपुर के बारे में सहकारी संस्थान कृभको ने कहा था कि आप इसे हमें दे दीजिए, हम इसे चालू करेंगे। यह मामला कैबिनेट में गया था लेकिन वैस्टेड इंटरैस्ट ने उसे रोक दिया। आपने हेरा-फेरी करके कृभको के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया और

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

अब उसे बंद करने का निर्णय लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे कौन सी शक्ति लगी हुई है, जिसके कारण सरकार ऐसे फैसले कर रही है? आप सदन को स्पष्ट रूप से बतायें है कि इसमें असलियत क्या है और क्या कारण है कि कृभको ने जो प्रस्ताव दिया, उसे आपने अमान्य कर दिया?

तीसरा, इसी तरह से पी.पी.सी.एल. कारखाना है जो कि अमझोर में फास्फेट की अकेली कम्पनी है। उसको भी ये गोबर माटी लगाकर बंद करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि सरकार जनमत के खिलाफ क्यों जा रही है जबकि वहां जन-आंदोलन शुरू हो गया है। सभी किसान, मजदूर आदि निरुत्साहित हो रहे हैं कि इससे उनको खाद नहीं मिलेगी और खाद के बिना खेती कैसे होगी? जब किसान इस देश की रीढ़ है तब सरकार उसकी आकांक्षा के विरुद्ध जन-विरोधी, किसान-विरोधी निर्णय क्यों ले रही है? उसके साथ भेदभाव हो रहा है। झारखंड, बिहार और बंगाल के लोग पूछ रहे हैं कि आपने नामरूप को तो चालू कर दिया है लेकिन दुर्गापुर, बरौनी और सिंदरी को चालू क्यों नहीं किया गया? सरकार यह भेदभाव क्यों कर रही है? जो गोरखपुर का मामला है, पी.पी.सी.एल. का मामला है, इसके बारे में हम सब सांसद एकजुट हैं। वहां खलबली मची हुई है, कोलाहल मचा हुआ है। इसके कारण वहां बहुत भारी आंदोलन होगा, तोड़-फोड़ वाला आंदोलन होगा। इस संबंधी में सरकार स्थिति स्पष्ट करे। इसी के साथ-साथ इन्हीं की कमेटी ने जो अनुशंसाएं की हैं, उसको भी ये मान नहीं रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं क्योंकि उससे किसानों को लाभ होगा। हमारा कहना है कि सरकार सभी बातों को स्पष्ट करे और सदन को बताए कि सरकार इस तरह से गलत निर्णय क्यों लेने जा रही है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : महोदय, मेरा विचार है कि माननीय मंत्री जी ने बहुत सी बातें बताई हैं परन्तु इन्होंने वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं की। दसवीं योजना हेतु उर्वरक संबंधी कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार यूरिया का भारी आपूर्ति अंतर है। मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं जो मेरी बात को उचित ठहरायेंगे। सबसे पहले 2004-2005, 2005-2006, 2010-2011 तथा 2011-2012 के लिए यूरिया की अनुमानित मांग क्रमशः 2,27,93000 टन, 2,35,59,000 टन और 2,72,91,000 टन तथा 2,81,22,000 टन है।

दसवीं योजना हेतु उर्वरक संबंधी कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004-2005, 2005-2006, 1010-2011 और 2011-2012 के लिए स्वदेशी आपूर्ति क्रमशः 2,10,55,000 टन, 2,11,71,000 टन, 2,11,71,000 टन और 2,11,71,000 टन होने का अनुमान है। मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार ओमान में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रयास कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत-ओमान परियोजना हेतु वर्ष 2004-2005 के लिए आपूर्ति 13,07,000 टन होगी।

वर्ष 2005-06 के संबंध में आपूर्ति 14,52,000 टन होगी, 2010-11 में यह 14,52,000 टन होगी और 2011-12 में यह 14,52,000 टन होगी। इसलिए, इन सभी वर्षों में कुल आपूर्ति बराबर रहेगी। इसका अर्थ है कि आपूर्ति में अंतर होगा। 2005-06 से 2011-12 तक आपूर्ति में 55 लाख मी. टन तक का अंतर होगा। यह अंतर कैसे पूरा किया जाएगा? निश्चित रूप से सरकार उर्वरक के आयात पर निर्भर होगी। इसके परिणामस्वरूप शुरू में किसानों को कम कीमत पर कुछ उर्वरक मिल सकता है। जब हमारे देश में सभी उर्वरक कारखाने समाप्त हो जाएंगे तो आयातक उर्वरकों की कीमत बढ़ा देंगे। इससे हमारे किसानों पर बहुत भार पड़ेगा।

केवल इतना ही नहीं, यहां तो सबसे महत्त्वपूर्ण बात नोट की जानी चाहिए वह यह है कि हमारे देश की आत्मनिर्भरता की नींव को गंभीर नुकसान होगा। हमें विदेशी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए हमारे देश की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता बुरी तरह छिन्न-भिन्न और प्रभावित हो जाएगी। अतः मैं इस संबंध में माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

केवल इतना ही नहीं। हमारे माननीय मंत्री ने बताया है कि उर्वरक उद्योग को लाइसेंस मुक्त किया गया है। उन्होंने बताया है कि इस उद्योग में निवेश करने हेतु बहुत से निजी निवेशक आगे आएंगे...*(व्यवधान)* यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज तक सरकार ने कोई उर्वरक नीति घोषित नहीं की है। क्या यह नाफ्था अथवा ईंधन अथवा गैस अथवा कोयला है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस विषय पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। निजी निवेशक उर्वरक उद्योग में निवेश करने के लिए कैसे आगे आएंगे? इसलिए, जब तक उर्वरक नीति की घोषणा नहीं हो जाती तब तक किसी को बंद किए जाने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। पूर्वी क्षेत्र

में गैस होने की संभावना है। कोयला आधारित विधि के बारे में एक एजेंसी निर्धारित की गई है और उत्खनन बहुत शीघ्र शुरू होगा। इसलिए, दुर्गापुर और हल्दिया इकाइयों को भी गैस दी जा सकती है। केवल यही नहीं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम और अन्य कोरियाई कंपनी ने म्यांमार में गैस की खोज प्रारम्भ कर दी है। प्रारम्भ में यह व्यवहार्य पाई गई। सम्पूर्ण गैस समुद्री पाइप लाइनों के माध्यम से हल्दिया ले जाई जाएगी। यह उनकी परियोजना है। इसलिए, हल्दिया में भविष्य में गैस होगी।

केवल यही नहीं है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पहले ही त्रिपुरा से वाया बांग्लादेश गैस ले जाने की नीति बनाई है। बांग्लादेश सरकार भारत को गैस निर्यात करने में रुचि दिखा रही है। इसलिए, इस स्थिति में यदि पश्चिम बंगाल में उर्वरक उद्योग नहीं हैं तो हमारे लोगों को बहुत नुकसान होगा। पश्चिम बंगाल में लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए लगभग दस लाख टन यूरिया की आवश्यकता है। इसलिए, मुझे नहीं पता कि इन अंतरों को कैसे पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने एच.एफ.सी. की इकाइयों को बंद करने हेतु नोटिस जारी किया है। परन्तु इन्होंने इस पर विचार नहीं किया कि विद्यार्थी कहां जाएंगे। कुछ विद्यार्थी कक्षा पांच और छः में पढ़ रहे हैं। ये कहां जाएंगे? इसलिए, मेरा प्रस्ताव है कि अपनी पढ़ाई पूरी करने तक किसी को भी क्वार्टर से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए. ..*(व्यवधान)* यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ : सरकार हमारे देश को आयातकों को बेच रही है। हमारी कृषि पर प्रभाव पड़ रहा है। सरकार देश की आत्मनिर्भरता को नष्ट कर रही है...*(व्यवधान)* इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वी.एस.एस. को वापस लिया जाना चाहिए और श्रमिकों को वी.आर.एस. लेने की अनुमानित दी जानी चाहिए। और बंदी का नोटिस भी वापस लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने का मौका दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको नोटिस देना चाहिए था। आपने नोटिस क्यों नहीं दिया?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका जीरो आवर का नोटिस होगा, तो उस समय आप सवाल पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ : इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श किया जाना चाहिए और इस संबंध में बातचीत होनी चाहिए। उस समय तक किसी श्रमिक को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।

मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए सरकार इन इकाइयों को बंद कैसे कर रही है? मैं माननीय मंत्री जी से इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले इन्हें तो बैठने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए मित्रो, एक बात आप सभी को समझनी चाहिए।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : एक मिनट, सर।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट मेरी बात भी सुनिये। यह जो चर्चा शुरू है, यह नियम 197 रूल के मुताबिक शुरू है और जब ऐसी चर्चा होती है तो आपको चर्चा के लिए पहले नोटिस देना पड़ता है और जिन मैम्बरों ने नोटिस दिया है वही प्रश्न पूछ सकते हैं, क्लैरीफिकेटरी एक्सप्लेनेशन मंत्री जी से मांग सकते हैं। आप जिस कांस्टीट्येंसी से आते हैं, आपकी कांस्टीट्येंसी से जुड़ा यह विषय है, इसलिए मैं दोनों को केवल एक प्रश्न पूछने की इजाजत दे सकता हूं। पहले आप पूछिये। मैं ऐसा विशेष मामले में कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, आप भानमति का पिटारा खोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं उन्हें एक छोटा प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब 1999 में बरौनी फैक्टरी से, जो बिहार का गंगा के उत्तरी हिस्से में है, किसानों को आसानी से खाद मिल रहा था तो जो आज आपने कहा है कि भारतवर्ष में हमारे पास स्टाक है, किसानों को किसी तरह की कमी नहीं होगी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वहां पर जो लगभग दो हजार से ऊपर लोग काम कर रहे थे, किसानों को उस समय जिस मूल्य पर खाद मिल रहा था, उन सारी बातों को देखते हुए क्या आप इस पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं? जल्दबाजी में आपने सब जगह रिपोर्ट कर दी, कैबिनेट में ले गये, सुप्रीम कोर्ट को यह इन्फोर्मेशन दे दी कि एक्सपर्ट कमेटी थी, उसने कहा था कि रुपया लगाकर इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, इसे फिर से चालू किया जा सकता है। क्या आपने कभी यह सोचा कि जो एक्सपर्ट कमेटी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अपना प्रश्न पूछिये।

श्री राजो सिंह : आपने इस बारे में विचार क्यों नहीं किया और विचार नहीं किया तो क्या अभी भी फिर से विचार करके या वहां के लोगों की, किसानों की सुविधा के लिए उसे चालू करना चाहते हैं?

कुंवर अखिलेश सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गोरखपुर खाद कारखाने के लिए केबिनेट ने निर्णय लिया था, सात मंत्रियों का एक समूह गठित हुआ था, जो अपनी एक रिपोर्ट देगा। क्या उस सात मंत्रियों के समूह ने अब तक कोई बैठक की और निर्णय लिया है कि नहीं लिया? यदि निर्णय लिया है तो कृपया इससे अवगत करायें।

अध्यक्ष महोदय : उनमें से एक मंत्री तो स्पीकर बने हैं। आप केवल प्रश्न पूछिये।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सिंदरी का फर्टिलाइजर कारखाना हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के जमाने में लगा था, जब श्री श्यामा प्रसाद मुकर्जी उद्योग मंत्री हुआ करते थे। उस जमाने में लगी हुई वह फैक्टरी आज भी लाभ में है। अभी हम लोगों को यह जानकारी मिल रही है, जबकि उसे बन्द करने की बात चल रही है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा इसे बन्द करने की व्यवस्था की जा रही है, जबकि वह फैक्टरी अब भी प्राफिट में है। इससे वहां के लोग आक्रोशित हैं। इसका निराकरण कैसे होगा? यही मेरा प्रश्न है।

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि बिहार के रोहतास जिले के अमझोर में पाइराइट्स का जो एकक है, खाद कारखाना है, जिसे पी.पी.सी.एल. कहा जाता है, अगर वहां से चार हजार टन भी प्रतिदिन पाइराइट गन्धकीय अयस्यक निकाला जाये तो 100 साल का पाइराइट का भण्डार उसमें दबा हुआ है? उसे बंद करने के लिए आपने क्यों डिसीजन लिया है, उसमें आप वी.आर.एस. भी लगा दिये हैं...*(व्यवधान)* पी.पी.सी.एल. से संबंधित चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन उसके ऊपर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहती हूं, क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई उर्वरक इकाई नहीं है, परन्तु मैं सामान्य रूप से सम्पूर्ण देश के हित में बोलना चाहती हूं।

[हिन्दी]

मैं मंत्री जी से यह क्वश्चन करना चाहती हूं कि आपने कभी ध्यान दिया है, आप भी इण्डस्ट्री मिनिस्टर थे, आपका वर्कर्स के बारे में हमने फैसला देखा कि आपने पब्लिक सैक्टर को बचाने के लिए कैसे आपने उस टाइम में खुद इण्टरैस्ट लिया था। हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर की हर कम्पनी बंद हो जाएगी, चाहे वह बरौनी हो, चाहे दुर्गापुर हो, चाहे हल्दिया हो।

चाहे सिंदरी हो, चाहे खड़गपुर हो, अभी जो हिन्दुस्तान

की घरेलू मार्केट है, गैट एग्रीमेंट के बाद इकोनोमिक रिफार्म्स के बाद खत्म हो रही है। मैं आर्थिक सुधारों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसके नाम पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था न करके विनिवेश के नाम पर सरकारी उद्योगों और उपक्रमों को बेचा जा रहा है, इससे घरेलू उद्योग खत्म होने जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, आप केवल प्रश्न पूछें।

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने जो बात कही है, वह बहुत गम्भीर है। हिन्दुस्तान का पूरा मार्केट चीन ने कैप्चर कर लिया है। नेपाल और भूटान का भी सारा मार्केट चीन ने कैप्चर कर लिया है, यहां तक कि बंगलादेश का मार्केट भी उसने हथिया लिया है। हमारे घरेलू उद्योग को प्रोटेक्शन देना चाहिए। फर्टिलाइज़र जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उसके अलावा एन.टी.सी. और जूट इंडस्ट्रीज सब बंद कर दी जाएंगी तो हमारा घरेलू उद्योग कहां जाएगा। इसलिए मैं जानना चाहती हूं।

[अनुवाद]

क्या मंत्री जी हमारे देश के लोगों और घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा हेतु निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा विनिवेश नीति की समीक्षा करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : राम विलास पासवान जी, आपको मालूम हो कि स्पेशल केस में केवल प्रश्न पूछने की इजाजत मैं दे रहा हूं इसलिए आप केवल प्रश्न ही पूछिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न पूछने से पहले केवल दो वाक्य कहना चाहूंगा। बरौनी और सिंदरी के कारखानों को बंद किए जाने का विरोध करने पर मैं जेल भी गया था। इस संबंध में हमारी लोक जनशक्ति पार्टी के सैकड़ों कार्यकताओं को भी जेल में बंद किया गया था। यहां पर रघुवंश बाबू मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बिहार सरकार को वे कहें कि जनता के हित के लिए ऐसा काम न करें।

डा. रघुवंश प्रसाद (वैशाली) : यह मामला भारत सरकार का है। आप उसको कहें।

श्री राम विलास पासवान : रेल रोको कार्यक्रम के कारण हमारे शांतिप्रिय कार्यकताओं पर बिहार सरकार ने मुकदमा दर्ज किया है। यह राज्य सरकार का मामला है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वहां की सरकार को कहें कि इसे वापस लेना चाहिए। बिहार में अलग झारखंड राज्य बनने के बाद वहां कोई कारखाना नहीं बचा है। सारे के सारे कारखाने बंद हो गए हैं। न कोई चीनी मिल है और न कोई अन्य कारखाना है। एक बरौनी फर्टिलाइजर और बरौनी थर्मल पावर प्लांट बचा है, दूसरा सिंदरी का कारखाना बचा है, जो झारखंड में है। इनको भी सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया है। इसके कारण वहां की जनता में काफी आक्रोश है। यह कोई पार्टी का मामला नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे राजद हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो। सब इस बात से एकमत हैं कि ये कारखाने बंद नहीं होने चाहिए। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि विनिवेश के नाम पर जो सोशनल कंसेप्ट जो वेलफेयर कंसेप्ट है वह दूर न हो जाए। आप नारे लगाते हैं बेरोजगारी दूर करने के और इस तरह के काम करके बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं।

ढींडसा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत बुरी बात है। लोग अपना वर्डिक्ट देकर बता रहे हैं कि देश किधर जा रहा है। अध्यक्ष जी, आप भी चेयर पर नहीं होते, तो आप भी इसके बारे में देखते हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार को आप निर्देश दें कि बरौनी और सिंदरी के कारखानों को बंद करने का जो निर्णय लिया है, उसको सुधारने का काम करे। लोगों का रोजगार छीनने का काम सरकार न करे, नहीं तो देश में नए उग्रवाद को पैदा करने का काम आप करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अंतिम प्रश्न है। इसके पश्चात मंत्री जी उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : सत्ता पक्ष के सदस्यों सहित यहां हरेक इस निर्णय के बारे में बहुत चिंचित है जिसके

गम्भीर परिणाम होंगे। अतः मेरा कहना है। कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी। प्रधान मंत्री को आने दो, घोषणा करने दो कि इसे लागू नहीं होने देंगे।...*(व्यवधान)* उन्हें आने दीजिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : देश की आबादी के हिसाब से दसवां हिस्सा बिहार का है। अभी जो झारखंड राज्य बना, तो उससे पहले पूरे बिहार में बरौनी और सिंदरी दो फर्टिलाइजर के कारखाने थे। दोनों उस इलाके के लोगों की नीड्स को पूरा करते थे। हम लोगों को नहीं मालूम कि क्यों सरकार ने दोनों फर्टिलाइजर्स कंपनियों को बंद करने का निर्णय लिया और क्यों बंद करके उस प्रदेश में वह आतंक का वातावरण बनाना चाहती है ताकि प्रदेश में लोग उपद्रव करें और लोग सड़कों पर आएं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : जो परिस्थिति है, हम वही बता रहे हैं। राम विलास पासवान जी, जब उधर रहते हैं तो इन सब बातों को भूल जाते हैं और जब इधर आते हैं तो उन्हें सब याद आ जाता है।...*(व्यवधान)* हम कह रहे हैं कि हम इसका मुकाबला करेंगे, हम विरोध करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : वे नहीं मानेंगे तब?...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : नहीं मानेंगे तब हम भी आप जैसे ही इधर आ जाएंगे।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर यह सरकार डिसइंवेस्टमेंट करके सभी चीजों को बेचना चाहती है, तो महोदय, ये पार्लियामेंट को कब बेचेंगे,...*(व्यवधान)* इस देश को कब बेचेंगे, यह भी घोषणा कर दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप बोलिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप समझने की कोशिश कीजिए। विषय महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने सात सदस्यों को प्रश्न पूछने की इजाजत दी। मैं सभी को इजाजत नहीं दे सकता हूं क्योंकि इसके बाद जीरो ऑवर के लिए थोड़ा समय रह जाएगा।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : महोदय, जहां खानों से 30,000 मीट्रिक टन यूरिया पैदा होता था, वहां के किसानों को उसी मूल्य पर 3,30,000 मीट्रिक टन खाद कहां से उपलब्ध करेंगे? इससे पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है।...*(व्यवधान)* इन मिलों को पुनः चालू किया जाए नहीं तो संसद मार्ग तक हम लोग मार्च करेंगे।...*(व्यवधान)* यह कोई मामूली सवाल नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिए, फिर आज जीरो ऑवर नहीं हो सकेगा। आप लोग चाहे तो इसी पर चर्चा करिए।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जनता समझ नहीं रही है कि डिसइंवेस्टमेंट क्या है? इसीलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, इस मंत्रालय का नाम राष्ट्रीय सम्पत्ति बेचो मंत्रालय होना चाहिए ताकि जनता में कंफ्यूजन नहीं हो।...*(व्यवधान)* जनता को गुमराह किया जा रहा है ...*(व्यवधान)* इस मंत्रालय का नाम राष्ट्रीय सम्पत्ति बेचो मंत्रालय होना चाहिए ताकि जनता को समझ में आ जाए कि कैसे देश को बेचा जा रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं, आप बैठते नहीं हैं। देखिए, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसा सदन चाहिए, वैसा सदन मैं चला सकता हूं। आप एक बात क्यों नहीं समझते कि इस विषय में केवल तीन स्पीकर्स बोल सकते थे। मैंने एडीशनल सात स्पीकर्स को बोलने की इजाजत दी और प्रश्न पूछने दिया। जिस विषय पर तीन सदस्यों को इजाजत देनी थी, उसके ऊपर चूंकि विषय महत्व का है, यह समझकर मैंने दस सदस्यों को प्रश्न पूछने की इजाजत दी है। उसे जरा समझिए।

(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र का मामला है।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, विषय बहुत महत्त्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : विषय बहुत महत्त्वपूर्ण है तो क्या मंत्री जी का उत्तर नहीं आएगा? देखिए, मैं एक बजे नियम के अनुसार सदन को एडजर्न कर सकता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप माननीय मंत्री से उत्तर नहीं चाहते हैं तो मैं सभा को 1 बजे स्थगित कर दूंगा और आप सब मंत्री महोदय का उत्तर नहीं सुन सकेंगे। अतः, कृपया मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, केरल में विशेष आवश्यकता है...*(व्यवधान)* वस्तुतः 8000 कर्मचारी नौकरी में हैं...*(व्यवधान)* मुझे अनुमति दी गई है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, गोरखपुर में खाद का कारखाना 10 जून, 1990 से बन्द कर दिया गया है। तीन भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों ने गोरखपुर में जाकर आश्वासन दिया था कि हम गोरखपुर के कारखाने को पुनः चलायेंगे, लेकिन सरकार ने उस कारखाने को बन्द करने का निर्णय ले लिया है और वहां के सभी कर्मचारियों को...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय जो कह रहे हैं उसको छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। अब, मंत्री महोदय बोलें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक मामला महत्त्वपूर्ण है और यह प्रत्येक सदस्य के लिए महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : मैं उत्तर दे रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कालिंग एटेंशन प्रस्ताव का बहुत डिटेल में जवाब दिया है। मैं माननीय सदस्यों के जजबात की बहुत कदर करता हूं। यह ठीक है कि स्व. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को शुरू किया था, जो एक नया तजुर्बा था, जो काफी हद तक कामयाब हुआ, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इनकी हालत ऐसी हो गई कि वे सभी लास में जाने शुरू हो गए।...*(व्यवधान)* प्राफिट में लाने की बात कह रहा हूं, आप मेरी बात सुन लीजिए।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, क्या वे इन सरकारी उपक्रमों को शुरू करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करने के लिए अधिकृत हैं? ये क्या कहना चाहते हैं? वे सब घोटाले कर रहे हैं और सभी उद्योगों को बेच रहे हैं तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति इसके लिए जिम्मेदार है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : यह उनकी पॉलिसी थी, यही तो मैं कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : महोदय, वैसे मैं कभी नहीं बोलता हूं। देश के उपक्रमों को आप बेच दें और देश चुपचाप सुनता रहे। मैं नियमों का पालन करना जानता हूं। सारी दुनिया यह मानती है कि कृषि के मामले में देश आत्म-निर्भर होना

चाहिए, फिर क्यों देश के खाद के कारखानों को बन्द किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हम खाद दुनिया से मंगवाकर देंगे। देश को बेचने का काम रोज–रोज किया जा रहा है और सारा देश चुप है।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : महोदय, मैं चन्द्रशेखर जी का आदर करता हूं...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : मैं भी उनका आदर करता हूं, लेकिन देश को बेचने वालों का आदर नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : अध्यक्ष महोदय, 8000 कामगारों को बिना किसी गलती के काम से निकाला गया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठिए।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : महोदय, अगर जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, तो इनकी इच्छा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जवाब दीजिए, सभी सुनेंगे। मंत्री जी आप इधर देखिए और उत्तर दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी से उत्तर चाहते हैं, तो बैठ जाइए। आपने कहा, मंत्री जी ने सुना। अब आप क्यों बोल रहे हैं। मंत्री जी बोलेंगे, आप नहीं सुनेंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि उनको क्या बोलना चाहिए। आप एक वरिष्ट सदस्य हैं।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : हम मंत्री जी का जवाब सुनना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। आपको यदि मंत्री जी का उत्तर पसंद नहीं है तो आप किसी दूसरे रास्ते से यह प्रश्न सदन में उपस्थित कर सकते हैं। अगर आप मंत्री जी का उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं सदन का समय नहीं लूंगा। मैं सोचता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतने लोगों को बोलने की इजाजत देने के बाद मुझे मंत्री जी को बोलने की परमीशन देनी ही चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, हमने खुद ही सिफारिश की है, हम इस कमेटी के चेयरमैन हैं। हम सिर्फ एक ही बात पूछना चाहते हैं कि इन कारखानों को आप चलाना चाहते हैं या नहीं?...*(व्यवधान)* बस इतना बता दीजिए। अगर नहीं चलाना चाहते हैं तो...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आपसे मेरी विनती है कि आप मेरी तरफ देखकर बोलिए।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : अध्यक्ष महोदय, एक फैसला हुआ है, पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि यह फैसला क्यों हुआ।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : हम समस्या के बारे में जानना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि वे गये थे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : मैंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि 1992 से ये लॉसेस में चले गए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : केवल मंत्री जी जो बोल रहे हैं वही रिकार्ड में जाएगा, दूसरी कोई बात नहीं जाएगी।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आपको उस तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आप मेरी तरफ देखकर उत्तर दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी तरफ देखिए और उत्तर दीजिए। आपको हमेशा अध्यक्षपीठ को संबोधित करना है।

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : ऐसे किसी को मेरी बात समझ में नहीं आएगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन रहा हूं, मुझे सब समझ आ रहा है।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : महोदय, हम मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं इसलिए हम सदन से वाकआउट करते हैं।

अपराह्न 1.03 बजे

(तत्पश्चात श्री मुलायम सिंह यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आप सभा का मत जान सकते हैं। इसे एक दैनिन्दनी मामला नहीं समझा जाना चाहिए। आपने इस मामले के राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिए महत्त्व के कारण सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया है।...*(व्यवधान)* अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह आपकी अनुमति से प्रधानमंत्री महोदय से जाकर विचार विमर्श करें तथा प्रधानमंत्री महोदय से सदन में आकर सुस्पष्ट उत्तर देने को कहें। समस्त सभा इस पर चिंचित है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कृपया अपना उत्तर जारी रखिए। आप सरकार की तरफ से उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप प्रधान मंत्री को सभा की भावना से अवगत कराएं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : आज डिसइनवेस्टमेंट पालिसी पर कोई बहस नहीं हो रही है, अगर इस पर ये बहस करना चाहें तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से अर्ज कर सकता हूं।...*(व्यवधान)* ये जो दो कम्पनियों की बात है, इनकी क्या पोजीशन है और क्यों बंद करने का निर्णय किया गया, मैं इनके प्रश्नों का बड़े डिटेल में जवाब देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप डिटेल में जवाब मत दीजिए, संक्षेप में दीजिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आप जवाब दीजिए कि आप इसे रिवाइव करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : जब आप बोलने नहीं देंगे, तो मैं कैसे जवाब दूंगा।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई, उत्तर-पूर्व) : अध्यक्ष जी, मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं लेकिन ये सुनना नहीं चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप सीधा जवाब क्यों नहीं देते हैं।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ : हम इतिहास जानते हैं; हम उत्तर जानना चाहते हैं कि क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी अथवा नहीं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : अभी जो पोजीशन है मैं वही तो बताऊंगा।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, आप तो खुद हैवी–इंडस्ट्री मिनिस्टर थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान जी आप भी मंत्री रहे हैं। आप जानते हैं कि जब मंत्री जवाब दे रहे हैं तो आपको व्यवधान नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : मैं दो–तीन एप्रीहैंसन हैं, वही मैं बताना चाहता हूं। एक यह है कि किसानों को यूरिया

मिलना चाहिए। उसमें मैंने कहा है कि इस संबंध में मुल्क के किसी भी हिस्से में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। ...*(व्यवधान)* दूसरा, आज ग्लोबलाइजेशन और कंप्टीशन का युग है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो बना था, उसकी रिपोर्ट भी है। अगर हम इसको सारा रिवाइव करने की कोशिश करें तो पाएंगे कि यह 13 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन से यह कम नहीं बनेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया सभा में शांति बनाए रखें। माननीय मंत्री को उत्तर देने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप कृपया केवल विशेष बिन्दुओं का उत्तर दें। मैं इस चर्चा को समाप्त करना चाहता हूं। कृपया उत्तर जारी रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : सीबीएमपी का क्या है?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : उसके बारे में तो सर्वे हो रहा है, टैस्ट हो रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : सर्वे हो गया है।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : हमारे पास न तो कोयला मंत्रालय और न ही ऑयल मिनिस्टरी का कोई जवाब इस संबंध में आया है। हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे। हम लांग-टर्म न्यू फर्टिलाइजर पॉलिसी ला रहे हैं। टीआरसी की रिक्मेंडेशन भी थी और आप भी जब मंत्री थे तो उसमें थे और उसे ग्रुप बेस्ड कर रहे हैं ताकि खर्चा कम हो जाए और सरकार का पैसा बचे और किसान की सब्सिडी किसान के पास रहे। इसलिए दस या साढ़े दस हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन से ज्यादा रिटेंशन प्राइस मिलेगी नहीं रिवाइव करने के बाद भी 13 हजार रुपये से ऊपर हो जाएगी तो कैसे तीन-चार हजार रुपये का घाटा पूरा होगा। यह नहीं है कि हम नये कारखाने बंद कर रहे हैं। हमारे पास थाल में आरसीएफ, हजीरा में कृभको और नैलोरा में इफ्को के प्रोजैक्ट्स हैं। जो यह कहते हैं कि कमी हो जाएगी तो ये प्रोजैक्ट्स हमारे पास हैं। एक अच्छी बात हुई है कि ईस्ट में गैस का नया प्रोजैक्ट रिलाइंस इत्यादि का आ रहा है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अब बात खुल गई कि ये रिलाइंस से तालमेल कर रहे हैं। भेद खुल गया है। गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी कारखानों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, रिलायंस- रिलायंस बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, इन्होंने एक नोटिस जारी किया है। यह घाटे में नहीं चल रही है; यह लाभ में चल रही है...*(व्यवधान)*

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : हमारी जो सबसे अच्छी पॉलिसी है वह गैस-बेस्ड है। जहां भी कोई गैस मिलेगी तो हम प्रीफरेंस ईस्ट को देंगे। नए प्रोजैक्ट आएंगे तो ईस्ट में आएंगे। जहां ऐसे कारखाने बंद हो रहे हैं, वहां फीड स्टाक के लिए गैस मिलेगा तो वहां भी इन्हें शुरू करेंगे। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि अगर नए प्रोजैक्ट आते हैं और गैस मिलती है तो हम इन एरियाज में इसे शुरू करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा समाप्त हो गई है। अब मैं 'शून्य काल' आरंभ करूंगा। श्री चन्द्रकांत खैरे बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम माननीय मंत्री के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए हम सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 1.11 बजे

(तत्पश्चात् श्री सोमनाथ चटर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : हमारी पार्टी माननीय मंत्री के उत्तर से संतुष्ट नहीं है। इसलिए हम सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं।

अपराह्न 1.11½ बजे

(तत्पश्चात् श्री शिवराज वि. पाटील तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत डिसेंट आदमी हैं। बैठिए। मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, 23 तारीख को सुबह चार बजे महाराष्ट्र में नारायण राणे जी के घर पर एनसीपी के विधायकों ने हमला किया। कनकवली में उनका घर जला दिया गया...*(व्यवधान)* उनका होटल और पेट्रोल पम्प भी जला दिया गया। यह हादसा होने से पहले कलसुली गांव में ग्राम पंचायत के इलैक्शन के बारे में झगड़ा चल रहा था जिसमें एनसीपी के कार्यकर्ता की हत्या हो गई। इसकी शिव सेना घोर निन्दा करता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : खैरे जी, आप मेरी तरफ देखकर बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बोलने की इजाजत दूंगा।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, इस घटना से इसका कोई संबंध नहीं है क्योंकि राणे जी का घर वहां से 20 किलोमीटर दूर है। जानबूझकर उनके मकान पर हमला किया गया। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह वहां का दौरा करें और स्थिति का अवलोकन करके वहां की सरकार को बर्खास्त करें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : खैरे जी, बैठिए। मोहन रावले जी, आप बोलिए। क्या आप एसोशिएट कर रहे हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले, श्री प्रकाश परांजपे और श्री किरीट सोमैया आप सब स्वयं को उनके विचारों से सम्बद्ध कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर) : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरनगर में किसानों ने धरना दिया है क्योंकि मिल मालिक किसानों को गन्ने के उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं। इससे वहां के किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं।...*(व्यवधान)* जानवर भी भूखे मर रहे हैं क्योंकि गन्ना कटेगा तो चारा मिलेगा। पूरे प्रदेश में किसानों पर अत्याचार हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी पिछले दिनों इस विषय पर चर्चा हुई है। इस विषय पर मंत्री जी का निवेदन आएगा तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा क्योंकि यह एक गम्भीर विषय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी इस विषय में निवेदन करेंगे तब मैं आपको प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा। बाकी सभी लोग बैठिए।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई, उत्तर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने स्टेटमेंट दिया था कि इस प्रकार की घटना हो सकती है। महाराष्ट्र के उप–मुख्य मंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने इस घटना का समर्थन किया।...*(व्यवधान)* लोकतंत्र में विपक्ष के नेता के घर पर इस प्रकार हमला होना घोर निन्दनीय है। हम यहां पर नेता विपक्ष का इतना सम्मान करते हैं लेकिन वहां विपक्ष के नेता का घर जला दिया गया।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई, दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, नारायण राणे जी ने इस घटना के बारे में सभापति को फोन भी किया लेकिन उन्होंने फोन उठाया नहीं। यदि वह फोन उठा लेते तो उनका घर नहीं जलाया जाता।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आदित्यनाथ जी, अब आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई, उत्तर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि जो कुछ हुआ, उसकी जिम्मेदारी एन.सी. पी. गवर्नमेंट पर है, इसलिए वह सरकार बर्खास्त की जाए ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.14 बजे

(इस समय श्री मोहन रावले आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.15 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.02 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, आज हम लोगों ने रघुनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।...*(व्यवधान)* हमारा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि पहले हम लोगों को सुन लिया जाए।...*(व्यवधान)* हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, इसलिए इस पर आप हम लोगों को अलाऊ कर दें।

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि इस विषय पर गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट हो रहा है। यह बहुत गंभीर विषय है। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर गृह मंत्री जी स्टेटमेंट दें लेकिन उनका स्टेटमेंट होने से पहले मैं कुछ बिल इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने मुझसे विनती की है। इसलिए पहले दो-तीन बिल इंट्रोड्यूस करेंगे और बाद में गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे।

अपराह्न 2.03 बजे

सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक*

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : महोदय, श्री जसवंत सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**

अपराह्न 2.3½ बजे

[अनुवाद]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : महोदय, श्री जसवंत सिंह की ओर से मैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2002 द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6044/02]

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 25.11.02 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 2.04 बजे

[अनुवाद]

(दो) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अन्तरण और निरसन) विधेयक*

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : महोदय, श्री जसवंत सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के उपक्रम (विनिर्दिष्ट उपक्रम को छोड़कर) का कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई और रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली विनिर्दिष्ट कंपनी को अंतरण करने और उसमें निहित करने का तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम का प्रशासक को अंतरण करने और उसमें निहित करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का निरसन करने का भी उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के उपक्रम (विनिर्दिष्ट उपक्रम को छोड़कर) का कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई और रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली विनिर्दिष्ट कम्पनी को अंतरण करने और उसमें निहित करने का तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम का प्रशासक को अंतरण करने और उसमें निहित करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का निरसन करने का भी उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 25.11.02 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 2.05 बजे

[अनुवाद]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अन्तरण और निरसन) अध्यादेश के बारे में विवरण

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : श्री जसवंत सिंह की ओर से मैं भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अध्यादेश, 2002 द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** सख्या एल.टी. 6045/02]

अपराह्न 2.05½ बजे

[अनुवाद]

(तीन) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के. जना कृष्णामूर्ति : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 25.11.02 में प्रकाशित।

अपराह्न 2.06 बजे

[अनुवाद]

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति) : महोदय, मैं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 2002 द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** सख्या एल.टी. 6046/02]

अपराह्न 2.07 बजे

[अनुवाद]

उप-प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य*

जम्मू में रघुनाथ मंदिर पर हमला

उप-प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा के उस पार से निर्देश पा रहे आतंकवादी ग्रुपों ने एक बार पुनः हमला किया है। इस बार जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर पर। इन आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर के लोगों की शांति के लिए अत्यधिक लालसा, जो कि इन्होंने हिंसा का बहादुरी से मुकाबला करते हुए हाल के विधान सभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करके प्रकट की थी, के प्रति एक बार पुनः अपनी विमुखता प्रकट की है। इसके साथ ही आतंकवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय राय और विभिन्न देशों, जो भारत में सीमा पार से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए नैतिक और कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करते रहे हैं, के प्रयासों की अवहेलना की है।

पिछले तीन दिनों में आतंकवादियों ने अनेक हमले किए, जिनमें से प्रमुख हैं 22 नवम्बर को पम्पोष होटल परिसर, श्रीनगर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल शिविर पर आत्मघाती हमला और 23 नवम्बर को जवाहर सुरंग के नजदीक जम्मू जा रही सेना की कानवाई पर आई.ई.डी. से हमला। इन हमलों और रघुनाथ मंदिर पर हुए वर्तमान हमले ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आतंकवादी हिंसा में यह बढ़ोतरी मात्र संयोग है कि यह हादसा ठीक उस समय हुआ जब पाकिस्तान में सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पाकिस्तान सरकार द्वारा एल.ई.टी. के प्रमुख हफीज मोहम्मद सईद को रिहा करने के बाद हिंसा में वृद्धि हुई है। उसके रिहा होने के बाद उसने जम्मू और कश्मीर में 'जेहाद' जारी रखने की शपथ ली और जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में बढ़ोतरी करने का सार्वजनिक आह्वान किया।

आतंकवादियों के संचार तंत्र का प्रबोधन करने से पता चलता है कि जम्मू में किया गया यह हमला अल मंसूरन का काम है जो लश्कर-ए-तैयबा का छद्म संगठन है।

यह घटना सार्वजनिक उपासना स्थल पर पूर्णतः निर्दोष सिविलियनों को निशाना बनाने की है। इससे पहले, इस वर्ष मार्च में भी आतंकवादियों ने मंदिर पर हमला किया था जिसमें पांच व्यक्ति मारे गए। इस हमले के लिए जिम्मेवार तीन आतंकवादियों का भी सफाया किया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार रविवार देर शाम को दो आतंकवादी, रघुनाथ मंदिर चौक जम्मू में आए। उनमें से एक जबरन मंदिर परिसर में घुस गया और उसने हथगोले फेंके जिससे इस क्षेत्र में आतंक फैल गया। लोग हड़बड़ी में इधर-उधर भागने लगे। इस स्थिति का लाभ उठाकर आतंकवादी भीड़ में शामिल होकर रघुनाथ मंदिर में घुस गया। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक कांस्टेबल द्वारा उसका सामना किए जाने पर आतंकवादी ने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और उस कार्मिक को घटना स्थल पर मार दिया तथा सिविलियनों सहित कई लोगों को हताहत कर दिया। तथापि पुजारी पवित्र मंदिर-गर्भ को बन्द करने में सफल रहे जिससे एक आतंकवादी को मंदिर-गर्भ के परिसर में शरण लेनी पड़ी। मंदिर की चौकसी में लगे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों ने मंदिर की घेराबन्दी कर दी ताकि यह आतंकवादी बचकर न जा सके। मंदिर में छुपे आतंकवादी को मार गिराने के बाद 24 नवम्बर की देर रात को रघुनाथ मंदिर में आपरेशन समाप्त हुआ।

इस बीच, दूसरे आतंकवादी ने भीड़-भाड़ में बचकर

*[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** सख्या एल.टी. 6047/02]

पंजबक्तर सड़क की तरफ भागते हुए गोलीबारी की और ग्रेनेड फेंके। यह स्थान रघुनाथ मंदिर से मात्र कुछ सौ मीटर की दूरी पर स्थित है जहां एक अन्य शिव मंदिर स्थित है जिसे रुपया वाला मंदिर कहा जाता है। जम्मू–कश्मीर पुलिस के सतर्क कर्मियों ने शिव मंदिर के दरवाजे बन्द कर दिए जिसे आतंकवादी मंदिर में नहीं घुस सका। वह आतंकवादी शिव मंदिर के पास संकरे क्षेत्र से गोलीबारी करता रहा। इस क्षेत्र को घेर लिया गया और उस आतंकवादी को आज सुबह (25 नवम्बर) मार गिराया गया।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मार्च, 2002 में रघुनाथ मंदिर पर हुए पहले आतंकवादी हमले के समय, परिसर की चौकसी एस.एस.बी. कर्मियों के 2/8 गार्ड के द्वारा की जा रही थी इसके अतिरिक्त स्थानीय पुलिस जामातलाशी आदि के लिए तैनात थी जिसे बाद में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक प्लाटून तैनात कर बदला गया था। इसे आगे, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक–एक सेक्शन मंदिर के रघुनाथ चौक और हरी मार्किट प्रवेश स्थल पर तैनात कर सुदृढ़ किया गया था। इसके अलावा, मंदिर के अन्दर और आस–पास विभिन्न जांच स्थलों पर स्थानीय पुलिस को भी तैनात किया जाता है।

24 नवम्बर के इस आतंकवादी हमले में 1 पुलिस कर्मी, के.रि.पु.ब. का एक जवान और 1 आतंकवादी सहित 12 लोग मारे गए। लगभग 52 लोग घायल हुए। आज (25 नवंबर) को शिव मंदिर घटना में एक और व्यक्ति, उप–पुलिस अधीक्षक घायल हो गए जब दूसरा आतंकवादी मारा गया।

आज (25 नवंबर) प्रातः जम्मू और कश्मीर के महामहिम राज्यपाल ने माननीय उप–मुख्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुठभेड़ स्थल और अस्पताल का दौरा किया तथा स्थिति का जायजा लिया। माननीय मुख्य मंत्री ने भी कल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ राज्य में, विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र में, सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए आगे और उपाय करने हेतु बैठक की। राज्य में आतंकवाद से लड़ने में लोगों का सहयोग मांगने के लिए माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जम्मू में प्रमुख नागरिकों की एक बैठक भी आयोजित की जा रही है।

एहतियाती उपाय के रूप में जम्मू शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

सरकार ने आज श्री आई. डी. स्वामी, राज्य मंत्री (गृह) और महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सहित एक टीम जम्मू भी भेजी है।

उपर्युक्त घटना, जम्मू और कश्मीर में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने के लिए सुविचारित इरादे का एक हिस्सा है। हमें, पूरा विश्वास है कि राज्य के लोग उन इरादों को विफल कर देंगे।

सरकार, जम्मू और कश्मीर की सरकार को आतंकवाद के विरुद्ध उसकी लड़ाई में सभी सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

मैं, सदन के सभी सदस्यों से इस घटना तथा इसके लिए उत्तरदायी लोगों की कड़ी निंदा करने तथा इस घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करने और हर रूप में सीमा पार से आतंकवाद का मुकाबला करने और उसे परास्त करने के लिए हर संभव उपाय करने के देश के संकल्प को दोहराने में मेरे साथ शामिल होने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, हमने कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष जी, हमें बोलने का मौका दीजिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, हमारा कार्यस्थगन प्रस्ताव है।...आमतौर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, आप सभी को मालूम है कि हमारी सभा में सामान्यतया ऐसे वक्तव्यों पर प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन चूंकि यह एक गंभीर मुद्दा है इसलिए मैं इसे अपनी तरह का अकेला मुद्दा नहीं कह सकता–मुझे विश्वास है कि इस मुद्दे को पूरे देश ने गंभीरता से लिया है और इसलिए, एक विशेष मामले के

तौर पर कुछ सदस्यों को इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जा सकती है।

श्री जे. एस. बराड़ (फरीदकोट) : क्या स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देने वालों को अनुमति दी जाएगी?

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देने वालों को निश्चित रूप से प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, प्रारंभ में, मैं अपने आपको गृह मंत्री महोदय द्वारा अपने सुविचारित वक्तव्य में कहे गए निंदा के शब्दों के साथ पूरी तरह से संबद्ध करता हूं। मैं गत रात्रि और आज सुबह होने वाले हमले के पीछे के उनके राजनीतिक विश्लेषण का भी समर्थन करता हूं। हम आतंकवादियों द्वारा पहुंचाई जाने वाली क्षति को कम करने के लिए हमारे सुरक्षा कार्मिकों—चाहे वो स्थानीय पुलिसकर्मी हों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हों अथवा अन्य हों—की चतुराई, शौर्य और तत्परता दिखाने के लिए बधाई देना चाहेंगे।

यह पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा जम्मू और कश्मीर के लोगों में धर्म के नाम पर फूट डालने के छद्म षड्यंत्र का एक हिस्सा है। पाकिस्तान सरकार इस पूरे दशक में इसी राह पर चलती रही है, और सबके पीछे उनका षड्यंत्र काम कर रहा है। अभी, हाल ही में उन्होंने पूजा के स्थानों पर ध्यान केंद्रित करने का विचार बनाया है। वास्तव में, वे वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं। इसकी शुरूआत कुछ वर्षों पूर्व हजरत बल पर हमले से हुई; फिर उन्होंने चरार-ए-शरीफ पर हमला किया, इसके बाद स्वयं रघुनाथ मंदिर पर, इसके बाद अक्षरधाम और फिर से रघुनाथ मंदिर पर हमला किया गया।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम, जिसके आधार पर नई सरकार का गठन अभी-अभी किया गया है, में मुफ्ती सरकार पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाले आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के साथ पूरी तरह सहयोग करने की जिम्मेदारी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर एक प्रांतीय समस्या नहीं है और न ही यह दलीय समस्या है। यह मुख्यतः और अंततः एक सर्वोच्च राष्ट्रीय समस्या है। यह एक पुराना मुद्दा है। यह अभी तक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। इसलिए, मैं गृह मंत्री महोदय की सर्वसम्मत दृष्टिकोण को स्वीकार करने के दृष्टिकोण से सहमत हूं। तथापि मैं एक बात का उल्लेख एक शिकायत के रूप में नहीं बल्कि मित्रवत पूर्व सूचना की तरह से करना चाहूंगा कि हम सब इस मुद्दे पर पक्षपातपूर्ण बहस में पड़ने का विरोध करते हैं।

कल, श्री ईश्वर दयाल स्वमी—जो कि सामान्यतः एक मृदुभाषी, नरम स्वभाव के व्यक्ति हैं, उन्हें भी यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि नई सरकार के नरम रवैये ने पहले ही अपने नकारात्मक, प्रतिकूल प्रभाव दिखाने शुरू कर दिए हैं। मेरा विचार है कि यह बहुत ही कम अवधि है। मैं जानता हूं कि भाजपा बड़बोली है। कम से कम गृह मंत्रालय को ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। काश वह यहां होते। अवश्य ही वह जम्मू के दौरे पर हैं, और मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री इस पर स्पष्टीकरण देने की कृपा करेंगे। मेरा विचार है कि हमें इस दोषारोपण के खेल में शामिल नहीं होना चाहिए। इसका सिलसिला अंतहीन चलता रहेगा। आखिर, नये चुनाव होने से बहुत पहले, नई सरकार के गठन से बहुत पहले मार्च में रघुनाथ मंदिर पर एक हमला हुआ था जैसा कि गृह मंत्री महोदय ने हमें याद दिलाया। यह हमला वहां पर पलाटून और मंदिर में काफी अन्य पुलिसकर्मियों के होने के बावजूद हुआ, क्योंकि आतंकवादियों ने घुसपैठ की रणनीति अपनाई जैसा कि वे पूरे विश्व में अपनाते हैं।

जैसा कि हमने पिछले कुछ वर्षों में भी देखा है कि पाकिस्तनी एजेंसियों ने हमेशा रमजान के दिनों में ही आतंकवादी कार्रवाई की है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, आप जानते हैं कि यह केवल स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, हमने यह भी देखा है कि पिछले तीन-चार वर्षों में सेना ने हमेशा रमजान के दिनों में शांति भंग करने का प्रयास किया है। हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने एकतरफा युद्धविराम की घोषणा करके बड़ी कृपा की थी। इसके बावजूद भी उन्होंने कभी उनकी घोषणा का सम्मान नहीं किया। वर्ष 2000 की रमजान की अवधि में पांच बड़ी घटनाएं हुईं, वर्ष 2001 में तीन बड़ी घटनाएं हुईं, और फिर इस वर्ष, वे अपनी हरकत जारी रखे हुए हैं।

महोदय, अब हमें अपनी पूरी ताकत और इच्छा शक्ति के साथ आतंकवाद से लड़ते समय एक तरफ आतंकवादियों,

क्रूर आतंकवादियों तथा इसी प्रकार के बुरे कामों में लिप्त कठोर अपराधियों तथा जम्मू और कश्मीर के भटके हुए युवकों तथा साथ ही इन भटके हुए युवकों के नेताओं के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। जब तक हम यह अंतर नहीं करेंगे तो हम अपने दृष्टिकोण में भ्रमित होते रहेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

[अनुवाद]

महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या जम्मू और कश्मीर की नई सरकार ने केंद्रीय आसूचना एजेंसियों की अनुमति के बिना कुछ किया है?

मैं गृह मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या एकीकृत प्रयास के मार्ग में कोई व्यावहारिक बाधा उत्पन्न हुई है जो आतंकवाद से लड़ाई करते समय बढ़ने वाली है।

मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री महोदय इस मामले पर प्रकाश डालेंगे।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं कल रघुनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और इस सदन की तरफ से भी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आपके माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार की उस दृढ़ इच्छाशक्ति का क्या हुआ, जिसे उसने इसी सदन में आतंकवाद से लड़ने की बात कहकर बार–बार दोहराने का काम किया था? अभी जम्मू–कश्मीर के अंदर यह जो तात्कालिक घटना हुई है, उसने भारत सरकार और राज्य सरकार की आतंकवाद से लड़ने की जो प्रतिबद्धता थी, उसकी विफलता को रेखांकित किया है। आज जो भारत के अंदर आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, यह सीमा–पार से आयोजित आतंकवाद है। इसको मूल से समाप्त करने के लिए सरकार के अंदर जरा भी दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं है। यह सरकार आज अमेरिका की कठपुतली बनकर काम कर रही है। छः महीने तक हमारी भारतीय सेनाओं को सीमा पर जलती दोपहरी में तैनात किया गया था। इस आतंकवाद के जनक पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सरकार ने एक कदम भी आगे बढ़ने का काम नहीं किया। अमेरिका की तरफ से जब निर्देश दिया गया कि आप अपनी सेनाओं को वापस बुलाने का काम करें, तो इस सरकार ने अपनी सेनाएं वापास बुलाकर अमेरिका के दबाव में आतंकवाद के सामने घुटने टेक देने का काम किया। अक्षरधाम के मंदिर पर आक्रमण हुआ था, वह उदारवादी हिन्दुओं के मंदिर पर आक्रमण हुआ था। रघुनाथ मंदिर पर एक बार नहीं, दो बार आक्रमण हुआ है। आपके लोकतंत्र के पवित्र मंदिर इस संसद पर भी आक्रमण हो चुका है और जम्मू–कश्मीर विधान सभा पर भी आक्रमण हो चुका है।

मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? कब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवादियों को प्रश्रय देकर आए दिन हमारे देश पर हमला कराता रहेगा और कब तक आप चुपचाप मूक दर्शक बनकर इसको देखते रहेंगे? अगर अब भी समय रहते हुए आतंकवाद का समूल नाश करने की दिशा में कदम बढ़ाने का काम आपने नहीं किया, मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कदम बढ़ाने का काम नहीं किया, तो यह देश और आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आतंकवाद के जनक अमेरिका के इशारे पर आप कब तक नाचते रहेंगे और सीमा पार से आयोजित आतंकवाद के जनक पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कब आगे आएंगे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जिन लोगों ने एडजर्नमेंट मोशन दिए हैं, उनको पहले मौका दिया है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं रघुनाथ मंदिर पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले की निंदा करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : स्पेसिफिक प्रश्न पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य : कल जो आतंकवादियों द्वारा जम्मू के रघुनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण हुआ, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हमारा यही कहना है कि जब जम्मू–कश्मीर

[श्री बसुदेव आचार्य]

में चुनाव के बाद जो सरकार कोशिश कर रही है कि वहां का एक एलीनेशन है, जम्मू-कश्मीर के लोगों को हम कैसे मेन स्ट्रीम में ला सकें? जम्मू-कश्मीर को यूनाइटेड रखने की कोशिश जो कर रहे हैं, उसके फेल करने का पाकिस्तान का यह प्रयास है कि ये इस काम में कामयाब न हों। यही उनकी साजिश है और इसीलिए यह घटना घट रही है। मैं गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर की प्रांतीय सरकार को ठीक तरह से यह काम करने के लिए जो-जो मदद चाहिए, यह जो आलोचना चल रही है, कल गृह राज्य मंत्री जी ने जो बयान दिया है, इससे परिस्थिति में सुधार नहीं आएगा। लेकिन वहां की सरकार के हाथ को और मजबूत बनाने के लिए जो सरकार कदम उठा रही है, हम जानना चाहते हैं कि भारत सरकार की क्या परिकल्पना है? भारत सरकार क्या करना चाहती है? हम लोग बार-बार यह सवाल हाउस में उठाते रहे हैं कि कश्मीर के बारे में एक नीति होनी चाहिए। हम लोग प्रो-एक्टिव पॉलिसी के बारे में सुनते आ रहे हैं। लेकिन सरकार ने प्रो-एक्टिव पॉलिसी का कभी खुलासा नहीं किया। कश्मीर के बारे में हम लोग आतंकवाद के बारे में बार-बार कह रहे हैं कि वहां पर आतंकवाद हो रहा है, वहां की जनता की जो समस्या है, उसके बारे में सरकार जो-जो कदम उठाना चाहती है, वह बताए क्योंकि पिछले दिनों यह कदम नहीं उठाया गया। क्या सरकार इसके बारे में बिना देर किए सोचेगी? हम चाहते हैं कि एक ज्वाइंट एफर्ट हो, राज्य और केन्द्र सरकार का ज्वाइंट एफर्ट हो। जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की ज्यादा है। क्योंकि यह सीमा-पार से प्रायोजित आतंकवाद है। यह जिम्मेदारी निभाने के लिए क्या-क्या ठोस कदम भारत सरकार उठा रही है? यही हमारा सवाल है।

श्री जे. एस. बराड़ (फरीदकोट) : बेसिकली जो बात मेरे कलीग रेड्डी जी ने कही है, उस पर मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूं। मैं प्रासंगिक प्रश्न पूछूंगा, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी सराहना करूंगा।

श्री जे. एस. बराड़ : मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अब दस वर्ष बीत गए हैं। हम ऐसे मुद्दों पर अफसोस करके और अपना दुख जाहिर करके, कंडोलेंस करके उठ जाते हैं चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या चरार-ए-शरीफ से लेकर अमरनाथ यात्रियों पर अटैक के बाद तथा अक्षरधाम के मंदिर पर हमले के बाद अब जम्मू में इस मुकाम पर इतना बड़ा हमला हुआ कि निहत्थे लोगों की हत्या हुई। मैं एक टिप्पणी के ऊपर गृह मंत्री जी का ध्यान आकृषण करना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय सतह पर आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं?

जब हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट पर अटेक हुआ था, तो अमरीका के राष्ट्रपति, जार्ज डब्ल्यू. बुश, ने टिप्पणी दी थी। किसी ने पूछा, "क्या अब वे कार्रवाई करेंगे?" उन्होंने जवाब दिया,...* "वे अब भी कार्रवाई नहीं करेंगे।"...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं ये शब्द रिकार्ड से निकाल दूंगा। ये शब्द कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिए जाने चाहिए।

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई, उत्तर-पूर्व) : महोदय, वे शब्द कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिए जाने चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे शब्द पहले ही निकाल दिए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री जे. एस. बराड़ : यह पार्टी पाइंट का मुद्दा नहीं है, नहीं तो मैंने बोलना ही नहीं था। आपकी सरकार या हमारी सरकार का भी मुद्दा नहीं है।...*(व्यवधान)* मुद्दा यह है कि देश में रक्तपात हो रहा है। कब तक? कब तक यह बर्दाश्त किया जाएगा? अक्षरधाम के बाद यह घटना हुई है। मंदिर और मस्जिद की सिक्योरिटी के लिए क्या विशेष कदम उठाएंगे? यह मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। कल फिर देश को बांटने के लिए कोशिश होगी और देश को बांटने के लिए क्रास बार्डर टैरेरिज्म के नाम पर एक शब्द कहकर मुक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती है। एक संसद सदस्य के नाते और अपनी जिम्मेदारी का अहसास करते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की संसद पर अटैक के बाद बाहर यह इम्प्रैशन गया है कि हम मूक हैं और इतनी बड़ी दुखदायी घटना के बाद हम मूकदर्शक बने रहे और हमारे में दम नहीं है।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लादूर) : अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में दिया गया अपमानजनक शब्द कार्यवाही–वृत्तान्त का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि इससे न तो उन्हें और न ही हमें या न ही इससे कोई उद्देश्य पूरा होता है।

अध्यक्ष महोदय : आप बिल्कुल सही हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उसे निकाल दिया है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : आतंवादियों द्वारा स्थिति को अस्थिर करने, गड़बड़ी पैदा करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने की विभिन्न कोशिशों के बावजूद राज्य में चुनाव करा लिए गए हैं। लेकिन चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तथा नई सरकार के गठन के बाद भी, लगातार हमले हो रहे हैं। कल भी ग्रामीण विकास मंत्री पर हमला हुआ जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में थे और मुख्य मंत्री तथा अन्य महत्वपूर्ण मंत्रियों के स्थान से थोड़ी ही दूरी पर मंदिर पर हमला किया गया। यह मंदिर पर हमले का एकमात्र मामला नहीं है यह एक ही मंदिर पर दूसरी बार किया गया हमला है और इसकी निंदा की जानी चाहिए।

कल मंत्रियों, या मंत्रियों के आवासों और अन्य स्थानों पर भी हमला करने की योजना थी। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास आत्मघाती दस्तों द्वारा सामान्य हमलों और मंत्रियों पर किए जाने वाले हमलों के बारे में कोई आसूचना रिपोर्ट है। यदि ऐसी कोई आसूचना रिपोर्ट थी तो राज्य सरकार को किस प्रकार की सहायता देने का विचार किया गया अथवा वास्तव में, किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि राज्य में नई सरकार के गठन के बाद, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय की गृह मंत्रालय द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है अथवा नहीं? क्या इसमें कोई कमी अथवा भूल रही है, जैसा कि कल की घटना से स्पष्ट है, तो आसूचना की विफलता के लिए कौन जिम्मेदार है?

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता, दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, आपने इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। यह सच है, देश में जब कभी ऐसी परिस्थिति पैदा होती है, तो राजनीतिक रूप में और देश के हित में तथा देश की जनता के हित में देखना जरूरी है।

आज हमारे देश में आतंकवाद चल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीमा–पार से आतंकवाद एक नई अवधारणा है। उसके पास क्या नहीं है, सब कुछ है। उसके पास इक्विपमेंट्स हैं, फेक राशन कार्ड्स हैं। हमारे लोगों ने भी कभी–कभी उन्हें मदद दी है, लेकिन हमने टैरेरिज्म के लिए मदद नहीं की है। हमारे यहां आकर रिश्ते बनाकर, बाहर से रुपया लेकर, मदद लेकर वे काम करते हैं। यह बात ठीक है कि कभी किसी पोलिटीकल पार्टी को सूट करता है तो वह उसके खिलाफ बोलता है और नहीं करता है तो उसके खिलाफ नहीं बोलता। यह बात भी ठीक है कि जब ऐसा होता है तो हम सब लोग हाउस में इकट्ठे होकर बोलते हैं।

मैं अध्यक्षपीठ से अनुरोध करूंगी कि वह एक प्रस्ताव रखे जिसमें इस प्रकार के आतंकवादी हमले और पाकिस्तान के रवैये और अन्य आतंकवादी संगठनों की निन्दा करनी चाहिए जो हमारी शांति और एकता को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं।

यह बात सही है कि आपने क्लेरीफिकेशन पूछने के लिए हम लोगों को मौका दिया, लेकिन इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप का राज है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई क्रेडिबिल्टी, एकाउंटेबिल्टी, ट्रांसपिरेंसी नहीं है, लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र है, ट्रांसपिरेंसी है। आजकल वहां आत्मघाती दस्ते काम कर रहे हैं। क्या हम लोग इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और बेअंत सिंह जी को बचा सके–नहीं बचा सके। टैरेरिज्म कभी पंजाब और नार्थ–ईस्ट से शुरू हुआ तथा अब कश्मीर में फैला हुआ है। इससे पहले पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। मंदिर में अटैक होता है, इन्नोसेंट लोग मारे जाते हैं, हमारे जवान मारे जाते हैं, लेकिन हम सब भूल जाते हैं। हम एक हैं और हम एक साथ हैं। यह संदेश विश्व में जाना चाहिए। एक सन्देश विश्व में जाना चाहिए कि यदि वे पाकिस्तान को समर्थन देते हैं तो हम सहन नहीं करेंगे। दूसरे, जब तक पाकिस्तान सीमा–पार से आतंकवाद बंद नहीं करता है तो उसे संयुक्त राष्ट्र अथवा अन्य वित्तपोषण करने वाले संगठनों से कोई धनराशि नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को कोई फंड नहीं मिलना चाहिए, जो भी फंड पाकिस्तान को डेवलपमेंट के नाम से मिलता है–चाहे अमेरिका, यूनाइटेड नेशन या यूनिसेफ से मिले,

[कुमारी ममता बनर्जी]

उसे जो रुपया आता है वह उसे क्रास बार्डर टैरेरिज्म पर लगा देता है। कई सौ करोड़ रुपए आते हैं। आज वे मंदिर में गए हैं, कल गुरुद्वारे में जाएंगे और फिर गिरिजाघरों में जाएंगे। कभी सिनेमा हॉल एवं पार्लियामेंट में भी जाएंगे। हर व्यक्ति को हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। इस समय पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है तो इंटेलीजेंस सर्विस गार्ड्स को रिवाइव करना, अपडेट करना जरूरी है।

[अनुवाद]

मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार विश्व समुदाय के साथ इस मामले को उठा रही है जिसका गठन आतंकवाद से लड़ने के लिए किया गया है। भारत को विश्व समुदाय से पूछना चाहिए क्या वह पाकिस्तान की देखभाल करेगा जो भारत को अस्थिर बनाने के लिए आतंकवादियों को धन दे रहा है, हथियारों की आपूर्ति कर रहा है और प्रशिक्षण भी दे रहा है। यदि वे पाकिस्तान को नहीं रोकते तो भारत को भी चुप नहीं बैठना चाहिए।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान को एक बार दिखाना है कि अगर मरना है तो हम लोग लड़कर मरें, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे ऊपर बार-बार अटैक होंगे, डिवाइड एंड रूल करके हिन्दू-मुस्लिम को बांट देंगे, यह बात ठीक नहीं है। रमजान के महीने में कोई सच्चा मुस्लिम नहीं चाहता है कि हमारे देश में हिन्दू-मुस्लिम डिवाइड हों। हमें खुशी है कि हमारे सीपीएम के साथियों ने बोला कि 90 प्रतिशत जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यह जरूरी है, लेकिन फेक राशन कार्ड कैसे मिलते हैं। मेरा यह कहना है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए।

इसी के साथ मैं कहना चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार को भी स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए।

[अनुवाद]

गृह मंत्री महोदय, क्या आप कठोर कार्रवाई करेंगे? हम इस प्रकार के आतंकवादी हमले सहन नहीं करेंगे। यदि आवश्यकता हुई तो आपको अपनी बात पर बल देना होगा। और हमारी सरकार को दृढ़ रहना है। हम आपके साथ एक हैं। जो कुछ आपने अपने वक्तव्य में कहा है, वह प्रस्ताव का एक भाग होना चाहिए जिसे इस सदन में सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए। मुझे आशा है कि हर कोई आपका इस मामले में समर्थन करेगा।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, यह जो भीषण और नृशंस हत्याकांड हुआ है, पूरा सदन और पूरा देश इसकी निंदा करता है। हमारे जो बहादुर जवान इस कांड में शहीद हुए हैं और जो निर्दोष नागरिक, तीर्थ-यात्री मारे गए हैं उनके प्रति पूरा सदन अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सारे देश और सारे सदन ने पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे क्रॉस-बार्डर-टैररिज्म के खिलाफ लड़ने का संकल्प किया है और इस बात को दोहराया है कि पाकिस्तान में जो नयी सरकार बनी है और वहां जिस प्रकार से लश्करे-तौयबा के लोगों को बढ़ावा दिया गया और जिन्होंने भारत में होने वाले हत्याकांडों की जिम्मेदारी ली, उससे लगता है कि पाकिस्तान भारत को तोड़ने और कम्युनल राइट्स पैदा करने के लिए सब कुछ कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आज सब लोग मिलकर, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद के खिलाफ संकल्प करें तो यह इस भीषण घटना का एक उपाय हो सकता है। माननीय ममता जी ने ठीक कहा कि अमरीका जिस प्रकार से पाकिस्तान के पूरब और पश्चिम में आतंकवाद की अलग-अलग परिभाषा कर रहा है वह गलत है। पश्चिम के लिए एक परिभाषा और पूरब के लिए, कश्मीर के लिए उसकी परिभाषा दूसरी है। आज अमरीका का दोहरा चेहरा साफ हो गया है। अमरीका जो हथियार और रुपया पाकिस्तान को दे रहा है उसका दुरुपयोग वह कश्मीर के अंदर कर रहा है। चाहे वह दुरुपयोग बंगलादेश के रास्ते से करे या किसी और रास्ते से करे। कश्मीर में टैररिज्म फैलाने में उसका उपयोग हो रहा है। अगर अमरीका ईमानदार है तो अमरीका को सचमुच में उनकी हरकतों को कंडैम करना चाहिए, उन पर लगाम लगानी चाहिए।

इस समय मुफ्ती साहब की सरकार को जो मदद चाहिए वह केन्द्रीय सरकार दे रही है लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ मित्रों ने कहा और स्वामी साहब की स्टेटमेंट का जिक्र किया। इस समय किसी पर दोषारोपण की बात नहीं है लेकिन कल एक तरफ रघुनाथ मंदिर पर आक्रमण हो रहा था और

निर्दोष लोग मारे जा रहे थे लेकिन टेलीविजन पर आ रहा था कि कश्मीर में पोटो इस्तेमाल नहीं होगा। विधान-सभा में यह बयान फिर दिया जा रहा था। इस बात की क्या जरूरत थी? मेरा कहना यह है कि आज टैरेरिज्म से लड़ने की जरूरत है, पोटो से लड़ने की जरूरत नहीं है। आतंकवाद पर रोक लगाई जानी चाहिए पोटो पर नहीं। मुझे मालूम है कि किसी भी स्टेट के चीफ-मिनिस्टर को यह कहने का हक नहीं है कि वह कहे कि मैं अपने यहां किसी केन्द्रीय कानून को लागू नहीं करूंगा। हमारा कहना यह है कि कोई ऐसा मैसेज देश के बाहर नहीं जाना चाहिए जिससे आतंकवादी उत्साहित हों और हमारा सैन्यबल कमजोर हो जाए। क्या जरूरत है यह कहने की कि हम उन सारे आदमियों के खिलाफ केस चलाएंगे जो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते रहे। क्या उन पर केस चलाए जाएंगे? ह्यूमन राइट का नारा देकर हमारे जवानों के हाथ-पैर बांध देने का क्या यही टाइम है? आज जरूरत इस बात की है कि सारा देश हमारे उन जांबाजों के साथ खड़ा रहे जो आतंकवादियों से लड़ते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जितने लोग कश्मीर में काम कर रहे हैं, उनके घर वालों का क्या हाल है? वे हर वक्त कांपते रहते हैं कि कहीं कोई तार न आ जाए, कोई ऐसी चीज न आ जाए? कल 16 सीआरपीएफ के जवान और दूसरे लोग मारे गए। उनके घर वालों की जान हमेशा सांसों में अटकी रहती है कि अभी कोई तार आया, अभी कोई बयान आया। उनके पीछे भी कोई खड़ा है। हम बातचीत करना चाहते हैं। बातचीत करें, बातचीत भी करनी चाहिए परन्तु यह बातचीत का मौका नहीं है। इसलिए जो लोग यह कह रहे हैं कि कोई प्वाइंट्स स्कोर कर रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं, ऐसे में कोई मैसेज किसी तरफ से नहीं जाना चाहिए जिसका गलत असर पड़े। यहां कहा गया कि पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाते? मुझे याद है जब हम लोगों ने यह कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो अड्डे हैं, उन पर हमला कर देना चाहिए तो हमारे दोस्तों ने टेलीविजन में कहा था कि युद्ध का उन्माद फैला रहे हैं। युद्ध के लिए देश को बरबाद करने की बात हो रही है। हम यहां दो तरह की बात न करें। ऐसे मौके पर मुफ्ती सरकार को जो मदद चाहिए वह यहां आएं। मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि वह उनको बुला लें और वह आ जाएं। सारा देश मिलकर, एकजुट होकर पाकिस्तान द्वारा चलाए जो रहे घोषित युद्ध का मुकाबला करने के लिए संकल्प करें और कोई ऐसा मैसेज न दें जिसमें किसी तरह की कोई ढिलाई आए।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आतंकवादियों द्वारा निर्दोष नागरिकों की हत्या की कठोर निन्दा करता हूं और उनके परिवारजनों तक अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। जहां तक गृह मंत्री के बयान की बात है, वह ऐसे कई बयान दे चुके हैं। उन्होंने जब सदन का सहयोग मांगा, हर दल ने दलगत भावना से ऊपर उठकर सरकार का समर्थन किया और आज भी मैं समर्थन करता हूं लेकिन अफसोस इस बात का है कि ऐसे मौके पर जहां हम लोग बैठे हैं जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां जनता सच्चाई जानना चाहती है। उन सचाइयों को जनता से छिपाना जनता से विश्वासघात करना है।

सवाल यह है कि जहां से आपने अपना बयान शुरू किया कि इन घटनाओं को अंतर्राष्ट्रीय समूह हेय दृष्टि से देख रहा है, इससे हम सहमत नहीं हैं। इस बात को निकाल देना चाहिए। आप शुरू से अंतर्राष्ट्रीय समूह के बल पर आतंकवादियों से लड़ना चाहते हैं। हमें इस बात पर आपत्ति रही है। आप बाद में इस बयान से भी बदले और कहा कि हम अपने बलबूते पर आतंकवादियों से लड़ेंगे। आपने इस सदन में अंतर्राष्ट्रीय समूह के बारे में कहा है कि उसने आतंक की घटनाओं को हेय दृष्टि से देखा। इसका कोई मतलब नहीं है। इसको कार्यवाही से निकाल देना चाहिए।

जहां तक अंतर्राष्ट्रीय समूह की बात है, सबसे पहले हमने सदन में और सदन के बाहर कहा था और प्रधान मंत्री जी ने स्वीकार भी किया कि हमसे भूल हुई। बात तब हुई जब संसद पर हमला हुआ। उस समय भी विपक्ष ने सहयोग और समर्थन दिया और वह आज भी दे रहा है लेकिन यह कैसे छिपा सकते हैं कि आपने भी एक आतंकवादी ग्रुप से बाकायदा गुप्त रूप से अधिकारियों को भेजकर बातचीत की, क्यों की, इसकी जानकारी विपक्ष को नहीं दी। अभी कश्मीर की सरकार ने जो फैसला किया, ध्यान रखिए आप केन्द्र में हैं और कांग्रेस जिम्मेदारी से दूर हट नहीं सकते हैं। कांग्रेस बड़ी पार्टी थी। समर्थक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए हफ्तों श्री मुफ्ती से बातचीत चलती रही। समझौते के लिए बातचीत चलती रही। उन समझौतों में क्या यह भी समझौता था कि आतंकवादियों को छोड़ा

[श्री मुलायम सिंह यादव]

जाएगा? आतंकवादियों को छोड़ा भी गया। आपने कहीं हमें विश्वास में नहीं लिया। हुर्रियत के लोगों को जब छोड़ा, उस समय केन्द्र सरकार ने क्या विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया। आज दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। इस पर आप लीपा-पोती न करें। हम इसमें आपको सहयोग देंगे, आपकी सरकार का सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। इस विषय में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो सहयोग चाहेंगे हम करेंगे लेकिन आखिर क्या वजह थी, इतने महत्वपूर्ण, इतने गम्भीर विषय पर विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया।

आपको हमेशा हम लोगों का सहयोग और समर्थन चाहिए। हम सब मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करेंगे। हम आपका सहयोग करेंगे क्योंकि जनता पीड़ित है, सीमा पर फौज खड़ी है। हम आपको नैतिक समर्थन देना चाहते हैं और देंगे। हम आतंकवादियों के खिलाफ हैं और आप जो भी कार्यवाही करेंगे, हम आपके साथ हैं लेकिन यह बात सिद्ध हो चुकी है कि इस घटना पर दोनों सरकारों की गंभीर भूल है। आप दोनों की जिम्मेदारी है कि इतनी बड़ी घटना संसद तक हो जाए, जम्मू-कश्मीर विधान सभा में हो जाए, लाल किले में हो जाए, अक्षरधाम मंदिर में हो जाए, उसके बाद भी आप बेखबर हैं। पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं और आप कहते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित है। आपको कोई तो फैसला लेना चाहिए। फिर जनता को क्यों भ्रमित कर रहे हैं, देश को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? यह सब प्रधान मंत्री और गृह मंत्री पर निर्भर है लेकिन कृपा करके आप देश को भ्रमित मत करें। जो आप करना चाहते हैं, वह देश को बताइए। देश के सम्मान से कोई चीज बड़ी नहीं है, देश की सुरक्षा और उसकी मिट्टी के आगे और कोई महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आप इस विषय में भी राजनीति करते हैं। हम राजनीति नहीं करना चाहते। आप देश के एक-एक नागरिक के सामने बार-बार यह बात स्वीकार करते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। हत्याएं बार-बार हो रही हैं, मंदिरों में हो रही हैं, संसद पर हमला हो रहा है लेकिन उसके बाद भी आपने स्थिति का मुकाबला करने के लिए इसे गम्भीरता से नहीं लिया। यह सही है कि आपने फौजों को आठ महीने तक सीमा पर लगाए रखा। बड़ी बहादुरी के नारे लगाते, फौजियों को तिलक लगाकर माला पहनाई गई और जनता ने फौज को खुशी से रवाना किया लेकिन फौजें भेजते समय विपक्ष से राय नहीं ली गई कि आप उन्हें सीमा पर भेज रहे हैं। क्या हम इस बात के लिए पीछे थे, क्या हमारे आदमी सीमा पर नहीं खड़े थे लेकिन जब फौजों की वापसी हुई तो भी किसी से कोई राय नहीं ली गई। मीटिंग बुलानी चाहिए थी। आज तक जितने भी, 32 या 35 बयान सरकार की तरफ से आ चुके हैं, वे हम पढ़ चुके हैं। क्या विपक्ष ने समर्थन और सहयोग नहीं दिया? यह देश का सवाल है, जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का सवाल नहीं। आप देश को भ्रमित न करें, दहशत पैदा मत करें। ठीक है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं लेकिन आपके बयानों ने ऐसी दहशत पैदा की है कि गांव के आदमी से लेकर दिल्ली का आदमी दहशत में है। इस सरकार ने देश को अपने बयानों के माध्यम से लोगों को दहशत में डाल दिया। जब मालूम हुआ कि संसद पर हमला होने जा रहा है, लोगों में भगदड़ मच गई और पूरे देश में दहशत हो गई। आपने 15 अगस्त किस तरह दहशत में मनाई और देश की राजधानियों में समारोह किस तरह मनाया गया। पता नहीं कब क्या हो जाए? इस तरह का प्रचार क्यों किया गया?

अध्यक्ष महोदय, आज हम कहना चाहते हैं कि देश के मामले में, चाहे प्रधान मंत्री हो या कोई और हो, हम साथ हैं। अगर हम जान की परवाह करेंगे तो न देश की सच्ची सेवा कर सकते हैं, न रक्षा कर सकते हैं। इस बात के प्रचार की क्या जरूरत थी कि लाल किले पर प्रधान मंत्री जी 15 अगस्त को भाषण करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी प्रकार पूरे देश के राज्यों की राजधानियों में दहशत हो गई। पहले किस खुशी और उल्लास से स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के लिए लोग जाते थे लेकिन इस बार दहशत की वजह से जनता नहीं मना सकी यह समस्या कैसे पैदा हुई, हम यह नहीं जानना चाहते हैं। हम जैसे लोग इस समस्या के बारे में समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस के सहयोग से बनी हुई सरकार है, उसमें मुफ्ती साहब का कुछ नहीं है। इसलिए यदि हमारी राय ली जाती तो हम एक बार यह भी कह देते कि सचमुच हममें कितने मतभेद सही, लेकिन फारुख साहब से मिलकर कुछ समझौता करना चाहिए था। इसलिए कांग्रेस इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। जहां तक जिम्मेदारी का सवाल हैं, वह दोनों तरफ से है लेकिन आप हमसे जितना भी सहयोग मांगेंगे, हमारा पूरा सहयोग है, पूरा समर्थन देते हैं और देंगे। लेकिन आप कब तक

इस तरह के बयान करते रहेंगे। हमारी प्रार्थना है कि आप अंतर्राष्ट्रीय समूह को अपने ध्यान से निकाल दीजिए। आप बयान देते हैं कि हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे, लेकिन आप फिर अंतर्राष्ट्रीय समूह की तरफ देखते हैं। हम दोहराना नहीं चाहते हैं, ममता बहन ने भी कहा कि ये कार्रवाइयां पाकिस्तान कर रहा है। आपने कहा कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधरी है। आपने विपक्ष के सारे नेताओं के सामने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत सुधरी है। अब वह अंतर्राष्ट्रीय छवि कहां है। आपने यह सारे नेताओं के सामने कहा है, आपकी अच्छी अंतर्राष्ट्रीय छवि है। हम कहते हैं अपने देश की छवि, आपकी अपनी छवि, हमारे लोगों की छवि, जनता की छवि की चिंता आपको नहीं है, लेकिन आपको अंतर्राष्ट्रीय छवि की चिंता है। जिन्होंने पाकिस्तान का कर्जा माफ कर दिया और जब आपने पाकिस्तान पर आरोप लगाया तो अमरीका ने उसका खंडन किया कि यह गलत बात है, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है और जबकि उसमें पाकिस्तान का हाथ निश्चित है। लेकिन उसका अमरीका ने खंडन किया कि इस घटना में पाकिस्तान का हाथ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप प्रश्न पूछिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय समूह की बात करते हैं। आपकी अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात दुनिया ने तभी जान ली जब आपको सुरक्षा परिषद में स्थाई मान्यता नहीं मिली और पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद में स्थाई मान्यता मिल गई। यह है आपकी छवि। हम पूछना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समूह के कौन-कौन देश आपके साथ हैं और कहां तक साथ हैं। अमरीका पर 11 सितम्बर को हुए आतंकवादी हमले में अमरीका द्वारा समर्थन मांगें बिना खुल्लमखुल्ला आपने उसे समर्थन दे दिया था। गृह मंत्री जी आपको याद होगा, हम दोहराना नहीं चाहते हैं, प्रधान मंत्री जी की बैठक में हमने कहा था कि अनावश्यक आगे बढ़कर मत चलिए। आप भी अपनी संवेदना और सहानुभूति दर्ज कीजिए, आप विरोध आमंत्रित मत कीजिए। लड़ाई कहां की है, उसे आप अपनी तरफ मत मोड़िए। आपने ऐसे बयान दे डाले, क्या ये राजनीति नहीं है। यह देश का सवाल है, आपको सावधान करने का सवाल है। इसलिए हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समूह के साथ आप कहां तक चले थे, आपको उसकी कहां तक मदद मिली थी और आगे कहां तक मदद मिलेगी और आप अपने बलबूते पर कहां तक लड़ेंगे। हम आपको सहयोग करेंगे। लेकिन आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि चाहे इधर की सरकार हो या उधर की सरकार हो, इस घटना के लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई, दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने पक्ष की तरफ से कल रघुनाथ मंदिर, शिव मंदिर और यही नहीं अभी तक जितने भी लोग आतंकवादी हिंसा में मारे गए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि सारा सदन उन्हें श्रृद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मैं समझता हूं कि यह आखिरी श्रद्धांजलि होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आतंकवाद में अभी तक 25 हजार से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आतंकवादी हिंसा में बच्चे मारे गए हैं, अमरनाथ यात्री मारे गए हैं, बॉर्डर पर जवान मारे गए हैं, हमारे लश्कर के जवान मारे गए हैं, छोटे-छोटे बच्चे, मां-बहनें सभी इसमें मारे जा रहे हैं। आखिर यह कब तक चलेगा। सबने यह मामला उठाया है। आज आतंकवाद हमारे देश में चल रहा है। गृह मंत्री जी ने इससे पहले बयान दिया था कि हम आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आर-पार की लड़ाई हमारे यहां हो रही है।...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी के साथ-साथ गृह मंत्री जी ने कहा है। मैं इतना बताना चाहता हूं कि आपने कल तक भी सुना कि 13 दिसम्बर के बाद सारे देश में जहां भी आतंकवाद चल रहा है, उसमें इतने लोग मारे जा रहे हैं। कल आपने वार्निंग दी है। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी आखिरी वार्निंग कब होगी?

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं हाउस को बताना चाहता हूं। वर्ष 1990 में जम्मू और कमशीर में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए आतंकवादियों की कुल संख्या 550 थी। उसमें फॉरेन टैररिस्ट्स की संख्या जीरो थी। आज वर्ष 2002 में 1344 आतंकवादी मारे गए हैं और इनमें 802 फॉरेन टैररिस्ट्स हैं यानी इनकी परसैंटेज 59.7 है। ये कौन लोग हैं। ये पाकिस्तानी हैं। आपने बार-बार बयान दिया है कि ये पाकिस्तानी हैं। मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप पाकिस्तान पर हमला नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, हमें पता नहीं है। लेकिन कम से कम आपने जो बयान दिया है।

अपराह्न 3.00 बजे

अभी श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी भी बोल रहे थे कि पाक अधिकृत कश्मीर में टैररिस्टों के ट्रेनिंग का कैम्प

[श्री मोहन रावले]

है, उस पर हमला कब करेंगे और करेंगे भी या नहीं? आज सारा सदन आपके साथ है। सारे सदन ने आज अपनी भावना यहां व्यक्त की है। कांग्रेस के लोगों ने की है, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने भी की है। केवल कम्युनिस्ट लोगों ने उतनी साफ–साफ नहीं की। वह कर भी नहीं सकते।...*(व्यवधान)* टैरेरिस्ट कैम्पों की अगर ऐसी ही एक्टिवटीज चलती रही तो आप उन पर हमला कब करेंगे? शिवसेना की तरफ से मैं अपनी भावना व्यक्त करता हूं। हमारा कहना है कि आतंकवाद पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, उनकी जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनकी कोई हानि नहीं हो रही है। अगर उनकी भी जनता मारी जाती रही तो उनमें भी डर पैदा होगा। आप ऐसे सुइसाइड स्कावड क्यों नहीं पैदा करते?...*(व्यवधान)*

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, हम भी तो आपसे निवेदन कर रहे हैं। आप हमें भी तो बोलने का मौका दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से घटित इन घटनाओं की कड़ी निन्दा करता हूं और मैं उप–प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के साथ अपनी पार्टी और अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। हम शोक संतप्त परिवारों के सभी सदस्यों को अपने हृदय से संवेदना देते हैं। हम अर्द्धसैनिक बलों विशेषकर उन सैनिकों की भूमिका की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने अत्यधिक विषम परिस्थितियों के बावजूद अपने कर्त्तव्य का निर्वाह कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

महोदय, हम अपराधियों के इस कृत्य को कायरता के अलावा कुछ नहीं समझते और हम इस बात से भी सहमत हैं कि दूसरी ओर यह अपराध हमारे पड़ोसियों द्वारा प्रायोजित है। यह एक और सबक कि हमें राष्ट्र के रूप में संयुक्त रूप से, एक साथ, एक होकर इस महाविपत्ति के विरुद्ध लड़ना होगा और हमें गंभीर समस्याओं का सामना करते समय अन्य लोगों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप काम करता है। इसी प्रकार अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप काम कर रहा है और उनका अपना अलग दृष्टिकोण है। अतः हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि समुद्रपार के किसी विशिष्ट देश का राष्ट्रपति क्या कर रहा है अथवा नहीं।

महोदय, दूसरी ओर जो षड्यंत्र चल रहा है, हमें उससे अपनी शक्ति और राजनीतिक दोनों के आधार पर लड़ना है। यहां जो महत्वपूर्ण है वह है इस देश के सभी लोगों को इस ढंग से इसके विरुद्ध लड़ना चाहिए जिससे न केवल उद्देश्य ही प्राप्त हो सकें बल्कि राष्ट्र का विभाजन भी न हो।

मैं माननीय उप–प्रधान मंत्री से सहमत हूं–मैं महसूस करता हूं उन्होंने ठीक ही कहा है–कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में हुए शान्तिपूर्ण चुनाव से परेशान है, इन चुनावों ने देश में हर जगह और देश से बाहर भी सभी शंकाओं को झुठला दिया है। हाल ही में जो बातें देखने में आई हैं कि धार्मिक स्थलों पर अधिकाधिक हमले किए जा रहे हैं। कारण स्पष्ट है। ऐसा साम्प्रदायिक अलगाववाद, धार्मिक अलगाववाद और धार्मिक आधारों पर इस देश के लोगों को बांटने का प्रयास करने का है। यह खतरनाक खेल की न केवल पोल खोली जाए बल्कि इससे एक होकर लड़ा जाना चाहिए। मैं प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध करता हूं–यहां तक हमारे बहुत अच्छे मित्र डा. विजय कुमार मल्होत्रा भी इससे नहीं बच सके–कि ऐसा कुछ न कहें और न ऐसा कुछ करें जिससे इस देश का संकल्प कमजोर हो। हम एक–दूसरे पर दोषारोपण न करें और अपने आपको औरों से बेहतर दिखाने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे हमारी मदद नहीं होगी। एक दूसरी पार्टी के लम्बी अवधि के शासन के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य में एक नई सरकार आई है। उस सरकार का हाल ही में गठन हुआ है। भारत सरकार ने सही नीति अपनाते हुए सभी प्रकार की सहायता देने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। इसलिए सरकार में शामिल अन्य पार्टियों के महत्वपूर्ण व्यक्ति ऐसे वक्तव्य देते हैं तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है मानो इसका पूर्ण उद्देश्य आतंकवादियों से लड़ना नहीं बल्कि ऐसा होने के तथाकथित कारणों का पता लगाना है।

जब अक्षरधाम की गम्भीर घटना हुई तो वहां पोटा था, सारे बल वहां उपलब्ध थे। तो यह घटना क्यों हुई? कुछ दिन पहले ही सरकार ने कहा कि सरकार पोटा के उपयोग पर जोर नहीं देगी। इसका अर्थ है कि पोटा के कारण ही

रघुनाथ मंदिर की घटना हुई है। इस प्रकार के आरोप अथवा वाग्युद्ध से स्थिति बिगड़ेगी और इससे उन लोगों को सहायता मिलेगी जो ये अपराध कर रहे हैं। मुझे विश्वास है माननीय गृह मंत्री भी हमसे सहमत होंगे कि जब भी आतंकवाद का प्रश्न आता है चाहे वह जम्मू और कश्मीर अथवा किसी अन्य स्थान के संदर्भ में हो, जब भी विपक्ष से परामर्श किया गया है तो हमने सरकार को पूरा सहयोग दिया है और हम सरकार के साथ हर जगह एक आवाज होकर खड़े हुए हैं?

एक सवाल जो मुझे अक्षरधाम की घटना के परिप्रेक्ष्य में परेशान कर रहा है, और जिससे मैं जानना चाहूंगा। जैसा कि श्री जयपाल रेड्डी ने ठीक ही कहा है कि इस अवधि के दौरान इन धार्मिक स्थलों को आतंकवादियों द्वारा लक्ष्य बनाया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं यह जानते हुए कि रघुनाथ मंदिर एक संवदेनशील मंदिर है क्या इन धार्मिक स्थलों की रक्षा करने के उद्देश्य से कोई विशेष सावधानी बरती गई?

अब माननीय उप–प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया है कि किस प्रकार का बल इस समय उपलब्ध है। परन्तु क्या वे समझते हैं कि यह बल पर्याप्त है? मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। उन्हें अनुभव है और उनके पास सलाह देने के लिए सलाहकार भी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पर्याप्त सुरक्षा की गई है। अब यह समझते हुए कि यह आतंकवादियों का दोहरा खेल है, क्या धार्मिक यात्रा, अन्य महत्वपूर्ण स्थानों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए अब से उचित सावधानियां बरती गई हैं, क्या उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे?

मैं आतंकवादियों के विरुद्ध सभी कार्रवाई करने के लिए अपनी पार्टी के सहयोग को दोहराता है और मैं नई सरकार के मुखिया के रूप में मुफ्ती साहब की भूमिका की प्रशंसा करता हूं कि वह लोगों के घावों को भरने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उचित प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से जो एहसासात और जज्बात डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाउस में पेश किए हैं, उनके साथ अपने आपको जोड़ता हूं। जो कुछ जम्मू के अंदर हुआ, अल्फाज के अंदर उनको कन्डैम नहीं किया जा सकता। दुनिया का कोई मजहब, कोई धर्म बेगुनाह इंसानों को मारने की तालीम नहीं देता। दुनिया का कोई मजहब इसे जस्टीफाई नहीं कर सकता, कोई धर्म इसे जस्टीफाई नहीं कर सकता, कोई आईडीयोलौजी इसे जस्टीफाई नहीं कर सकती कि मासूम बच्चों को, बेगुनाह औरतों को, बेगुनाह इंसानों को किसी मजहबी जगह के अंदर घुसकर मारा जाए। लेकिन उसके साथ–साथ मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से यह भी कहना चाहता हूं कि इस हाउस के अंदर कोई पहली बार खड़े होकर हम इजहार–ए–अफसोस नहीं कर रहे, इस सैशन के अंदर लगातार, कोई सैशन जाता होगा जब हम खड़े होकर, अल्फाज थोड़े–बहुत तब्दील जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारे एहसासात और जज्बात में कोई फर्क नहीं होता, हमारी तकलीफ के अंदर कोई फर्क नहीं होता। मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि कब तक इस हाउस की चारदीवारी में हम मजबूरन इस तरह के जज्बात इजहार करते रहेंगे, कब तक अपने एहसासात को इजहार करते रहेंगे। वे जो टैरेरिस्ट्स आए थे जिन्होंने बेगुनाह लोगों को मारा है, वे कम जिम्मेदार हैं निजबतन उन लोगों के जिन्होंने उन्हें मारने के लिए भेजा था। बार–बार कहा जाता है कि इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता। अगर बेनुल अकवामी माहौल बनाना है, अगर दुनिया के दूसरे मुमालिक को कनविंस करना है तो हम लोग वहां भी जाने के लिए तैयार हैं। दुनिया के अंदर राय आम्मा बनाने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जाए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई वाकिया जब किसी मजहबी जगह में होता है, सिर्फ वहीं नहीं होता, उसके नताइज सारे देश को भुगतने पड़ते हैं। देश के कोने–कोने में उसके नताइज भुगतने पड़ते हैं। इस मुल्क के अन्दर हिन्दू मुसलमान के बीच में इस तरीके के वाकयात से दीवार खड़ी करने की कोशिश की जाती है। इकबाल ने कहा है :

"मजहब नहीं सिखाता, आपस में वैर रखना,
हिन्दी हैं, हमवतन हैं, हिन्दोस्तां हमारा।"

यह मैं अपनी तरफ से नहीं, पूरे मुल्क की तरफ से, पूरे अवाम की तरफ से कहना चाहता हूं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं कश्मीर की गवर्नमेंट की क्रीटीसाइज नहीं करना चाहता, उसे बहुत कम वक्त मिला है, बल्कि

[श्री राशिद अलवी]

मैं सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पिछले 54 सालों में पहली बार कश्मीर के अन्दर इलेक्शन हुआ और ईमानदारी के साथ इलेक्शन हुआ, उसका क्रेडिट इस सरकार को जाता है। आपने वहां पर इलेक्शन कराया और बागडोर उनके हाथों में दी। अब यह उनकी सोच है कि किस तरीके से वे टैरेरिज्म को खत्म करना चाहते हैं।

मैं पहला सवाल सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि टैरेरिज्म कब तक चलेगा, क्या सरकार इस हाउस को बता सकती है कि इस आतंकवाद को कब तक खत्म कर पाएगी? दूसरी मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो फौज हमने सरहद पर लगाई थी और छः महीने तक लगातार सरहद पर हमारी फौज खड़ी रही। राजस्थान के अन्दर बहुत से वाकयात मुझे मालूम हैं कि हमारी फौज गर्मी के अन्दर, जब सूरज आग उगलता था, वे पेड़ों के नीचे साये के अन्दर पनाह लेने का काम करते थे। हमने सरहद पर फौज लगाई और उसे वापस ले लिया। हमने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं हमने अपने दुश्मन मुल्क को सबक सिखाने का काम किया? वह फौज लगाकर एक बार अगर हम उसे सबक सिखा देते तो शायद जो कुछ हमें जम्मू के अन्दर भुगताना पड़ रहा है, वह नहीं भुगतना पड़ता। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि तमाम पार्टीज की मीटिंग बुलाइए और कश्मीर की सरकार को बुलाकर, कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को बुलाकर उनसे तय कीजिए कि टैरेरिज्म से किस तरह हम लड़ाई लड़ सकते हैं। क्या इस तरीके की कोई प्लानिंग सरकार की है या नहीं? यही मैं सरकार से पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों के पंद्रह और नाम मिले हैं जो इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं। मैं समझ सकता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। किन्तु साथ ही इस मुद्दे की गम्भीरता को छोड़ा नहीं जाना चाहिए और इसलिए मैंने उन सदस्यों को ही बोलने की अनुमति दी है जो प्रमुख राजनीतिक दलों से हैं। अतः मेरे अनुसार यह वांछनीय नहीं है कि अनेक सदस्य बोलें। आखिर हमें माननीय मंत्री को भी सुनना है। छोटे दलों के कुछ ही नेताओं को ही छोड़ा गया है। श्री पांडियन, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह और श्री प्रभुनाथ सिंह जैसे नेताओं को बोलना है। ये तीन सदस्य बोल सकते हैं और यदि आप सभी सहमत हों तो मैं चर्चा को समाप्त कर माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिए कह सकता हूं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : महोदय, मैंने इस विषय पर नोटिस दिया है और जब मैं सुबह आपसे मिला था तो मुझे आश्वस्त किया गया था कि मुझे समय दिया जाएगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी हां, चूंकि श्री चतुर्वेदी ने नोटिस दिया है और मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें अवसर दिया जाएगा, उन्हें इस मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

बाकी सब लोग कृपया सहयोग करें, ऐसे विषय पर ज्यादा बोलने से इसका महत्व नहीं रहता।

[अनुवाद]

इस मुद्दे पर बोलने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाएगा कि वे माननीय मंत्री से ही विशिष्ट प्रश्न पूछें।

श्री पी. एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : महोदय, मैं अपनी ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी की ओर से रघुनाथ मंदिर में गत रात्रि आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले की इस भयंकर घटना की निन्दा करता हूं।

जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर केन्द्र पर हमला किया गया था तो अमेरिका के राष्ट्रपति जार्ज बुश ने कहा था कि वह बिन लादेन को ढूंढ़ निकालेंगे। बिन लादेन- का क्या हुआ? वह पाकिस्तान में जीवित है। वह समूचे विश्व में आतंकवादी घटनाएं करने की योजनाएं बना रहा है। एक दिन हम देखते हैं कि वह वहां है और अगले दिन हम देखते हैं कि वह एक वीडियो कैसेट में दिखाई दे रहे हैं जिसे अमेरिका को भेजा जा रहा है।

महोदय, बिन लादेन को पकड़ने और मारने की अमेरिका द्वारा की गई प्रतिज्ञा अब तक पूरी नहीं हुई है। पाकिस्तान जो अमेरिका का पारम्परिक मित्र है, आतंकवादियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष सैनिक युद्ध कर रहा है।

महोदय, भारत और अमेरिका के बीच कुछ मुद्दों पर सैनिक हितों का संघर्ष है। हम इराक का समर्थन करते हैं किन्तु अमेरिका इराक का समर्थन नहीं कर रहा है। वह उनका शत्रु है। जब भारत और अमेरिका के मित्र देशों के सैनिक हितों का संघर्ष है ये आतंकवादी हमले आज आम

हो गए हैं और ये हमले आतंकवादियों द्वारा किए जा रहे हैं।

अपराह्न 3.16 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

महोदय, पहलगाम और संसद जैसे अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर बड़ी संख्या में आतंकवादी हमले किए गए। मैं कहूंगा कि यह समय भारत के लिए है कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए कठोर सैनिक कदम उठाए। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के चुनाव के बाद भी वे प्रजातान्त्रिक मूल्यों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। हमने अनेक अवसरों पर इस सदन में पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री परवेज मुशर्रफ के दोहरे मानदण्डों पर वाद–विवाद किया है। हमने अपने प्रधान मंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में उनकी कलई खोली है। श्री उप–प्रधान मंत्री, आप भी उस सर्वदलीय बैठक में उपस्थित थे। सभी दलों के सभी नेताओं ने इसमें भाग लिया था।

महोदय, पाकिस्तान बदलने वाला नहीं है। वह नहीं बदलेगा। पाकिस्तान का सम्पूर्ण उद्देश्य भारत को धार्मिक और साम्प्रदायिक आधार पर विभाजित करना है क्योंकि हम बहुभाषिक, बहुजातीय और बहुधार्मिक है। इसलिए मैं भारत सरकार, प्रधान मंत्री और उप–प्रधान मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि इस समय पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ा सैन्य रुख अख्तियार करे।

महोदय, पाकिस्तान की कोई विदेश नीति नहीं है। हमारी अपनी विदेश नीति है। पाकिस्तान की विदेश नीति क्या है? उनकी विदेश नीति मात्र भारत पर आक्रमण करने की है। हमारी विदेश नीति अनाक्रमण की है। हमने किसी देश पर कभी भी आक्रमण नहीं किया है। हमने उसका क्या पारस्परिक लाभ उठाया। महोदय, हम पंचशील की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। हमने उस नीति को नहीं छोड़ा है। इसलिए हम भारत के विरुद्ध होने वाले प्रत्येक आतंकवादी हमले के पाकिस्तानी दृष्टिकोण को क्षमा नहीं कर सकते हैं। हम पाकिस्तान को क्षमा नहीं कर सकते हैं।

महोदय, पाकिस्तान ने 25 या 30 साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से एफ–16 विमान खरीदे थे। क्या आपके कहने का मतलब यह है कि पारम्परिक मित्र–संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान स्वयं को अलग कर रहे हैं? क्या अमेरिका पाकिस्तान के विरुद्ध भारत की सहायता करेगा? यही प्रश्न विचारार्थ है।

महोदय, जॉर्ज बुश ने हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन बुलाया था। उस समय, संयुक्त राज्य ने अपने हितों को सुरक्षित रखा। उसने किसी भी विश्व हित के विषय पर बात नहीं की। नाटो देशों ने अपनी रक्षा संधि पर चर्चा की।

इस तरह यह सही समय है जब सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत की एकता और प्रभुसत्ता को बनाए रखना होगा और कठोर रुख अपनाकर भारत के लोगों को नृशंस पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों से बचाना होगा जिससे विश्व स्तर पर उसका पर्दाफाश किया जा सके। पाकिस्तान विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए मंदिरों पर हमले कर रहा है। प्रत्येक हमले से वे विश्व का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जब उन्होंने संसद पर हमला किया तो उन्होंने सम्पूर्ण विश्व का ध्यान आकृष्ट किया कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया।

कल का रघुनाथ मंदिर पर हमला विश्व का ध्यान आकृष्ट करने के लिए किया था क्योंकि विश्व में सब जानते हैं कि भारतीय नागरिक मंदिरों का संरक्षण कर रहे हैं। वे मंदिर जाते हैं, गिरिजाघर जाते हैं और मस्जिद जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने उस भावुकता को हाथ में लिया है। इस भावुकता को नष्ट करने के लिए विभिन्न समुदायों विशेषकर हिन्दुओं और मुस्लिमों में फूट डालने और राष्ट्र को बांटने के लिए पाकिस्तानी एजेंटों ने भारत में आतंकवादी हमले किए हैं।

भारत में रहकर कार्य कर रहे आई.एस.आई. एजेंटों के बारे में हमने अनेक अवसरों पर चर्चा की है। भारत में कार्य कर रहे सभी आई.एस.आई एजेंटों को रोकने में हम नाकाम रहे हैं। इस सदन में सीमा–पार से चलाए जा रहे आतंकवाद पर अनेक बार चर्चाएं हुई थीं, जिस पर नियंत्रण पाने में हम असफल रहे हैं। यहां तक कि हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी पुनः प्राप्त करने में विफल रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी आई.एस.आई. एजेंट कार्य कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें सरकार के हाथ मजबूत करने चाहिए। हमें केन्द्र सरकार के हाथ मजबूत करने चाहिए क्योंकि केन्द्र सरकार ही वह सरकार है जो कि राष्ट्र की प्रभुसत्ता और एकता की रक्षा करती है।

[श्री पी. एच. पांडियन]

मैं यह कहना चाहूंगा कि जम्मू–कश्मीर के मुख्य मंत्री ने कहा है कि वह पोटा का प्रयोग नहीं करेंगे। मेरे विचार से पोटा केवल आतंकवादियों के विरुद्ध उपयोग करने के लिए इस सदन में पारित किया गया था। पोटा और किसके लिए है? जम्मू–कश्मीर समस्या और सीमा–पार से चलाए जा रहे आतंकवाद को ध्यान रखते हुए ही हमने पोटा पारित किया था। जम्मू और कश्मीर सरकार ने कहा है कि वे पोटा का प्रयोग नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री पी. एच. पांडियन : मैं अब अपनी बात समाप्त करूंगा। इसलिए मैं सरकार से कड़ी से कड़ी सैन्य कार्रवाई करने का अनुरोध करूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। वे आते हैं, आक्रमण करते हैं और चले जाते हैं। भारत में घुसपैठ हो रही है। हमने पाकिस्तान में एक इंच भी घुसपैठ नहीं की है। हमने चीन में एक इंच भी घुसपैठ नहीं की है। हम किसी भी देश में घुसपैठ नहीं कर रहे हैं। परन्तु उन देशों को यह लगता है कि हम नरम दृष्टिकोण रखते हैं। हमारी वास्तविक लोकतांत्रिक सरकार है। जबकि पाकिस्तान में छद्म लोकतांत्रिक सरकार है। उनका प्रधान मंत्री हमारे प्रधान मंत्री के बराबर नहीं हो सकता है। हमारा प्रधान मंत्री जनमत से चुना जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री पी. एच. पांडियन : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। किसी आतंकवादी हमले के बारे में पाकिस्तान की भर्त्सना करना और उसका उल्लेख करने का यह अंतिम विचार–विमर्श होगा। जब मैं आतंकवादियों द्वारा लोगों पर किए हमले पर दुःख प्रकट कर रहा हूं ठीक उसी समय हम सरकार से यह सुनिश्चित करने की कि भविष्य में आतंकवादियों द्वारा भारत में ऐसे हमलों की पुनरावृत्ति को रोकने का अनुरोध करते हैं।

आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी सोच से ही नियंत्रित किए जा सकते हैं। हीरा हीरे से ही काटा जा सकता है। इस प्रकार हमें पाकिस्तान को नियंत्रित करने के लिए हमें भी अपनी आतंकवादी सोच विकसित करनी चाहिए।

[हिन्दी]

चौ. तालिब हुसैन (जम्मू) : जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, शायरे मशरिक अल्लाम इकबाल ने कहा था–"सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक शिवाला इस देश में बना दें।" जब–जब भी इस देश में धरती सूनी पड़ती है, मुसीबतों का आन गिरता है, तकलीफ में मुबतला होता है, अलमियों दो–चार होता है, खौफनाक मसादुम होता है, तशदुद् होते हैं, तो उस हाल के लिए शायरे मशरिक ने कहा था कि हम इस देश के अन्दर एक नया शिवाला बनाएंगे, इबादत गाहें बनाएंगे, जहां पर प्यार और मोहब्बत की दर्स दी जाएगी। रियासत जम्मू–काश्मीर के आवाम बिला कौम–व–किल्लत और रंग–व–नस्ल के इस फलसफे के आदी रहे हैं कि उन्होंने भाईचारे, इत्तहाद और देश की अखंडता व सलामती के लिए हमें कुर्बानियां दी हैं और इकट्ठे रहे हैं। इस बात से किसी को इन्कार नहीं हो सकता है। लेकिन इबातदगाहों पर अजानें और रघुनाथ मंदिर के मीते–माठे मंत्र व मंदिर की घंटियों से, वे लोग जो दुश्मन के भेजे हुए हैं, उनको यह पसन्द नहीं हो सकता है। इन लोगों ने हमारे भाईचारे को नब्र्द आजमा करने के लिए, हमारे सब्र–व–तहम्मुल की अजमाइश के लिए, हमारे इत्तेहाद को तोड़ने के लिए बेशुमार हर्बे इस्तेमाल किए। यह उसी सिलसिले की कड़ी है, जो कल वाक्या हुई, कल रोहनुमा हुई। हम समझते हैं कि यह आखिरी कड़ी होनी चाहिए। खुदा करे यह आखिरी वाक्या हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। हालत गवाह देते हैं, तजुर्बाशाहित, कि हमारी रियासत और जम्मू–काश्मीर पिछले 12 वर्षों से आतंकवाद की जबरदस्त शिकार हैं। वहां हिन्दू और मुसलमान भाईचारे की जिन्दगी बसर करना चाहते हैं, पीसफुल को–एग्जिसटेंस चाहते हैं, युनिटी चाहते हैं, देश की सलामती चाहते हैं और अखंडता चाहते हैं, लेकिन दुश्मन इस चीज को पसन्द नहीं करता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हमें किस रास्ते पर, किस डगर पर चलना होगा। बहुत सारी बातें इस एवान में कही गई हैं। जब कभी भी ऐसे मसायल उभरे, जहां हिन्दू और मुसलमान के दर्मियान फिरकेवाराना और भाईचारे को ज़द पहुंचाने की बातें हुईं, तो यह बरमला कहा गया, बाजे तौर पर कहा गया कि वहां हिन्दू अक्सरियत में हैं। इसमें दो राय नहीं है। दुनिया जानती है और हमारा फलसफा भी यही कहता है, संस्कृति भी यही कहती है और मुसलमान भी एक सैक्युलर नीयती से सारे देश के अन्दर चल रहा

है दिलखसूस, जहां लोगों पर इसका सबसे बड़ा जख्म लगा हुआ है, जिनका जिस्म पारा-पारा हो चुका है, जहां इन्सानों को एक थोड़ा-सा तहम्मुल, बुर्दबारी और इन्सानी दर्द और हमदर्द की जरूरत है, वह रियासत जम्मू व कश्मीर है।

जनाब, हम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। यहां पिछले जितने वाक्या रोहनुमा हुए, चाहे डोडा के अन्दर आतंकवादी कारकर्दगी हुई या जम्मू के अन्दर या वैली के अन्दर थोड़े-थोड़े कशां-कशां वहां पहुंचे, हम समझते हैं कि हमारा कोई मदावा करे, हमारा कोई मसीहा हो, कोई सुनने वाला हो। हम यह चाहते हैं कि हमारी आवाज सुनी जाए। हम यहां पार्लियामेंट में हैं, मेरा तजुर्बा है, मुख्तसर से अर्से का, कभी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई कि आखिर इस बीमारी का हल क्या है। हम वहां के नुमाइन्दे हैं, कोई भी हुकूमत हो, बाजे तौर पर यह बताए कि इस बीमारी का हल क्या है। गर्जेकि यह न होने की वजह से आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है। इसका कहीं-न-कहीं एंड होना चाहिए। हम अगर आग लगने पर गड्ढा खोदेंगे, तो बोतल से निकला हुआ जो भूत है, उस भूत को हम दोबारा बोतल में डालना हमारे बस की बात नहीं है या हमारे बस की बात हो, तो ज्यादा समय लगे।

मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने हस्बे साबिक तजुर्बे के मुताबिक यहां से जम्मू-काश्मीर के आवाम को और मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को तथा वहां की लेजिलेटिव्स को भी कांफिडेंस में लें। काश्मीर की महफिलें, सभा बुलाएं, जहां दिल खोलकर चर्चा हो कि हम इससे कैसे मुकाबला कर सकते हैं।

महोदय, कितनी दुखदायी बात है कि जम्मू में तीसरी-चौथी बार हमला हुआ और लोगों की कीमती जानें जाया हुईं। उनके साथ मैं भी कंडोलेंस करता हूं, लेकिन क्या हमारा कंडोलेंस कर देना काफी है। उन लोगों के सब्र, तामुल, बुर्दबारी और उनकी खलुस नीति की इंतहा है कि जम्मू सूबे का अक्सरयती तबका, जो हिन्दुओं पर मुख्तमिल है, जो हमदर्द और मुसलमानों से प्यार करने वाला है तथा पीसफुल एगजिस्टेंस चाहता है, लेकिन दुश्मन ऐसा नहीं चाहता, वह बेवकूफ है, वह समझता है कि हम इस किस्म का कारनामा करने से दुनिया में हिन्दुस्तान को बदनाम करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि वह वहां के मुसलमानों का कातिल और उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसा कब तक होता रहेगा।

महोदय, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहता हूं, इस सवाल के बारे में पूछना चाहता हूं कि हम क्या करें। आप कुछ इस्तिमा एवं नुमाइंदे बुलाएं और उनके साथ सिर जोड़कर बैठें। जरूरी नहीं कि यहां बहुत सारे अफलातून हों। ऐसा भी है कि दूरदराज के जो लोग ऐसी घटनाओं से गुजर रहे हैं, अपने जिस्मों पर दर्द सह रहे हैं, उन्हें इन चीजों का तजुर्बा हो, वहां के नुमाइंदों को हो। वहां के साबका हुकूमत का तजुर्बा हो, जो छः साल से जंग के खिलाफ मुसलसल लड़ती रही, वहां की मौजूदा हुकूमत के लोगों को बुलाकर उनके साथ मशविरा कीजिए। आखिरकार हम अपने इत्तिहाद की मुसीबतों के लिए क्या कदम उठा सकते हैं और हम आतंकवाद को रोकने के लिए क्या एकदामात कर सकते हैं।...*(व्यवधान)* यह इनफिलट्रेशन बंद नहीं होती, सुनने में आता है कि यह कम हो रही है और शायद किसी हद तक सही भी है। मैं भी बार्डर एरिया में रहता हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे कम करना ही काफी नहीं, बल्कि इसे सिरे से रोकने की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह इनफिलट्रेशन बंद होगा और अगर बंद होगा तो कब तक होगा?

چودھری طالب حسین (جموں): جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، شاعرِ مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ:

سونی پڑی ہے مدت سے دل کی بستی
آ ایک شوالہ اس دیش میں بنا دیں

جب جب بھی اس ملک کی دھرتی سونی پڑتی ہے، مصیبتوں کا پہاڑ آن گرتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، المیوں میں دوچار ہوتا ہے، خوفناک تصادم ہوتا ہے، تشدد ہوتے ہیں، تو اس حال کے لئے شاعر

[चौ. तालिब हुसैन]

مشرق نے کہا تھا کہ ہم اس ملک کے اندر ایک نیا شوالہ بنائیں گے، عبادت گاہیں بنائیں گے، جہاں پر پیار اور محبت کا درس دیا جائیگا۔ ریاست جموں کشمیر کے عوام بلا قوم وملت اور رنگ ونسل کے اس فلسفے کے عادی رہے ہیں کہ انہوں نے بھائی چارے، اتحاد اور دیش کی اکھنڈتا وسلامتی کیلئے قربانیاں دی ہیں اور اکٹھے رہے ہیں۔ اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہوسکتا ہے۔ لیکن عبادت گاہوں پر اذانیں اور مندر کے میٹھے میٹھے منتر ومندر کی گھنٹیوں سے، وہ لوگ جو دشمن کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کو یہ پسند نہیں ہوسکتا ہے۔ اُن لوگوں نے ہمارے بھائی چارے کو نبرد آزما کرنے کیلئے، ہمارے صبر وتحمل کی آزمائش کیلئے، ہمارے اتحاد کو توڑنے کیلئے بے شمار حربے استعمال کئے۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، جو کل واقع رونما ہوا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آخری کڑی ہونی چاہئے۔ خدا کرے یہ آخری واقع ہو، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے۔ حالت گواہی دیتے ہیں، تجربہ شاہد ہے کہ ہماری ریاست جموں کشمیر پچھلے 12 سالوں سے آتنک واد کا زبردست شکار ہے۔ وہاں ہندو اور مسلمان بھائی چارے کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، پیس فل کو ایگزیسٹینٹ چاہتے ہیں، یونٹی چاہتے ہیں، دیش کی سلامتی چاہتے ہیں اور اکھنڈتا چاہتے ہیں، لیکن دشمن اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کس راستے پر، کس ڈگر پر چلنا ہوگا۔ بہت ساری باتیں اس ایوان میں کہی گئی ہیں۔ جب کبھی بھی ایسے مسائل اُبھرے، جہاں ہندو اور مسلمان کے درمیان فرقہ وارانہ اور بھائی چارے کو زک پہنچانے کی باتیں ہوئیں تو یہ برملا کہا گیا، واضح طور پر کہا گیا کہ وہاں ہندو اکثریت میں ہیں۔ اس میں دورائے نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے اور ہمارا فلسفہ بھی یہی کہتا ہے، سنسکرتی بھی یہی کہتی ہے اور مسلمان بھی ایک سیکولرنیت سے سارے ملک کے اندر چل رہا ہے بالخصوص، جہاں لوگوں پر اس کا سب سے بڑا زخم لگا ہوا ہے، جن کا جسم پارہ پارہ ہو چکا ہے، جہاں انسانوں کو ایک تھوڑا اسا تحمل، بُردباری اور انسانی درد اور ہمدردی کی ضرورت ہے، وہ ریاست جموں کشمیر ہے۔

جناب، ہم ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پچھلے جتنے واقع رونما ہوئے، چاہے ڈوڈہ کے اندر آتنک وادی کارکردگی ہوئی یا جموں کے اندر یا دہلی کے اندر، دوڑے دوڑے کشاں کشاں وہاں پہنچے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی، مداوا کرے، ہمارا کوئی مسیحا ہو، کوئی سننے والا ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز سُنی جائے۔ ہم یہاں پارلیمنٹ میں ہیں، میرا تجربہ ہے، مختصر سے عرصے کا، کبھی کوئی میٹنگ نہیں بُلائی گئی کہ آخر اس بیماری کا حل کیا ہے۔ ہم وہاں کے نمائندے ہیں، کوئی بھی حکومت ہو، واضح طور پر یہ بتائے کہ اس بیماری کا حل لیا ہے۔ غرض کہ یہ نہ ہونے کہ وجہ سے آتنک واد

ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا کہیں نہ کہیں اینڈ ہونا چاہئے۔ ہم اگر آگ لگنے پر گڈھا کھودیں گے، تو بوتل سے نکلا ہوا جو بھوت ہے، اس بھوت کو ہم دوبارہ بوتل میں ڈالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے یا ہمارے بس کی بات ہو، تو زیادہ وقت لگے۔

میں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب سے گذارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے حسب سابق تجربے کے مطابق یہاں سے جموں کشمیر کے عوام کو اور ممبر آف پارلیمنٹ کو اور وہاں کی لجسلیٹیوس کو بھی اعتماد میں لیں۔ کشمیر کی محفلیں، اجتماع بلائیں، جہاں دل کھول کر چرچہ ہو کہ ہم اس سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔

جناب، کتنی دکھدائی بات ہے کہ جموں میں تیسری، چوتھی بار حملہ ہوا اور لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ ان کے ساتھ میں بھی کنڈولینس کرتا ہوں، لیکن کیا ہمارا کنڈولینس کر دینا کافی ہے۔ ان لوگوں کے صبر و تحمل، بردباری اور انکی خلوص نیتی کی انتہا ہے کہ جموں صوبے کا اکثریتی طبقہ، جو ہندوؤں پر مشتمل ہے، جو ہمدرد اور مسلمانوں سے پیار کرنے والا ہے اور پیس فل کو ایگزیسٹینٹ چاہتا ہے۔ لیکن دشمن ایسا نہیں چاہتا، وہ بے وقوف ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس قسم کا کارنامہ کرنے سے دنیا میں ہندوستان کو بدنام کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ وہاں کے مسلمانوں کا قاتل اور ان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایسا کب تک ہوتا رہے گا۔

جناب، میں پرائم منسٹر صاحب اور ہوم منسٹر صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سوال کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کریں۔ آپ کچھ اجتماع اور نمائندے بلائیں اور ان کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں۔ ضروری نہیں کہ یہاں بہت سارے افلاطون ہوں۔ ایسا بھی ہے کہ دور دراز کے جو لوگ ایسی گھٹناؤں سے گذر رہے ہیں، اپنے جسموں پر دور سہہ رہے ہیں، انہیں ان چیزوں کا تجربہ ہو، وہاں کے نمائندوں کو ہو۔ وہاں کے سابقہ حکومت کا تجربہ ہو، جو چھ سال سے جنگ کے خلاف مسلسل لڑتی رہی، وہاں کی موجودہ حکومت کے لوگوں کو بلا کر ان کے ساتھ مشورہ کیجئے۔ آخر کار ہم اپنے اتحاد کی مصیبتوں کیلئے کیا قدم اٹھا سکتے ہیں اور ہم آتنک واد کو روکنے کیلئے کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔...(مداخلت) یہ انفل ٹریشن بند نہیں ہوتی، سننے میں آتا ہے کہ یہ کم ہو رہی ہے اور شاید کسی حد تک سہی بھی ہے۔ میں بھی بارڈر ایریا میں رہتا ہوں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسے کم کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ اسے سرے سے روکنے کی ضرورت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ انفل ٹریشن بند ہوگا اور اگر بند ہوگا تو کب تک ہوگا۔

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जब भी सत्र की शुरूआत होती है, इस पर चर्चा होती है तो सत्र के बीच में व्यवधान हो जाता है। आतंकवाद की घटना कोई पहली घटना नहीं है, ये घटनाएं होती हैं, हम सदन में इस पर चर्चा करते हैं और सरकार की तरफ से जवाब भी सुनते रहते हैं।

महोदय, हम उन परिवारों के प्रति क्षोभ व्यक्त करते हैं, जिनके लोग मारे गए। हमारे लिए अब कुछ बचा नहीं है। लालकिले की घटना–जो देश के इतिहास पर हमला हुआ। लोक सभा की घटना–जो देश की आत्मा पर हमला हुआ। धार्मिक यात्रियों पर, मंदिरों पर हमले होते हैं। सेना के जवान मारे जाते हैं, आम नागरिकों की हत्या आए–दिन की बात हो चुकी है। सदन में सरकार के बयान आते हैं और बाहर भी आते हैं। भावनात्मक गुस्सा और आक्रोश के बयान आते हैं, इस तरह के बयान आना स्वाभाविक भी है। जिस समय किसी धार्मिक जगह पर घटना घटती है, अब मीडिया गांवों तक पहुंच चुकी है, उस समय गांवों का वातावरण बिलकुल भावना में बह जाता है। लोग यह समझने लगते हैं कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है?

उपाध्यक्ष जी, माननीय अखिलेश जी ने कहा था कि सरकार अमरीका के सामने घुटने टेक देती है। लेकिन हम महसूस करते हैं कि अमरीका के साथ हमारे दोस्ताना संबंध हैं लेकिन अमरीका के बयान ऐसे आ जाते हैं जिनसे देश में एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है और लोग महसूस करने लगते हैं कि भारत शायद अमरीका के इशारे पर चल रहा है। आज दुनिया के लोग भारत के धैर्य के लिए बधाई देते होंगे। जब देश की आत्मा पर, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, तीर्थ–यात्रियों को मारा जा रहा है लेकिन हमारा धैर्य अजीब है। हम जानना चाहते हैं कि यह धैर्य कब तक रहेगा? हम आदरणीय गृह मंत्री जी से आग्रहपूर्वक दो–तीन सवाल जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या इस धैर्य की आपने कोई समय–सीमा तय की है? कैसी घटना की आप इंतजार कर रहे हैं जब वह घटेगी, तब आप मजबूत कदम उठाएंगे? आज देहात के लोग भी मंदिरों और भीड़–भाड़ वाले इलाकों में जाना पसंद नहीं करते हैं। अमरीका के दोहरे चरित्र की चर्चा माननीय खुराना जी ने भी की। आज अमरीका के पैसे पर आतंक की घटनाएं करायी जाती हैं तो क्या आप दोस्ताना संबंधों का इस्तेमाल करते हुए, अमरीका पर दबाव नहीं डाल सकते जिससे आतंकवाद की घटनाएं न घटें।

उपाध्यक्ष जी, यह देश एक संघ है और हमारे बीएसएफ, सीआरपीएफ और सैन्य बलों ने आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में बहुत कुर्बानियां दी हैं। जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री का यह कहना कि आतंकवादियों को छोड़ा जाएगा–क्या इस तरह के बयानों से हमारे सैन्यबल के मनोबल को नहीं तोड़ा जा रहा है। क्या आप जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री को बुलाकर वैसे आतंकवादियों को न छोड़ने के लिए राजी करेंगे जिनकी वजह से हमारे सैन्यबल के लोग मारे गए, मंदिरों, मस्जिदों पर हमले होते रहे, लोक सभा जैसे पवित्र मंदिर पर हमला किया गया। हम पूछना चाहते हैं कि इस सारे माहौल को देखते हुए आप क्या महसूस करते हैं और क्या कोई नया कदम देश की सुरक्षा के लिए उठाने जा रहे हैं, जिससे देश आतंकवादियों से सुरक्षित रह सके।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कोई लम्बी तकरीर करना नहीं चाहता हूं। हमारे दल की तरफ से और सभी राजनैतिक दलों के नेताओं ने कल की घटना पर अफसोस जाहिर किया है और उसकी निंदा की है। मैं भी अपने को उनके साथ सम्बद्ध करता हूं जोड़ता हूं। यह पहला मौका नहीं है जब हम किसी ऐसे मसले पर चर्चा कर रहे हैं। कल अक्षरधाम था तो आज रघुनाथ मंदिर है, कल फलां लोग मरे थे, आज फलां लोग मरे हैं, कल वह घायल था, आज वह घायल है, कल कोई नाम था, आज कोई नाम है। इस बात को छोड़कर कोई नयी बात नहीं हुई है, घटनाक्रम वही है। हर बार हम चर्चा करते हैं और कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं। सरकार हालात बताती है और चर्चा हमेशा होती रहती है और हम सरकार की मजबूरी समझते हैं।

सरकार में आज वे हैं, कल कोई और होगा। सही बात यह है कि आतंकवादियों पर नियंत्रण करने के लिए कोई तारीख जैसा मेरे कई साथी कहते हैं कि बताइए यह कब तक चलेगा, कब बंद होगा, ऐसी कोई तारीख कोई शख्स, कोई सरकार दे नहीं सकती, ऐसी मेरी मान्यता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सच यह है कि हर सुरक्षा व्यवस्था के बारे में आतंकवादियों को चुपचाप पूरी जानकारी होती है क्योंकि यह सरकारी सुरक्षा व्यवस्था है, कितने सैनिक किस जगह पर तैनात हैं, मंदिर में कहां तैनात हैं, मालूम रहता है। वे चुपचाप देखते हैं और अपना वक्त तय करते हैं हमारे ऊपर हमला करने का। इनीशिएटिव उनके हाथ में होता है,

पहल उनके हाथ में होती है। पहले वह चोट करते हैं, उसके बाद हम रिएक्ट करने के लिए मजबूर होते हैं। इस घटना के बाद प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने इसकी भर्त्सना की। वह अभी जम्मू रवाना हो गई हैं। वहां के हालात देखने के बाद वह वहां लोगों से मिलेंगी। इस सारे तनाव के बाद आतंकवादी हमले के पीछे जो इरादा है, वह चाहे अक्षरधाम के हमले के पीछे हो या रघुनाथ मंदिर के पीछे हो, उनका इरादा एक ही है कि हिन्दुस्तान में विषाक्त वातावरण पैदा किया जाए और जहर घोला जाए जिसमें हिन्दुस्तान की तमाम कौमें आपस में लड़कर खत्म हो जाएं। हमें इस बात से खुद अपने आपको बचाए रखने की जिम्मेदारी है कि हम कहीं कोई ऐसा फैसला न कर बैठें, ऐसा कुछ न कह बैठें जो उनके इरादों की पूर्ति का साधन बन जाए।

मैं केवल दो-तीन सवाल करना चाहता हूं। मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता। मेरे कुछ संजीदा सवाल हैं जो हर शख्स के जहन में उठ रहे हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए हमने कई उपाय किए। कानून भी बनाया, पोटा बनाया। जब हमारी सारी बर्दाश्त करने की सीमाएं खत्म होने लगीं तो हमने आजाद हिन्दुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी सैनिक तैनाती का मोबिलाइजेशन किया और लगभग सात-साढ़े सात लाख से ऊपर अपनी फौज को 10 महीने तक सीमा के ऊपर तैनात किया। वे आंखों में आंखें डालकर आमने-सामने बैठे रहे। जब इतना बड़ा कोई फैसला होता है तो वह सहज और साधारण फैसला नहीं होता है। इसके पीछे सरकार सुविचारित रणनीति लेकर चलती है। इनके कुछ मिलिट्री टारगेट्स होते हैं, उसके कुछ राजनीतिक लक्ष्य होते हैं। मैं उप-प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतने बड़े मोबिलाइजेशन के पीछे हमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए, अगर आप कॉनफिडैंशल कारणों से, राष्ट्रहित में उन्हें सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूं। अगर आप कर सकते हैं क्योंकि फौज की वापसी का फैसला हो गया है। हमने कौन से लक्ष्य निर्धारित किए? हमारे राजनीतिक लक्ष्य क्या थे? हमारे सैनिक लक्ष्य क्या थे? हमने दस महीने की एक्सरसाइज के बाद उसमें से क्या हासिल किया, क्या पाया? बाकी लक्ष्यों की बात छोड़ दीजिए। एक लक्ष्य तय था कि हमने फौज को इसलिए वहां तैनात किया कि इन आतंकवादी गतिविधियों को रोक सकें। इन पर प्रभावी नियंत्रण बना सकें। हम विश्व में ऐसा वातावरण बना सकें कि विश्व के दूसरे देश पाकिस्तान पर इस बात के लिए निर्णायक दबाव डालें ताकि घुसपैठ बंद हो। क्या कोई ऐसा लक्ष्य हम हासिल कर पाए?

अभी चलते-फिरते कुछ बातें हुईं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं आरोप-प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता हूं और न ऐसे संजीदा विषय में आरोप-प्रत्यारोप में जाने का कोई औचित्य है। जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री ने अभी एक महीने पहले ही कार्य भार सम्भाला है। मैं यहां किसी का नाम नहीं लूंगा। कुछ पक्षों ने सदन के बाहर और किसी न किसी तरीके से सदन के अन्दर यह बात कही गई कि जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री ने वहां यह घोषणा कर दी कि कुछ अलगाववादियों को जो जेलों में बंद थे, उन्हें रिहा किया और इसकी वजह से वहां वातावरण बिगड़ गया। पोटा इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्होंने ऐसी घोषणा कर दी।

इन सब कारणों से ये हमले होने लगे, क्या इसका यही संभावित उत्तर है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने जितने अलगाववादी छोड़े हैं या जिन्हें छोड़ने का प्रस्ताव है, क्या एक भी अलगाववादी की रिहाई बिना केन्द्र सरकार की सलाह-मशविरा के हुई है? क्या रिहाई के पहले राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार से सलाह अनुमोदन के पहले रिहाई का प्रस्ताव किया है? मेरा आखिरी और तीसरा सवाल यह है कि क्या सरकार इस बात से सहमत है कि अलगाववादियों की रिहाई के कारण इन अचानक गतिविधियों या फिदाइन हमलों या उसके कारण एकदम से इरप्शन आ गया है?

प्रो-एक्टिव, हॉट पर्स्युट या जीरो टौलरेंस-ये सब केन्द्र सरकार की नीति के वाक्य रहे हैं। हम युद्धोन्मुखी नहीं लेकिन पिछले चार वर्षों से इस प्रतीक्षा में हैं कि पाकिस्तान से युद्ध या उस पर हमले करने की बात को तय करने के पक्ष में नहीं हैं लेकिन इस बात के विरोध में नहीं कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में इस पर कार्यवाही किए जाने के उपाय किए जाने चाहिए और इस बारे में इस बात की चर्चा कर लेनी चाहिए तथा दृढ़ता के साथ कोई फैसला करना चाहिए, क्या ऐसा कोई इरादा यह सरकार रखती है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, हम रोज-रोज देख रहे हैं कि आतंकवादी हमले सैनिकों के शिविरों, पुलिस, मंदिरों, संसद और असेम्बली पर हो रहे हैं। इसलिए चुनाव की प्रक्रिया चलाते या बताते हैं कि डेमोक्रेसी

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

स्थापित हो। इससे वे आतंकवादी निरुत्साहित हैं कि उनके मनोनुकूल सरकार नहीं बन रही है। हम यह भी देख रहे हैं कि इस सरकार ने कई तरह के प्रयोग किए हैं। रमजान के नाम पर सीजफायर किया, सेनाओं को सीमा पर रखा और वह वापस भी आ गईं। इसके अलावा रस्मी बयान भी चल रहे हैं लेकिन आतंकवाद की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। न केवल देश की संसद बल्कि राज्य की असेम्बली और लाल किले पर आतंकवादी कार्यवाहियां चलती रही हैं। कभी आई.एस.आई. या क्रॉस बार्डर टैरेरिज्म की बात होते हुए भी यह जारी है। हम सब लोग इन घटनाओं की निन्दा करते हैं, विलाप करते हैं, संकल्प करते हैं और एकजुटता प्रकट कर दी लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। हम नहीं जानते कि माननीय होम मिनिस्टर कब मानेंगे कि उनकी कितनी विफलता है। देश इसी तरह से चलता रहेगा, इसका मेजरमेंट क्या होगा? हम माननीय होम मिनिस्टर से स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने के लिए क्या कार्यवाही की है या करेगी या करने जा रही है या कौन सी की है? राज्य में नई सरकार आने के बाद क्या उसे विश्वास में लेकर आतंकवाद का सफाया करने के लिए कोई उपाय किया गया है या कोई परामर्श किया गया है? आम जनता जो लॉ अबाइडिंग है, उन्हें एकजुट करके अलगाववादी शक्तियों से बातचीत की है या उनके बिना बातचीत करना उन लोगों के मन तोड़ देने की बात लगती है। सरकार इस मामले में स्पेसिफिक तौर से बताए। सभी माननीय सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि सरकार आतंकवाद का सफाया करने के लिए क्या करने जा रही है। हम स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने के लिए इन्होंने कोई कार्रवाई की है, यदि नहीं की है तो क्या करेंगे?

दूसरी बात हम पूछना चाहते हैं कि जो राज्य सरकारें हैं, जो इलैक्टिड सरकारें हैं, क्या उन्हें कान्फीडैन्स में लेने का इन्होंने काम किया है? आम जनता जो आतंकवाद के खिलाफ है और जो संविधान सम्मत राय रखती है, क्या उस जनता को कॉन्फीडैन्स में लेने का इन्होंने कोई काम किया है या आगे करेंगे आतंकवाद का सफाया करने के लिए इनकी क्या स्ट्रैटेजी है या वही रूटीन वर्क है। कहीं कोई घटना घटती है तो एफ.आई.आर. दर्ज होती है और धर-पकड़ होती है। लेकिन आतंकवाद का सफाया करने के लिए कोई टास्क फोर्स या कोई विशेष अभियान आप चलाना चाहते हैं? क्या आपको आतंकवाद का सफाया करने से हम लोग रोक रहे हैं। आतंकवाद का खात्मा करने के लिए देश एकजुट है। लेकिन हमें लगता है कि सरकार में इच्छाशक्ति का बहुत अभाव है, जिसके चलते सरकार ठीक कार्रवाई नहीं कर रही है। सब लोग बार-बार कह रहे हैं कि आतंकवाद का सफाया करने के लिए हम लोग आपके साथ हैं। कृपया इन सभी बिंदुओं पर स्पष्ट रूप से माननीय गृह मंत्री जी उत्तर दें। अन्यथा ऐसी घटनाओं पर त्यागपत्र दे दें तो देश में एक कॉन्फीडैन्स जाग जाएगा कि यह सरकार की घोर विफलता है और ऐसी घटनाओं को अब सरकार और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं तो जब तक इसी तरह से रूटीन मामला चलाएंगे तो लोगों को लगेगा कि यह मामला ऐसे ही चलता रहेगा, लोग मरते रहेंगे और इसी तरह से हाय-तौबा और विलाप होते रहेंगे।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, हम तेलुगू देशम पार्टी की ओर से रघुनाथ मंदिर पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले की निंदा करते हैं। अब लगभग प्रतिदिन हम भारतीय संसद, जम्मू-कश्मीर विधान सभा, अक्षरधाम मंदिर जैसे स्थानों पर आतंकवादी हमलों को देख रहे हैं। अभी दो दिन पहले लश्कर-ए-तोएबा से संबंधित आतंकवादियों ने हैदराबाद में साईं बाबा के मंदिर के निकट बम रखे थे और सौभाग्य से उनमें से एक बम फटा और दूसरा विस्फोट नहीं हो पाया। उस घटना में पांच लोग मारे गए और कुछ अन्य लोग घायल हो गए।

महोदय, अब इसका अंत होना चाहिए। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में हम सब सरकार के साथ हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित प्रत्येक विकसित देश आतंकवाद की बात कर रहा है लेकिन हम प्रतिदिन इस आतंकवाद के प्रभावों को देख रहे हैं। इस आतंकवाद को रोकने के लिए विकसित देश पाकिस्तान पर क्या दबाव डाल रहे हैं? यह पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। वे उनके देश में युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं और उन्हें नियंत्रण रेखा के पार न सिर्फ जम्मू और कश्मीर में ही भेज रहे हैं अपितु देश के अन्य भागों में भी भेज रहे हैं। ये हमले देश के हर जगह हो रहे

हैं। हमें इसे समाप्त करना होगा। इसके लिए हम सरकार के साथ हैं। यह कानून सख्ती से और बिना किसी समझौते के लागू किया जाना चाहिए। देश के नागरिकों की स्वतंत्रता और जीवन को सुरक्षित रखना सरकार का कर्त्तव्य है। जीने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। इसलिए, सरकार को दृढ़ता से कार्य करना चाहिए। जम्मू और और कश्मीर की नयी सरकार को भी परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि वे सोचते हैं कि सरकार इन मुद्दों पर उदार है तो ऐसी गतिविधियों में वृद्धि होगी। इसलिए देश हित में भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। दोनों को साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं रघुनाथ मंदिर और शिव मंदिर पर हुए नृशंस आतंकवादी हमलों की कड़ी निन्दा करता हूं। इस घटना पर मैं दुख प्रकट करता हूं और इस दुर्घटना के शिकार लोगों के परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता हूं।

महोदय, हम अपनी पार्टी की ओर से माननीय उप–प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के वक्तव्य के साथ अपने आपको सम्बद्ध करते हैं। मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं।

वर्तमान स्थिति में, इस चुनौती का सामना करने के लिए सरकार की क्या योजना है? यह सच है आतंकवादियों के आत्मघाती दस्तों का पता लगाना कठिन है। परन्तु यह जान पाना कठिन नहीं है कि ये आतंकवादी हमले पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित किए जा रहे हैं। मेरा प्रश्न यह नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए। यह वाद–विवाद नहीं है। यह एक असामान्य स्थिति है और इसलिए माननीय अध्यक्ष ने कुछ स्पष्ट प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री प्रबोध पण्डा : मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या केन्द्र सरकार पाकिस्तानी प्राधिकारियों पर पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने की सोच रही है? इस संबंध में सरकार की क्या योजना है? दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति के संबंध में उनकी कश्मीर के संबंध में उनकी कथनी और करनी से विगत में भ्रम पैदा हुआ है। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है? तीसरा क्या केन्द्र सरकार इस चुनौती का सामना करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर संयुक्त प्रयास करने पर विचार कर रही है? हम प्रत्येक सत्र में इस मुद्दे पर बोलते रहे हैं फिर भी स्थिति बिगड़ी है।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सत्र के पहले दिन ही मैंने इस विषय को ध्यान में रखते हुए एक नोटिस शून्य काल में दिया था। इसी के साथ–साथ नियम 193 के तहत चर्चा की भी मैं अपेक्षा करता था। कल जो घटना घटी है, यह तो मात्र कड़ियों में एक कड़ी है। मेरा आशय यह है कि इस घटना की जो निरंतरता है, वह सिर्फ जम्मू–कश्मीर में है। वहां जो आतंकवाद है, वह एक लम्बी बीमारी है। उसके कारण सारे देश में एक धारणा पैदा हुई है कि यह असाध्य रोग है। मैं इस राय से सहमत नहीं हूं क्योंकि इसका हल हो सकता है। इसके बारे में कई वक्ताओं ने अपनी बात यहां कही है। लेकिन चिन्ता का विषय यह है कि अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जब पोटा को न लगाने की बात की थी, उस समय मुझे लगता है कि हमें किसी पर आरोप लगाने की बजाय इस सदन में विचार करना चाहिए था।

मैं जिस जिले से आता हूं, वहां वामपंथी उग्रवाद चरम–सीमा पर है। मैं उन घटनाओं में नहीं जाना चाहता लेकिन जहां पर केन्द्र और राज्य सरकारों के संबंधों का सवाल है, वहां पर किसी राज्य के मुखिया को जल्दबाजी में यह कहना कि हम किसी नियम को नहीं मानते और दूसरी तरफ अगर हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद भी चाहते हैं तो इस पर सदन को चर्चा करनी चाहिए। हमारा आतंकवाद से लड़ने के जो नजरिये हैं, उनमें मतभेद है। हमें उन मतभेदों को किसी एक जगह पर ले जाकर समाप्त करना होगा तब कहीं जाकर हम बेहतर ढंग से लड़ सकते हैं। उसके कुछ कारण हैं जो कि बड़े साफ हैं। जो आतंकवादी बाहर से आते हैं, उस पर चर्चा हुई है कि वहां आतंकवादी कैम्पों पर हमला होना चाहिए, यह सरकार तय करेगी। लेकिन जो आतंकवादी यहां पर रुककर पासपोर्ट बनवा ले और रजिस्टर्ड वाहनों का उपयोग करके यहां महीनों या सालों रहे, उसके बाद वह आतंकवादी गतिविधियों को मनमर्जी से अंजाम दे, तो केन्द्र सरकार को उसके बारे में विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : मेरा सवाल यह है कि जो भी राज्य सरकार के मुखिया केन्द्र के उन सख्त कानूनों को, जो आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए जरूरी हैं, उनको न मानने की बात करते हैं तो क्या केन्द्र सरकार इस विवाद को समाप्त करने के बारे में इस सदन में चर्चा करके कोई रास्ता निकालेगी या स्वतः ही करेगी?

दूसरा प्रश्न यह है कि जम्मू-कश्मीर में जो घट रहा है, उसके कारण देश में एक धारणा पैदा हो रही है कि शायद यह असाध्य रोग बनता जा रहा है जिसे मैं नहीं मानता लेकिन उसकी कारगर कार्यवाही का क्या तरीका होगा, यह आप बताएं।

अपराह्न 4.00 बजे

कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सवाल तो अवश्य करूंगा लेकिन उससे पहले कुछ शब्द मैं इस सदन में जरूर रखना चाहूंगा।

जो घटना घटी, सर्वप्रथम मैं उसकी घोर निन्दा करना चाहता हूं हालांकि निन्दा का शब्द इस सदन में एक औपचारिकता बन गया है। घटना होती है, हम औपचारिकता करते हैं और यह कहकर बैठ जाते हैं कि सुरक्षा के प्रबंध कड़े कर दिए गए, आतंकवादियों को ढूंढ़ने का कार्य बड़े जोरों से किया जा रहा है और उसके बाद हम ठंडे पड़ जाते हैं। ये घटनाएं आज से नहीं, सन् 1947 से चली हैं। 1948 में हमने पाकिस्तान आकुपाइड कश्मीर की जमीन को खोया। 1962 में हमने चीन को अपनी जमीन दी। 1965 में हम इच्छोगिल कैनाल से पार गए और जो कुछ हमने जीता, उसको वापिस दिया। 1971 में पाकिस्तान के एक लाख कैदी हमारे कब्जे में होते हुए भी, हम अपनी बात नहीं मनवा सके। उस तरफ की दुनिया को देखिए, अर्जेंटीना में जरा सी बात हुई थी, क्या हमसे पूछकर इंग्लैंड ने अर्जेंटीना पर हमला किया था? अगर इजराइल को फिलीस्तीन जरा सी घुटकी भर देता है, क्या इजराइल हमसे पूछकर उसके ऊपर हमला करता है। अमरीका में जो कुछ हुआ, क्या हमसे पूछकर अफगानिस्तान में अमरीका ने एक्शन लिया? आज रशिया में जो कुछ हुआ, क्या चेचेन्या के खिलाफ हमसे पूछकर किया गया। हम क्यों दूसरे देशों के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। जब प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर के ऊपर हमला हुआ, हमने कूटनीति का बहुत बड़ा प्रचार किया, कुछ हमें उपलब्धियां भी हुईं। लेकिन उसके बाद हमारी फौजें भी गईं, 7-8 महीने वहां रखकर हमने निर्णय ले लिया और वे वापिस आ गईं। लेकिन हमने उस जनता की आवाज को अभी तक यहां नहीं पहचाना। जनता कहलाती है और मैं कह रहा हूं कि हम केवल यहां लच्छेदार भाषण देकर इस मसले का हल नहीं कर सकते। यहां के लच्छेदार भाषण सुनकर जनता खुश नहीं है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर हम वह कदम कब उठाएंगे, जब हमें मालूम है कि चोर कौन है और चोर की मां कौन है। हमारे यहां एक कहावत है-चोर को नहीं, चोर की मां को मारा जाए। आतंकवाद में आतंकवादी चोर हैं और चोर की मां पाकिस्तान है। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान की ये हरकतें बंद करने के लिए हम कब तक इंतजार करते रहेंगे कि हम कोई निर्णायक फैसला लेकर इसके ऊपर कठोर कार्यवाही न करें?

अपराह्न 4.04 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए)*

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द) : सभापति महोदय, काफी देर से बड़ी लम्बी चर्चा हो रही है, इसलिए मैं बहुत लम्बी बात न करके संक्षेप में बातें करने की कोशिश करूंगा। आज जो समस्या हमारे सामने है, इसके दो पहलू हैं-एक बाहरी और दूसरा हमारे अंदर का। जहां तक बाहरी पहलू का सवाल है, यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने भाषण दिए, जिसमें पाकिस्तान के बारे में कहा गया कि उस पर हमला करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, उसे सजा देनी चाहिए। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि हमारी स्थिति करीब-करीब ऐसी है जैसी साउथ वियतनाम में अमरीकन फोर्सेस की थी कि वह उस लक्ष्मण रेखा को पार कर हमला नहीं कर सकते थे जिस वजह से उनको उस लड़ाई में जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था। वही हाल आज हमारा है।

चूंकि दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि पुराने जमाने की तरह हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। यह जरूर है और हमें ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे हमें इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा कि एक न एक दिन पाकिस्तान के साथ हमारी न्यूक्लियर वार

होगी। हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। न्यूक्लियर वार अलग चीज है, उसके बारे में चर्चा खुलकर करना भी उचित नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को अगर किसी भी तरीके से जैसे उनके ट्रेनिंग कैम्प्स की बात है, उसके लिए पृथ्वी मिसाइल हमारे पास हैं, उसके द्वारा हम हमला करते हैं, लेकिन उसका रिटेलिएशन होगा, उसके लिए भी हम तैयारी रखें, हम यह भी कर सकते हैं।

इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, हमारे ऊपर क्या दबाव आएंगे, यह अलग चीज है, लेकिन स्पष्ट है कि पाकिस्तान को किसी चीज का डर नहीं है, वह जो चाहे कर रहा है। उसके बारे में सारी पार्टियों से मिलकर अलग से चर्चा की जाए। उस पर सदन के अन्दर खुलकर चर्चा करना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन क्या है और उससे किस तरह निपटना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो सारी पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनसे चर्चा करके हमें सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान से किस तरह निपटा जाए। हम जानते हैं कि अमेरिका अपने स्वार्थवश, जो अंतरर्राष्ट्रीय स्थिति है, उसमें दबाव डालने की एक सीमा तक जा सकता है, वह पाकिस्तान पर पूरा दबाव नहीं डाल सकता। इसलिए हम उस ओर से भी बहुत आशान्वित नहीं रह सकते। जहां तक हमें अपने घर को संभालने का, सुधारने का सवाल है, चाहे वह हमारे अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हमला हो, पहले भी कई तरह के हमले हुए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शुक्ला जी, कृपया प्रश्न पर आइए।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : हमारे यहां जो बी.एस.एफ. के और आर्मी के कैम्प्स हैं, उनमें आकर आतंकवादी हमले करते हैं लेकिन जहां कहीं उनके अड्डे हैं, हम उन अड्डों को पहचान नहीं पाते, उन पर हमला नहीं कर पाते। इतनी बड़ी हमारी ताकत है, हमारी फौज है, हमारा सारा शासनतंत्र है, लेकिन कश्मीर के अन्दर उनके सेफ हाउसेज हैं, जगह–जगह उन्हें आश्रय मिला हुआ है, जहां से वे निकलते हैं। हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं? हमारी इंटेलीजेंस सर्विसेज क्या कर रही हैं? हम जानते हैं कि आजादी की लड़ाई जब चल रही थी तो हमारे जितने भी बड़े–बड़े क्रान्तिकारी थे...*(व्यवधान)*

सभापित महोदय : शुक्ला जी, कृपया सीधे प्रश्न पर आइए।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : सब के सब इंटेलीजेंस के द्वारा बराबर पकड़े गए, लेकिन हम जो कश्मीर में पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, उन्हें हम पकड़ नहीं पाते. हम उनके अड्डों पर नहीं जा पाते और प्रिएम्पटिव एक्शन नहीं ले पाते। वे हमारे अड्डों पर खुद आकर हमला करते हैं और हम बैठे रहते हैं। इसके लिए, मुझे लगता है कि बहुत मैसिव तरीके से इंटेलीजेंस पर हमें ज्यादा रुपया खर्च करना चाहिए। कश्मीर में अगर अचानक हम न कर सकें, हर घर में हर जगह हम अपने जासूस न रख सकें, लेकिन कश्मीर में उस दिशा में बहुत ज्यादा बढ़कर प्रयास करने की जरूरत है कि आपकी इतनी इंटेलीजेंस रहे। हम जानते हैं कि पैसा खर्च करने से कश्मीर में हमें नतीजे मिल सकते हैं, इसलिए वह कोशिश हमें करनी चाहिए।

दूसरे यह कि फिजीकल लेविल पर हमें लगता है कि कश्मीर में जितनी ताकत हमारी लगनी चाहिए, वह नहीं लग रही है। हमारी वहां पर जितनी फोर्सेज हैं, हमें या तो एक बार तय कर लेना चाहिए कि तीन महीने में, दो महीने में कश्मीर के हर घर, हर गांव में कोम्बिंग एण्ड सर्च आपरेशन करके देखिए, उसके लिए जितनी चाहे, आप फोर्सेज एक दफा लगाइए और कश्मीर में एक–एक घर छान डालिए। जहां पर भी आतंकवादियों के अड्डे हैं, औजार हैं या एजेंट्स हैं, उनकी एक मर्तबा पूरी तरह शिनाख्त होकर उन पर हमला हो सकता है, उन्हें नेस्तनाबूद किया जा सकता है। उसके लिए चाहे आप फौजों को आज हमारी सीमा पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर वार के डर से कोई लड़ाई नहीं होने वाली है, चाहे कितनी भी फौजें सीमा पर एक–दूसरे के सामने खड़ी कर लें, लेकिन लड़ाई नहीं होने वाली है। आप राजस्थान और गुजरात की सीमा पर कुछ मिनिमम फोर्स रख लें। बाकी सारी सेना को हम कश्मीर में भेजें।...*(व्यवधान)* मुझे इतना ही कहना है। बाकी मैं इस बारे में आडवाणी साहब से खुद व्यापक चर्चा कर लूंगा।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : माननीय सभापति जी, में आपको बहुत–बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। मैं अधिक भाषण नहीं दूंगा। मैं सारे नेताओं की बातें सुन रहा हूं और सीधे–सीधे बात पूछ रहा हूं।

सभापति महोदय : आप सीधे–सीधे प्रश्न पूछिए।

श्री राम नगीना मिश्र : आपकी तरफ से गुमराह करने

[श्री राम नगीना मिश्र]

की कोशिश हो रही है। पहले तो मैं भारत में रहने वाले बहुसंख्यकों को कोटिशः धन्यवाद दे रहा हूं।

पाकिस्तान की हमेशा से साजिश रही है इसीलिए वह केवल मंदिरों पर हमला करा रहा है, ताकि इस देश में गृह युद्ध हो जाए। बहुसंख्यक समुदाय संयम बरत रहा है इसलिए मैं उनको कोटिशः धन्यवाद देता हूं कि पाकिस्तान की चाल को वह सफल नहीं होने दे रहा है। मैं गांवों में घूमता हूं। लोगों के मन में धारणा बन गई है कि सरकार बयान तो बहुत देती है कि निपट लेंगे, किंतु सरकार सिर्फ खोखला बयान ही देती है, करती कुछ नहीं है। देश में इतने हमले आतंकवादियों द्वारा हुए हैं। पहले संसद भवन पर हमला हुआ था। उस कारण फौज सीमाओं पर भेजी गई। लोग उत्साहित थे कि अब सरकार आतंकवाद से निपटेगी। छः महीने तक फौज सीमाओं पर रही और फिर वापास बुला ली गई, तो लोगों के मन में यह बात आई कि सरकार आतंकवाद से निपटने की सिर्फ बात करती है, करती कुछ नहीं है।

मुफ्ती मोहम्मद साहब पहले भारत सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी लड़की का अपहरण आतंकवादियों ने किया था। उसके एवज में तमाम आतंकवादियों को छोड़ा गया था। इसकी निंदा पूरे देश ने की थी। वे आज वहां के मुख्य मंत्री हैं। अब देश में यह धारणा फैल गई है, जैसा कि वे बयान देते हैं कि जो काम जवाहरलाल नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला जी ने नहीं किया, वह मैं करके दिखाऊंगा और आतंकवादियों को छोड़ दूंगा।

मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इससे लोगों का मनोबल नहीं गिरेगा? क्या इससे आतंकवादियों के हौंसले नहीं बढ़े हैं? इस तरह की मीठी बातें करने का क्या फायदा देश को होगा? यह प्रश्न लोगों द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या राज्य सरकार द्वारा आतंकवादियों को छोड़ने से पहले भारत सरकार से पूछा गया था। एक तरफ हम डकैतों को पकड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें छोड़ रहे हैं, इससे वे फिर डकैती डालेंगे।...*(व्यवधान)* कृपया आप सुन लें, मैंने भी आपकी बात सुनी है। मैं गृह मंत्री जी से सीधे-सीधे पूछना चाहता हूं कि इस पीरियड में कितने आतंकवादियों को छोड़ा गया और कितने हमले इस पीरियड में आतंकवादियों द्वारा हुए हैं? जहां तक मुझे जानकारी है, उसके मुताबिक नई सरकार के समय में जितने हमले हो रहे हैं, इतने पहले नहीं होते थे। इससे आतंकवादियों के हौंसले बढ़े हैं।

मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इससे वहां फौज का मनोबल नहीं गिरा है, जब मानवाधिकार आयोग द्वारा यह कहा जाता है कि मानवीयता के आधार पर फौज को काम करना चाहिए? आज वहां पर आतंकवादी पुलिस और फौज को मार रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। क्या आतंकवादियों के सामने आने पर फौज वाले यह कहें कि श्रीमन हमें मत मारो, हम आपको देखने आए हैं। कश्मीर में रोज हत्याएं हो रही हैं, मंदिरों पर हमला हो रहा है, तो क्या आप पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकते, क्या आपमें हिम्मत नहीं है? कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी आ रहे हैं, क्या सरकार फौज को यह अधिकार देगी कि उनका सख्ती से मुकाबला किया जाए? गृह मंत्री जी से मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि मानवाधिकार आयोग द्वारा फौज पर कितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं? मैं यह भी गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप देश को यह विश्वास दिलाएंगे कि हिन्दुओं के मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं, कितनी फौज रखेंगे मंदिरों की रक्षा के लिए, अगर सारी फौज वहीं रख देंगे, तो देश का क्या होगा?

अंत में मैं गृह मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा प्रयत्न करेंगे कि इस आतंकवाद का जवाब सख्ती से दिया जाए और मंदिरों पर हमला न हो? अगर ऐसा ही होता रहा तो देश में गृह युद्ध हो सकता है। इसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे?

[अनुवाद]

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : डी.एम.के. पार्टी की ओर से मैं रघुनाथ मंदिर पर आतंकवादियों द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण हमले की भर्त्सना करता हूं। मृतक परिवारों के प्रति हम अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं।

पिछले कुछ वर्षों से एक भी दिन किसी न किसी स्थान पर आतंकवादी हमले के बिना नहीं गुजरा है। हम निर्दोष लोगों को कैसे बचाएंगे? हम अपने पड़ोसी मित्र का सम्मान करने को तैयार हैं।

हमें निर्दोष लोगों की कीमत पर अपने पड़ोसी देशों के संकेतों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारे सैनिक युद्ध

के मोर्चे पर अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हैं परन्तु इस प्रकार के घटिया तरह से हमले के लिए नहीं।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि ठोस उपायों के द्वारा इसे समाप्त करे।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, जम्मू–कश्मीर में हुई इस घटना में मारे गए हमारे बंधुओं के प्रति शोक संवेदना प्रकट करने के लिए मैं बोल रहा हूं।

मैं माननीय उप–प्रधान मंत्री से बस यही जानना चाहता हूं–यदि उनके पास उपलब्ध समय के अन्दर यह संभव हो–कि कश्मीर के लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए हम क्या करेंगे जिससे कि आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित एवं उनकी रोकथाम की जा सके? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आतंकवादियों को नियंत्रित करने, उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार एवं जम्मू–कश्मीर की सरकार अपनी गतिविधियों का किस प्रकार सहयोग एवं समन्वय करेगी?

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, जम्मू–कश्मीर में आतंकवाद के माध्यम से जो भी हमले हो रहे हैं, सरकार से हमारी उम्मीद है कि :

"कब तक हम करते रहेंगे आतंकवाद की निंदा
अब बंद कर दो आडवाणी साहब, यह तुम्हारा धंधा,
डाल दो पाकिस्तान पर युद्ध का फंदा,
आडवाणी साहब, पकड़कर लाओ यहां,
जनरल मुशर्रफ को जिंदा।"

यह काम हम सब लोगों को करने की जरूरत है। हम सब लोग आतंकवाद के बारे में हर सैशन में चर्चा कर रहे हैं। जम्मू–कश्मीर पर हमले हो रहे हैं। हमारी मांग इतनी है कि...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : सभापति जी, यह मजाक का समय नहीं है, यह मजाक कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : सभापति जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं सीरियसली बोल रहा हूं। हम सब आपके साथ हैं। बहुत बार हाउस में बताया गया है कि हमले इसी तरह हर रोज हो रहे हैं। इसका विरोध करने की आवश्यकता है और पूरा देश आपके साथ है। इतना होने के बावजूद 13 दिसम्बर को अपनी पार्लियामेंट पर हमला हुआ। वे लोग अंदर नहीं आए लेकिन,...*(व्यवधान)* पाकिस्तान के साथ युद्ध जल्दी से जल्दी एनाउंस करने की आवश्यकता है तब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। उसके लिए आप कब स्टैप उठाने वाले हैं? यही हमारा सवाल है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा) : महोदय, मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। इजरायल एक ऐसा देश है जो हर दिन भारत से ज्यादा आतंकवाद को झेलता है, और वह लंबे समय से आतंकवाद का सामना कर रहा है।

अपराह्न 4.19 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

एक दशक पूर्व, उन्होंने निर्णय किया और सीधा एण्टबब जाकर विदेश में इसके विरुद्ध लड़ें। क्या हमें उनसे किसी प्रकार का सहयोग मिला है? मुझे बताया गया कि इस संकट की घड़ी में वह हमारे साथ सहयोग के लिए तैयार है। क्या हमने वस्तुतः उनके साथ किसी प्रकार का सहयोग स्थापित करने का प्रयास किया है क्योंकि वे हमें आतंकवाद से लड़ने के बारे में सिखा सकते हैं क्योंकि आतंकवाद से लड़ना आसान बात नहीं है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद के सवाल को लेकर सदन में कई बार बहस हुई है। आज, यद्यपि इस सदन की परम्परा रही है कि अगर कोई घटना हो जाए, तो उस घटना पर सरकार की तरफ से वक्तव्य हो जाए और उस पर कोई सवाल–जवाब नहीं पूछे जाते। दूसरे सदन की यह परम्परा रही है कि सवाल–जवाब स्पष्टीकरण के रूप में पूछे जाते हैं। आज, चूंकि कल की घटना बहुत ही दुखदायी घटना थी। इसलिए अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया कि आज के अवसर पर प्रश्न

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

पूछे जाएंगे और स्पष्टीकरण मांगे जाएंगे, लेकिन स्पष्टीकरण के बजाए आज भी एक प्रकार से आतंकवाद के सवाल पर बहस होगी।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक मिनट बोलने के लिए समय दे दिया जाए। मुझे समय नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैं सदन से वाकआउट करता हूं।

अपराह्न 4.21 बजे

(तत्पश्चात् श्री हरीभाऊ शंकर महाले सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे पता होता, तो वे भी अपनी बात कह लेते। कुल मिलाकर आज की सारी चर्चा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आरंभ कर चुका हूं।

श्री ई. अहमद : मैं इस क्रूर हमले के विरुद्ध व्यक्त की गई भावनाओं का समर्थन करता हूं। यह स्वीकार्य नहीं है। इसे फिर नहीं होने देना चाहिए। जो भी हुआ, सरकार को जांच करनी चाहिए, कानून को अपना कार्य करने देना चाहिए और दोषी लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है, उसे जारी नहीं रहने दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कुल मिलाकर जो वक्तव्य हुए हैं, वे सभी रचनात्मक हुए हैं। जो बात सरकार की ओर से कल की घटना के बारे में कही गई, जो विश्लेषण दिया गया, उसकी पुष्टि हुई है कि यह जो घटना है, वह घटना सीमापार के आतंकवाद का हिस्सा है और पाकिस्तान उसके लिए उत्तरदायी है। जो लोग मारे गए हैं या जो घायल हुए हैं, उनको सहानुभूति प्रकट की गई और उनके परिवारों के साथ संवेदना प्रकट की गई। इस बात की जानकारी अखबारों से नहीं मिलती, लेकिन जो नागरिक मरे हैं, उनमें एक मुस्लिम नागरिक भी है और जो घायल हुए हैं, उनमें सात-आठ मुस्लिम नागरिक हैं, क्योंकि आसपास के लोग उसका शिकार हुए थे। खासकर ग्रेनेड्स से अधिकांश लोग घायल हुए हैं, एक.के.-47 से नहीं, अधिकांश ग्रेनेड्स के स्पलिंटर से हुए हैं। इस विषय में दो-तीन पहलू बार-बार उभरकर आते हैं-एक, सीमापार से आतंकवाद की जवाबदेही प्रमुख रूप से केन्द्र की है, जैसा कि सोमनाथ जी ने इस बात पर बल दिया और इसीलिए उसको रोकने का दायित्व प्रदेश की सरकार का उतना नहीं है, जितना केन्द्र का है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और इसी कारण जब यहां पर सैयद मुफ्ती मोहम्मद साहेब आए थे, मुख्य मंत्री की शपथ लेने से पहले, वे प्रधान मंत्री जी से मिले, मुझसे मिले, तब मैंने इस बात पर बल दिया था कि आपकी नई सरकार बन रही है और आपकी नई सरकार के सामने हमारे विश्लेषण के अनुसार दो प्रमुख दायित्व हैं-एक, सीमापार के आतंकवाद के ऊपर विजय पाना और दो, जम्मू-कश्मीर की जनता, जिन्होंने आपको मत देकर आपको सत्ता में भेजा है, उनके कल्याण के लिए और विकास के लिए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना। ये दोनों काम ऐसे हैं, जिनमें केन्द्रीय सरकार आपका पूरा-पूरा सहयोग करना चाहेगी और आपको पूरा समर्थन देना चाहेगी। इस ओर मैंने उनका ध्यान दिलाया था।

आज बार-बार इस बात को उठाया गया। अगर किसी ने यह कहा तो वह आलोचना कर रहा है। मैंने कम से कम अपने बयान में किसी भी प्रकार की, प्रत्यक्ष या परोक्ष, कोई आलोचना वहां की सरकार की नहीं की। मेरा कहना यह नहीं है कि जो घटना कल हुई है, वह क्योंकि लोगों को छोड़ा गया है, इसलिए हुई है। मैं यह मानता हूं कि कोई भी सरकार वहां होती, उसकी इस मामले में कोई भी नीति होती तो यह घटना हो सकती थी। ये जो घटनाएं हो रही हैं, वे हमारे पड़ोसी देश करवा रहे हैं और वे अपने आतंकवाद के माध्यम से अपना 1971 का युद्ध आगे बढ़ाने की अपनी नीति छोड़ने को तैयार नहीं हैं। केन्द्र सरकार देश की सुरक्षा के लिए रिस्पोंसिबल है। आतंकवाद को रोकने का पूरे सदन का संकल्प है और उस संकल्प की पूर्ति के लिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर प्रदेश की सरकार करती है, जिसका कि आतंकवाद के विरुद्ध चल रही देश की लड़ाई पर असर पड़ता है तो मैं यह अपेक्षा जरूर करूंगा कि वे केन्द्र सरकार से सलाह करें।

महोदय, मैं इस सवाल के बारे में, जो मुझसे बार-बार पूछा गया कि जितने निर्णय हुए, क्या वे सही नहीं हैं, क्या

आपसे सलाह–मशविरा करके लिए गए तो मैं कहूंगा कि नहीं। मैंने लगातार यह कहा कि हरेक प्रदेश का अपना एक अधिकार है। उसका उपयोग अगर वहां की सरकार करना चाहती है तो मैं उसमें बाधा नहीं करूंगा। हमारे पश्चिम बंगाल के मित्र यहां बैठे हुए हैं, मैं गलत–सही के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, उस पर टिप्पणी कोई अन्य सदस्य करे तो किसी को आपत्ति नहीं करनी चाहिए, मैं कम से कम नहीं करूंगा। अपना मत हो सकता है लेकिन जब यह कहा गया–"क्या यह सही नहीं है?" चतुर्वेदी जी और जयपाल जी ने शायद कहा कि क्या यह सही नहीं है कि एक–एक निर्णय आपसे सलाह–मशविरा करके किया गया, तो मैं कहूंगा कि नहीं। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : मैंने जो कहा उस पर मैं अभी भी स्टैंड करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : यह मंत्री जी कह रहे हैं कि उनके साथ परामर्श नहीं किया गया था।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैंने अलगाववादियों की रिहाई के संदर्भ में यह बात कही।...*(व्यवधान)* सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी से सलाह–मशविरा करने के बाद निर्णय हुआ।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उनका जो अधिकार है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन यह देश एक संघ है, अगर किसी मुख्य मंत्री या सरकार के गलत निर्णय की वजह से देश के स्वाभिमान और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो तो उस स्थिति में केन्द्र सरकार की क्या भूमिका होगी।...*(व्यवधान)* क्या उस समय आप कुछ नहीं कर सकेंगे? हम यह आपसे जानना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आज वह सवाल पैदा नहीं होता, उस सरकार को बने अभी एक महीना हुआ है। मैं इतना जानता हूं कि इस सरकार के बनने से पहले यहां जो...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अधीन आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : महोदय, मैं नियम 356 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

राज्य में सत्तारूढ़ सरकार का हिस्सा, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि आतंकवादियों को छोड़ने के दौरान केन्द्र सरकार से परामर्श किया गया है जबकि गृह मंत्री कह रहे हैं उनसे सलाह नहीं की गई है। मेरे विचार से पहले इस मुद्दे को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे इस बारे में...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : वह स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, मैं श्री रेड्डी से खड़े होने और कहने के लिए कहूंगा कि क्या वह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने जा रहे हैं या नहीं।...*(व्यवधान)* ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभा को कांग्रेस पार्टी अथवा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धोखे में रखा जाए। यह कांग्रेस पार्टी ही है जो सभा को धोखे में रख रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नियम 356 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नियम स्पष्ट नहीं है। अतएव, मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : भाजपा यह कह रही है और गृह मंत्री ने यह वक्तव्य दिया है कि उनके साथ परामर्श नहीं किया गया था। यह सदन और देश को गुमराह करने जैसा है।...*(व्यवधान)* इस मुद्दे को स्पष्ट करना चाहिए। मैं कांग्रेस नेता से जानना चाहता हूं कि क्या वे अपनी बात पर अड़े हुए हैं अथवा गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव ला रहे हैं।...*(व्यवधान)* यह एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे हल्के रूप में लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने गलत नियम को उद्धृत किया है और इसलिए मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं उस माहौल को खराब नहीं करना चाहता, जिसमें माननीय उप–प्रधान मंत्री ने वाद–विवाद का आरंभ किया है और अन्य माननीय सदस्यों ने इस पर प्रतिक्रिया दी।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को छोड़ने से पहले हमें केवल यही एक सूचना प्राप्त हुई थी कि न केवल सरकार अथवा मंत्री से बल्कि आसूचना एजेंसी से भी परामर्श किया गया था। आसूचना एजेंसी से परामर्श किया गया था। उन्होंने सहमति दी अथवा नहीं, परन्तु इससे परामर्श किया गया था। यह हमारी सूचना थी। यदि वह सूचना सही है, तो निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को छोड़ना राज्य सरकारों के साथ-साथ, आसूचना अभिकरण का भी उत्तरदायित्व है, क्योंकि उनके साथ परामर्श किया गया था। बस इतना ही। हम किसी सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : माननीय शिवराज पाटील जी इस मामले में समझदार हैं। मुझे आश्चर्य हुआ जब जयपाल जी ने और चतुर्वेदी जी ने यह बात कही। इंटेलीजेंस एजेंसीज को कभी बीच में लाया नहीं जाता। न मैं बीच में लाता हूं, न किसी को बीच में लाना चाहिए।...*(व्यवधान)* मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि केन्द्रीय सरकार से इस मामले में सलाह नहीं हुई। मैं और भी कहना चाहूंगा कि जब कुछ लोगों को रिहा किया गया, तब हमारे गृह सचिव की ओर से प्रदेश की सरकार को पत्र लिखकर कहा गया कि इस मामले में कोई जल्दबाजी न करें और सलाह-मशविरा करके काम करें तो अच्छा होगा।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : आतंकवादियों को ये लोग छुड़वा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : आप ऐसा कहेंगे तो दिक्कत होगी, हम उस स्तर की बात करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने हुर्रियत के लोगों को नहीं छोड़ा था, हिजबुल मुजाहिदीन से बातचीत आपने नहीं की थी।...*(व्यवधान)* हम बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं।...*(व्यवधान)* ऐसा मत कहिए।...*(व्यवधान)*

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : किसी गृह मंत्री की बेटी के लिए उन्हें नहीं छोड़ा गया था। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : आतंकवाद आप लोगों के घर से पैदा हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जिस तरीके से आप चर्चा करना चाहते हैं वह तरीका अच्छा नहीं है। यह एक गंभीर मुद्दा है। लोगों को मारा गया है। कृपया इसके बारे में सोचिए। माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को उचित ढंग से सम्बोधित किया है। यही माहौल बना रहने दें। माननीय मंत्री को जवाब देने दें।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आभारी हूं सारे सदन का, बीच में ऐसी कोई बात आई होगी लेकिन कुल मिलाकर आतंकवाद के संबंध में और इस बात के विश्लेषण के संबंध में कि जो कुछ आतंकवाद हो रहा है वह कोई टैररिस्ट आर्गेनाइजेशन नहीं कर रही है बल्कि सीमापार से हमार पड़ोसी करवा रहा है। आतंकवादी संगठन हैवान हैं, परन्तु आतंकवादी राज्य और भी ज्यादा हैवान हैं। इस तथ्य को अभी तक सारी दुनिया नहीं समझ रही है। वह टैररिज्म को गलत मान रही है और उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि दुनिया में टैररिज्म का सोर्स अलकायदा और तालिबान है। लेकिन विश्व को इस बात को भी पहचानना चाहिए कि टैररिज्म का बहुत बड़ा स्रोत आईएसआई है और वह पाकिस्तान के इस्टेबलिशमेंट का एक हिस्सा है। दिसम्बर 13 को संसद पर जब हमला हुआ, तब मैं अमरीका के निमंत्रण पर वहां गया। तब मुझे अहसास हुआ कि वे टैररिज्म को गलत मानते हैं।

वे यह भी मानते हैं कि हिन्दुस्तान में जो टैररिज्म हो रहा है, वह पाकिस्तान करवा रहा है लेकिन उन्हें लगता है कि इस समय पाकिस्तान का नेतृत्व जो संभाले हैं "वह उनका सबसे अच्छा साथी है" ठीक है, एक सीमा के आगे हम नहीं जाएंगे। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि यह धारणा सर्वथा गलत है कि भारतवर्ष अपनी नीतियां निर्धारित करते हुए किसी प्रकार से किसी विदेशी दबाव में आता है। यह सरकार किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं करती अलबत्ता हम यह नहीं मानते। मुलायम सिंह जी यहां नहीं हैं, अखिलेश जी बैठे हैं, हम यह मानते हैं कि आतंकवाद का मुकाबला करने के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय जगत की जो राय है, वह इररैलेवेंट है।...*(व्यवधान)*

मैं शांतिपूर्वक सबकी सुन रहा था। मैं इतना कहना

चाहूंगा कि शुरू से लेकर जब से हमने आतंकवाद से मुकाबले की बात कही, हम मानते हैं कि आतंकवाद के ऊपर निर्णायक विजय भारत को प्राप्त करनी होगी लेकिन उसमें अंतर्राष्ट्रीय जगत का जो मत है, वह सहायक होता है और उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए और दुनिया को इस बात का अहसास कराने के लिए कि आतंकवाद भले आज हमें परेशान करता होगा लेकिन आप इससे बहुत दूर हैं, वह दूरी आपको बचाए रखेगी, इस गलतफहमी में मत रहिए। इन्हीं शब्दों में देश के प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी जी ने अमेरिकन कांग्रेस को एड्रैस किया था कि "ऐसा मत सोचिए कि आपकी दूरी आपको आतंकवाद की इस विपत्ति से हमेशा बचाए रखेगी।" मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय जगत को लगातार इस बात का अहसास कराने की भारत सरकार ने जो कोशिश की वह डैलिबरेट है। हमारी कोशिश है कि उनकी समझ में आए और कुछ मात्रा में समझ में भी आया। यदि नहीं आता तो इस प्रकार से उनके ऊपर दबाव नहीं डालती। जितना डाला है और जितना दबाव डालना चाहिए, नहीं डाला। यह बात सही है कि वह एक तरफ आतंकवाद करता रहता है और दूसरी तरफ उनको आर्थिक सहायता मिलती है। वह आर्थिक सहायता हमारे विरुद्ध काम आती है। इसलिए हमें जो बात कहनी है, साफ कही है लेकिन लोकतंत्र के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है उसे हमने हमेशा स्ट्रैस करने की कोशिश की। इसलिए इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी के साथ जाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया। उनके साथ प्रत्यर्पण संधि भी साइन की। जाइंट लीगल एक्शन ट्रीटी भी बनाई है। ये जितने प्रयत्न हैं, उनकी अपनी उपयोगिता है, सीमित उपयोगिता है। प्रमुख रूप से जितनी सफलता आज तक मिलनी चाहिए वह हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सिज के कारण, अपनी जनता के कारण मिली। राम नगीना मिश्र जी ने ठीक कहा कि गुजरात में जैसा वातावरण पहले बना था उन्होंने सोचा होगा कि वहां जाकर अक्षरधाम के मंदिर पर हमला करेंगे तो फिर से आग भड़क जाएगी, फिर कुछ हो जाएगा। नहीं हुआ तो इसका श्रेय किसी को देना चाहिए तो देश की जनता को देना चाहिए। उनका इरादा अक्षरधाम की घटना से पहले चला। वे लगातार इसे करते हैं। उन्होंने यहां भी करने की कोशिश की लेकिन उसके बाद ठीक प्रकार से जम्मू-कश्मीर की जनता ने उसे रिस्पौंस किया। यह हमारे लिए खुशी की बात है।

मित्रो, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे सहयोगी श्री आई. डी. स्वामी और श्री चमन लाल गुप्ता जो वहां से निर्वाचित हुए हैं, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, वे दोनों वहां गए हैं। उसके थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज जम्मू गए। हम रात को उनसे मिलेंगे और फिर से इस बारे में बात करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं जब जनवरी में वाशिंगटन गया था, उस समय मुझसे बार-बार पूछा जाता था "क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा?" मेरा हमेशा उत्तर होता कि आपके ऊपर 11 सितम्बर को आक्रमण हुआ और आपने कहा कि आतंकवादियों ने अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। हम तो 15-20 साल से भुगत रहे हैं। एक युद्ध चल रहा है। इसलिए जम्मू-कश्मीर में या कल रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ है। यह तो बस एक युद्ध है। और पिछले दिनों जितनी बैटल्स हुई हैं हमारी संसद सहित उसमें उनका जो इरादा था, वह बहुत भयंकर था और उस भयंकर इरादे को हमारी सुरक्षा सेनाओं ने निरस्त कर दिया। अगर वे अंदर घुस आते तो क्या हो जाता, अनर्थ हो जाता। हमें यह जानना चाहिए कि इन सभी युद्धों में हम सफल रहे हैं। हम जीते हैं, हारे नहीं लेकिन इस बात का उल्लेख ऐसे किया जाता है जैसे मानो हम लोग विफल हो गए। लोगों ने पूछा कि आपने इंटैलीजैंस को अलर्ट क्यों नहीं किया। मैं इतना ही बता सकता हूं कि अलर्ट करते हुए जनरल अलर्टनैस होती है कि उनका इरादा मंदिरों पर हमला करने का है, उनका इरादा ऐसे सैंसेटिव स्पाट्स पर हमला करना है। अगर ऐसी स्पेसिफिक जानकारी होती है तो दी जाती है। अनेक बार ऐसी स्पेसिफिक जानकारी दी जाती है जिसके आधार पर प्रोबेबल टैररिस्ट एक्शन्स हैं, वे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है। खासकर दो आदमी ए.के.-47 लेकर आए और फेंकना शुरू करें तो सिवाय इसके कि आप उन्हें इलैमिनेट करें। बाद में पहली बार हमला किया तो तीन इलैमिनेट हुए और कल के हमले में दोनों-एक रात में और एक सुबह इलैमिनेट हुआ। ये सब हामरे सुरक्षा बलों की उपलब्धि है। अगर हम एक-एक बैटल जीतते जाएं तो इसको विफलता नहीं मानना चाहिए। हम युद्ध जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हालांकि यह कई कारकों पर निर्भर करता है। किसी ने सही कहा, मैं इसमें कहना नहीं चाहूंगा लेकिन लगातार उसकी चर्चा होती है। यह ठीक है कि जब डैप्लायमेंट की बात सोची थी, उस समय प्लान कुछ था, औब्जैक्टिव थे लेकिन औब्जैक्टिव इंपलीमेंट नहीं हुए या इंपलीमेंटेशन नहीं

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

हुआ तो उसका कारण था। जैसे आज से दो साल पहले पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि यहां इनफिलट्रेशन होता है, कोई हथियार दिए जाते हैं, हमारे टैरेरिस्ट कैम्प हैं, हम कोई क्रॉस बॉर्डर टैरेरिज्म कर रहे हैं और कहा हम जम्मू–कश्मीर में कुछ नहीं कर रहे हैं। आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं है। जम्मू–कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, वह आजादी की लड़ाई हो रही है। 11 सितम्बर और खासकर 13 दिसम्बर के बाद से लेकर जिस प्रकार पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा, उसके कारण पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से दो बार यह बयान दिया कि हम अपने क्षेत्र को टैरेरिज्म का प्लेटफार्म नहीं बनने देंगे, हम इनफिलट्रेशन बंद कर देंगे। भारत सरकार ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। भारत सरकार ने तब भी विदेशों से कहा, अंतर्राष्ट्रीय जगत से कहा कि पाकिस्तान ने जो शब्द कहे, वे अच्छे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। वे कहते हैं कि हम टैरेरिज्म को प्रोत्साहन नहीं देंगे, उन्होंने जो यह बयान दिया, अच्छा है लेकिन हम उनकी बात पर तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक जमीन पर उसका एक्शन नहीं लेते। हमने पिछले 6–8 महीने से लगातार उनको बताया है कि हम इस बात पर भरोसा नहीं करते क्योंकि वे व्यवहार में नहीं ला रहे हैं। वे आज भी हिन्दुस्तान में आतंकवाद और हिंसा उसी गति से चला रहे हैं जैसा पहले चलता था। हमारे पास आज भी इस बात के प्रमाण हैं। पिछले दिनों यह बढ़ गया है। चुनाव के तुरंत बाद यह कुछ कम हो गया था लेकिन पिछले 3–4 दिन में फिर बढ़ा है। मैंने अपने वक्तव्य में लिखा है कि उसका क्या कारण हो सकता है। हम जानते नहीं लेकिन स्पैकुलेट कर सकते हैं। एक तो उनका लश्कर–ए–तैय्यबा का प्रमुख नेता रिहा किया गया है। दूसरा कारण चुनाव है जिसमें उनका फार्सीकल ड्रामा हो सकता है लेकिन चुनाव के बाद सरकार बनने तक वह पूरा हो चुका।

इसलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया है, लश्करे–तोय्यबा का जो नेता छोड़ा गया है उसने कहा है कि फिर से वहां पर गतिविधि बढ़ाओ, फिर उसकी पुष्टि जब हुई। हम केवलमात्र वक्तव्य के आधार पर नहीं कहते, मैंने जो बयान दिया है कि हमारे यहां उनके कम्युनिकेशंस की जो मॉनीटरिंग होती रहती है, उन मॉनीटरिंग में से भी यह निकलता है कि अल मंसूर, यह लश्करे–तोएबा का एक कवर नाम है, यह काम उन्होंने किया है। मुझे लगा कि उसके आधार पर हम सदन के सदस्यों को इस बात की सूचना दें। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस प्रकार का निश्चय, जिस प्रकार की एकता इस विषय पर सारे देश में है, उसके कारण हम न केवल इस बैटल में विजयी होंगे, बल्कि जो वार लगातार पिछले 15 वर्षों से चल रहा है, उस वार के ऊपर भी पूरी विजय प्राप्त करेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है।

अपराह्न 4.46 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

जम्मू में रघुनाथ मंदिर और शिव मंदिर पर आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों के मारे जाने पर शोक प्रकट करना और हिंसा के घृणित कृत्यों की निन्दा

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं शोक संकल्प रखना चाहता हूं। माननीय उप–प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में, 24 नवम्बर, 2002 को जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर एवं पास के शिव मंदिर पर आतंकवादियों के हमलों का ब्यौरा दिया है और इसकी भर्त्सना की है।

कई माननीय सदस्यों ने भी स्पष्टीकरण की मांग करने के दौरान आतंकवादियों के हमलों की निंदा की है और हत्याओं पर शोक व्यकत किया है।

आतंकवादियों द्वारा हिंसा की अविचारित कार्रवाई, जम्मू–कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने पर हुई हताशा को और राज्य शांति के नाजुक संतुलन को बिगाड़ने के लिए उनकी बेताबी को दर्शाती है।

हम इन निर्दोष लोगों के मारे जाने पर गहरा शोक प्रकट करते हैं और आतंकवादियों की हिंसा की इन नृशंस कार्रवाईयों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सभा इस दुर्घटना पर गहरा दुख प्रकट करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

अपराह्न 4.47 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

अपराह्न 4.48 बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) झारखंड में बोकारो थर्मल पावर स्टेशन के 'ए' संयंत्र को पुनः चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन 'ए' प्लांट दो वर्षों से बंद है। इससे प्रत्येक माह करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है और हजारों श्रमिक प्रभावित हैं।

इसी प्रकार दामोदर घाटी निगम में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी प्रदान करने, सी.टी.पी.एस. एवं बी.टी.पी.एस. का खाली और अतिक्रमित भूमि पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विकास कार्य करने हेतु 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी करने और अस्थायी मजदूरों को स्थायी करने संबंधी मामले वर्षों से लंबित पड़े हैं।

उपरोक्त कार्यों के लिए अधोहस्ताक्षरी और संबंधित पक्षों द्वारा कई बार वार्ता हुई और सकारात्मक आश्वासन मिला, परंतु निगम के कुछ अधिकारियों द्वारा इस विषय पर कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। परिणामतः हमारे क्षेत्र के लोगों में सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। सरकार नये थर्मल पावर स्टेशनों को चालू कराने के लिए धन आवंटन करा रही है, वहीं स्थापित थर्मल पावर स्टेशनों को चालू कराने का प्रयास नहीं किया जा रहा है।

अतः सरकार से आग्रह है कि उपरोक्त सभी कार्यों को जनहित में कराने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए।

(दो) मध्य प्रदेश में जबलपुर और बरगी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 में मध्य प्रदेश के जबलपुर से बरगी तक लगभग 25 कि.मी. मार्ग काफी जर्जर है। इसमें बड़े–बडे गड्ढे हो गए हैं। यह सम्पूर्ण जर्जर मार्ग रा.रा. उप–संभाग जबलपुर के अंतर्गत है। इस देश के सबसे लम्बे तथा महत्वपूर्ण राजमार्ग का इतना हिस्सा अनेक वर्षों से खराब है। अनेकों बार शिकायतें हुईं तथा लोक सभा में भी इसके सुधार की मांग रखी गई, परंतु परिणाम कुछ नहीं निकला। हर वर्ष बरसात के बाद इस मार्ग में धीमी गति से थिगड़े लगने का कार्य प्रारंभ होता है, जो अगली वर्षा आने तक पूर्ण नहीं हो पाता है और मार्ग की हालत वर्ष दर वर्ष खराब होते–होते आज इस स्थिति में पहुंच गई है कि यह यातयात के लायक ही नहीं बचा है। इस वर्ष पुनः धीमी गति से इसकी मरम्मत का कार्य जारी है।

मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि इस मार्ग का तीव्र गति से नव निर्माण कराने का कष्ट करे।

(तीन) मध्य प्रदेश में सागर-खुरई-बीना मार्ग के निर्माण के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के सागर खुरई बीना मार्ग जो कि स्टेट हाईवे नं. 14 है, की स्थिति विगत 9–10 वर्षों से काफी खराब हो गई है। इस मार्ग के बीच में खुरई नगर व्यापारिक, शैक्षणिक, औद्योगिक एवं कृषि की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थान है। इसी मार्ग पर नरयावली ग्राम के पहले इंडियन ऑइल कंपनी का ऑइल डिपो बनाया गया है तथा बीना रेलवे जंक्शन होने के साथ ही साथ यहां पर प्रस्तावित बीना रिफाइनरी की दृष्टि से सागर खुरई बीना मार्ग की उपयोगिता काफी बढ़ गई है। किन्तु इस मार्ग का ठीक तरह से रख–रखाव नहीं होने के कारण छोटे वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों तथा बस यात्रियों को अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार के पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के द्वारा सागर, खुरई, बीना मार्ग का एक प्रोजेक्ट केन्द्रीय सड़क निधि योजना के माध्यम से कराए जाने हेतु केन्द्र सरकार को भेजा गया है।

अपराह्न 4.51 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*)

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस मार्ग की उपयोगिता को देखते हुए 75 किलोमीटर लंबी सागर,

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

खुरई, बीना मार्ग को केन्द्रीय सड़क निधि से बनवाने का सहयोग करे।

[अनुवाद]

(चार) कर्नाटक में गम्भीर सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा (हासन) : महोदय, तीन दशकों में कर्नाटक सबसे भीषणतम सूखे से जूझ रहा है। एक सौ पचहत्तर तालुकों में से चौवन तालुके, सूखे की मार झेल रहे हैं और उन्हें सूखा प्रभावित तालुके के रूप में घोषित किया गया है। इस वर्ष मानसून की वर्षा में 50 से 80 प्रतिशत की कमी आई है। बंगलौर, मैसूर, मांड्या एवं तुमकुर के दक्षिणी जिलों में फैले 18.0 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल बोने एवं उनके पोषण के लिए आवश्यक पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। वस्तुतः यही वह प्रमुख कारण है जिसके कारण किसान तमिलनाडु का कावेरी नदी के जल को छोड़े जाने का विरोध करते रहे हैं।

कृष्णराज सागर, हेमवती, भद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा एवं तुंगभद्रा जैसे प्रमुख सिंचाई जलाशयों में अब तक गत दस वर्षों के औसत से नीचे का स्तर है। सिंहसा, तुंगभद्रा, वेदवती, अरकावती जैसी प्रमुख नदियों सहित कई नदियां सूख गई हैं और इस प्रकार सिंचाई टैंक भी।

दस व्यक्तियों के एक केन्द्रीय दल ने सितम्बर, 2002 के दौरान सूखा प्रभावित जिलों का दौरा किया। कर्नाटक राज्य को सूखा राहत कार्य हेतु 600 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, और इसलिए मैं, माननीय प्रधान मंत्री से इस धनराशि को बिना किसी विलंब के जारी करने का अनुरोध करता हूं।

(पांच) कर्नाटक के उदुपी जिले में ब्रह्मवाड़ा सहकारी चीनी मिल लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी) : महोदय, चीनी उद्योग में जारी मंदी ने कर्नाटक में चल रही अनेक सहकारी चीनी मिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसी ही एक चीनी उत्पादक इकाई उदुपी जिले में ब्रह्मवाड़ा सहकारी चीनी मिल लि., ब्रह्मवाड़ा है।

ब्रह्मवाड़ा चीनी मिल अनेकों समस्याओं से घिरी हुई है। यह मिल धन की कमी का सामना कर रही है और महीनों से अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है। इसे किसानों द्वारा दिए गए गन्ने के लिए बकाया भुगतान भी करना है। बड़ी चीनी मिलें कुछ बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि उनके पास गौण उत्पादन यथा शीरे के व्युत्पन्न वाली आई.एम.एफ.एल. उत्पादन और उनके पास ज्यादा प्रचालन के माध्यम से बचत की सुविधाएं हैं। यह केन्द्र की जिम्मेदारी है कि अपने कोष में चीनी उपकर से एकत्र की गई धनराशि से वित्त प्रदान कर पुनर्वास पैकेज द्वारा छोटे सहकारी चीनी मिलों को इस संकट से उबारे।

अतः मैं केन्द्र से आग्रह करता हूं कि एक वित्तीय पैकेज प्रदान करे। ब्रह्मवाड़ा चीनी मिल द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करे। ताकि यह आने वाले पिराई सत्र का सामना कर सके।

(छह) दिल्ली में अवसंरचनात्मक सुविधाओं पर बढ़ते बोझ को देखते हुए केन्द्र सरकार के कुछ कार्यालयों को नागपुर स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : महोदय, दिल्ली की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि से राजधानी की अवसंरचनात्मक सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव बढ़ा है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या बढ़ने से राजधानी में समस्या और बढ़ी है। केन्द्र सरकार और इसके उपक्रमों के सभी कार्यालय दिल्ली में होने तथा मलिन बस्तियों में वृद्धि से पर्यावरणीय गुणवत्ता में गिरावट और अपर्याप्त शहरी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की समस्या उत्पन्न हो गई है।

अतः यह समय की मांग है कि केन्द्र सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार के दिन–प्रतिदिन के कार्य से सीधे न जुड़े हुए अन्य निकायों के कुछ कार्यालयों को मुख्य स्थानों पर स्थानांतरित करके दिल्ली का दबाव कम किया जाए।

नागपुर, जो कि प्रमुख शहरों से जुड़ा हुए है और जहां बुनियादी अवसंरचनात्मक विकसित भूमि, पर्याप्त विद्युत ऊर्जा, अच्छी हवा, सड़कें, और रेल नेटवर्क, प्रशिक्षित जनशक्ति, आधुनिक दूरसंचार, नेटवर्क है, इन कार्यालयों के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है।

अतः मेरा सरकार से कार्यालयों को दिल्ली से नागपुर, जो कि महाराष्ट्र की वित्तीय राजधानी भी है, में स्थानांतरित करने का अनुरोध है।

[हिन्दी]

(सात) बिहार के बराह क्षेत्र में बार बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए कोशी, कमला और बागमती नदियों पर बांध बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : सभापति महोदय, बिहार राज्य में प्रत्येक वर्ष भयंकर विनाशकारी बाढ़ आती है जिससे भारी मात्रा में जान–माल की अपार क्षति होती है। बिहार में बाढ़ के स्थाई समाधान के लिए कोशी, बागमती एवं कमला नदी पर डैम बनाने एवं कोशी नदी पर बराह क्षेत्र में डैम बनाने में विलम्ब के कारण 1953 से आज तक बाढ़ से भयंकर जान–माल की क्षति हो रही है। जबकि पंजाब के भाखड़ा नांगल डैम के साथ ही कोशी पर बराह क्षेत्र में डैम का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन यह डैम प्रोजैक्ट अभी तक नहीं बना है जिसके कारण हर साल विनाशकारी बाढ़ आ रही है, जान–माल की अपार क्षति हो रही है। राज्य की कृषि भी बर्बाद हो रही है। जनता का अभी तक दो खरब रुपए का नुकसान हो चुका है। बिहार में सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। बिहार की जनता रोजी–रोटी की तलाश में पलायन कर रही है। अतः मेरी सरकार से मांग है कि बाढ़ की समस्या के स्थाई समाधान के लिए कोशी, बागमती, कमला नदी पर बराह क्षेत्र में डैम का यथाशीघ्र निर्माण कराया जाए।

(आठ) उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन लम्बित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बांदा) : सभापति जी, उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों में चालू सूखोन्मुख कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करने की आवश्यकता है। डी.पी.ए.पी. योजनाओं के निर्माणाधीन अधूरे कार्य लंबित पड़े हैं। धन आवंटित नहीं किया गया। धन अवमुक्त न होने के कारण लंबित निर्माण कार्यों को पूर्ण करने का कार्य ठप्प पड़ा है। इस कारण योजनाओं का लाभ इस क्षेत्र के सूखा अकाल पीड़ित किसानों को नहीं मिल रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि लम्बित निर्माण कार्यों के लिए भारत सरकार वांछित धनराशि अवमुक्त करे। साथ ही साथ सूखा राहत दिलाने के लिए तालाबों को मशीनों द्वारा गहरा कराने के उद्देश्य से पृथक् रूप से अतिरिक्त धन आवंटित अथवा अवमुक्त किया जाए तथा कार्यों में तेजी लाई जाए। बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पर चार इंच क्षमता वाले छोटे–छोटे नलकूल स्थापित कराए जाएं। किसानों को ऐसे नलकूपों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश शासन एक लाख रुपए की सब्सिडी देता है परन्तु सीमित धन की व्यवस्था के कारण अधिक संख्या में ऐसे नलकूप स्थापित नहीं किए जाते और किसानों को एक–एक साल तक प्रतीक्षा करती पड़ती है। अतएव भारत सरकार द्वारा भी इस हेतु अधिकाधिक आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

अपराह्न 5.00 बजे

[अनुवाद]

(नौ) तमिल को संघ की राज भाषाओं के अन्तर्गत एक राजभाषा घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम) : तमिल भाषा सबसे पहली, प्राचीन, पुरानी, पवित्र परिमार्जित, सम्पन्न, अद्वितीय भाषाओं में से एक है और उसकी भव्य परम्परा तथा संस्कृति है। इसकी विशेषताएं भिन्न–भिन्न और वास्तविक हैं। इसने तमिलनाडु की सीमाएं पार कर ली हैं और 80 मिलियन जनसंख्या से भी अधिक की मातृभाषा के रूप में विश्व के अधिकांश भागों में बोली जाती है।

इस तरह तमिल भाषा को भारत की एक क्लासीकल लैंग्वेज के रूप में घोषित करना पूरी तरह ठीक होगा। मैं भारत सरकार से इसे संघ की एक राजभाषा के रूप में शामिल करने और लागू करने की अपील करता हूं। मैं एक और बात पर जोर देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि तिरूकुराल, जो कि अनुकरणीय जीवन जीने हेतु विश्व का पवित्र, प्राचीनतम, अद्वितीय, नैतिक कोड है, को भारत का राष्ट्रीय साहित्य घोषित किया जाए।

(दस) पश्चिमी बंगाल में किसानों द्वारा धान की औने-पौने दाम पर बिक्री रोकने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : पश्चिम बंगाल में धान की फसल का बाजार मूल्य गिरकर 350 रुपए प्रति क्विंटल तक आ गया है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य से बहुत कम है। अभी तक किसानों से सीधे धान खरीदने हेतु कोई एजेंसी

[श्री प्रबोध पण्डा]

नहीं है। आशा है कि धान का उत्पादन इस वर्ष पहले के सभी रिकार्ड पार कर जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार गत वर्ष केवल 80 हजार मीट्रिक टन चावल की खरीद कर पाई थी। भारतीय खाद्य निगम ने गत कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल से चावल अथवा धान नहीं खरीदा। मैं केन्द्र सरकार से आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता हूं ताकि भारतीय खाद्य निगम पश्चिम बंगाल से न्यूनतम 12 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदे और राज्य सरकार को किसानों से सीधे कम से कम छः लाख मीट्रिक टन चावल अथवा नौ लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के लिए आवश्यक निधियां आवंटित करे। मैं केन्द्र सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि स्थानीय पंचायत निकायों को औने-पौने दामों में बिक्री को रोकने हेतु अथवा आवश्यक बुनियादी ढांचा और कटाई पश्चात तंत्र विकसित करने हेतु उन्हें पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए वाणिज्यक बैंकों को निर्देश दे।

[हिन्दी

(ग्यारह) मध्य प्रदेश में मालवांचल में पेयजल समस्या के समाधान के लिए नर्मदा, क्षिप्रा, कालीसिंध और चम्बल नदियों को जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश का मालवांचल पिछले अनेक वर्षों से अवर्षा और कम वर्षा के कारण सूखे की चपेट में है। उज्जैन-इन्दौर सम्भाग में वाटर लेवल अत्यधिक नीचे चला गया है जिसके कारण लोगों और पशुओं के लिए पीने का पानी भी मिलना मुश्किल हो रहा है। सम्पूर्ण मालवांचल रेगिस्तान बन रहा है। मालवांचल की नदियां जैसे चम्बल, क्षिप्रा, कालीसिंध, मलेनी आदि सूख गई हैं। इस समस्या के निदान हेतु वर्ष 1991-92 में नर्मदा-क्षिप्रा-कालीसिंघ और चम्बल नदियों को जोड़ने हेतु एक योजना तैयार करने के लिये राज्य की सरकार द्वारा सर्वे कराया गया था। इस नर्मदा-क्षिप्रा-कालीसिंध-चम्बल नदी जोड़ो योजना को कार्यान्वित करने की महती आवश्यकता है। नर्मदा बारह महीने बहने वाली नदी है। नर्मदा नदी में बाढ़ भी अधिक आती है इसलिए इसका पानी अन्य नदियों में मिलाना जनहित में होगा।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि मालवांचल और राजस्थान के हाड़ोती क्षेत्र को हरा-भरा करने और पानी उपलब्ध कराने हेतु नर्मदा-क्षिप्रा-कालीसिंघ-चम्बल नदी जोड़ो योजना को स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करे।

मध्याह्न 5.40

[अनुवाद]

दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) विधयेक

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 21 और 22 पर एक साथ विचार करेगी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 29 अक्टूबर, 2002 को प्रख्यापित दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अध्यादेश, 2002 (2002 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।"

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनंत कुमार) : महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि दिल्ली महानगर में मेट्रो रेल के प्रचालन और अनुरक्षण तथा उसके कार्याकरण को विनियमित करने तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह दूसरा अध्यादेश है जिसके स्थान पर अब कानून बनाया जा रहा है। अंतःसत्रावधि के दौरान पांच अध्यादेशों को प्रख्यापित किया गया था। यह अध्यादेश अंतःसत्रावधि के दौरान प्रख्यापित पांच अध्यादेशों में से एक है।

सरकार अब संसद तथा स्थायी समिति की अनदेखी करने का प्रयास कर रही है और सरकार अध्यादेश का मार्ग अपना रही है। मैं इस विशेष अध्यादेश की प्रख्यापित किए जाने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं समझता। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में जो कहा गया है वह है कि शाहदरा से तीस हजारी तक दिल्ली मेट्रो का एक भाग दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में कार्य करना प्रारम्भ कर देगा। परीक्षण

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

के तौर पर चलाया जाना बहुत पहले शुरू हो गया था। दिल्ली मेट्रो को चलाने हेतु एक अधिनियम की जरूरत है। अध्यादेश को प्रख्यापित करने की बजाय सरकार को सभा के सामने एक विधान लाना चाहिए था। यह संसद के पिछले सत्र में विधान ला सकती थी। जिससे स्थायी समिति को विधेयक की संवीक्षा करने का अवसर मिल जाता। तब यह विधान के लिए सभा के समक्ष आता। सरकार ने ऐसा नहीं किया और उसी पर हमारी आपत्ति है। जहां कोई तात्कालिकता हो और समय न हो, वहां अध्यादेश को प्रख्यापित किया जा सकता था परन्तु इस विशेष मामले में अध्यादेश को प्रख्यापित करने के पीछे कोई औचित्य और तर्क नहीं है।

दिल्ली मेट्रो का निर्माण कम से कम तीन वर्ष पहले शुरू हुआ था। निर्माण शुरू किए जाने से पहले ही कोई विधान क्यों नहीं बनाया गया? ऐसा क्यों है कि जब दिल्ली मेट्रो रेल शुरू होने वाली है ठीक तभी भारत सरकार को दिल्ली मेट्रो रेल के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु एक अधिनियम बनाने की आवश्यकता महसूस हुई?

दिल्ली मेट्रो का प्रचालन एक निगम द्वारा किया जाएगा जिसमें दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार संयुक्त रूप से साझीदार हैं। दोनों का बराबर-बराबर हिस्सा है। केन्द्र सरकार का 50 प्रतिशत हिस्सा है और दिल्ली सरकार का भी 50 प्रतिशत हिस्सा है। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने से पूर्व दिल्ली सरकार से परामर्श किया गया था। इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने से पूर्व दिल्ली सरकार को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रारूप विधेयक दिल्ली सरकार के पास भेजा गया था और क्या उनके सुझाव लिए गए थे तथा विधेयक में सम्मिलित किए गए थे?

मेरे पास दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री दोनों द्वारा दिए गए वक्तव्य हैं। उन्होंने बताया है कि केन्द्र को निर्णय लेने से पहले दिल्ली सरकार से परामर्श लेना चाहिए था क्योंकि दिल्ली सरकार भी बराबर की साझीदार है। दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना में केन्द्र ने अध्यादेश को प्रख्यापित करने का निर्णय लेने से पहले हमसे एक बार भी परामर्श नहीं किया। यह दिल्ली की मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य है। ऐसा क्यों? जब उनका बराबर का हिस्सा है-15 प्रतिशत का हिस्सा-तो इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने से पूर्व दिल्ली सरकार से परामर्श क्यों नहीं किया गया? भारत सरकार को दिल्ली सरकार से परामर्श करने से किसने रोका? उन्होंने उस प्रक्रिया के बारे में भी आपत्ति व्यक्त की है जो किराया निर्धारित करने हेतु अपनाई जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली सरकार की इस संबंध में बात सुनी जाएगी? विधेयक में प्रावधान किया गया है कि एक किराया प्रशुल्क समिति गठित की जाएगी। परन्तु दिल्ली राज्य सरकार की क्या भूमिका होगी? मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली सरकार से प्रशुल्क का निर्धारण करने के संबंध में कोई विचार-विमर्श किया जाएगा? यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी बताया है कि केन्द्र ने दिल्ली सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों का भी जवाब नहीं दिया। दिल्ली सरकार द्वारा कौन सी आपत्तियां उठाई गई थीं? आपत्तियों पर विचार क्यों नहीं किया गया? उन्होंने बताया है कि अध्यादेश का प्राख्यान भारत सरकार का एकपक्षीय निर्णय था।

महोदय, पूरी दुनिया में, मेट्रो रेल रेल मंत्रालय के अन्तर्गत है। पहले कोलकाता में मेट्रो चली थी। कोलकता मेट्रो का निर्माण 1978 में शुरू हुआ था। कोलकाता मेट्रो का प्रथमाचरण 1985 में शुरू हुआ था और इसे बाद में दमदम तक बढ़ाया गया। अब यह टालीगंज से दमदम के बीच चल रही है।

महोदय, इसी सभा में वाद-विवाद हुआ था कि क्या कोलकाता मेट्रो को रेल मंत्रालय के अधीन रहना चाहिए था इसे शहरी विकास मंत्रालय को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। किन्तु अन्ततः सरकार ने निर्णय लिया कि कोलकाता मेट्रो भारतीय रेल का अभिन्न अंग बनी रहनी चाहिए। किन्तु दिल्ली मेट्रो के मामले में, यद्यपि यह एक कंपनी होगी, इसका 15 प्रतिशत शेयर केन्द्र सरकार के पास रहेगा, 15 प्रतिशत शेयर राज्य सरकार के पास रहेगा और शेष शेयर जापान की एक कंपनी के पास है। उनके पास 50 प्रतिशत शेयर है। हालांकि, दिल्ली मेट्रो के मामले में, यह शहरी विकास मंत्रालय के अन्तर्गत क्यों है? रेलवे के पास प्रचालन और अनुसरण की विशेषज्ञता है। यदि दिल्ली मेट्रो भी शहरी विकास मंत्रालय के बजाय रेल मंत्रालय के अधीन होती तो यह बेहतर होता।

महोदय, इस विधेयक में कई प्रावधान हैं। खण्ड 86 केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति के विषय में कहता है :

[श्री बसुदेव आचार्य]

"इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेट्रो रेल प्रशासन, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों और कृत्यों के निर्वहन में नीति के प्रश्न संबंधी ऐसे निर्देशों द्वारा आबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित में समय-समय पर दिए जाएं।"

तब, राज्य सरकार की भूमिका क्या होगी? राज्य सरकारों द्वारा यह प्रश्न उठाए गए हैं। यदि सबकुछ केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा, यदि सभी निदेश केन्द्रीय सरकार जारी करेगी तो राज्य सरकार की भूमिका क्या होगी? केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति संबंधी खण्ड 100 कहता है :

"100(1) केन्द्रीय सरकार, इस उपधारा के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध का सकेंगे, अर्थात्-

(क) धारा 12 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्रारूप और भेजने का समय;

(ख) धारा 35 के अधीन किराया नियतन समिति के निबंधन और शर्तें;

(ग) धारा 35 के अधीन किराया नियतन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(घ) धारा 57 के अधीन संदेय प्रतिकर की सीमा;

(ङ) धारा 97 के अधीन मेट्रो रेल के सुरक्षा कर्मचारिवृन्द की शक्तियां, कर्त्तव्य और कृत्य; और

(च) इस अधिनियम में अन्यत्र अंतर्विष्ट नियम बनाने की किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, साधारणतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए।"

अतः जब किराया नियतन समिति की सभी प्रक्रियाएं और किराया नियतन, देय क्षतिपूर्ति इत्यादि के संबंध में अपनायी जाने वाली सभी प्रक्रियाएं सीधे-सीधे केन्द्रीय सरकार के निदेश से की जाएंगी तो दिल्ली की राज्य सरकार की भूमिका क्या होगी? इसका भी स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

मैं इस अध्यादेश को प्रख्यापित किए जाने की आवश्यकता से समहत नहीं हूं। कोई जल्दी नहीं थी और सरकार को एक विधेयक लाना चाहिए था जिससे विधेयक की जांच स्थायी समिति द्वारा की जाती और तब यह सभा के सामने आता। यह एक महत्त्वपूर्ण विधेयक है क्योंकि हमारे पास दिल्ली मेट्रो जैसा नया संगठन होगा। इस प्रकार के विधेयकों को हमेशा स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए ताकि स्थायी समिति के सदस्यों को विधेयक के विभिन्न खण्डों की जांच करने में अक्सर मिल सके और फिर सभा में उसे लेकर आएं। सरकार द्वारा अध्यादेश का रास्ता अपनाने का तरीका सही नहीं है। जो कुछ हमने देखा है कि इस सरकार को कहा जा सकता है कि यह एक अध्यादेश राज द्वारा चलायी जा रही है। कई अध्यादेश जारी किए गए हैं।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महिला आमंत्रण संबंधी अध्यादेश का क्या हुआ?

श्री बसुदेव आचार्य : वे इसे नहीं लाएंगे। वे इस विषय में अध्यादेश नहीं लाएंगे जहां इसकी आवश्यकता और जहां अध्यादेशों की आवश्यकता नहीं है और कोई शीघ्रता नहीं है उन मामलों में वे अध्यादेश ले आएंगे इसलिए मैंने निरनुमोदन के संकल्प का प्रस्ताव किया है।

श्री अनंत कुमार : महोदय, इस सदन को पूर्णतः ज्ञात है कि दिल्ली को विश्वस्तरीय मेट्रो मिल रहा है। इसका प्रथम चरण दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में पूरा हो रहा है। शाहदरा से तीस हजारी तक के 8.3 किलोमीटर लम्बे मार्ग का उद्घाटन होने जा रहा है और प्रचालन शुरू हो जाएगा।

जब हम इस सुविधा की जांच करना चाहते थे तो इसके लिए कानूनी ढांचे की आवश्यकता थी। यद्यपि 17 सितम्बर को परीक्षण प्रचालन किया गया था किन्तु इसका प्रचालन करने से पूर्व हम कई जांच करना चाहते थे जिसके लिए कानूनी ढांचे की आवश्यकता थी।

इसलिए हम दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण)

अध्यादेश लेकर आए। यह अध्यादेश जो अब एक अधिनियम में बदला जा रहा है मूलतः प्रचालन और अनुरक्षण संबंधी है। प्रथमतः दिल्ली मेट्रो के अधीन फैली रेल प्रणाली की रेलवे के सुरक्षा आयुक्त की सेवाएं मिलेंगी और दावों के निपटारे के लिए दावा आयुक्त होंगे। वस्तुतः यह कहना ठीक है कि हम शीघ्रता में यह अध्यादेश लेकर आए हैं। दो वर्ष पूर्व सितम्बर 2000 में हमने मसौदा विधेयक को रेल मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय और दिल्ली सरकार को भेजा था। मैं इस सम्माननीय सभा को विश्वास में लेना चाहूंगा कि 10 अनुस्मारक देने के बाद हमें उत्तर मिला, विशेषतः दिल्ली सरकार से कुछ महीने पहले ही जब किराये के विषय में मुद्दे उठे थे कि किराया कौन तय करेगा और किराया ढांचा कौन तय करेगा। किराया ढांचा और किराया एक किराया समिति द्वारा तय किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। एक प्रतिनिधि भारत सरकार की ओर से होगा और एक प्रतिनिधि दिल्ली सरकार की ओर से । अतः दिल्ली सरकार भी इसमें सहभागी है।

दूसरे, यह कहा गया है कि पूरी दुनिया में सभी रेल आधारित मेट्रो रेलवे के अन्तर्गत हैं। यह वास्तविक स्थिति नहीं है। पूरी दुनिया में मेट्रो विभिन्न एजेन्सियों के अधीन हैं। वे स्वायत्त निकाय हैं। ये स्थानीय निकायों के अन्तर्गत हैं। बहुत कम रेलवे के अधीन हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि मेट्रो महानगरों के लिए सार्वजनिक यातायात प्रणाली है, एक शहरी एकीकृत व्यवस्था जिसमें अत्यन्त सुचारु सार्वजनिक यातायात प्रणाली के लिए हम विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ जगहों, पर यह रेल और सड़क की मिली-जुली यातायात व्यवस्था है। उदाहरण के लिए, लंदन में इण्टर मॉडल यातायात है। अतः वहां ग्रेटर लण्डन मेट्रो कॉरपोरेशन है जो रेलवे के अधीन नहीं है। कुछ स्थानों पर, इलेवेटेड लाइट ट्रांसपोट रोडसिस्टम या रेल सिस्टम, 'ई.एल.टी.आर.एस.' प्रचलन में है। कुछ स्थानों पर, परीक्षण आधार पर इकाई वैसेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे उदाहरण होने के कारण यह सही नहीं है कि मेट्रो हमेशा रेलवे के अधीन रहे हैं। बहुत कम स्थानों पर यह रेलवे के अधीन है।

1986 में कार्य संचालन नियमों में परिवर्तन के अनुसार, मेट्रो प्रणाली को शहरी विकास मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है, और मेरे विचार से यह सही है क्योंकि हमारे देश में 35 महानगर हैं जिनकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है। उनमें से बमुश्किल चार में मेट्रो है। एक कोलकाता है। दूसरा कुछ हद तक चेन्नई में है। स्थानीय रेल प्रणाली के माध्यम से अधिकांशतः यह मुम्बई में है और अब यह दिल्ली में होने जा रहा है, किन्तु 31 अन्य महानगरों में कोई मेट्रो प्रणाली नहीं है।

तीसरे, यह सवाल उठाया गया है कि केन्द्र सरकार ने दिल्ली सरकार के सुझावों और प्रश्नों का जवाब नहीं दिया।

संविधान के अनुच्छेद 246(i) के अनुसार, सभी रेल परिवहन प्रणाली केन्द्र सरकार का विषय है। संघ सूची में गिनाए गए विषयों पर केन्द्र सरकार को विधान बनाने और अध्यादेश लाने का अधिकार है, इस मामले में हमने यही किया है।

सहयोग और शिष्टचार के नाते हमने दिल्ली सरकार से परामर्श किया है और सुरक्षा, दावे, अनुरक्षण आदि जैसे कार्यकलापों के संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तथापि, उन्हें किराये को लेकर आपत्ति है, जिसके बारे में मैंने अभी-अभी स्पष्टीकरण दिया है, और इसे हमने उन्हें स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद, उन्होंने नियम बनाने संबंधी अधिकारों को लेकर आपत्ति की है। हमने कहा कि इस अध्यादेश और आगामी अधिनियम के माध्यम से हम केंद्र सरकार अथवा दिल्ली सरकार, को शक्ति नहीं प्रदान कर रहे हैं क्योंकि दोनों में से प्रत्येक के पास 50 प्रतिशत इक्विटी है, और हमने एक अद्वितीय विशेष उद्देशीय वाहन, दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन का सृजन किया है जो कि एक व्यावसायिक निकाय है जो मेट्रो रेल सेवाएं प्रदान करेगा, और इसके अधिकार दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन में निहित होंगे। वे अनुच्छेद 246(i) के अंतर्गत उपबंध के अनुसार नियमों को बनाएंगे और सरकार इन नियमों को अधिसूचित करेगी।

मेरा विचार है कि मैंने मामले को स्पष्ट कर दिया है। अब मैं सरकार से संकल्प को अस्वीकार करने और विधेयक पर विचार शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 29 अक्तूबर 2002 को

प्रख्यापित दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अध्यादेश, 2002 (2002 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।"

"कि दिल्ली महानगर में मेट्रो रेल के प्रचालन और अनुरक्षण तथा उसके कार्यकरण को विनियमित करने तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री शिवराज वि. पाटील (लादूर) : बहुत जल्द, दिल्ली में मेट्रो रेल शुरू होने जा रही है और इस बात को लेकर हम सब खुश हैं। मैं दिल्ली में मेट्रो रेल को स्थापित करने में अपना योगदान देने वाले लोगों को बधाई देना चाहूंगा।

यदि हम वास्तव में महानगरों में परिवहन तंत्र पर दबाव को कम करना चाहते हैं तो हमें मेट्रो रेल की तरह किसी अन्य माध्यम पर निर्भर होने की आवश्यकता पड़ेगी। सड़क परिवहन माध्यम स्वयं अपने आप इस भार को वहन नहीं कर पाएगा। सभी बड़े शहरों में मेट्रो रेल स्थापित की जानी चाहिए और उन्हें सड़क पर परिवहन के दबाव को कम करने के लिए चलाया जाना चाहिए।

देश में स्थिति यह है कि ग्रामीण लोगों का शहरों में पलायन जारी है, वे शहरों के आस-पास रह रहे हैं और उनके अपने कार्यस्थल की दूरी बहुत अधिक होती है। इस संबंध में मेट्रो रेल सहायता कर सकती है। जितनी जल्दी हम देश में महानगरों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की योजना बनाएंगे, उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। इस बात को कहने के बाद, मैं सरकार द्वारा इस कानून को बनाने के लिए अपनाए गए अध्यादेश मार्ग का विरोध करने के लिए विपक्षी बेंचों पर बैठे अपने साथियों का भी समर्थन करना चाहूंगा। वे जानते थे कि मेट्रो रेल बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। विधेयक का प्रारूप तैयार करना, इसे संसद में प्रस्तुत करना, स्थायी समिति के पास भेजना, स्थायी समिति के सदस्यों को विधेयक के उपबंधों की जांच पड़ताल करने देना तथा विधेयक पारित कराने के लिए संसद में सिफारिश करना उनके लिए संभव था। सरकार द्वारा ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, यह हमारी समझ से बाहर है। यह सब यह कहने कि तरह है कि हमने अध्यादेश प्रस्थापित कर दिया है, और अब इसे स्वीकार करने अथवा नहीं करने का निर्णय आपको करना है।

अब सरकार द्वारा इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि कानून बनाना विधायिका की जिम्मेदारी है। कार्यपालिका द्वारा कानून बनाने के लिए अध्यादेश के मार्ग का अनुसरण किया जाता है। लेकिन, इसका अनुसरण उन विशिष्ट मामलों में किया जाता है जहां समय की पर्याप्तता नहीं होती है और अत्यावश्यकता महत्वपूर्ण होती है। ऐसे अनेक अध्यादेश हैं जो इस सदन में प्रस्तुत किए गए हैं हमसे उन्हें पारित करने की आशा की जाती है। यदि हम उन्हें पारित नहीं करते हैं तो सरकार कहेगी कि देखिए हम लोगों की भलाई के लिए सुविधाएं उत्पन्न करने हेतु इस प्रकार के उपबंध बनाना चाहते थे लेकिन विपक्षी बेंचों पर बैठे माननीय सदस्य हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। आप कानून की तोड़-मरोड़ रहे हैं। आप ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सदस्य वह स्वीकार करेंगे जो आप कह रहे हैं अथवा आप विपक्षी बेंचों पर बैठे सदस्यों की आलोचना करेंगे। आप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे जिसमें विधायिका के सदस्यों द्वारा इस प्रकार की पद्धति की सराहना नहीं की जा सकती।

महोदय, संविधान में उपबंध किया गया है कि कानून बनाने का काम विधायिका का है; कार्यकारी निर्णय लेने का काम कार्यपालिका का है और कानून की व्याख्या करने का काम न्यायपालिका का है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : उच्चतम न्यायालय ने भी इस कदम की निंदा की है और कहा है कि इस प्रकार के अध्यादेश नहीं लाए जो सकते और ऐसा बार-बार नहीं किया जा सकता।

श्री शिवराज वि. पाटील : यह निश्चय ही ऐसा ही है। यह सही है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कार्यपालिका अध्यादेशों को प्रख्यापित करने के जिस मार्ग को अपना रही है उस मार्ग के कार्यपालिका द्वारा कानून बनाने के लिए अपनाए जाने की आशा नहीं की जाती है। मैं नहीं समझता हूं कि सरकार ऐसे मामलों को लंबे समय तक लंबित क्यों रखती है और इसके बाद जब मेट्रो परिचालन के लिए ही तैयार की जाती है तब वे इस संबंध में अचानक अध्यादेश प्रख्यापित करके सदन के सामने आते हैं। इस स्थिति को टाला जाना चाहिए था और चूंकि इस स्थिति को टाला नहीं

गया है तो हम अपने इस विरोध को कार्यवाही-शेसन में शामिल करना चाहेंगे कि इस मार्ग का अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए था।

आप एक ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जिसके अंतर्गत आप वित्तीय संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए उधार लेने वालों और उधार देने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकें। उन सभी मामलों, अति महत्वपूर्ण मामलों में जिनमें सदस्यों को अपने विचार रखने चाहिए, उनमें सरकार ने उन्हें उचित ढंग से विचार करने की अनुमति नहीं दी। हमने विभागों से संबंधित स्थायी समितियों की एक प्रणाली शुरू की है जहां पर सीमित संख्या में सदस्य विधायी प्रस्तावों पर पक्षपात रहित तरीके से अपने मानसिक सामर्थ्य के आधार पर विचार करके सदन के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और तब यह सुनिश्चित करते हैं कि उचित कानून की संरचना हो। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। हम सरकार द्वारा अध्यादेश का मार्ग अपनाए जाने पर कड़े शब्दों में अपना विरोध दर्ज कराते हैं।

महोदय, दैनिक यात्रियों की सहायता का दृष्टिकोण संपूर्ण होना चाहिए। मेट्रो रेल की सुविधा उठाने वाले लोग काफी दूरी से आएंगे लेकिन वे विभिन्न स्टेशनों पर उतरेंगे और वे अपने कार्य स्थल अथवा निवास स्थान पर जाना चाहेंगे और यह सब सड़क पर चलने वाले वाहनों के इस्तेमाल से ही संभव होगा। अब, यदि मेट्रो रेलवे द्वारा की जा रही कार्रवाई और सड़क पर दैनिक यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बीच समन्वय नहीं होगा तो दैनिक यात्रियों को प्रदान की गई सुविधाएं वास्तव में सही सुविधाएं साबित नहीं होंगी। इसके कारण भारत सरकार के लिए राज्य सरकार से परामर्श करना संभव होना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि अन्य देशों में रेल सिर्फ रेलवे के पास नहीं है। कुछ देशों में रेलवे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं पास है।

श्री अनंत कुमार : रेलवे नहीं, मेट्रो रेल स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के पास हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील : हां, मेट्रो रेल स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं के पास हैं।

यह मेट्रो रेल राज्य सरकार के पास क्यों नहीं होनी चाहिए? इसे राज्य सरकार को देने में क्या कठिनाई है? मैं समझ सकता हूं कि यह मंत्रालय रेल पथ बना रहा है अथवा रेल पथ बनाने में भूमि खोदने और रेल की पटरी बिछाने में लगे लोगों भूमि अर्जन और अन्य कामों में लगे लोगों की सहायता कर रहा है। मैं नहीं समझता कि किस प्रकार से यह मंत्रालय इस काम को और बेहतर कर सकता है।

रेल विभाग इस काम को इस मंत्रालय से बेहतर कर सकता था। जहां तक मेट्रो रेल के निर्माण का संबंध है, यह मंत्रालय सही है। जहां तक मेट्रो रेल के चलाने और अनुरक्षण का संबंध है यह मंत्रालय मूल मंत्रालय के बराबर नहीं है। तब, यह कार्य इस मंत्रालय को क्यों दिया गया है। ऐसा क्यों है कि यह मंत्रालय इस विधेयक के साथ सदन के समक्ष आ रहा है? इस क्षेत्र में इस मंत्रालय के पास विशेषज्ञता नहीं है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रेल मंत्रालय के पास है।

यदि इस कार्य को रेल मंत्रालय को देना आवश्यक नहीं समझा गया तो राज्य सरकार द्वारा इस कार्य को अपने हाथों में लेने की इच्छा जाहिर करने पर केन्द्र सरकार के लिए इसे राज्य सरकार को देना संभव क्यों नहीं था? अनेक राज्य सरकारें हैं जो इस कार्य का जिम्मा अपने ऊपर नहीं लेना चाह रही हैं। कलकत्ता मेट्रो के मामले में संभवतः सरकार चाहती थी कि कलकत्ता मेट्रो को कलकत्ता महानगर प्राधिकरण के हाथों में दिया जाए। फिर भी, उनकी उस कार्य को अपने हाथों में लेने की इच्छा नहीं थी। यह मानते हुए कि महानगर में कोई सरकार इस कार्य को अपने हाथ में लेना चाहती है तो ऐसी दशा में यह कार्य उस सरकार को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? केन्द्र सरकार ने कानून में कुछ ऐसे उपबंधों की व्यवस्था की है जिनके अंतर्गत सरकार इस कार्य को न सिर्फ सरकारी एजेंसियों को बल्कि गैर-सरकारी एजेंसियों को भी देगी। यदि वे इस कार्य को गैर-सरकारी एजेंसियों को दे सकते हैं तो राज्य सरकार को क्यों नहीं दे सकते?

यदि वे इस कार्य को राज्य सरकार की नहीं देने जा रहे हैं, तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं हैं। संभवतः राज्य सरकारों के पास मेट्रो रेल को चलाने हेतु दी जाने वाली आवश्यक सुविधाएं प्रदानं करने के लिए पर्याप्त धन, पर्याप्त

[श्री शिवराज वि. पाटील]

तंत्र की कमी होगी। हम इस बात को समझ सकते हैं और हम इस पर जोर नहीं दे रहे हैं। फिर भी, क्या केन्द्र सरकार के लिए रेल प्रशासन को मेट्रो रेल चलाने के तरीके के बारे में निदेश देते समय राज्य सरकार से परामर्श करना आवश्यक नहीं होना चाहिए? केन्द्र सरकार को निदेश देने का अधिकार है। उनके पास इस कार्य में विशिष्ट हिस्सेदारी है। इसी तरह से दिल्ली सरकार भी इस गतिविधि में भाग ले रही है। इसमें इसने भी अपना योगदान दिया है। अत्यधिक महत्व और दूरगामी परिणामों वाले निर्देश देने से पहले केन्द्र सरकार राज्य सरकार से परामर्श क्यों नहीं करेगी? राज्य सरकार से रोज परामर्श करने की आवश्यकता तो नहीं हैं। लेकिन मेट्रो रेल प्रशासन किस प्रकार से मेट्रो रेल संचालित करे इस संबंध में दिशा निर्देश देने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार से परामर्श क्यों नहीं करेगी?

यदि दिल्ली सरकार इस प्रकार के अधिकार की मांग कर रही है तो मैं समझता हूं वह ऐसा करके कोई गलत कार्य नहीं कर रही है क्योंकि वह लोगों के प्रति जवाबदेह है। यदि मेट्रो रेल ठीक तरह से नहीं चलती तो शायद लोग दिल्ली सरकार के पास जाकर यह कहें, "आप यहां बैठे हो, आप हमारे प्रतिनिधि हो, आप हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हो?" शायद लोग इस तरह का रवैया अख्तियार करें। केन्द्र सरकार उनकी सहायता क्यों नहीं करेगी और उन्हें ऐसा मंच क्यों नहीं देगी जहां वे इकट्ठे बैठ सकें, एक-दूसरे के साथ परामर्श कर सकें, और फिर वे निर्देश दे सकें। आखिरकार, आखिरी शब्द तो केन्द्र सरकार ही बोलेगी। इसीलिए, दिशा निर्देश देने के संबंध में वह राज्य सरकार से परामर्श क्यों नहीं करेगी?

केन्द्र सरकार ने मेट्रो रेल प्रशासन को दिशा-निर्देश देने का अधिकार खुद अपने पास रखा है। वह इस बात को ध्यान में नहीं रख रही है कि यहां एक राज्य सरकार भी है जिससे परामर्श करना है और कायदे से महानगर में रहने वाले लोगों के लिए वही उत्तरदायी भी हैं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से इंकार भी नहीं किया गया है।

मुझे दुःख है कि मंत्री जी इस अध्यादेश को लेकर हमारे समक्ष आए हैं। अब यह हमारे सामने एक विधेयक के रूप में है। यदि सरकार इसमें संशोधन करना चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है। वह इसमें अभी भी संशोधन कर सकती है और बाद में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन क्या केन्द्र सरकार को इस सभा में हमें यह आश्वासन नहीं देना चाहिए कि मेट्रो रेल इस महानगर में रहने वाले लोगों के लिए ही है, इसीलिए इस महानगर में जो सरकार है उससे उस समय जब केन्द्र सरकार प्रशासन को दूरगामी परिणामों वाले निर्देश दे रही हो तो परामर्श अवश्य कर लिया जाना चाहिए।

कम से कम गह काम अब आप ही कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो मैं सोचता हूं इससे कुछ हद तक समस्या का समधान हो जायेगा। यह बाध्यकारी नहीं होगा। लेकिन परामर्श कर लिया जाना चाहिए। वह आपको अपनी दिक्कतें बताएगी, वह आपको यह बताएगी कि वह किस प्रकार से आपकी मदद करेगी और वह आपको बतायेगी कि वह कैसे अपना योगदान प्रदान कर सकती है। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? हम हमेशा शक्तियों के विकेन्द्रीकरण तथा यह और वह के संबंध में बातें करते रहते हैं। मेट्रो रेल के संबंध में राज्य सरकार से इस तरह का परामर्श क्यों नहीं किया जाता। हमें यह बात समझ में नहीं आई।

मेरा मूल विषय यह है कि यदि आप परिवहन की समस्या के प्रति पूर्णतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं, तो दिल्ली सरकार और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के साथ परामर्श लाभप्रद होगा।

कानून में ऐसे भी कतिपय उपबंध हैं जिनमें गैर-सरकारी रेल की बात कही गई है। इसका क्या तात्पर्य है? हम इसे समझना चाहेंगे। आपका क्या इरादा है? अब तक रेल विभाग सरकार के पास रहा है क्या आप ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं जिसमें रेल विभाग को गैर-सरकारी एजेन्सियों को दे दिया जायेगा? इसी प्रकार क्या आप रेल विभाग के निजीकरण की बात सोच रहे हैं, और यदि आप यह रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, तो आप इस तरह से घुमा-फिराकर सभा में बात न करें बल्कि आप सीधे-सीधे बात करें और हमें यह बताएं कि आप रेल विभाग का निजीकरण करेंगे और सदस्यों को अपने दृष्टिकोण बताने दें और फिर आप निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं।

आपके पास एक कानून है जिसके तहत आप गैर–सरकारी रेल की बात कर रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य है? मैं ठीक से यह समझाऊं और बताऊं कि गैर–सरकारी रेल का तात्पर्य उस रेल से है जिसे सरकार द्वारा नहीं वरन् कुछ अन्य एजेन्सियों द्वारा चलाया जायेगा। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देश में गैर–सरकारी रेल कहां हैं? यदि इसे निगम चलाता है तो निःसन्देह यह पूर्णतः गैर–सरकारी नहीं है। लेकिन यदि इसे गैर–सरकारी व्यक्ति से चलवाना है और यदि आपको यह निर्णय लेना है तो आप यह निर्णय ले लें। लेकिन यह निर्णय आप सोच–समझकर लें। आप इस निर्णय को पिछले दरवाजे से न लायें। यह ठीक नहीं है।

आप मेट्रो रेल का निर्माण कर रहे हैं और आप मेट्रो रेल को किसी गैर–सरकारी एजेन्सी को सौंपना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि वे ही इसे चलाएं। यदि वे इसी ठीक प्रकार नहीं चलाती हैं तो आप यह कहेंगे "हम क्या कर सकते हैं? हमने तो यह उनको दे दी थी लेकिन यह हो गया और वह हो गया, अतः यह सफल नहीं हुई और लोगों को तकलीफ हो रही है। उनको तकलीफ होने दो।"

ब्रिटेन में रेल का निजीकरण किया गया है। लेकिन आज ब्रिटेन की रेलवे के हालात ऐसे हैं कि उसका पुनः राष्ट्रीयकरण किए जाने की बात सोची जा रही है। निजीकरण से रेल विभाग को ब्रिटेन में कोई लाभ नहीं मिला है। यदि आप यह सोचते हैं कि रेलवे के निजीकरण से भारत में मदद मिल सकती है, तो आप यह कार्य करें, लेकिन सोच समझकर करें, इससे संबंधित सभी अच्छे–बुरे पहलुओं पर विचार करके यह निर्णय लें, इसे व्यवस्थित ढंग से करें और इसे बेढंगे तरीके से न करें। आप पिछले दरवाजे से इस निष्कर्ष पर न पहुंचें। रेलवे के निजीकरण के संबंध में यह पिछले दरवाजे से प्रवेश करना माना जायेगा।

वैसे हम निजीकरण के विरोधी नहीं हैं। हम गलत प्रकार के निजीकरण के विरोधी हैं। हम सरकारी एजेन्सियों द्वारा दिये गये धन से रेलवे का निर्माण करने के विचार के विरोधी हैं और बाद में इसे किसी गैर–सरकारी एजेन्सी को हस्तांतरित करने के विरोधी हैं। लेकिन, यदि आप यह सोचते हैं कि उन सभी कष्टों जिनको देश भुगत रहा है की रामबाण औषधि निजीकरण ही है। तो यह आपका दृष्टिकोण है। यह हमारा दृष्टिकोण नहीं है। निजीकरण कतिपय क्षेत्रों में आवश्यक है और निजीकरण हुआ भी है। हम इसके विरोधी नहीं हैं लेकिन हम यह नहीं सोचते कि निजीकरण ही रामबाण है। निजीकरण ही एकमात्र समाधान नहीं है जिससे इस देश के संकटों और कष्टों को दूर किया जा सकता है। यदि आपका यही विचार है तो आप सीधे आइये लेकिन इस तरह से पिछले दरवाजे से न आइये। ऐसा प्रतीत होता है कि आप पिछले दरवाजे से इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।

अब, मैं अपनी अंतिम बात पर आता हूं। आपने कहा है कि यह मेट्रो रेल विश्व की सबसे अच्छी रेलों में से एक होगी। लेकिन मंत्री महोदय, मैं आपसे और इससे संबंधित अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा कि सब कुछ ठीक–ठाक किया जाये। प्रशासन को बहुत बढ़िया ढंग से चलायें।

कृपया आप पुराने ढर्रे पर न चलें। प्रशासन और प्रबंधन ने आप कुछ नये तरीके खोजें, और इसके लिए आवश्यक सभी नये उपकरण आप उन्हें प्रदान करें। आप जो रेल प्रशासन प्रदान करें, उन्हें जो भी उपकरण दें, वह कम से कम आगामी 25 वर्षों तक प्रासंगिक बने रहें। यदि आप पुराने ढर्रे पर चलते हैं और यदि आप उन्हें ऐसे उपकरण देते हैं जिन्हें रेल विभाग अब इस्तेमाल कर रहा है और ऐसा प्रशासन देते हैं जिससे अब रेल विभाग संचालित हो रहा है तो मुझे खेद है कि दिल्ली शहर में और अन्य शहरों में भी यह निकट भविष्य में भी बहुत ज्यादा सहायक न होगी।

अतः, यह एक अवसर है जब आप यह कार्य कर सकते हैं। यदि आप यह कार्य इस समय नहीं करते हैं तो आप यह कार्य भविष्य में नहीं कर पायेंगे। इस समय प्रबंधन और प्रशासन के आधुनिक तरीके खोजना आपके लिए अधिक सरल है, और आपके लिए प्रबंधन, संचालन और रखरखाव आदि के लिए आवश्यक सभी आधुनिक उपकरण प्राप्त करना आपके लिए सरल है; लेकिन बाद में यह संभव नहीं होगा। कई बार हम पुराने तरीकों को ही अपनाते हैं, और 2–3 वर्षों बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह काम नहीं कर रहा है और तब हम आधुनिकीकरण चाहते हैं, जिससे मदद फिर नहीं मिलने वाली। 2–3 वर्षों के बाद इसके आधुनिकीकरण के प्रारम्भ में ही इसके आधुनिकीकरण में इस समय आने वाली लागत से ज्यादा लागत आ जायेगी। इसीलिए, विशेषज्ञ इस विषय पर बहुत सावधानीपूर्वक विचार करें और हम सबसे अच्छा प्रबंधन देने की विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कार्य

[श्री शिवराज वि. पाटील]

करें। यदि आप ऐसे किसी प्रबंधन की खोज करते हैं जो विश्व में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, तो हम उसे अपनायें। हम सभी नवीनतम उपकरणों और मशीनों का इस्तेमाल करें ताकि रेलवे से यात्रा करने वाले लोगों को सुविधाएं दी जा सकें। यदि आप यह कार्य करते हैं, तो आप एक बहुत बड़ी सेवा प्रदान करेंगे और इससे देश में परिवहन के अन्य सभी साधनों में भी मदद मिल जायेगी।

यह एक ऐसा विधेयक है जिस पर हर एक व्यक्ति द्वारा आपत्ति उठाना संभव नहीं है। इस विधेयक के सभी प्रावधानों पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। लेकिन कुछ विचारों और कुछ पहलुओं पर हमें जरूर आपत्तियां हैं और हमने उन आपत्तियों को प्रकट भी कर दिया है, लेकिन यह विधेयक पारित किये जाने योग्य है और मैं सोचता हूं, इसे सभा द्वारा पारित किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) विधेयक, 2002 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली भारत की राजधानी है। यहां वर्ष 1960 में लगभग 40 लाख की जनसंख्या थी और आज करीब डेढ़ करोड़ से अधिक दिल्ली की जनसंख्या है। दिल्ली शहर में रोजी–रोटी कमाने के लिए उत्तर प्रदेश, विहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि विभिन्न प्रांतों से लोग आते हैं। गरीब लोग आलीशान बस्तियों में अपने मकान नहीं ले सकते, इसलिए वे लोग दिल्ली की झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों, पुनर्वास बस्तियों, अनअथॉराइज्ड कालोनियों और मध्यम वर्ग की कालोनियों में रहते हैं। लोगों को अपने काम–धंधों पर जाने के लिए दिल्ली की परिवहन व्यवस्था ठीक नहीं है। आज दिल्ली की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मैं पूर्वी दिल्ली का सांसद हूं। पूर्वी दिल्ली में दिल्ली की एक–तिहाई आबादी रहती है। श्री शिवराज पाटील साहब यह बात आपने ठीक कही है कि यह अध्यादेश लाने की इतनी जल्दबाजी क्या थी। लेकिन आप दिल्ली की जनता से पूछें कि उन्हें अपने काम–धंधों पर जाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली की जनसंख्या के हिसाब से इस शहर में लगभग 15 से 20 हजार बसें चाहिए। लेकिन दिल्ली की कांग्रेस सरकार चार हजार बसों से अधिक बसें मुहैया नहीं करा पायी है। लोग परेशान हैं, वे अपने काम–धंधों पर नहीं जा सकते है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : हम इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी : मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि इसकी जरूरत क्यों हुई। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हमारे सारे सांसद मित्र देश के चाहे जिस प्रांत से आते हों, लेकिन वे दिल्लीवासी भी हैं। इनके प्रांतों के रहने वाले मेरी कांस्टीट्यूएंसी में लाखों की संख्या में रहते हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह : आप भी हमारे ही प्रांत के हैं।

श्री लाल बिहारी तिवारी : जी हां, मैं भी इन्हीं के प्रांत का हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार दिल्ली की परिवहन व्यवस्था तक को नहीं सुधार पा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि डी.टी.सी. की इतनी बुरी हालत है कि उसके कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल रहा है और वे परेशान हैं। अगर मेट्रो भी उनके हवाले दे दें तो दिल्ली का राम मालिक है। मैं कहना चाहता हूं कि आज आपने वर्कर्स से पूछिये कि दिल्ली में बिजली, पानी और यातायात की व्यवस्था चरमरा गई है, आपकी सरकार वही सुधार ले। भारत सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल को चलाने का जो प्रयास किया और जल्दबाजी की और आर्डिनेन्स लाई और आज बिल लाए हैं, मैं उसके लिए अनन्त कुमार जी को दिल्ली की जनता की ओर से बधाई देना चाहता हूं।

मुझे याद है आपके प्रयास से जब 17 सितम्बर के दिन देश के उप प्रधान मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी कोरिया से मंगाए गए डिब्बों का निरीक्षण करने के लिए गए तो हम लोगों को पास बहुत थोड़ी संख्या में मिले थे। अगर पाटिल साहब जाते वजीराबाद रोड पर शास्त्री पार्क में, जहां

वे डिब्बे लाए गए हैं, वहां लगभग 20000 आदमी मेट्रो रेल को देखने के लिए तड़प रहे थे। कैसी बढ़िया मेट्रो रेल है! वाह री भारत सरकार! कोरिया से इतने सुन्दर डिब्बे मंगाए जिसमें 15000 लोगों के आने-जाने की व्यवस्था है तथा और डिब्बे भी होंगे। मैं कहना चाहता हूं दिल्ली की परिवहन व्यवस्था ठीक नहीं है। मैट्रो रेल दिल्ली के इतिहास में वरदान साबित होगी। इसके रेट भी मैंने अखबार में पढ़ा है कि चार रुपये से सात रुपये तक रखे गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली शहर 1400 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है और दिल्ली के अंदर मेट्रो के जाल को और बिछाने की आवश्यकता है। यह जो 2005 तक हमारी योजना है, वह 62 किलोमीटर लंबी लाइन की है और उसमें सबसे पहले जो तीस हजारी से शाहदरा बताया है, वह मेरा संसदीय क्षेत्र ही है। 8 किलोमीटर के करीब वह दूरी है। चार रुपये से सात रुपये तक का जो किराया दिया गया है और आने जाने का समय इतना कम है कि सात मिनट में पहुंच जाएगा। इस घनी आबादी के शहर में अपने काम-धंधों पर जाने के लिए लोग कितना परेशान होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह मेट्रो जो शाहदरा से तीस हजारी और सबसे पहले मेरे संसदीय क्षेत्र में शुरू हो रही है। उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं अनन्त कुमार जी को जो हमारे शहरी विकास मंत्री हैं। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता कि रेल मंत्रालय चलाता तो अच्छा था या शहरी विकास मंत्रालय चलाता तो अच्छा था। दिल्ली की जनता को इससे कोई लेना-देना नहीं है। सवाल यह है कि दिल्ली की गरीब जनता को, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाली जनता को अपने काम-धंधों पर पहुंचने के लिए एक समुचित व्यवस्था चाहिए और वह व्यवस्था निश्चित रूप से मेट्रो हो सकती है।

महोदय, दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत है। आपको ध्यान होगा कि पहले चौराहों पर एक मिनट खड़े रहे तो आंखों में मिर्च लगती थीं। अब सी.एन.जी. के कारण उसमें सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी दिल्ली शहर बहुत प्रदूषित है। मेट्रो के चलने से जहां समय बचेगा, वहीं प्रदूषण में भी कमी होगी। अभी कहा गया कि मेट्रो रेल के संबंध में दिल्ली सरकार को कंसल्ट नहीं किया गया। मेरे पास एक पत्र है जिसमें बताया गया है कि वह प्रपोजल 26 सितम्बर, 2000 को भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को भेजा और डेढ़ साल तक वह अपनी राय नहीं दे पाई। इनके दिमाग में दिल्ली की जनता के प्रति कितनी संजीदगी है। अगर भारत सरकार इस पर चिन्ता न करती तो दिल्ली के लोगों को जो सहूलियत मिली है और एक उम्मीद जगी है, वह नहीं मिल सकती थी।

मैं आपके माध्यम से इस बिल को सपोर्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि यहां पर दिल्ली गवर्नमेंट को भी कॉनफिडेन्स में लिया गया है। अभी बताया गया है कि टैरिफ कमेटी में दिल्ली गवर्नमेंट को शामिल किया गया है। उनकी सलाह से रेट तय किये गये हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि भारत सरकार ने दिल्ली गवर्नमेंट को कंसल्ट नहीं किया। पूरी सलाह की गई थी। जब निरीक्षण का कार्यक्रम था तो भारत सरकार की तरफ से जहां हमारे उप प्रधान मंत्री थे, शहरी विकास मंत्री थे, वहीं दिल्ली के लैफ्टिनेन्ट गवर्नर और मुख्य मंत्री भी थीं।

वहां परिवहन मंत्री मौजूद थे। वहां उपस्थित मंत्रियों और जनसमूह को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार में कोई भेद है। बिना भेदभाव के भारत सरकार ने दिल्ली की जनता के फायदे के लिए मैट्रो रेल का निर्माण किया है। मैं मंत्री जी को विशेष रूप से बधाई इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि मेट्रो रेल सबसे पहले मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रारम्भ हो रही है। चूंकि सबसे पहले यह मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रारम्भ हो रही है। इसलिए मैंने इस पर बोलने के लिए अपना नाम दिया था।

महोदय, मैं सदन में बताना चाहता हूं कि वर्ष 1993 में जब दिल्ली विधान सभा के चुनाव हुए थे उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उस समय श्री मदन लाल खुराना जी मुख्य मंत्री थे और मैं भी मंत्रि परिषद् का सदस्य था। उस समय हमने यह योजना बनाई थी और उसी समय अपने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का गठन किया था। उस समय हमने दिल्ली की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए यह कदम उठाया था। आज दिल्ली की कांग्रेसी सरकार पूरी दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि मेट्रो रेल का संचालन दिल्ली सरकार को देना चाहिए। मेट्रो रेल भारत सरकार का उपक्रम है। कलकत्ता में भी यह चल रही है। वहां भी भारत सरकार ही इसे चला रही है। मुम्बई में भी चल रही है। वहां भी भारत सरकार ही इसे चला रही है। इसलिए इसे भारत सरकार द्वारा ही चलाया जाना चाहिए।

[श्री लाल बिहारी तिवारी]

महोदय, दिल्ली सरकार का यह कहना भी ठीक नहीं है कि दिल्ली सरकार को इस कार्य में सम्मिलित नहीं किया गया है। मेरा कहना है कि इस बारे में हर विषय पर दिल्ली सरकार को भारत सरकार ने कंसल्ट किया है। इसे देखकर हमें नहीं लगता कि भारत सरकार ने दिल्ली सरकार के साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया है।

महोदय, जैसा मैंने बताया, दिल्ली में 62 किलोमीटर की दूरी में यह रेल लाइन लगभग 12 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। पहले इसकी अनुमानित लागत 10 हजार करोड़ रुपए थी, लेकिन अब यह धनराशि बढ़कर 12 हजार करोड़ रुपये हो गई है। इसमें प्रथम मेट्रो रेल शाहदरा से तीस हजारी तक चलनी है। यह क्षेत्र मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। इसी प्रकार चान्दनी चौक से शाहदरा तक रेल लाइन चलेगी। वह क्षेत्र हमारे विजय गोयल जी का संसदीय क्षेत्र है। मैं सदन में बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस 25 दिसम्बर को है। मेरा आग्रह है कि उस दिन उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मेट्रो रेल को राष्ट्र को समर्पित किया जाए। इसके लिए मैं मंत्री महोदय का अपनी ओर से, सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर से तथा पूरी दिल्ली की जनता की ओर से आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर तीस हजारी से शाहदरा तक रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया जाए। मुझे आशा है कि मंत्री जी मेरी प्रार्थना पर जरूर ध्यान देंगे।

महोदय, मैं एक बात आपके माध्यम से सदन में और बताना चाहता हूं कि पूर्वी दिल्ली की पापुलेशन 40 लाख से अधिक है। यहां पर हमने एक प्रस्ताव रखा था कि दिलशाद गार्डन से विवेक विहार, हरगोविन्द एन्क्लेव, प्रताप बिहार और विकास मार्ग होते हुए बाराखम्भा तक एक और मेट्रो लाइन डाली जाए, लेकिन दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने इस प्रस्ताव को ड्राप कर दिया जिससे दिल्ली की पूरी जनता के अन्दर इस बात पर रोष है। मेरी मांग है कि इस रेलवे लाइन को बनाने के प्रस्ताव को ड्रॉप न किया जाए बल्कि इस योजना को चालू किया जाए। तभी दिल्ली की परिवहन व्यवस्था सुधर सकती है। इसी प्रकार से तीस हजारी से एक लाइन शास्त्री पार्क से गोकलपुरी, नन्द नगरी होते हुए दिलशाद गार्डन तक बिछाई जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार इस प्रकार का प्रयास जारी रखेगी क्योंकि जितनी दिलचस्पी भारत सरकार ने इस लाइन को बनाने में दिखाई है, उतनी ही शीघ्रता से मेरे द्वारा बताई दो अन्य लाइनों को बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार करेगी।

भारत के उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कच्छ में एक मीटिंग में भी इस पर चिन्ता जताई थी कि इसको शीघ्र चालू करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर जल्दी काम किया जाए। मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसके संचालन के लिए एक सलाहकार समिति अवश्य बनाई जाए जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल के नेतृत्व में कुछ लोगों को सदस्य बनाया जाए और उनमें संसद–सदस्य और विधायकों को सदस्य बनाया जा सकता है और इस प्रकार से मेट्रो रेल के संचालन के लिए एक समिति बनाई जा सकती है।

सायं 6.00 बजे

मेरा निवेदन है कि आपके उपराज्यपाल द्वारा या कल को यदि यह पूर्ण राज्य हो जाता है तो उस समय गवर्नर के नेतृत्व में एक सलाहकार समिति होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : छः बज चुके हैं और अभी दो–तीन वक्ता और बोलने वाले हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट बिल है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : इस बात की कोई वचनबद्धता नहीं है कि हम प्रतिदिन छः बजे के बाद भी बैठेंगे। यह समझौता केवल तीन दिनों के लिए था और अब यह समाप्त हो गया है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, समिति के सदस्य यहां उपस्थित हैं। आज अचानक हम एक विषय पर विचार करने लगे जो पौने पांच बजे तक चलता रहा। प्रायः अपराह्न 2 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक, हम दो या तीन विधेयक पारित करते थे। यदि चर्चा नहीं होगी, तो विधेयक कैसे पारित

किया जा सकता है? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी विधेयक पारित कर दिये जाएं, लेकिन कम से कम इस मेट्रो रेलवे विधेयक को जो सभा के विचाराधीन है, आज पारित कर दिया जाए।

श्री बसुदेव आचार्य : कल हम यह चर्चा जारी रख सकते हैं। चार बजे कल नियम 193 के अन्तर्गत एक चर्चा होनी है और इससे पहले इस विधेयक को पारित किया जा सकता है।

श्री प्रमोद महाजन : कल नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा के अलावा एक अन्य कार्य भी है। इसीलिए, कृपया सहयोग करें...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं, महोदय, आप इस पर कल चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको क्या करना है?...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : आप रोज–रोज ही छः बजे के बाद भी हाउस को चलाते हैं।...*(व्यवधान)* लेट बैठने की बात केवल तीन दिन के लिए ही तय हुई थी। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : आप रोज ही बैठते हैं इसलिए आपको कोई प्रौब्लम है। जो रोज नहीं बैठते, उनको कोई प्रौब्लम नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हम रोज तो बैठते हैं। किस दिन हम नहीं बैठे?...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : तिवारी जी अपना भाषण खत्म कर रहे हैं। आप कृपया इसे आज पास करा दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सदन की सहमति से सदन का समय बिल पास होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री लाल बिहारी तिवारी : मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद) : सभापति महोदय, मैं यहां केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री द्वारा रखे गए मेट्रो रेल विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी खुशी का इजहार करना अथवा कर्तव्य समझता हूं कि कोलकाता के अलावा किसी अन्य शहर में दूसरी मेट्रो रेल सेवा मेरी शुरू हो रही है। साथ ही साथ मेरी यह मांग है कि कोलकाता और नई दिल्ली के अलावा अन्य, महानगरों में भी इसकी सख्त आवश्यकता है क्योंकि मानवीय सदस्य श्री शिवराज वि. पाटील द्वारा पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि सभी महानगर अब भीड़भाड़ वाले होते जा रहे हैं। सभी महानगरों में पूरी यातायात प्रणाली बहुत ही व्यस्ततम है। अतः दूसरे अन्य महानगरों में भी मेट्रो रेल की सख्त आवश्यकता है। यह मेरी पहली मांग है।

मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। जब माननीय मंत्री निरनुमोदन संकल्प पर बोले थे तो उन्होंने कहा था कि पूरे विश्व में मेट्रो रेल का रख–रखाव रेलवे द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि स्थानीय निकायों और स्वायत्तशासी निकायों द्वारा भी इसका रख–रखाव किया जाता है। मैं उनसे इस संबंध में सहमत हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार दुर्भाग्यवश राज्य सरकार के पास न जाकर स्थानीय और स्वायत्तशासी निकायों के पास जाने का प्रयास कर रही है। वह राज्य सरकार की सत्ता को नकार रही है। वह ऐसा क्यों कर रही है?

दूसरी बात मंत्री जी ने यह भी कहा है कि भाड़े ढांचे के लिए न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक शुल्क समिति होगी। राज्य सरकार का एक सदस्य और भारत सरकार का भी एक सदस्य होगा। मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह पर्याप्त है? मेरे विचार से राज्य सरकार और भारत सरकार के एक–एक सदस्य का होना पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यह अब तक हमारे अनोखे संघीय ढांचे के अनुसार नहीं है।

दो बातें मेरी समझ से परे हैं। इसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि अध्यादेश प्रख्यापित करने की क्या आवश्यकता थी। जब शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला ही था तो अध्यादेश का प्रख्यापन किया गया। यह मात्र स्थायी समिति को बाहर करना था। यह एक बड़ा विधेयक है

[श्री मोइनुल हसन]

और यदि यह स्थायी समिति के पास जाता है तो यह विधेयक के सभी पहलुओं की जांच करेगी। लेकिन स्थायी समिति इस अध्यादेश के प्रख्यापन के कारण अब चर्चा करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए स्थायी समिति या उचित प्रक्रिया को दरकिनार कर देना सरकार का प्रयास नहीं होना चाहिए। यह पहले ही इस महान सभा में उल्लेख किया जा चुका है। खुद उच्चतम न्यायालय ने भी विभिन्न अवसरों पर यह कहा है कि ऐसा करना सरकार के लिए ठीक नहीं है।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली मेट्रो रेल शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत क्यों हो। इसकी पहले भी हर जगह चर्चा हो चुकी है और मंत्री जी पहले भी कह चुके हैं कि यह रेलवे के अंतर्गत क्यों नहीं है। लेकिन यह विशेषज्ञता का प्रश्न है। इसे रेल मंत्रालय के अंतर्गत होना चाहिए। जहां तक अनुरक्षण और परिचालन का सवाल है, यह विशेषज्ञता का प्रश्न है और इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः रेल मंत्रालय की है। शहरी मंत्रालय के पास इसकी विशेषज्ञता बेतुकी बात है। ऐसा मंत्री जी द्वारा पहले ही विधेयक में कहा जा चुका है। कथन और कारण की उक्ति की पहली लाइन में विशेषज्ञता और अन्य बातों की अपर्याप्तता का उल्लेख हुआ है। इसलिए इस मेट्रो रेल के प्रबंधन की विशेषज्ञता शहरी विकास मंत्रालय के पास नहीं है लेकिन वह इस प्रणाली का परिचालन करने जा रहा है। मुझे शहरी विकास मंत्रालय की विशेषज्ञता पर संदेह है। मंत्री जी खुद यह बात जानते हैं। मेरा प्रश्न है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है?

तीसरी बात यह परियोजना दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन समिति द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इसमें विदेशी साझेदारी भी है। यह सहभागिता 15 : 15 है और इस पर यहां विस्तार से चर्चा की गई है क्योंकि यह न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि केन्द्र सरकार से भी संबंधित है और यह देश की अनोखी संघीय ढांचा प्रणाली से संबंधित है। मेरा मानना है कि दिल्ली सरकार के सहयोग बिना दिल्ली मेट्रो रेल का रख-रखाव संभव नहीं है। इसलिए समय पर दिल्ली सरकार के साथ उचित परामर्श करना बेहतर है।

मैंने विधेयक की विभिन्न धाराओं को पढ़ा है और मैंने यह पाया है कि वे सभी शक्तियां भारत सरकार के हाथों में सौंपने का प्रयास कर रहे हैं। यह शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण की अवधारणा के विरुद्ध है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर उचित ढंग से विचार किया जाना चाहिए।

जहां तक मेट्रो रेल में सुरक्षा का प्रश्न है पूरे देश में इसकी बड़ी चर्चा है। हमारी रेलवे में सुरक्षा की क्या स्थिति है? जब भी कोई दुर्घटना होती है हम उसकी हमेशा चर्चा करते हैं। लेकिन मैं अन्य रेलवे के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जहां तक इसके शहरी विकास मंत्रालय के अधीन लाये जाने का प्रश्न है, हमारे पास बहुत कम अनुभव है। कोलकाता मेट्रो रेल का संचालन रेल विभाग द्वारा होता है। लोग कोलकाता में भारत सरकार के रेल विभाग द्वारा किये गए उपायों के बारे में बात कर रहे हैं। हमने देखा है कि यह अद्यतन नहीं है। हर बार इसकी चर्चा करते हैं कि हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश रेलवे ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। कोलकाता मेट्रो रेल के यात्रियों के लिए उचित सुरक्षा नहीं है।

मैं नहीं जानता हूं कि 25 दिसम्बर को मेट्रो रेल शुरू हो जाने के बाद क्या होगा? कोई नहीं जानता है। मेरा मानना है एक बार बुरे दिन आएंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसा न हो। मेरी ऐसी इच्छा नहीं है। जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, हमें उचित देखभाल करनी चाहिए। जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, इस विधेयक में भारी भ्रम की स्थिति है। मंत्री जी ने खुले रूप से अपने वक्तव्य में कहा है कि रेलवे से एक सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति की गई है। मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं। मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मेट्रो रेल हमारे देश में एक अनोखी प्रणाली है। श्री बसुदेव आचार्य और श्री शिवराज वि. पाटील की इस बात में मैं पूरी तरह सहमत हूं कि यह एक अनोखी प्रणाली है। मैं यह चाहूंगा कि इस विधेयक में खामी को सही ढंग से दूर किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. बी. बी. रमैया (एलूरू) : माननीय सभापति महोदय, दिल्ली मेट्रो परिचालन और अनुरक्षण विधेयक, 2002 अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित है। हमें इसका समर्थन करना है। धनराशि देते समय भी हमने अनुरोध किया था कि जैसे-जैसे महानगरों में यातायात बढ़ता है तो हम यह सुनिश्चित करें

कि यातायात की समस्याओं और प्रदूषण समस्याओं को भी कम करने हेतु सभी महानगरों में उसी तरह का प्रयास हो।

सायं 6.12 बजे

(**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए।*)

अब दिल्ली की चर्चा करते हैं। मैं इस बारे में ज्यादा चिन्तित नहीं हूं कि रेलवे का कौन परिचालन करने जा रहा है चाहे वह रेलवे हो अथवा शहरी विकास मंत्रालय अथवा राज्य सरकार। लेकिन इसमें उन विशेषज्ञ लोगों कि आवश्यकता है हो इसका परिचालन और रख–रखाव कर सकें। उन्हें यह देखना चाहिए कि इसका संचालन बड़े पैमाने पर लोगों के हित में हो। लोगों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है विश्व के विभिन्न भागों में अलग–अलग प्रणाली है। लंदन में दूसरी तरह की प्रणाली है। जगह–जगह पर इसका शुल्क अलग–अलग है। न्यूयार्क में इसका मानकीकरण कर दिया गया है। पेरिस में प्रणाली अलग है। प्रणाली को सरल किया जाना चाहिए और इसे परिचालन के संदर्भ में लाभप्रद होना चाहिए। इसे दुर्घटना मुक्त होना चाहिए। जिन उद्देश्यों के लिए इसकी शुरूआत की गई है उसका हित साधन होना चाहिए। इस मेट्रो रेल की उचित देखभाल की जानी चाहिए, और इसे मानक होना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि कोलकाता में इसका किस तरह परिचालन किया जा रहा है। फिर भी यह प्रणाली जिसे देश के विभिन्न भागों में अपनाया जा रहा है पर विचार किया जाना चाहिए और उन्हें हमारे लोगों को बेहतर सेवा देने का प्रयास करना चाहिए।

मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री को यह देखना चाहिए कि चेन्नई, बंगलौर और अन्य शहरों में जहां यातायात एक गंभीर समस्या बन चुकी है और जहां मेट्रो रेल पूर्णतः आवश्यक हो गई है, इस प्रणाली को लाया जाना चाहिए। मैं आपको ऐसा करने की शुभकामना देता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, मेट्रो रेलवे के बारे में हम दिल्ली में देखते हैं कि काफी काम हो रहा है। जमीन के ऊपर पिल्लरों पर यह ट्रेन चलेगी। हम लोग पहले यह समझते थे कि मेट्रो रेल जमीन के अंदर चलेगी। कोलकाता की मेट्रो रेल पर हमने यात्रा की है, वह जमीन के अंदर चलती है। तिवारी जी ने ठीक कहा कि जब किसी शहर की आबादी ज्यादा हो जाए, तो ऐसी परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए। यह भी ठीक है कि दिल्ली की जनसंख्या 1912 में केवल चार लाख थी और अब 1 करोड़ 44 लाख के करीब हो गई है। इसमें भी हमारे लोग ज्यादा हैं और वही लोग ज्यादातर मेट्रो रेल का उपयोग करेंगे। ये सारे हमारे लोग काम करने वाले हैं इसलिए एक जगह से दूसरी जगह ये लोग जाएंगे। दिल्ली में हमने देखा है कि ट्रैफिक जाम एक साधारण बात है। अभी पाटील जी ठीक कह रहे थे कि जब ज्यादा ट्रैफिक हो जाए, प्रदूषण हो जाए तो उससे बचाव का एक तरीका है और वह है मेट्रो रेल चलाना।

कई माननीय सदस्यों ने आर्डिनेंस राज की और इस बिल पर भी आर्डिनेंस लाने के लिए सरकार की आलोचना की है। मंत्री जी इस आर्डिनेंस को लाने की सफाई दे रहे थे। हम मेट्रो रेलवे की खिलाफत नहीं कर रहे हैं। आर्डिनेंस लापरवाही चलते सरकार लाती है। पहले से बिल लाना चाहिए, पहले से यह सुविचारित होता, हम सब लोग तो समर्थन में हैं कि मेट्रो रेल चले और केवल दिल्ली में ही नहीं चले बल्कि मैट्रोपालिटन टाउन्स में चले और यातायात को ठीक बनाया जाए। इसमें हमें कहां एतराज है? लेकिन ये कह रहे थे कि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है। फिर वह कैसे चला पाएगी? अब उद्घाटन कौन करेगा? दिल्ली सरकार कह रही है कि राष्ट्रपति जी करेंगे और भाजपाई कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री जी या आडवाणी जी करेंगे। ये सब बातें अखबार में आई हैं जिससे जनता में कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि वैसे तो दिल्ली या भारत सरकार दोनों का इसमें हिस्सा बराबर है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का बराबर का हिस्सा है। किस हिसाब से कहते हैं कि भारत सरकार का इसमें ज्यादा काम है? दूसरे देश के उदाहरण अपने देश में दे रहे थे कि जब कोलकाता में रेल विभाग के अंतर्गत है तो आप यहां अर्बन में क्यों खींचना चाहते हैं? क्या कोलकाता रेल विभाग वहां सफल नहीं है? इसका कुछ अनुभव, कुछ जानकारी वहां से ली गई है कि जो वे नहीं ले सके थे तो अर्बन वालों के हाथ में दे दिया जाए। इस बात को साफ करना पड़ेगा कि किस वास्ते आप इसको खींचना चाहते हैं? चूंकि एक जगह यह है और सब लोग जानते हैं कि उसका अनुभव, उसकी जानकारी, उसके

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

विशेषज्ञ वे इस मामले में हैं और कोलकाता में काम कर रहे हैं। तब यहां कैसे अर्बन के हाथ में चला आया? इस बात को साफ करना जरूरी है। एक जगह लिखा होता है कि सरकारी मेट्रो रेल–यह सरकारी और गैर–सरकारी वाला सवाल पाटील साहब ने उठाया। रेल मंत्री जी का बयान है कि हम प्राइवेटाइज नहीं करना चाहते हैं बाकी सारी चीजों में प्राइवेटाइज कर रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कि कब रिलाएंस इसको ले लेगा। जैसा चाहता है, करा लेता है। इसीलिए हम इन सब बातों पर सरकार से सफाई चाहते हैं। असली विषय जनता का विषय है और वह भाड़ा तय करने के संबंध में है। भाड़ा तय करने के मामले में जनता के प्रतिनिधि क्यों नहीं हैं? जो पैसेंजर चढ़ेंगे, वे जनता के हैं और जनता को क्या कठिनाई होगी, यह जनता को मालूम है। इसलिए इस पर बात साफ की जानी चाहिए कि इसमें जनता का एक भी आदमी क्यों नहीं है? इस तरह से जन प्रतिनिधियों को इसमें से क्यों हटाना चाहते हैं?

कुंवर अखिलेश सिंह : यह जनप्रतिनिधियों की विरोधी सरकार है, ये कहां से रखेंगे?...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : जनता का एक भी आदमी उसमें नहीं रख रहे हैं इसलिए इसमें संशोधन किया जाए। रेल में लोग चढ़ेंगे। उसमें सीनियर सिटीजन भी होता है, स्टूडेंट भी होता है, गरीब आदमी होता है, मेहनत–मजदूरी करने वाला भी आदमी होता है, उसके लिए कोई कंसेशन नहीं है। मिनिस्टर सब पास इत्यादि सुविधा अपने समर्थकों को दे देते हैं, जैसा कि रेल में होता है लेकिन असली में जो सीनियर सिटीजन हैं, गरीब आदमी है, बेरोजगार है, मेहनत–मजदूरी करने वाला है या 1000–1500 रुपये महीना कमाने वाला वेतनभोगी है, वह एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसका तो वेतन ट्रेन के भाड़े में ही चला जाएगा तो फिर झंझट होगा। इसके बारे में सरकार क्या इन्तजाम कर रही है? यह हम जानना चाहते हैं।

एक अंतिम सवाल सुरक्षा का आता है। हम देख रहे हैं कि आतंकवादी कहां–कहां घुस जाते हैं। मंदिर में घुस जाते हैं, पार्लियामेंट पर भी अटैक हो चुका है, हर जगह घुस जाते हैं। यह तो जमीन के तल से ऊपर चलेगी, इसलिए सुरक्षा का सवाल सर्वोपरि है यह गृह मंत्री से कंट्रोल नहीं हो रहा है। कहीं उपद्रव होगा तो पाकिस्तान और आई.एस.आई. का नाम लिया जाएगा। नाम लेने से काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए सुरक्षा के मामले में हम चाहते हैं कि सरकार अपना दृष्टिकोण साफ करे और सैफ्टी मैजर्स पर भी ध्यान दे जिससे दुर्घटना न हो क्योंकि ट्रेन में दुर्घटना होती है तो कह दिया जाता है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि वहां पुल वगैरह कमजोर बने हुए हैं। लेकिन इस रेल में सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसके लिए सरकार द्वारा क्या सावधानियां बरती जा रही हैं? हम लोग सावधानी से काम कर रहे हैं, लेकिन यह काम रेल विभाग को दिया होता, तो ज्यादा अच्छा होता। इसलिए जनता को कैसे फायदा हो, इस पर विचार करना चाहिए। 25 दिसम्बर को उद्‌घाटन कर रहे हैं, लेकिन जो काम बचा हुआ है, वह कब तक पूरा होगा। बाकी बचे हुए काम को जल्दी पूरा करें।...*(व्यवधान)* हम लोग जिस काम में गड़बड़ी है, उसके खिलाफ हैं, मेट्रो के खिलाफ नहीं हैं। हम लोग मेट्रो रेल के निर्माण के साथ हैं। इससे यातायात में फायदा होगा। लोग लालबत्ती से बचेंगे, क्योंकि वहां रुकने में समय लगता है। यह एक अच्छा काम किया है। हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं। जनता के फायदे के लिए कौन सरकार आगे आती है, उसको हम देखेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ठीक काम कर रहे हैं और इस विधेयक को पास किया जाए।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : सभापति महोदय, सर्वप्रथम, मैं दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी माननीय सदस्यों विपक्ष के उपनेता, अनुभवी सांसदगण श्री शिवराज पाटील, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, डा. बी. बी. रमैया, श्री लाल बिहारी तिवारी और दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) विधेयक का समर्थन करने वाले प्रत्येक संसद सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं एक या दो बातें अत्यंत संक्षेप में स्पष्ट करना चाहता हूं। मेट्रो रेल न तो भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की है और न ही खुद दिल्ली सरकार की। यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत गठित दिल्ली मेट्रो रेल निगम से संबंधित है। यह शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता भर है। दिल्ली

मेट्रो को कौन चलाता है? यह दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा संचालित की जाती है जिसमें रेल मंत्रालय के और अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञ होते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील : लेकिन निर्देश कौन देगा?

श्री अनंत कुमार : मैं इसके बारे में बाद में उल्लेख करूंगा।

उस समय एक प्रश्न यह था कि नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी। यद्यपि यह शक्ति भारत सरकार के पास है, फिर भी हमने निर्णय लिया है कि सभी नियम दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा ही बनाए जाएंगे जिनमें पांच निदेशक भारत सरकार द्वारा और पांच निदेशक दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबन्ध निदेशक अत्यंत ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ हैं जिन्होंने इस देश की कोंकण रेलवे का निर्माण किया है और चेयरमैन शहरी विकास सचिव होंगे। इसलिए यह व्यावसायिक निकाय है जो नियम बनाएगा जो सांविधिक प्रावधानों के कारण भारत सरकार द्वारा ही अधिसूचित किए जाएंगे।

दूसरी बात यह कि इसमें भारत सरकार और दिल्ली सरकार के भी पांच-पांच प्रतिनिधि होते हैं इसलिए इसमें कभी-कभार विचार-विमर्श के बजाय प्रतिदिन विचार-विमर्श हो सकेगा। वे आपस में प्रतिदिन विचार-विमर्श करेंगे। वास्तव में भारत सरकार या दिल्ली सरकार व्यावसायिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगी।

महोदय, मैं इस बात पर सभा के विचारों से पूरी तरह सहमत हूं कि इस प्रकार के मामले अध्यादेश के माध्यम से नहीं लाए जाने चाहिए। लेकिन वर्ष 2000 में इस मामले में ड्राफ्ट दिल्ली मेट्रो रेलवे (आपरेशन एंड मेन्टीनेन्स) बिल तैयार किया गया। हमने सितम्बर, 2000 में इसे रेल मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय और दिल्ली सरकार को परिचालित किया।

हमने 10 अनुस्मारक भेजे। हमें सितम्बर, 2001 में उनके जवाब मिले और दिल्ली सरकार ने तो सितम्बर, 2002 में काफी देर से जवाब दिए।

मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह देश की उन परियोजनाओं में से एक है जो निर्धारित समय से पहले पूरी हो रही है। इसका अर्थ है जो कार्य हम पांच वर्ष में करते थे वह हम चार वर्षों में पूरा कर रहे हैं, जो कार्य हमें सात वर्षों में पूरा करना था वह काम हम पांच वर्षों में पूरा कर रहे हैं। इस गति से मेट्रो का कार्य चल रहा है। यह निर्धारित समय से पहले शुरू हो रही है। इसलिए, हमें इस प्रयोजनार्थ जल्दी-जल्दी एक अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी।

मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं पूरी सभा को और इस सभा के माध्यम से दिल्ली के लोगों और देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा संचालित यह मेट्रो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत विशेष उद्देश्यों से प्राचलित वाहन है। इसलिए हमने इसे गैर-सरकारी रेलवे कहा है, क्योंकि यह न तो केन्द्र सरकार से संबंधित है और न ही राज्य सरकार से। लेकिन इस विधेयक का विशेष उद्देश्यों वाले वाहन के रूप में रेलवे के निजीकरण और गैर-सरकारी रेलवे से कुछ लेना देना नहीं है। इस मेट्रो रेलवे के बारे में इस प्रकार की अलग व्यवस्था है क्योंकि यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आती है। इसका रेलवे या रेल अधिनियम से कोई लेना देना नहीं है। मैं इसके बारे में माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि मेट्रो में रेल मार्ग, रोलिंग स्टॉक, सिगनल प्रणाली और अन्य सभी प्रयोजनार्थ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सामग्री प्रयोग की गई है। यह नवीन प्रौद्योगिकी है। इसलिए आराम और सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप 25 दिसम्बर से विश्वस्तरीय मेट्रो रेल यात्रा करें। ''देखने पर ही विश्वास करें'' वाली कहावत है। लेकिन यहां मेरा कहना यह नहीं है कि देखने पर ही विश्वास करें लेकिन यहां 'इससे यात्रा करने पर ही विश्वास हो जायेगा'। इसलिए आप खुद मेट्रो के गुणों को जान सकेंगे।

श्री के. ए. सांगतम (नागालैंड) : क्या आप संसद सदस्यों को निशुल्क पास देंगे?

श्री अनंत कुमार : हम आप सभी लोगों से यह अनुरोध करेंगे कि आप एक बार मेट्रो से स्पेशल यात्रा करके देखें।

अंततः केन्द्र सरकार ने केरल इक्विटी के माध्यम से

बल्कि डालर–रुपये की असंगति के बावजूद जापानीज बैंक आफ इंटरनेशनल कारपोरेशन से मिलने वाली अठारह हजार करोड़ रुपये से भी अधिक राशि की पूर्ण गांरटी दी है। हम भारत जापान संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह भारत जापान संबंधों की स्वर्ण जयंती वर्ष में एक अत्यंत प्रशंसनीय कार्य है। एक बार पुनः मैं आप सबको, पूरा सहयोग देने के लिए धन्यवाद देता हूं। क्या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे एक बात कहनी है। खण्ड 86 में निम्न बातें कही गई हैं :

"इस अधिनियम के पूर्णगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेट्रो रेल प्रशासन, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों और कृत्यों के निर्वहन में नीति के उन प्रश्न संबंधी निदेशों द्वारा आबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित में समय–समय पर दिए जाएं।"

अब प्रश्न निदेश देने का है और निदेश देने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है। अतः निश्चय ही केन्द्र सरकार योगदान दे रही है। हम सेन्ट्रल गवर्नमेंट की बजाय यूनियन गवर्नमेंट कहना चाहेंगे क्योंकि संविधान में 'सेन्ट्रल' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके लिए 'यूनियन गवर्नमेंट' शब्द का प्रयोग किया गया है।

इसमें केन्द्र सरकार का योगदान है। केन्द्र सरकार कुछ योगदान दे रही है। लेकिन राज्य सरकार भी योगदान दे रही है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह योगदान बराबर मात्रा में दिया जा रहा है।

श्री शिवराज वि. पाटील : दोनों सरकारों द्वारा समान योगदान दिया जा रहा हे। अतः केन्द्र सरकार को निदेश देने की अनुमति है। यहां 'परामर्श से' शब्द क्यों न रखा जाए। आपके निदेश अंतिम होंगे। लेकिन उसकी बात अन्तिम नहीं होगी। आप उससे परामर्श भी नहीं करना चाहते हैं

श्री अनंत कुमार : खंड 86 का यह आशय नहीं है मैं श्री पाटील से अनुरोध करता हूं कि उस खंड के परंतुक को पढ़ें। इसमें कहा गया है :

"परन्तु यह कि मेट्रो रेल प्रशासन का जिसमें दिल्ली सरकार के पांच निदेशक भी सम्मिलित हैं को यथा–साध्य शीघ्र इस उपधारा के अधीन निदेश देने से पूर्व अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।"

श्री शिवराज वि. पाटील : वह जो पढ़ रहे हैं वह विधेयक में कहां है?

श्री अनंत कुमार : खंड 86 के परन्तुक में।

श्री शिवराज वि. पाटील : हां, ठीक है वहीं है।

श्री अनंत कुमार : इसलिए इसमें ऐसा उपबंध तो पहले से ही है।

मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस विचार का समर्थन करें, और इस विधेयक को पारित किए जाने का समर्थन करें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वह अध्यादेश को प्रख्यापित किए जाने का जो कारण बताया गया है मैं उससे सहमत नहीं हूं। इतनी अत्यावश्यकता क्या थी? उन्होंने बताया है कि विभिन्न संगठनों, राज्य सरकारों, रेल मंत्रालय और अन्यों को वर्ष 2000 में मासैदा परिचालित किया गया था और उनके विचार सितम्बर, 2002 में ही प्राप्त हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मसौदा उनके विचार प्राप्त होने के बाद तैयार किया गया था? जब अध्यादेश के प्रख्यापन के बिना ही मसौदा तैयार किया गया था तो उन्हें विधेयक लाना चाहिए था।

मैं जानना चाहता हूं कि वह किस बात के कारण विधेयक नहीं लाए। जब अत्यावश्यकता नहीं थी तो सरकार एक के बाद एक अध्यादेश क्यों प्रख्यापित किया? दिल्ली मेट्रो 25 दिसम्बर से ही प्रचालित की जाएगी। इस सत्र की समाप्ति के पहले ही यह सभा विधेयक पारित कर सकती थी और कानून बनाया जा सकता था। समय पर्याप्त था। अतः अध्यादेश के प्रख्यापन का कोई कारण नहीं था।

दूसरी बात यह कि जैसा कि श्री शिवराज वि. पाटील

ने निजीकरण से संबंधित प्रश्न उठाया है, उन्होंने अभी–अभी कहा है कि मेट्रो रेल न तो केन्द्र सरकार की है और न ही राज्य सरकार की। यह गैर–सरकारी संगठन है। यदि यह गैर–सरकारी संगठन है तो क्या यह निजी संगठन नहीं हुआ? इसे कैसे चलाया जाना है?

श्री अनंत कुमार : इसे डी.एम.आर.टी. चलायेगा। बात यह है कि अब हम शीघ्र कार्यान्वयन और व्यावसायिक प्रबंधन के लिए कई विशेष उद्देश्य वाले वाहनों को लेकर आ रहे हैं। उदाहरण के लिए, बंगलौर अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का मामला ही लें। बंगलौर अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में केन्द्र सरकार की अर्थात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भागीदारी 13 प्रतिशत है, कर्नाटक सरकार अर्थात् कर्नाटक राज्य अवसंरचना विकास निगम का हिस्सा और 74 प्रतिशत हिस्सा ज्यूरिक अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, सीमेन्स तथा लार्सन एंड टुब्रो के अन्तर्राष्ट्रीय कंपनी समूह से आता है।

लेकिन यहां इस मामले में, हमारी इक्विटी से जेपनीज बैंक ऑफ इंटरनेशनल कारपोरेशन से बड़ी धनराशि जुटाई जा रही है। रेल अधिनियम के अनुसार, जब सरकारी रेलवे होती है तो इसका तात्पर्य यह है कि इसकी इक्विटी पर भारत सरकार के माध्यम से रेल विभाग का नियंत्रण होता है और रेल विभाग ही इसका संचालन करता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर यह एक विशेष उद्देश्य वाला वाहन है जो कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली मेट्रो रेल निगम के नाम से जाना जाता है। इसका इक्विटी पर नियंत्रण रहेगा और इसके अंतर्गत वह सारी रेलवे का संचालन करेगा। इसलिए इसे गैर–सरकारी रेलवे के रूप में जाना जाता है। यही इरादा है। इसका रेलवे के निजीकरण से कोई लेना–देना नहीं है अथवा दिल्ली मेट्रो रेल निगम में निजी भागीदारी को अनुमति देने से भी इसका कोई संबंध नहीं है।

इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय वास्तव में एक शहरी परिवहन नीति तैयार कर रहा है। अगले कुछ महीनों के भीतर शहरी परिवहन नीति तैयार हो जायेगी क्योंकि जैसा कि आप सभी ने कहा था कि प्रदूषण, भीड़भाड़, ट्रैफिक जाम आदि की समस्या से निपटने का एकमात्र रास्ता देशभर में मेट्रो परिवहन प्रणाली को लागू करना है। इसके लिए आपको राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और निजी पार्टियों द्वारा मिलजुलकर काम करने की आवश्यकता है।

लेकिन यह विधेयक इन सब बातों का पूर्वाभास नहीं देता। इसके अतिरिक्त, भविष्य में...*(व्यधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यह भविष्य का कार्यक्रम है...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : भविष्य में संसद में हम इस अध्यादेश के माध्यम से नहीं और न ही इस विधेयक के माध्यम से पुनः आएंगे।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : आप इस प्रावधान को इस अधिनियम में क्यों नहीं शामिल करते?...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : गैर–सरकारी रेलवे का रेलवे से कोई सरोकार नहीं है। बस यही बात है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री महोदय, 15 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार का है, 15 प्रतिशत शेयर राज्य सरकार के पास है और शेष धनराशि जापानी कंपनी समूह से आ रही है...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : ऋण के रूप में।

श्री बसुदेव आचार्य : ऋण को वापस करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर होगी। जब संपूर्ण सारे ऋण की अदायगी हो जायेगी तब राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी होगी?...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : इसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा 50 : 50 का होगा। लेकिन, रेलवे अधिनियम के अनुसार, केवल रेल विभाग वाली रेल ही सरकारी रेल है। इसीलिए, शब्दों के तकनीकी जाल से बचने के लिए, गैर–सरकारी रेलवे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यही बात है। इरादा बस यही है।...*(व्यधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : क्या यह भारत सरकार के अधीन आएगी?...*(व्यधान)*

श्री अनंत कुमार : निःसन्देह, केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार बराबर के भागीदार होंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सभा में इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आज आप सभा को यह आश्वासन दे रहे हैं कि भविष्य में भारत सरकार के हिस्से

का विनिवेश नहीं किया जायेगा और उसका निजीकरण नहीं किया जायेगा? कृपया आप हमें यह बताएं। मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमें ब्रिटिश रेलवे का अनुभव है। ब्रिटिश रेलवे का निजीकरण किया गया था। अब वे पुनर्विचार कर रहे हैं, अपने निर्णय की समीक्षा कर रहे हैं और ब्रिटिश रेलवे का पुनः राष्ट्रीयकरण किया गया है।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : मैं विनम्रतापूर्वक केवल यह कह सकता हूं कि एक विशेष उद्देश्य वाले वाहन के माध्यम से यह गैर–सरकारी रेलवे, दिल्ली मेट्रो निगम भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों का है...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : यह रेलवे का निगमीकरण है। यह निजीकरण की ओर एक कदम है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : निगमीकरण निजीकरण की ओर एक कदम है।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : अंततः, एक बात जिसे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा वह यह है कि जब एक बार दिल्ली मेट्रो का कार्य 2007 तक पूरा हो जायेगा, यह 20,000 बसों जितनी बसों के बराबर दिल्ली के लोगों को सेवा प्रदान कर रहा होगा। इसका अर्थ यह है कि दिल्ली की सड़कों से 50 प्रतिशित यातायात कम हो जायेगा, 50 प्रतिशत प्रदूषण कम हो जायेगा। इतना ही नहीं वरन् मैं इस सभा को पूरी जिम्मेदारी के साथ यह आश्वासन भी दूंगा कि यह सबसे अधिक सुरक्षित है, कम खर्चीला है और प्रयोक्ता अनुकूल परिवहन का साधन है जो देश के पास उपलब्ध है...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम न केवल दिल्ली में अपितु अन्य महानगरों में भी मेट्रो रेल के पक्षधर हैं। हम तो यह भी चाहते हैं कि कलकत्ता मेट्रो रेल की मौलिक योजना को रामराजतला से लेकर साल्टलेक तक कार्यान्वित किया जाए। कलकत्ता मेट्रो का केवल थोड़ा सा हिस्सा ही कार्यान्वित और संचालित किया गया है।

महोदय, हम दिल्ली मेट्रो के विरोध में नहीं हैं। लेकिन हम इस अध्यादेश का मार्ग अपनाने के विरुद्ध हैं। अब भी मैं इस अध्यादेश के प्रख्यापन की आवश्यकता से विश्वस्त नहीं हूं। इसीलिए, मैं अपने संकल्प को वापिस नहीं ले रहा हूं और मैं इस पर जोर दे रहा हूं। लेकिन मैं दिल्ली मेट्रो के विरुद्ध नहीं हूं...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : महोदय, मैं माननीय सदस्य से अपना संकल्प वापस लेने का अनुरोध कर रहा हूं। जब भी श्री बसुदेव आचार्य जैसे वरिष्ठ सदस्य मुझसे पूछेंगे, सितम्बर 2000 से, जब विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया था, जब विधेयक के प्रारूप को परिचालित किया गया था, तब से लेकर अब तक घटनाक्रम को बताने के लिए मैं तैयार हूं, और यह भी बताने के लिए तैयार हूं कि इस अनुमोदन की तिथियां क्या थीं और ऐसी अन्य बातें।

हमें इन सब बातों की विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवराज वि. पाटील : यह एक आंतरिक मामला है। यह मंत्रालयों के बीच का मामला है। यह विधानमंडल इससे कैसे निपटे?

श्री अनंत कुमार : मैं आपके साथ सहमत हूं। लेकिन इन सब बातों से देरी होती है। इसीलिए, मैं सभा को विश्वास में ले रहा हूं, और मैं उनसे इस संकल्प को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : ठीक है, मैं संकल्प वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना सांविधिक संकल्प वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संकल्प सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली महानगर में मेट्रो रेल के प्रचालन और अनुरक्षण तथा उसके कार्यकरण को विनियमित करने तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा इस विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 105 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 105 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अनंत कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.42

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 26 नवम्बर, 2002/5 अग्रहायण, 1924(शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/28/5/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।